प्रकाशक
राज पंचायत प्रकाशन
कानूनी पुस्तकों के प्रमुख प्रकाशक,
मामाजी मार्केट, चौड़ा रास्ता,
जयपुर

सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं।
[UNAUTHORISED TRANSLATION]

मुद्रक:—
महेन्द्र प्रिन्टर्स
गोपाल जी का रास्ता,
जयपुर

राजस्थान सेवा नियम

—::*::—

नियम　　　　　　विषय सूची

अध्याय १

लागू होने की सीमा

नियम	विषय	
१	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	
२	लागू होने की सीमा	
३	वित्त विभाग से सहमति लेना	
४	परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति	
५	प्रदान करने की शक्ति	
६	व्याख्या	

अध्याय २

परिभाषायें

नियम	विषय	
७	परिभाषायें	

भाग २

अध्याय ३

सेवा की सामान्य शर्तें

नियम	विषय	पृष्ठ
८	प्रथम नियुक्ति के समय आयु	२१
९-११	नियुक्तियों के लिए डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	२२
१२	डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त हुए राज्य कर्मचारी	२४
१३-१४	सेवा की मौलिक शर्तें	२५
१५-१६	स्वत्वाधिकार (लीयन)	२५
	लीयन निलम्बित करना	२६
	लीयन समाप्त करना	२७
	लीयन का परिवर्तन	२८
	राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण	२९
	भावी निधि या जीवन बीमाशुल्क	३०
	वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने की शर्तें	३०

२२ क	प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापिस जमा कराना	३१
२३	एक राज्य कर्मचारी के सेवा में न रहने की शर्त	३१
२३ क	अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का नोटिस	३२

भाग ३

अध्याय ४

वेतन (Pay)

२४	वेतन, पद के वेतन से ज्यादा न हो	३४
२५	प्रशिक्षण काल आदि में वेतन	३४
२६ से २६ख	किसी समय श्रृंखला (Time Scale) वेतन वाले पद पर नियुक्ति होने पर आरम्भिक (Initial) मूल वेतन को नियमित करना	३६
२७ से २७क	घटाई गई वेतन की समय श्रृंखला में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन को पुनः नियमित करना (Regradation)	४४
२८	एक पद के वेतन परिवर्तित होने पर वेतन को नियमित करना	४६
२९	जब तक वार्षिक वृद्धि (Increament) रोकी न जाए, वह प्राप्त की जारी रहनी चाहिए	४८
३०	कार्यकुशलता प्रगति प्रतिबन्ध (Efficiency Bar) पार करना	४८
३१	टाइम स्केल (समय-श्रेणी) में वेतन वृद्धि (Increaments) के लिये सेवा को गिना जाना	४९
३२	निर्धारित तिथि से पूर्व वार्षिक वृद्धियां (Pre-mature Increaments)	५२
३३	निम्न श्रेणी या पद पर स्थानान्तरण करने पर वेतन	५३
३४	निम्न श्रेणी या पद पर वापिस करने पर भावी वेतन	५३
३५	स्थानापन्न राज्य कर्मचारी का वेतन	५६
३६	निम्न दर पर कार्यवाहक वेतन निश्चित करने की शक्ति	६१
३७	कार्यवाहक वेतन का नियमन जब पद पर वेतन ऐसी दर पर निश्चित हो जो दूसरे राज्य कर्मचारी की निजि हो	६२
३८	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिये नये राज्य कर्मचारियों के स्थान पर कार्यवाहक उन्नतियां	६२
३९	निजि वेतन का घटना	६२
४० से ४१	अस्थाई पद का वेतन	६२

अध्याय ५

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते (Addition to Pay)

४२	क्षतिपूरक भत्ता (Compensatory Allowance)	६४
४३ (क)	कार्य करने व उसके लिये शुल्क स्वीकार करने की शक्ति	६५
४३ (ख)	शुल्क (फीस) स्वीकार के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति	६५

४३ (ग) वे परिस्थितियां जिनमें पारिश्रमिक (Honorarium) स्वीकृत किया जा सकता है
४३ (घ) शुल्क एवं पारिश्रमिक की स्वीकृति के कारणों को लिखा जावे
४४ चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कोष स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति
४७ सरकार को शुल्क कब जमा कराना चाहिये
४८ बिना विशेष आज्ञा स्वीकार किया जाने वाला भुगतान
४९ अनुसंधान कार्य में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकार (Patent) प्राप्त करने में रोक

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

५० नियुक्तियों का समन्वय—एक से अधिक पद ग्रहण करने पर वेतन का नियमन

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति

५१ भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार नियमित होगा

अध्याय ८

बर्खास्तगी, हटाना या निलम्बित करना (Dismissal,Removal Suspens

५२ बर्खास्तगी की तारीख से वेतन एवं भत्तों का बन्द होना
५३ निर्वाह अनुदान (Subsistance Allowance)
५४ पुनर्नियुक्ति (Reinstatiment)
५५ निलम्बन काल में अवकाश की स्वीकृति
५५ क बर्खास्तगी, हटाए जाने के बाद अवकाश की स्वीकृति

अध्याय ९

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

५६ (क) पूर्ण वयस्कता वय प्राप्त कर लेने पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति

भाग ४

अध्याय १०

अवकाश (Leave)

खण्ड १—अवकाश की सामान्य शर्तें

५७ सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश

५७ (क)	दूसरे नियमों के समूह से नियन्त्रित एक राज्य कर्मचारी द्वारा इन नियमों से शासित पद पर काम करने पर उसके अवकाश का नियमन का प्रकार	९४
५८	पुनर्नियोजन (Re-employment) या पुनर्नियुक्ति होने पर वर्खास्त होने से पूर्व की गई सेवाओं का अवकाश	९४
५९	अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है।	९५
६०	अवकाश का प्रारम्भ व अन्त	९६
६० क	अवकाश के समय में पता	९६
६१	अवकाश एवं उपस्थिति के समय (Joining Time) के साथ अवकाशों (Holidays) का समन्वय (Combination)	९६
६२	मुक्त (Exempt) करने की शक्ति	९७
६३	अवकाश के साथ छुट्टियों के समन्वित होने पर अनुवर्ती व्यवस्थाओं का प्रभावशील होना	९७
६४	अवकाश मे नौकरी स्वीकार करना	९७
६५	निवृत्ति-पूर्व-अवकाश (Leave Preparatory to Retirement) पर राज्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	९८
६६	अवकाश से वापिस बुलाना	१०२
६७	अवकाश के लिये आवेदन पत्र किसे प्रस्तुत किया जावे	१०२
६८	विदेशी सेवा में स्थानान्तरित राज्य कर्मचारियों को पहिले अवकाश नियमों से अवगत कराना चाहिये	१०२
६९	विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	१०२
७०.	राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण पत्र	१०२
७१	मेडिकल कमेटी के सामने उपस्थित होना	१०४
७२.	मेडिकल कमेटी का प्रमाण पत्र	१०४
७३.	संदिग्ध मामलों में व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना	१०४
७४	मेडिकल कमेटी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना	१०४
७५	चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार प्रदान नहीं करता है	१०
७६	अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध का तरीका	१०
७७	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश	१०
७८ व ७९	सेवा पर उपस्थित न हो सकने योग्य राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र	१०

खण्ड २—अवकाश की स्वीकृति

८०	अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकता	१०७
८१	राज्य सेवा में वापिस लौटाने के अयोग्य राज्य कर्मचारी को अवकाश की स्वीकृति	१०८

बर्खास्त किए जाने वाले राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकार न करना १०८
(क) राजपत्रित अधिकारियों के लिए अवकाश
अवकाश से सेवा पर उपस्थित होते समय योग्यता का प्रमाण पत्र १०९
राजपत्रित कर्मचारियों को मेडिकल कमेटी से कब योग्यता का प्रमाण पत्र
प्राप्त करना चाहिए १०९
नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना ११०
अवकाश समाप्त होने पर अनुपस्थिति १११

अध्याय ११

अवकाश (Leave)

खण्ड १—सामान्य

लागू होने की योग्यता ११२
(क) अवकाश का लेखा (Leave Account)
(ख)(१) राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश का लेखा ११२
(ख)(२) अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश का लेखा ११३
विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय ११३
पूर्ण वयस्कता वय की तिथि के बाद का अवकाश ११३

खण्ड २—उपार्जित अवकाश वगैरा

प्राप्य उपार्जित अवकाश की संख्या ११७
विश्राम कालीन विभागों (Vacation Departments) में अधिकारियों के
लिए विशेष नियम ११८
प्राप्य अर्द्ध वेतन अवकाश की मात्रा ११९
(ग) प्राप्य रूपान्तरित अवकाश (Commuted Leave) की मात्रा एवं उसे
स्वीकार करने की शर्त ११९
(घ) बिना बकाया अवकाश (Leave not due) कब स्वीकार किया जाता है १२१
अस्थाई राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश १२४
(क) विश्राम काल (Vacation) १२६
सेवा भंग किए बिना एक अस्थाई राज्य कर्मचारी को स्थाई रूप से नियुक्ति
होने पर उसका अवकाश १२७
असाधारण अवकाश १२७
प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए प्राप्य अवकाश वेतन की राशि १३०

खण्ड ३—विशेष निर्योग्यता अवकाश

९ विशेष असमर्थता अवकाश कब स्वीकार किया जाता है १३१
९ (१) विशेष असमर्थता अवकाश की अवधि १३२
९ (२) असमर्थता अवकाश पेंशन के लिये सेवा के रूप में गिना जाता है १३४

९९ (७) असमर्थता अवकाश में अवकाश वेतन १३४

१०० असमर्थता के लिये क्षतिपूर्ति (Compensation) स्वीकृत करने पर अवकाश वेतन में कटौती १३५

१०१ व १०२ सिविल कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश नियमों का लागू होना १३५

खण्ड ४—प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)

१०३ प्रसूति अवकाश १३६

१०४ प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाश का समन्वय १३६

खण्ड ५—अस्पताल अवकाश

१०५ अस्पताल अवकाश (Hospital Leave) स्वीकृत किये जाने की सीमा १३७

१०६ अस्पताल अवकाश में अवकाश वेतन १३८

१०७ अस्पताल अवकाश की अवधि १३८

१०८ अस्पताल अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का समन्वय १३८

खण्ड ६—अध्ययन अवकाश (Study Leave)

१०९ लागू होने की सीमा १३८

११० अध्ययन अवकाश किसको स्वीकृत किया जाय १३८

१११ व ११२ अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें १३९

११३ अन्य अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश का समन्वय १४०

११४ समय से कम के अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में तरीका १४०

११५ अध्ययन अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना १४०

११६ अन्य अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना १४०

११७ अध्ययन भत्ता (Study Allowance) १४१

११८ विश्राम काल का अध्ययन भत्ता १४१

११९ अध्ययन के पाठ्यक्रम का शुल्क १४१

१२० पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र १४२

१२१ उन्नति एवं पेंशन के लिये अध्ययन अवकाश की गणना १४२

१२१ (क) राज्य सेवा करने का अनुबन्ध पत्र (Bond) भरा जाना १४२

खण्ड ७—प्रोबेशनर तथा नवसिखुओं के लिए अवकाश

१२२ प्रोबेशनरों के लिये अवकाश १४४

१२३ नवसिखुओं (Apprentices) के लिए अवकाश १४४

खण्ड ८—अंशकाल सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश

१२४ शिक्षण संस्थाओं में पार्ट-टाइम राज्यकीय प्राध्यापकों (Lecturers) एवं कानून अधिकारियों (Law Officers) के लिये अवकाश १४५

१२५ स्वीकृति किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय १४५

खण्ड ६—पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश

२६ पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा का अवकाश १४५

अध्याय १२

सेवा पर उपस्थिति के लिए समय (Joining Time)

१२७ कब स्वीकृत होगा (When admissible) १४
१२८ स्थान का परिवर्तन न होने पर ज्वाइनिंग टाइम १४
१२९ प्राप्य ज्वाइनिंग टाइम की अवधि १४
१३० किस रास्ते द्वारा ज्वाइनिंग टाइम गिना जावेगा १४
१३१ मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यभार संभालने पर ज्वाइनिंग टाइम १४
१३२ प्रस्थान समय में नये पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम १४
१३३ एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान काल में अवकाश लेने पर राज्य कर्मचारी के लिये ज्वाइनिंग टाइम १४
१३४ उपार्जित अवकाश काल में नये पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम १४
१३५ सक्षम अधिकारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाया जाना १४
१३६ अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम जो स्वीकृत किया जा सकता है १४
१३७ अन्य सरकार में स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम का नियमन १४
१३८ ज्वाइनिंग टाइम सेवा के रूप में गिना जाता है १४
१३९ ज्वाइनिंग टाइम के बाद हवह १४
१४० राज्यकीय सेवा में नियुक्त होने पर गैर सरकारी (Private) कर्मचारियों को ज्वाइनिंग टाइम १४

भाग ५

अध्याय १३

विदेशीय सेवा (Foreign Service)

१४१ विदेशी सेवा में स्थानांतरित करने पर कर्मचारी की सहमति आवश्यक १४
१४२ विदेशी सेवा में स्थानान्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है १४
१४३ अवकाश काल में विदेशी सेवा में स्थानान्तरित करने के परिणाम १४
„ विदेशी सेवा के मध्य में राज्य कर्मचारी की पैरेन्ट केडर में स्थाई या कार्यवाहक उन्नति १४
१४४ विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करने की तारीख १
१४४ (क) विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें १
१४५ अवकाश एवं वेतन में अंशदान १
१४५ (क) वेतन भत्ते आदि का भार १
१४५ (ख) भारतीय राज्यों एवं 'बी' श्रेणी के राज्यों के बीच में भारत में गई सेवा

	की वसूली	१६
१४६	अंशदान की दर	१६
१४७	अंशदान किस प्रकार निकाला जाता है	१६
१४८	अंशदान माफ करना	१६
१४९	बकाया अंशदानों पर ब्याज	१६
१५०	विदेशी सेवा में अंशदान राज्य कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता	१६
१५१	विदेशी नियुक्तक से पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार करने में स्वीकृति लेना आवश्यक	१६
१५२	विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश	१६
१५३	भारत के बाहर विदेशी सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने के विशेष प्रावधान	१६
१५४	राजकोष सेवा में कार्यवाहक उन्नति हो जाने पर विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारी के वेतन का नियमन	१६८
१५५	विदेशी सेवा से लौटने की तारीख	१६८
१५६	विदेशी नियुक्तक द्वारा वेतन एवं अंशदान बन्द कर देने की तारीख	१६९
१५७	नियमित स्थापन जिसका कि व्यय सरकार को देय है, के सम्बन्ध में अंशदान की वसूली	१६९

अध्याय १४

स्थानीय निधियों के अधीन सेवा

१५८	सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली सेवायें किस प्रकार नियमित होती हैं	१७०

भाग ६

अध्याय १५

सेवा के अभिलेखे (Records of Service)

१५९	राजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेखा	१७१
१६०	अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेखा	१७१
१६१	सेवा पुस्तिका (Service Book) में इन्द्राज	१७३
१६२	सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका की जांच	१७४
१६३	आडिट आफिस द्वारा विदेशी सेवा में स्थानान्तरण पर इन्द्राज किया जाना	१७५
१६४ व १६४ (क)	सेवा सूचियां (Service Rolls)	१७६

भाग ७

अध्याय १६

शक्तियों का प्रदत्तीकरण (Deligations)

१६५	अधीनस्थ अधिकारी जो सक्षम अधिकारी की शक्ति का उपयोग करते हैं	१७७

जिन अधिकारियों को शक्ति सौंपी गई है उनके उपभोग करने मे वित्त विभाग
की अनुमति दी हुई मानी जायेगी १७७
प्रदत्त शक्तियों के उपभोग के नियमन सम्बन्धी सामान्य शर्तें

भाग ८

अध्याय १७

सामान्य नियम

खण्ड १—सामान्य

६८ (क) लागू होने की सीमा १७८
पेंशन की स्वीकृति के लिए उत्तम चरित्रवान होना आवश्यक १८५
७० (क) पेंशन मे नुकसानों की वसूली १८६

खण्ड २—वे मामले जिनमें मांगे (Claims) स्वीकार नहीं की जा सकती

पेंशन का हक कब अस्वीकृत होता है १८८
क्षति पूरक भत्ता १८६
क) अनिवार्य सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप में १६१
विधवा के हक १६१
प्रतिबन्ध १६५
सिविल नियमो के अन्तर्गत पेंशन के लिए मिलिट्री सेवा को गिना जाना १६६
सिविल नियमो के अन्तर्गत मिलिट्री सेवा को उच्चतर या चतुर्थ श्रेणी सेवा
मे गिना जाना १६८

अध्याय १८

योग्य सेवा की शर्तें (Conditions of qualifying service)

खण्ड १—योग्य सेवा की परिभाषायें

योग्य सेवा प्रारम्भ होने की उम्र १६८
योग्यता की शर्तें १६८
किसी भी सेवा को योग्य सेवा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार की
शक्ति १६६

खंड २—पहली शर्त

सरकार द्वारा नियुक्ति पेंशन के लिए आवश्यक शर्तें २००
अनुबन्ध भत्तों से भुगतान की जाने वाली सेवा २०१
राजाओं के निजी कोषों (प्रिवीपर्सों) से भुगतान की जाने वाली सेवा २०१
ठिकानों द्वारा भुगतान की गई सेवा २०१

खण्ड ३-दूसरी शर्त

सामान्य सिद्धांत

१८५ सेवा कब योग्य होती है २०९
१८६ अनिरन्तर स्थापन (Non-Continuous establishment) २१०
१८७ अस्थाई सेवा को गिना जाना २१०
१८८ कार्यवाहक नियुक्ति को शामिल किया जाना २१३
१८८ (क) अस्थाई सेवा स्थाई हो जाने पर गिनी जाती है २१५
१८९ नव सिखुआ २१५
१८९ (क) प्रोबेशनर २१६
१९० व १९१ अस्थाई सेवा पर प्रतिनियुक्त स्थायी अधिकारी २१६
१९२ समाप्त किया गया स्थाई पद २१७
१९३ फुटकर कार्यों के लिए नियुक्त कार्यालय का कर्मचारी २१७
१९४ सर्वे एवं भू प्रबन्ध विभाग २१८

खण्ड ४-तीसरी शर्त

१९५ पारिश्रमिक का स्त्रोत योग्यता का आधार २१८
१९६ संचित निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा को शामिल किया जाना २१९
१९७ स्थानीय निधि एवं ट्रस्ट निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन योग्य नहीं गिनी जाती है। २१९
२२०
१९८ फीस एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा २२०
१९९ जमीन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा

अध्याय १६

खण्ड १—अवकाश एवं प्रशिक्षण की अवधियां

२२१
२०३ योग्य सेवा के लिए गिनी जाने वाली अवकाश की अवधियां २२१
२०४ भतों सहित अवकाश पर बिताया गया समय २२४
२०५ प्रशिक्षण में बिताया गया समय

खण्ड २ में निलम्बन, त्याग पत्र, सेवा भंग एवं कमियां

२२५
२०६ निलम्बन में बिताया गया समय २२५
२०८ व २०९ त्याग पत्र ... के कारण हटाया जाना २२६
२१० सेवा में ... करता है—अपवाद
२११ बिना अ... का भत्तों सहित अवकाश में रूपान्तर २२
२१२ व्यव... २
२१३ कमियों ...

अध्याय २०

पेंशनों स्वीकृत करने की शर्तें

खण्ड १—पेंशनों का वर्गीकरण

२१४	उच्च सेवा के लिए पेंशनो का वर्गीकरण	२३०

खण्ड २—क्षति पूरक पेंशनें (Compensation Pension)

२१५	क्षतिपूरक पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें	२३१
२१६ व २१७	स्थापन की कटौती पर तरीका	२३२
२१८ से २२१	क्षतिपूरक पेंशन स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध	२३३
२२२ व २२३	सेवा की किस्म मे परिवर्तन करने पर सेवा से हटाने के लिए विशेष मामला	२३३
२२४	सेवा से हटाने का नोटिस	२३३
२२५	अनुबन्ध के समय मे हटाया जाना	२३५
२२६	पुनर्नियुक्ति का अवसर देना	२३५
२२७	नये पद की स्वीकृति	२३५
२२८	स्वीकृत करने की शर्तें	२३६

खण्ड ३—अयोग्य पेंशनें

२२९	चिकित्सा प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है तथा किसका आवश्यक होता है	२३६
२३० व २३१	मामले का इतिहास संलग्न किया जाना	२३७
२३२	चिकित्सा प्रमाण पत्र का फार्म	२३८
२३३	पुलिस सेवा मे विशेष सावधानी	२३९
२३४	चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश	२३९
२३५	प्रतिबन्ध	२३९
२३६	प्रार्थी को सेवा से हटाये जाने का तरीका	२४०

खण्ड ४—पूर्ण अवस्था प्राप्त पेंशन (Superannuation Pension)

२३९	स्वीकृत करने की शर्तें	२४०

खण्ड ५—सेवा निवृत्ति पेंशन (Retiring pension)

२४३	स्वीकृति की शर्तें	२४४
२४४ (१)	३० साल की योग्य सेवा पूर्ण करने के बाद वैकल्पिक सेवा निवृत्ति	२४४
२४४ (२)	२५ साल की योग्य सेवा पूर्ण करने के बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति	२४४
२४५	समन्वित नियुक्तियां	२४५
२४६	चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए पेंशन	२४५

अध्याय २१

पेंशनों की धनराशि (Amount of Pension)

खंड १—सामान्य नियम

२४७ धनराशि किस तरह नियमित होती है २४५

२४८ व २४९ अनुमोदित सेवा के लिए ही पूर्ण पेंशन की स्वीकृति २४६

खंड २—पेंशन के लिए गिने गए भत्ते

२५० व २५० (क) कुल राशि (Emoluments) की परिभाषा २४८

२५१ औसतन कुल राशि (Average emoluments) २५९

२५२ वे भत्ते जो शामिल नहीं किये जाते हैं २५९

२५३ से २५४ (क) वास्तविक कुल राशि जो गिनी जाती है २६०

२५५ एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य करने से पेंशन में वृद्धि नहीं होती २६१

अध्याय २२

खंड १—पेंशन

२५६ पेंशन का परिमाण (Scale of pension) २६१

खंड २—मृत्यु-सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी

(Death-Cum-Retirement Gratuity)

२५७ कब स्वीकार होती है (When admissible)

२५८ मृत्यु की हालत में

२५९ कुल राशि की परिभाषा (Emoluments defined)

२६० (१) परिवार की परिभाषा (मनोनयन हेतु)

२६० (२) कब आवश्यक है

अध्याय २३

परिवार पेंशन (Family Pension)

२६१ स्वीकृति की शर्त

२६२ राशि (Amount)

२६३ परिभाषा

२६४ प्रतिबन्ध

२६५ वितरण का क्रम

३ मनोनयन का विकल्प

पेंशन पुरस्कारों का भुगतान

२१८ परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त ग्राह्य रहने योग्य

अध्याय २३ क.

नई परिवार पेंशन (New Family Pension)

२६८ (क) लागू होने की सीमा — २९७
२६८ (ख) पेंशन स्वीकृत करने योग्य — २९७
२६८ (ग) परिवार पेंशन की राशि — २९७
२६८ (घ) परिभाषा — २९८
२६८ (ङ) स्वीकृति की शर्तें — २९८
२६८ (च) वितरण का क्रम — २९८
२६८ (छ) ग्रेच्युटी का हिस्सा छोड़ना — २९९
२६८ (ज) इस अध्याय के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प — २९९

अध्याय २४

असाधारण पेंशनें (Extraordinary Pension)

लागू होने की सीमा — ३०९
(क) परिभाषायें — ३१०
से २७२ पुरस्कार की शर्तें — ३१२
चोटों का वर्गीकरण (Classification of injuries) — ३१३
चोटों के लिए पुरस्कार (Award in respect of injuries) — ३१३
राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नि एवं बच्चों को पुरस्कार — ३१५
मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को पुरस्कार — ३१७
प्रभावशील होने की तारीख (Date from which effective) — ३१७
तरीका — ३१८

अध्याय २५

पेंशनों के लिए प्रार्थना-पत्र एवं स्वीकृति

खंड १—सामान्य

लागू होने की सीमा — ३१९
भुगतान में देरी नहीं करना चाहिए — ३१९
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना — ३१९
राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी (Audit officer) का उत्तरदायित्व — ३२१

खंड २—प्रार्थना पत्र

क—राजपत्रित अधिकारी

२८५	अधिकारी जिसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए	३
२८६	पेंशन के कागजातों की पूर्ति	३२
२८७	राजपत्रित अधिकारियों के पेंशन कागजात महालेखापाल को भेजते समय उनके साथ प्रमाण-पत्रों का संलग्न किया जाना	३

अराजपत्रित अधिकारी गण

२८८	अधिकारी जिसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना हो	३२
२८९	सेवा का प्रमाणीकरण	३२
२९०	सेवा के सत्यापन में देरी नहीं की जावे	३३५
२९१	पेंशन के प्रार्थना पत्र की पूर्ति	३३६

खंड ३—स्वीकृति (Sanction)

२९२	आडिट द्वारा पेंशन पेमेंट आर्डर तैयार करना	३४२
२९४	पेंशन की अधिक राशि को वापिस जमा कराना	३४४
२९५	नियमों की व्याख्या	३४६

खंड ४—पूर्वानुमित पेंशनें (Anticipatory Pensions)

२९६ से ३००	शर्तें एवं पद्धति	३४६

खंड ५—मृत्यु-सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी एवं परिवार पेंशन आदि

३०० (क)	तरीका	३५०

अध्याय २६

पेंशनों का भुगतान (Payment of Pnsions)

३०१	साधारण मामलों में भुगतान की तारीख	३५
३०२	विशेष मामलों में भुगतान की तारीख	३५
३०३	असाधारण पेंशन के भुगतान की तारीख	३५
३०५	एक मुश्त भुगतान करने योग्य ग्रेच्युटी	३५
३०६	पेंशन के भुगतान के लिए तरीका	३५४
३०७	पहिचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति	३५५
३०८	व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट	३५५
३०९	जीवन-प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी	३५५
३०९ (क)	एक एजेन्ट द्वारा पेंशन प्राप्त करना	३५६
३१०	साल में एक बार पेंशनर के जीवित रहने का सत्यापन	३५६

३११ पुलिस पेंशनर की पहिचान
३१२ एक अधिकृत एजेन्ट द्वारा पेंशन प्राप्त करना
३१३ व ३१४ भारत में एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान का हस्तान्तरण
३१५ एक जिला ट्रेजरी के अधीन एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान का स्थानान्तरण
३१६ सेवा नहीं करने का प्रमाण पत्र ३५..
३१७ पेंशन पेमेंट आर्डर का नवीनीकरण ३५६
३१८ खो जाने पर नया पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना ३६०
३१९ भुगतान कब बन्द किया जावे ३६०
३२० व ३२१ पेंशन के बकायों का भुगतान ३६०
३२२ मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को पेंशन का भुगतान ३६०
३२३ मृत पेंशनर की बकायों का उसके उत्तराधिकारियों के लिए भुगतान ३६०
३२४ जब सेवा निवृत्ति या डिस्चार्ज किए जाने के पूर्व ही राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जावे ३६१

अध्याय २७

पेंशन का रूपान्तरण (Commutation of Pension)

...२५ पेंशन के रूपान्तरण की मात्रा ३६१
...२६ तरीका
...२७ रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि ३६२
...२८ मृत पेंशनरों के उत्तराधिकारियों के लिए रूपान्तरित राशि का भुगतान ३६३
... व ३३० पेंशन के रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र ३६६
महालेखापाल के कार्यालय का तरीका ३६६
रूपान्तरण के लिए प्रशासनात्मक स्वीकृति ३६७
... ३३५ चिकित्सा परीक्षा (Medical Examination) ३६७
रूपान्तरित राशि का भुगतान ३६७
३६९
३७१

अध्याय २८

पेंशनरों की नियुक्ति (Re-employment of Pensioners)

खंड १—सामान्य

पुनर्नियुक्त पेंशनरों का वेतन ३७१
पेंशनर को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के लिए पेंशन की राशि की घोषणा करना ३७४

३४० पुनर्नियुक्ति के समय में असाधारण पेंशन स्वीकार्य ३७६

खंड २—सिविल पेंशनर्स

३४१ पुनर्नियुक्ति पर ग्रेच्युटी वापिस लौटाना ३७६
३४२ ग्रेच्युटी लौटाने के लिए महावारी किश्तें ३७७
३४३ क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति ३७७
३४४ तीन माह के भीतर विकल्प दिया जाना ३७९
३४५ अयोग्यता पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति ३७९
३४६ पूर्ण व्यस्कता या सेवा निवृति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति ३८०
३४७ पेंशन स्थगित करने की शक्ति ३८३
३४८ पेंशन रूपान्तरित होने पर पुनर्नियुक्ति पर वेतन ३८४
३४९ व ३४९ (क) पेंशन रूपान्तरित कब की जाती है ३८४

खंड ३—मिलेट्री पेंशनर (Military Pensioner)

३५० व ३५१ मिलेट्री पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति ३८४

खंड ४—नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service)

३५२ नई सेवा के लिए पेंशनर अलग से पेंशन प्राप्त नही करेगा ३८६
३५३ से ३५५ बाद की सेवाओं के लिए पेंशन या ग्रेच्युटी की सीमा ३८६

खंड ५—सेवा निवृति क बाद व्यापारिक सेवा

३५६ राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक ३८७

खंड ६

पुर्नानयुक्ति के बाद भारत के बाहर सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति

३५७ सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक ३८८

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियम, १९६४ १ से १३

राजस्थान सरकार
(वित्त विभाग)
जयपुर दिनांक २३ मार्च, १९५१

राजस्थान सेवा नियम

संविधान की धारा ३०९ के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने, राजस्थान के काम काज के सम्बन्ध मे राज्य पदों पर राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

अध्याय १

लागू होने की सीमा (Extent of Application)

नियम १. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—ये नियम 'राजस्थान सेवा नियम' कहलायेंगे। ये नियम १ अप्रेल १९५१ से प्रभावशील माने जाएंगे।

* टिप्पणी—यदि कोई व्यक्ति १-४-५१ को अवकाश पर हो, तो ये नियम उस पर अवकाश से लौटने की तारीख से लागू होंगे।

नियम २. लागू होने की सीमा—ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू होंगे:—

(१) उन समस्त व्यक्तियों पर जो ७ अप्रेल, १९४९ को या उसके बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनात्मक नियन्त्रण में या उसके कार्य में पदों या सेवाओं पर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।

(२) उन समस्त व्यक्तियों पर जो ७ अप्रेल, १९४९ को या उसके बाद में राज्यों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप ऐसी राज्य सेवाओं या पदों पर नियुक्त किए गए हों।

(३) उन सब व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार द्वारा या एकीकरण में शामिल होने वाले एवं राज्य की सरकार द्वारा समझौते के आधार पर ऐसे पदों पर या सेवाओं पर ऐसे काम काज के लिए नियुक्त किए गए हों जो कि इन नियमों के अन्तर्गत ऐसे आते हों परन्तु जिसकी व्यवस्था उनकी नियुक्ति के समझौते में न हो।

परन्तु शर्त यह है कि खंड (२) में उल्लेख किए गए श्रेणी के व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने से या उक्त एकीकरण के परिणाम स्वरूप उनकी नियुक्ति होने से दो साल के भीतर, इनमें से जो कोई बाद में हो उस तक, सेवा से निवृत्त (रिटायर) होने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्हें पेन्शन या इनाम (ग्रेच्युटी) उनकी नियुक्ति पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार मिलेगी।

---

* यह टिप्पणी वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ३८ (२) आर २ दिनांक ११ मार्च, १९५१ द्वारा शामिल की गई।

परन्तु इसके साथ ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:—

(क) भारत सरकार या राजस्थान के अतिरिक्त भारत की किसी अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रति नियुक्ति (deputation) पर भेजे गए अधिकारी गणों पर ये नियम लागू नहीं होंगे क्यों क उन पर उनकी मूल नियुक्तियों के नियम ही लागू होंगे।

(ख) राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

+ (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान की धारा २३८ के साथ पठित धारा २२९ के खण्ड (२) द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होंगे या

(घ) राजस्थान जन सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर जो भारतीय संविधा की धारा ३१८ के अन्तर्गत बनाए गए नियमों से शासित होंगे।

× (ङ) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर।

उन पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होंगे।

❀ टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (२) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा मे अपनी नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रति (रिप्रेजेन्टेशन) देता है तो ऐसी दशा में उसके प्रतिरूप (रिप्रेजेन्टेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि प्रावधान में उल्लेख की गई दो माह की अवधि उसके प्रतिरूप के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिए या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिए जैसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे।

राजस्थान सरकार के आदेश

(न्याय विभाग के पत्र संख्या एफ ३४ (२) ज्युडि./५१ दिनांक २९-५-५१ द्वारा शामिल किया गया) राजस्थान सेवा नियम १ अप्रेल, १९५१ से उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इसका प्रसंग भारतीय संविधान की धारा २३८ के साथ पठित धारा २२९ (२) से है।

राजस्थान सरकार के निर्णय

÷ राजस्थान सेवा नियमों के नियम २ के खण्ड (२) एवं इस विभाग के पत्र संख्या ए ३५(८) आर/५१ दिनांक २२-८-५१ (नियम २ के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित उस प्रावधान के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार क

+ इस सम्बन्ध में न्याय विभाग के पत्र संख्या एफ ३४ (२) ज्युडिसियल/५१ दिनांक २९ म १९५१ देखिए।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या २८९/५८ एफ ७ ए (३०) एफ. डी. (ए) नियम/५५ दिनांक ११ मार्च १९५८ द्वारा शामिल किया गया।

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ३५ (८) आर/५१ दिनाङ्क २२ अगस्त, १९५१ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ ३५ (८) आर/५२ दिनाङ्क २६-२-५२ द्वारा शामिल किया गया।

लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खंड (२) में राज्य सरकार के प्रशासनात्मक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काज में संबंधित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार आसीन होना) भी शामिल है। इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो।

प्रावधान में बतलाया गया आप्शन (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है। उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस आप्शन का उपभोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केडर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत होना चाहता हो तो उसको पेन्शन क्षति पूरक पेन्शन (Compensation Pension) (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व से लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी।

*निर्णय संख्या २—वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ ३५ (२) आर/५२ दिनांक १२ फरवरी, १९५२ (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या १) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम २ के खण्ड (२) और इसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है। इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ ३५ (८) आर/५१ दिनांक २२-८-५१ (नियम २ के नीचे दी गई टिप्पणी) रद्द नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में प्रतिरूप (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करते हैं।

÷निर्णय संख्या ३—राजस्थान सेवा नियमों के नियम २ के खण्ड (२) के प्रावधान में बतलाए गए आप्शन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है। यह निर्णय किया गया है कि प्रावधान यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिए गए आप्शन का प्रयोग कर सेवा से निवृत्त होने का हकदार ही रहेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से, इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे, दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए गए आप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण १ के लिए, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद आप्शन देने की अवधि केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस आप्शन को कभी भी प्रयोग में लिया जा

---

* वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ ३५ (२) आर/५२ दिनांक २९-२-५२ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ ३५ (२) आर ५१ दिनांक १७-९-५२ द्वारा शामिल किया गया।

कर सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के सन्देह को मिटाने के लिए तथा इस सम्बन्ध में स्थिति को सुस्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग ने विज्ञप्ति संख्या एफ ७ (५) आर/५५/ए दिनांक १६-७-५५ द्वारा एक नियम बनाया है जिसमें कि इस संबंध के स्पष्ट प्रावधान का समावेश किया गया है।

यह नियम किसी एक नए सिद्धान्त को अथवा पद्धति को प्रारम्भ नही करता है जो पूर्व से ह प्रचलन में न हो। लेकिन यह नियम केवल उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जिसे पूर्व से ही प्रचलि हुई समझी आती रही है। राज्य सरकार को किसी विशेष मामले में न्यायोचित ढंग से किसं नियम में आवश्यकता पड़ने पर रियायत बरतने की शक्ति का प्रयोग भूत काल में केवल विरत्ने अवसरो पर तथा अपवाद स्वरूप मामले में ही किए जाने की इच्छा थी। इस प्रकार के मामलों कं निपटाते समय स्वीकृत पद्धति के अनुसार ही ऐसा कार्य किया जाना था। किसी भी मामले में रियायत सम्बन्धी कोई भी रियायत बरतने से पूर्व रियायत करने के नियम प्रस्तावित करने वाले विभाग एवं अन्य विभाग जैसे नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग। इनमें से प्रत्येक मामले के विषय को ध्यान में रखते हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रसंग से जो भी उचित हो, उससे राय प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा राजकीय सचिवालय का इस सम्बन्ध के वर्तमान कोई भी नियम का पूरा पालन किया जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि इससे सम्बन्धित विभाग एक मत हो जायें कि यह एक उचित मामला है जिसमें कि नियम में रियायत बरतने की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार की रियायत किए जाने के कारणों को उचित पत्रावली (फाइल) पर अंकित किया जाना चाहिए लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की जाने वाली इसे औपचारिक आज्ञा के रूप में नही माना जाना चाहिए।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सरकार का कोई भी आदेश जो किसी विशिष्ट मामले में किसी नियम को समाप्त करने के लिए या उसमें रियायत बरतने के लिए जारी किया जाता है, उसे संविधान की धारा २३८ व धारा १६६ की आवश्यकतानुसार राज्यप्रमुख की आज्ञा के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उन राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तो से सम्बन्धित नियमों के एक नए समूह के प्रारम्भ जो भविष्य में निकाले जावें, उनमें किसी विशेष मामले में नियमों के प्रावधानों में रियायत बरत की शक्ति राजप्रमुख को दी हुई होनी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि किसी भी मामले का निर्ण प्रावधानों के प्रतिकूल ढंग से न किया जावेगा।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

यह निर्णय किया गया था कि उपरोक्त विज्ञप्ति केवल राजस्थान सेवा नियमों व अन्य नियम के समूह जैसे यात्रा भत्ता नियम, पे स्केल नियमों का एकीकरण एवं पे स्केल नियमों का संगठ (यूनीफिकेशन आफ पे स्केल रूल्स व रेशनलाइजेशन आफ पे स्केल रूल्स) आदि पर ही लाग होगी। जो कि (ये नियम) भारतीय संविधान की धारा ३०६ के अन्तर्गत वित्त विभाग से जार

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (७) एफ डी/आर/५७ दिनांक १-७-५७ द्वारा शामिल किया गया।

किए गए थे। एवं यह विज्ञप्ति भारतीय संविधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत सरकार के नियुक्ति एवं प्रशासनात्मक विभागो द्वारा जारी किए गए विभिन्न सेवाओं पर की गई नियुक्ति, उन्नति आदि के नियमो पर लागू नही होगी।

नियम ४ अ. सरकार अपनी स्वेच्छानुसार वेतन, कार्यवाहक भत्ता (Acting allowance)—अवकाश व पेन्शन के नियमो में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। एक अधिकारी का वेतन व भत्ते का हक' उस कमाये गए वेतन व भत्ते के समय प्रचलित नियमो के अनुसार ही नियमित किया जायेगा। अवकाश का क्लेम उन नियमों द्वारा तय किया जावेगा जो उस समय अवकाश के सम्बन्ध में लागू हों एवं उसका पेन्शन क्लेम उन्हीं नियमों द्वारा नियमित किया जावेगा जो अधिकारी के त्याग पत्र देने के समय या उसे सरकार की सेवा से हटाने के समय प्रचलित थे।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

यह प्रश्न कि क्या किसी विशिष्ट कार्यालय या विभाग मे की गई सेवा पेन्शन के योग्य है अथवा नही, उन्ही नियमो द्वारा हल किया जाता है जो कि उस सेवा के करने के समय प्रभावशील थे एवं बाद मे जिस सेवा को पेन्शन के अयोग्य माने जाने के आदेश बाद मे निकले है वे आदेश पिछले समय मे की गई सेवा पर लागू नही होंगे।

पूर्व विलयशील रियासतो (former covenanting states) के कर्मचारीगण जो राजस्थान सेवा मे एकीकृत हो चुके है, उनकी एकीकरण के पूर्व रियासती राज्य मे स्थाई एवं/या अस्थाई रूप से की गई सेवाओं को राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत स्थाई एवं/या अस्थाई सेवा माना जायेगा। सरकार के पृथक आदेशो से राजस्थान सरकार द्वारा ठिकानो से लिये गए कर्मचारियो के मामले नियमित होंगे।

स्पष्टीकरण

जहां पर कि किसी विशिष्ट रियासत के नियमो के समूह के अनुसार कोई सेवा काल विशेष रूप से पेन्शन के अयोग्य समझा गया हो एवं यदि वही सरकार के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा पेन्शन के योग्य घोषित हो गया हो तो वह सेवा इस प्रकार पेन्शन योग्य समझी जावेगी—

(१) कि जहां पर रियासत के नियमानुसार कोई एक पद पेन्शन के अयोग्य था एवं यदि वही पद राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो १.४.५१ के पूर्व की गई सेवा अवधि को राजस्थान सेवा नियमो के अयोग्य (non-qualifying for pension) समझा जावेगा।

(२) कि जहा रियासत के नियमों के अनुसार कोई सेवा पेन्शन युक्त थी पर बाद मे मत्स्य यथा पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार पेन्शन के अयोग्य कर दी गई तथा पुनः राजस्थान सेवा नियमो के तहत पेन्शन के योग्य हो गई तो दो पेन्शन योग्य सेवाओं के बीच के अन्तराल को पेन्शन के योग्य गिना जाना चाहिये क्योंकि मध्यवर्ती सरकार (intermediary

---

× वित्त विभाग के आदेश संख्या ४०१८/एफ १ (९९) आर/५१ दिनांक ३१-८-५१ द्वारा शामिल किया गया।

Government) की इच्छा कभी यह नहीं थी कि उन कर्मचारियों को उनके पेन्शन की सुविधा से वंचित कर दिया जावे।

नियम ५—प्रदान करने की शक्ति—सरकार किन्हीं उचित शर्तों पर किसी भी अपने अधिकारी को इन नियमों के अन्तर्गत निम्न अपवादों (Exceptions) के साथ शक्तियां प्रदान कर सकती है:—

(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियां।

(ख) अन्य शक्तियां जो नियम ४, ४२, ५६ (क), ८१, ×, नियम १३५, १४८, १५१ एवं १५७ (ग) द्वारा प्रदत्त की गई।

÷ राजस्थान सरकार का निर्णय

अभी सरकार के प्रशासनात्मक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाने, पद पर नियुक्त किये जाने तक इन्तजार करने के समय को ड्यूटी के रूप में मानने, पुनर्नियुक्ति स्वीकृत करने, आयु सीमा के प्रतिबन्ध को मिटाने, आदि की एवं सेवा नियमों से सम्बन्धित इसी तरह के मामलों में, शक्तियां प्रदान की है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उनको दी गई शक्ति का प्रयोग आदेश के जारी होने की तारीख से किया जाना है या विचाराधीन मामले भी उन्हीं शक्तियों के अनुसरण में तय किए जा सकते हैं। प्रश्न की जांच करली गई है तथा यह आदेश दिया गया है कि इस प्रदत्त शक्ति का उपयोग शक्ति के हस्तान्तरण के पूर्व के मामलों में भी किया जा सकता है। केवल उन मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जावेगा जो पहिले ही उस अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये गए हैं अथवा उसे प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसको कि यह शक्ति पूर्व से ही प्राप्त थी।

नियम ६. व्याख्या—इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राजप्रमुख को है।

अध्याय २

परिभाषायें

नियम ७. जबतक कि विषय या प्रसंग में कुछ विपरीत दिया हुआ न हो इस अध्याय में नियमों में काम में लिये गये परिभाषित शब्दों का अर्थ निम्न रूप में स्पष्ट किए गये अर्थों में होगा:—

है उस विशिष्ट उम्र को प्राप्त करता है तो वह अकार्य दिवस (Non working day) …ना जाता है एवं राज्य कर्मचारी को उस दिन से सेवा-मुक्त, रिटायर या अवकाश पर रहने से बन्द (जैसी भी स्थिति हो) हो जाना चाहिये।

टिप्पणियां

यदि किसी राज्य कर्मचारी की वास्तविक सही जन्म तिथि ज्ञात न हो तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के निम्न उद्धृत किए गये अवतरण १३ में दी गई पद्धति को काम में लेना चाहिए—

(१) यदि कोई राज्य कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तिथि नहीं बतला सके बल्कि केवल जन्म का साल या साल और माह ही बतला सके तो उसकी जन्म तिथि क्रमशः उस वर्ष की १ जुलाई या उस माह की १६ तारीख समझी जावे।

(२) अगर वह केवल अपनी अनुमानित आयु ही बतलावे तो उसकी जन्म तिथि उसकी नियुक्ति की तारीख से उसका सेवाकाल अनुमानित आयु में से काटकर निश्चित की जानी चाहिये। ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति के समय या अन्य तरीके द्वारा जन्म तिथि कम कर दी गई हो, उन पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(३) सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पटवारी की जन्म तिथि को जो उसकी सर्विस बुक में दर्ज थी, उसे सही न मानकर उसके पटवार स्कूल सर्टिफिकेट में दी गई जन्म तिथि को सही जन्म तिथि माना। इसका सही तरीका यह है कि जहां तक जन्म तिथि का प्रश्न है, सर्विस बुक में दर्ज की गई आयु को ही मान्य होनी चाहिये। सर्विस बुक मे आयु का इन्द्राज न होने की दशा में उसकी व्यक्तिगत पत्रावली (परसनल फाइल) में दी गई उम्र को मान्य समझना चाहिये। यदि सर्विस बुक या व्यक्तिगत पत्रावली न हो या उनमें उसकी आयु का प्रमाण न मिलता हो तो उसके स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को प्रमाणित सही जन्म तिथि माना जाना चाहिये। अगर यह भी उपलब्ध न हो, तो नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को मान्य समझा जाना चाहिये। यदि भाग्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी इसका उल्लेख न मिले तो जन्म कुण्डली में दी गई जन्म तिथि पर विश्वास प्रकट करना चाहिये बशर्ते कि यह कथित जन्म तिथि के बाद शीघ्र ही तैयार की गई हो।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ यह ध्यान में लाया गया है कि बहुत से मामलो मे अधिकारीगण अपनी दर्ज की गई जन्म तिथि मे परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। मामले की जाच कर ली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि आमतौर पर कोई भी अधिकारी वयस्कता (Superannuation age) प्राप्त करने मे ५ वर्ष से कम समय रह जाने पर अपनी दर्ज की गई जन्म तिथि को बदला नही सकता। राजस्थान में मौजूदा विभिन्न तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए यह आज्ञा १९५४-५५ में उन अधिकारियों को दी गई थी जो सन् १९५७-५८ या उसके बाद रिटायर

÷ वित्त विभाग के मीमो संख्या १३ (१०) एफ II/५३ दिनांक २३-१२-५३ द्वारा शामिल किया गया।

होने को थे। इसी प्रकार सन् १९५५-५६ में भी उन अधिकारियों को अपनी जन्म तिथि परिवर्तित करने की आज्ञा दी जा सकती है जो १९५८-५९ में या उसके बाद रिटायर होने को थे।

(२) **नव सिखुआ (एपेरेन्टिस)**—का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यापार या कारोबार में राज्यकीय सेवा प्राप्त करने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो। जो ऐसे प्रशिक्षण काल में सरकार से मासिक वेतन प्राप्त करता हो परन्तु जो किसी विभाग के पद पर या उसके विपरीत (केडर में) स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया गया है।

(३) **संविधान**—का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(४) **केडर**—का तात्पर्य किसी सेवा की या सेवा के एक अंग की संख्या से है जिसे अलग इकाई के रूप में रखा गया हो।

+ (४ क) **चतुर्थ श्रेणी सेवा**—का तात्पर्य राजस्थान सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५० की अनुसूचि ४ (चतुर्थ श्रेणी सेवा) में वर्णित पदों की सेवा से है अथवा उससे है जिनका वेतन (यदि निश्चित किया हुआ हो) या अधिकतम वेतन (यदि वह श्रेणी वद्ध हो या वेतन श्रृंखला पर हो) ५५ रु० मासिक हो एवं जिनका उल्लेख इन नियमों के परिशिष्ट १२ भाग २ में वर्णन नहीं किया गया हो। (परिशिष्ट १२ भाग १, चतुर्थ श्रेणी सेवा का है।)

(५) **क्षति पूरक भत्ता (Compensatory Allowance)**—वह भत्ता है जिसे राज्य कार्य में विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यय के रूप में खर्च किया जाता है। इसमें यात्रा भत्ता भी शामिल है। परन्तु इसमें न तो सिम्पच्युरी भत्ता ही शामिल है और न भारत के वाहर समुद्र द्वारा जाने का एवं भारत में वाहर से समुद्र द्वारा आने का भत्ता ही शामिल है।

(६) **सक्षम अधिकारी (Competent Authority)**—किसी शक्ति के उपभोग के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से तात्पर्य राजप्रमुख या अन्य ऐसे अधिकारी से है जिसे इन नियमों द्वारा या इनके अधीन शक्ति प्रदान की जावे।

÷ जो अधिकारी विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची इन नियमों के परिशिष्ट ९ में दी हुई है।

(७) **संचित निधि (Consolidated Fund)**—का तात्पर्य संविधान की धारा २६६ के अधीन स्थापित की गई धनराशि से है।

❀ (७ए.) **कम्युटेड अवकाश**—का तात्पर्य नियम ९३ के उपनियम (ग) के अधीन लिए गए अवकाश से है।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ५ (४) एफ (आर) ५६ दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ५ (१) एफ (आर) ५६ दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १० (५१) II/५४ दिनांक १४ जून, १९५१ द्वारा शामिल किया गया तथा १-४-५१ से प्रभावशील होगा।

÷ (८) कर्तव्य या सेवा (Duty)—(क) ड्यूटी मे निम्नलिखित समय शामिल है—

(१) परीक्षा काल (प्रोबेशन) या नव सिखुआ (एप्रेन्टिस) के रूप में की गई सेवा बशर्ते कि उसके बाद की गई सेवाएं स्थाई कर दी गई हों।

(२) ज्वाइनिंग टाइम

(ख) सरकार यह घोषणा करते हुए आदेश जारी कर सकती है कि निम्न परिस्थितियों में या उनके समयानुकूल परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी को सेवा में लगा हुआ माना जाएगा:—

(१) भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण का काल

(२) यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करता हो या अन्यथा प्रकार से कुछ प्राप्त करता हो एवं जो भारत में किसी विश्व विद्यालय, कालेज या स्कूल में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने पर राजकीय सेवा में लिए जाने का अधिकारी है तो उनके प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक समाप्त करने एवं सेवा में नियुक्त होने के मध्य के समय को सेवा काल समझा जाना चाहिये।

(३) यदि कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय नियत केन्द्र पर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यभार नही संभालता है तथा बाद में किसी विशिष्ट पद के कार्य भार को संभलने का आदेश प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी पर प्रथम रिपोर्ट देने तथा अपने पद का कार्यभार संभालने का बीच का समय सेवा या कर्तव्य काल समझा जावेगा।

टिप्पणी

यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने पुराने पद का कार्यभार संभला कर या अवकाश से लौटने के बाद, उसे किसी पद पर लगाने के लिए सरकारी आदेश का इन्तजार करता है तो वह समय भी इसी के अन्तर्गत आता है।

(४) यदि किसी राज्य कर्मचारी को किसी विभागीय परीक्षा मे बैठना हो या उसे किसी परीक्षा मे बैठने की अनुमति दे दी गई हो तथा उस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने से उस राज्य कर्मचारी के विभाग या कार्यालय के साधारण क्षेत्र मे उसे राजकीय सेवा मे महत्ता दी जाती हो तो परीक्षा का समय तथा परीक्षा स्थल तक आने जाने का उचित समय सेवा मे गिना जायेगा।

(५) किसी ऐच्छिक परीक्षा में जिसमें बैठने के लिए सक्षम अधिकारी ने अपनी स्वीकृति प्रदान करदी हो तो उसका परीक्षा समय तथा परीक्षा स्थल तक आने जाने की यात्रा का उचित समय सेवा मे गिना जायेगा।

+ ६. शुल्क (Fees)—का तात्पर्य राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को भुगतान

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.७ए (५) एफ.डी.ए. नियम/६० दिनाक ३-१०-६० द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या डी. ४१३१/५९/एफ. ७ (ए) (३१) एफ. डी./आर/नियम ५७ दिनाक २४-६-५९ द्वारा संशोधित किया गया।

किया गया आवर्तक (Recurring) या अनावर्तक (non-recurring) वह व्यय है जो राज्य कर्मचारी को प्रत्यक्ष रूप से या किसी सरकारी माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिया जावे।

÷ लेकिन शुल्क में निम्न शामिल नहीं होंगे :—

(क) अनुपार्जित आय जैसे सम्पत्ति से प्राप्त आय (मकान किराया आदि) लाभांश एवं जमानतों पर व्याज से आमदनी एवं

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयत्नों से प्राप्त आय यदि ऐसे कार्यों में सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग न किया गया हो।

स्पष्टीकरण

साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयत्नों में यदि सेवा काल में प्राप्त किये गये ज्ञान की सहायता मिलती है तो उनमें पहिले सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी तथा उससे प्राप्त होने वाली कोई भी आमदनी 'शुल्क' गिनी जावेगी लेकिन रिपोर्ट लिखना या अन्तर्राष्ट्रीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूनेस्को आदि चुने हुये विषयों पर अध्ययन करना, एवं भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं में साहित्यिक योगदान देना आदि खण्ड (२) में कहे गये अनुसार माने जायेंगे यदि यह सेवा काल में उपलब्ध किए गये ज्ञान द्वारा सहयता प्राप्त किया हुआ न हो।

※ [६.क] प्रथम दस/बीस वर्ष की सेवा, 'अन्य दस वर्ष की सेवा,' सेवा के पूर्ण वर्ष (Completed years of service) एवं एक साल की लगातार सेवा का तात्पर्य राजस्थान सरकार या एकीकृत किसी राज्य के अधीन उक्त निर्दिष्ट अवधि में लगातार सेवा से है तथा उसमें ड्यूटी पर बिताये गए समय तथा असाधारण अवकाश सहित अवकाश का समय भी शामिल है।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित 'सेवा के पूर्ण वर्ष' में असाधारण अवकाश सहित अवकाश पर बिताया गया समय भी शामिल है।

+ + एक सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी जो पहले से ही अवक पर है, अपने अवकाश के क्रम में (In continuation) अर्ध वेतन अवकाश (Half p leave) भी ले सकता है, यदि वह अर्ध वेतन अवकाश उसी अवकाश के बीच में अपनी सेवा

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या ४४६२/५७ एफ. (४०) एफ. डी. (ए) नियम/ दिनांक १८-७-५७ द्वारा शामिल किया गया।

※ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १० (५१) एफ II/५४ दिनांक १४-६-५ द्वारा शामिल किया गया। यह १-४-५१ से प्रभावशील माना जावेगा।

× (१) वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ १० (५ II) एफ II /५४ दिनांक २८-१०-५ द्वारा शामिल किया गया।

+ + (२) वित विभाग के आदेश संख्या एफ १० (५-I) आर/५५ दिनांक ८-३-५ द्वारा शामिल किया गया एवं यह १-४-५१ से प्रभावशील माना जावेगा।

वर्ष पूरा करने के कारण उपार्जित करता हो ।

राज्य सरकार ने मामले पर विचार कर लिया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसा अर्ध वेतन अवकाश जो राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश काल में सेवा का पूरा वर्ष होने के कारण उपार्जित किया गया हो, उसे राज्य कर्मचारी अपने अवकाश के क्रम में ले सकता है। या वह उसे अपने अवकाश के विस्तार के माम में भी ले सकता है जिससे कि उसके सेवा का पूरा वर्ष होने की तिथि आती है।

१० विदेशी सेवा-(Foreign Service)—का तात्पर्य उस सेवा से है जो, जिसमें राज्य कर्मचारी अपना मूल वेतन सरकार की स्वीकृति से संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों (साधनों द्वारा) से प्राप्त करता है।

× (१० क)—एक राजपत्रित अधिकारी वह है जो या तो-(१) अखिल भारतीय सेवा (All India Service) का एक सदस्य हो, या (२) राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एवं अपील) नियम १६५० की अनुसूचि १ (राज्य सेवा) में बतलाए गए पदों में से किसी एक पर कार्य करता हो। या (३) शर्त या समझौते के आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति हो तथा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित मान ली गई हो। या (४) ऐसे पद पर काम करने वाला राज्य कर्मचारी हो जो (पद) राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित कर दिया जावे। (परिशिष्ट १२ भाग २, राज्य सेवा)

÷ (१० ख) "अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave) का तात्पर्य सेवा के पूर्ण वर्षों के कारण उपार्जित किये हुए अवकाश से है। बकाया अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave due) का तात्पर्य उस अर्ध वेतन अवकाश की संख्या से है जो कि नियम ९३ में निर्धारित किए गए अनुसार पूर्ण सेवा-काल में से निजि कार्यों के लिए एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल प्रमाण पत्र) पर या १-४-५१ से पूर्व अन्य किसी किस्म के अर्ध वेतन पर लिए गए अवकाश एवं अर्ध वेतन (औसतन अर्ध वेतन) -अवकाश जो १-४-५१ या उसके बाद लिया हो, उसे काट कर निकाला जाता है।

(११) विभागाध्यक्ष-(Head of the Department)—का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है (जैसे राज्य सरकार इन नियमों के उद्देश्य के लिए विभागाध्यक्ष घोषित कर दे।

(१२) अवकाश (Holiday)—का तात्पर्य (क) नेगोशिएबिल इन्स्ट्रूमैन्टस एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अवकाश से है, एवं

(ख) किसी विशेष कार्यालय के संबंध में उस दिन से है जिसको कि ऐसा कार्या-

---

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ५ (१) एफ (आर) ५६ दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १० (५१) एफ II / ५४ दिनांक २७-१०-५५ द्वारा शामिल किया गया एवं यह दिनांक १-४-५१ से प्रभावशील होगा।

कार्य को पूरा करने के लिए राज पत्र में राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा चन्द दिया जाता है।

(१३) पारिश्रमिक (Honorarium)—का तात्पर्य एक राज्य कर्मचारी को आव- अनावर्तक राशि के भुगतान से है जो कि राज्य की संचित निधि य भारत या राज्य की संचित निधि से किसी आकस्मिक कार्य के लिए अथवा क्रमानुगत प्रकृति र्य के लिए स्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणियां

× (१) यदि कोई कार्य संबन्धित राज्य कर्मचारी की वैध सेवाओं का अंश माना जाता हो तो उस कार्य के लिए उसे किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिये।

(२) अपवाद स्वरूप समय एवं परिस्थितियों में कार्यालय के समय के बाद भी कार्य करना एक तरह से राज्य कर्मचारी की जिम्मेदारी है। इसके लिए साधारणतया कोई भी पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लगातार कार्यालय समय के बाद भी काम करते रहने के कारण पारिश्रमिक या विशेष वेतन का क्लेम उचित ठहराया जा सकता है।

(१४) ज्वाइनिंग टाइम—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी को दिए गए उस समय से है जो उसे अपने नए पद का कार्य भार संभालने के लिए या यात्रा करने के लिए अथवा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, जहां पर कि वह लगाया गया है, स्वीकृत किया गया हो।

(१५) अवकाश (Leave)— में उपार्जित अवकाश (Privilege leave), अर्ध वेतन अवकाश, कम्युटेड अवकाश, ※[विशेष अयोग्यता अवकाश, अध्ययन अवकाश, प्रसूति अवकाश एवं अस्पताल अवकाश,] बिना वेतन अवकाश (Leave not due), एवं असाधारण अवकाश शामिल है।

(१६) अवकाश वेतन (Leave Salary)—का तात्पर्य राज्य कर्मचारी को अवकाश पर दी जाने वाली मासिक धनराशि से है।

(१७) लीयन [स्वत्व अधिकार]—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी द्वारा एक स्थाई पद पर स्थाई रूप से काम करने के हक से है जिसे वह अवधि व्यतीत होने पर या अनुपस्थिति की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त करता है। इसमें टेन्योर (समयावधि) पद भी शामिल है जिस पर कि वह स्थाइ रूप से नियुक्त किया जा चुका है।

+ वित्त विभाग के पत्र संख्या ४६३९/५९/ एफ ७ ए (३१)

शामिल किया गया।

त के आदेश संख्या एफ, ५ (१)

विभाग के आदेश संख्या ६१४६/५

५६ द्वारा शामिल किया गया।

(१८) स्थानीय निधि (Local fund)—का तात्पर्य:—

(क) निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व से है जो नानून या नियम द्वारा कानून की
त्ते हुए, सरकार के नियन्त्रण में आता है । चाहे वे (राजस्व) किसी साधारण
प मामले में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ही क्यों न हो जैसे कि उनका बजट
करना, विशिष्ट पदों का सृजन करने अथवा उन्हें भरने की स्वीकृति देने या
J, पेन्शन आदि के समान नियम बनाना, और

(ख) किसी भी संस्था के राजस्व से है जो विशेष रूप से राज प्रमुख द्वारा उस संस्था
पेत कर दी गई हो ।

(१९) लिपिक वर्ग कर्मचारी (Ministerial Servant)—का तात्पर्य किसी
स्य सेवा के राज्य कर्मचारी से है जिनका कि मुख्य कार्य लेखन सम्बन्धी ही है ।
ती अन्य श्रेणी के कर्मचारियों से है जो सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों
शेष रुप से इस श्रेणी में घोषित कर दिए गए हों ।

(२०) माह (Month)—का तात्पर्य एक कलैण्डर माह से है । इसमें माह एवं दिनों
ख्या गिनने में, हर माह के दिनों की संख्या का ध्यान न रखते हुए, पहले पूरे माह गिन
ादिये तथा, इसके बाद दिनों की संख्या गिनी जानी चाहिए ।

टिप्पणी

५ जनवरी से ३ माह २० दिन की अवधि गिनते समय ३ माह २४ अप्रेल को समाप्त
मना चाहिए एवं २० दिन तारीख १४ मई को हुए समझने चाहिए । इसी प्रकार ३० जन-
२ मार्च तक का समय १ माह और २ दिन गिना जाना चाहिए क्योंकि ३० जनवरी से
२८ फरवरी को समाप्त हो जाता है । १ जनवरी से १ माह २९ दिन का समय एक
ए वर्ष (जब कि फरवरी २८ दिन की हो) मे फरवरी की आखिरी तारीख को समाप्त हो
क्योंकि यह स्पष्ट है कि २९ दिन का समय एक पूर्ण कलेन्डर माह से ज्यादा का नहीं हो सकता
जनवरी से लिया गया दो माह का अवकाश फरवरी के अन्तिम दिन समाप्त हो जाएगा ।
। माह की अवधि उस समय भी गिनी जाएगी जब कि फरवरी २९ दिन की हो या अवकाश
पि १ माह २८ दिन की हो (साधारण वर्ष मे)

(२१)—हटा दिया गया ।

(२२) स्थाई सेवा के कर्मचारी—(Official in permanent employ)—
र्य ऐसे राज्य कर्मचारी से है जो किसी स्थाई पद पर स्थाई रुप से कार्य करता हो या
किसी स्थाई पद पर अपना स्वत्व (लीयन) रखता हो या यदि उसका लीयन निलम्बित
गया होता तो वह स्थाई पद पर अपना लीयन रखता ।

(२३) स्थानापन्न (Officiate)—एक राज्य कर्मचारी किसी पद पर स्थानापन्न

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (५३) एफ डी ए (नियम) ७/ दिनाक १/१/६५
या गया ।

रूप से कार्य उस समय करता है जब वह एक ऐसे पद का कार्य करता है जिस पर कि अन्य कर्मचारी का लीयन हो। यदि सरकार उचित समझे तो किसी राज्य कर्मचारी को ऐसे रिक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर कि किसी अन्य कर्मचारी का लियन न हो।

(२४) **वेतन**—का तात्पर्य राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मासिक वेतन से है जैसे:—

(१) वेतन, स्पेशल पे के अलावा या वह वेतन जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत हुआ है एवं जो कि उसके द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या स्थानापन्न रूप में धारण किये गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या/तथा जिस पद के लिए वह अपनी स्थिति के कारण अधिकारी है, एवं

(२) स्पेशल पे (विशेष वेतन) एवं व्यक्तिगत वेतन (परसनल पे), एवं

(३) अन्य राशि जो राज्य प्रमुख द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।

टिप्पणियां

(१) राजकीय मुद्रणालय में फुटकर कार्य करने वालों के सम्बन्ध में जब वह किसी समय-शृङ्खला वेतन (टाइम स्केल पे) पर किसी पद पर नियुक्त किया जावे तो उनका वेतन २०० घण्टे काम करने के वेतन के बराबर समझा जावे।

(२) पुलिस सिपाही एवं अन्य स्टाफ को जो साक्षरता भत्ता (Literacy allowance) स्वीकार किया जाता है वह वेतन में गिना जावेगा।

× [२५] **पेन्शन**—सिवाय इसके कि जब पेन्शन शब्द का प्रयोग "ग्रेच्युटी" एवं/या "डैथ-कम रिटायरमैन्ट ग्रेच्युटी" के विपरीत रूप में किया जावे, पेन्शन में ग्रेच्युटी एवं या "डैथ कम रिटायरमैन्ट ग्रेच्युटी (मृत्यु व सेवा निवृत्ति ईनाम) दोनों शामिल हैं।

[२६] **स्थाई पद** (Permanent post):—का तात्पर्य बिना समयावधि के स्वीकृत वेतन की निश्चित दर वाले पद से है।

[२७] **निजी वेतन** (Personal Pay):—का तात्पर्य राजकीय कर्मचारी को स्वीकृत किए गए अतिरिक्त वेतन से है। इसकी स्वीकृति दो कारणों से दी जाती है:—

(क) जब कोई राज्य कर्मचारी टेन्योर (समयावधि प्राप्त) पदों के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर कार्य करता है पर वेतन में संशोधन (Revision) करने के कारण या अनुशासनात्मक क़दमों के रूप में उठाये गये कदमों के अतिरिक्त अन्यथा रूप से ऐसे मूल

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ३५ (४) ५२ दिनांक २१ अप्रेल, १९५२ द्वारा परिवर्तित किया गया।

वेतन में कटौती करने के कारण यदि उसे कोई हानि होती हो तो उसे पूरा करने के लिए निजी वेतन (परसनल पे) स्वीकृत किया जाता है; या

(ग) अन्य वैयक्तिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है।

[२८] उपार्जित अवकाश (Privilege Leave)—का तात्पर्य सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर उपार्जित अवकाश से है।

बकाया उपार्जित अवकाश (Privilege Leave due)—का तात्पर्य नियम ९१,९२ या ९४ द्वारा गिने गए अवकाश के दिनों की संख्या से है। अवकाश की संख्या निकालते समय सेवा में जितने समय का अवकाश भोगा जाता है उतना समय काट दिया जाता है।

[२९] पद का सम्भावित वेतन (Presumptive pay of a post)—जब इसका प्रयोग किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए किया जाता है तो इसका तात्पर्य उस वेतन से है जिसे यदि वह उस पद को स्थाई रूप से धारण करता तो पाने का अधिकारी रहता एवं अपना कार्य करता रहता परन्तु इसमें विशेष वेतन उस समय तक शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य कर्मचारी कार्य या कर्तव्य नहीं करता या वो जिम्मेदारी नहीं लेता, या ऐसी अस्वस्थ परिस्थिति में नहीं पड़ा हो जिसको कि ध्यान में रखकर विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था।

[३०] परीक्षणाधीन (Probationer)—का तात्पर्य उस राज्य कर्मचारी से है जो विभाग के किसी कैडर में 'स्थाई पद' के विपरीत परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

टिप्पणियां

(१) यह परिभाषा फिर भी उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जो एक केडर में स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करता है एवं सिर्फ दूसरे पद पर परीक्षा के तौर पर (on probation) नियुक्त किया जाता है।

(२) कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी एक केडर में स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है, वह प्रोबेशनर नहीं है जब तक कि उसकी नियुक्ति के साथ प्रोबेशन की निश्चित शर्तें संलग्न करदी गई हों जैसे यह शर्त कि अमुक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय तक वह प्रोबेशनर (परीक्षणाधीन) में समझा जावेगा।

(३) सिवाय ऐसे मामलों में जिनमें नियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित किया गया हो, एक प्रोबेशनर (परीक्षणाधीन व्यक्ति) का स्तर (Status) उसी प्रकार से समझा जाता है जैसे वह स्थाई स्तर के व्यक्ति के सब अधिकार रखता हो।

जांच निर्देशन

उपरोक्त टिप्पणी संख्या (१) व (२) में दिए गए निर्देशनों को एक दूसरे को पूरक के रूप में ली जानी हैं न कि एक दूसरे से भिन्न समझी जानी चाहिए। दोनों को मिलाकर इन

में यह जांच करने का तत्व है कि किस समय एक राज्य कर्मचारी इस चीज का ध्यान रखे बिना ही कि वह पहिले से ही स्थाई राज्य कर्मचारी है, या बिना किसी स्थाई पद पर अपना लीयन रखे ही राज्य कर्मचारी है, 'प्रोबेशनर' के रूप में है या सिर्फ 'प्रोबेशन पर' है। जबकि एक प्रोबेशनर व्यक्ति वह होता है जो प्रोबेशन की निश्चित शर्तों के साथ स्थाई रूप से रिक्त किसी पद पर या उस पद के विपरीत नियुक्त किया गया हो तथा प्रोबेशन पर व्यक्ति वह होता है जो किसी पद पर (यह आवश्यक नहीं कि वह पद मूल रूप से रिक्त हो) भविष्य में नियुक्त किए जाने की निश्चितता करने के लिए नियुक्त किया जाता हो। इन जांच निर्देशनों में किसी एक राज्य कर्मचारी को किसी एक केडर में स्थाई रूप से 'प्रोबेशनर' के रूप में किसी एक पद पर या उसके विपरीत नियुक्त करने से नहीं रोका जा सकता है जबकि कुछ निश्चित शर्तें जैसे कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आदि उसके साथ निर्धारित की गई हों। इस प्रकार के मामलों में राज्य कर्मचारी को 'प्रोबेशनर' के रूप में समझा जाना चाहिए एवं जब तक इस विषय में कोई विशेष, विपरीत नियम न हों केवल उसे आरम्भिक एवं बाद के वेतन उसी वेतन दर से स्वीकृत किए जाने चाहिये जो कि परीक्षण काल की अवधि के लिए निर्धारित की जाये। इसमें यह ध्यान न रखा जाना चाहिये कि क्या उन दरों को वस्तुतः सम्बन्धित सेवाओं के समय क्रम में शामिल किया हुआ या अलग किया हुआ बतलाया गया है या नहीं। एक ही विभाग के कर्मचारियों का सलेक्शन द्वारा प्रमोशन होने का मामला कुछ भिन्न है। (उदाहरणार्थ एक भारतीय जांच विभाग का एस. ए. एस. (केन्द्रीय सेवा, श्रेणी III) सुपरिन्टेन्डेन्टों या ए. ए. ओ. जो कि इस प्रकार की पदोन्नति प्रदान किए जाने की निश्चित संख्या के भीतर सलेक्शन द्वारा भारतीय जांच एवं लेखा सेवा में पदोन्नत किया जाय) यदि भारतीय सरकार के सम्बन्धित विभाग इसे उचित समझे तो इन 'उन्नत व्यक्तियों' को 'प्रोबेशन पर' किसी एक समय के लिए यह देखने हेतु रखा जा सकता है कि क्या वे वास्तव में प्रथम श्रेणी अधिकारी का कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं और उनके लियन (स्वत्त्व, अधिकार उनके पुराने पदों पर रखे जावें। इसी बीच में शायद उनके पुनरावर्तन की सम्भावना हो। चाहे प्रोबेशन के समय में उनकी योग्यता आदि की परीक्षा करने का कुछ भी प्रबन्ध हो पर उनका आरम्भिक वेतन उस समय प्रभावशील वेतन फिक्सेशन सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

[२१] विशेष वेतन (Special pay)—निम्न बातों को दृष्टि में रखते हुए किसी पद की कुल धनराशि से या किसी कर्मचारी को अपने साधारण वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाले अन्य वेतन को 'विशेष वेतन' कहते हैं:—

[क] विशेष रूप से कठिन प्रकृति का कार्य करने के लिए;

[ख] कार्य या उत्तरदायित्व के विशेष रूप से बढ़ जाने पर; या

[ग] अस्वस्थ स्थान पर कार्य करने पर।

टिप्पणी

कोई राज्य कर्मचारी जो किसी विशेष पद पर नियुक्त किया गया हो उसका संविदा में यह प्रावधान है कि 'उसे वे सारे कार्य करने होंगे जिनको कि उसे करने के लिए कहा जाय।' परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उससे यदि दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कहा जाएगा तो उसे उसका पारिश्रमिक न दिया जायेगा।

[३२] उच्च सेवा (Superior Service):—का तात्पर्य चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की सेवा से है। (परिशिष्ट १२ भाग २)

[३३] निर्वाह अनुदान [सबसिस्टेन्स ग्रान्ट]—का तात्पर्य उस राज्य कर्मचारी को दी गई मासिक सहायता से है जिसे वेतन या अवकाश वेतन कुछ भी नहीं दिया जा रहा हो।

[३४] मूल वेतन (Substantive pay):—का तात्पर्य नियम ७ (२४) (३) के अन्तर्गत राज प्रमुख द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य वेतन के अतिरिक्त है और जो उसे स्थाई पद पर नियुक्त होने के कारण या उसकी किसी श्रेणी (केडर) में स्थाई स्थिति होने के कारण, पाने का अधिकारी है।

टिप्पणियां

(१) जब कोई राज्यकीय मुद्रणालय का फुटकर काम करने वाला व्यक्ति समय शृंखला ...ाले किसी स्थाई पद पर नियुक्त किया जाता है तो मासा मूल वेतन उसके प्रति घण्टे की दर के ...हिसाब से २०० घण्टे के कार्य के बराबर होगा।

÷ (२) मूल वेतन मे प्रोबेशनर द्वारा किसी ऐसे पद पर प्राप्त किया गया वेतन भी शामिल है, जिस पर कि वह प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया है।

+ (३) यदि कोई, राज्य कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन किसी स्थाई पद पर अपना लीयन ...खता है तो उसके सम्बन्ध मे 'मूल वेतन' का तात्पर्य उस 'मूल वेतन' से है जो सम्बन्धित राज्य ...रकार के सम्बन्धित नियमो द्वारा परिभाषित किया जावे।

३५. अस्थाई पद (Temporary Post)—का तात्पर्य एक ऐसे पद से है ...जिसका वेतन निश्चित दरों से किसी समय की अवधि तक निश्चित है।

टिप्पणियां

❀ (३) एक अस्थाई पद की अवधि को, उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वीकृत अव-काश की अवधि तक बढ़ाना उसी समय आवश्यक है जब कि उस अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने से सरकार को कोई व्यय न करना पड़ता हो। लेकिन इस प्रकार की अवधि बढ़ाने की अनु-परिस्थिति मे वह अनुचित दिखाई देता हो।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ५ (१) एफ. (आर) ५६ दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या डी. ३५४६ एफ. ७. ए (४) एफ. डी. ए. (नियम) ...दिनांक ११-६-५७ द्वारा शामिल किया गया।

❀ टिप्पणी संख्या १ व २ वित्त विभाग के आदेश संख्या ५३१७/५६/एफ. ८ (४७) एफ. डी./आर/५५ दिनांक १२-११-५६ द्वारा हटाया गया।

३६. सावधिक पद (Tenure Post)—का तात्पर्य एक स्थाई पद से है जिसे एक स्वयं राज्य कर्मचारी एक सीमित अवधि से ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकता है।

टिप्पणी

सन्देह होने पर सरकार ही तय करेगी कि एक अमुक पद प्रावधिक पद है और अमुक नहीं।

३७. समय शृंखला वेतन (टाइम स्केल पे)—का तात्पर्य उस वेतन से है जो इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर, समय की अवधि के अनुसार वृद्धि के साथ साथ न्यूनतम से अधिकतम तक पहुंच जाता है।

टाइम स्केल अनुरूप (आइडेन्टि रूल) उसी समय कही जाती है जब टाइम स्केल की निम्नतम, अधिकतम, वेतन वृद्धि का समय, व वृद्धि की दर व समय समान हों।

एक पद को दूसरे पद की समय शृंखला वेतन के समान उसी समय कहा जाता है जबकि दोनों पदों का टाइम स्केल समान हो तथा दोनों पद एक केडर में आते हों या किसी केडर में एक क्लास में आते हों। ऐसे केडर या क्लास इस दृष्टि से सृजित किए गए हों कि उसी प्रकृति या समान उत्तरदायित्व के कार्य के लिए किसी सेवा में या स्थापन में या स्थापन वर्ग में पदों को भरने के लिए उन्हें नियुक्त किया जा सके ताकि किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्ति का वेतन उसके केडर या क्लास में होने के कारण तय किया जा सके, न कि इस तथ्य से कि वह उस पद को धारण करता है।

३८ स्थानान्तरण (Transfer)—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी का जहां पर वह नियुक्त है,

उस स्थान से दूसरे ऐसे स्टेशन पर निम्न कारणों से जाना—

(क) नए पद का कार्य भार संभालने के लिए, या

(क) उसके मुख्यालय के परिवर्तन के फलस्वरूप।

३९. विश्रामकालीन विभाग (Vacation Department)—वह विभाग है या विभाग का हिस्सा है जिनमें कि नियमित रूप से छुट्टियां दी जाती हैं। उन छुट्टियों के बीच में राज्यकीय कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की इजाज़त होती है।

भाग २

अध्याय ३

सेवा की सामान्य शर्तें

+ नियम ८. प्रथम नियुक्ति के समय आयु (Age on first appointment)—

जब तक किसी पद पर या पदों की श्रेणी पर नियुक्ति करने सम्बन्धी सरकार के नियमों या आदेशों में अन्यथा प्रकार से कुछ न दिया हुआ हो, सरकारी सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम व अधिकतम उम्र क्रमशः १६ साल एवं २५ साल होगी।

अपवाद १—अल्प वयस्क (Minors) या वे व्यक्ति जिन्होंने १८ वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की हो, उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जिसके लिए कि अमानत की जरूरत होती हो।

अपवाद २—किसी विशेष पद/या पदों पर नियुक्ति करने सम्बन्धी नियमों जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ न दिया हो, महिलाओं के लिए राजकीय सेवा मे प्रवेश पाने की अधिकतम आयु ३५ साल होगी।

राजस्थान सरकार का निर्णय

× निर्णय संख्या १—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आयु की अधिकतम सीमा मे ५ वर्ष की छूट दी जाती है।

÷ निर्णय संख्या २—जागीरदारो के मामले में (इसमें वे जागीरदारो के पुत्र भी शामिल है जिनके पास अपने जीवन निर्वाह हेतु कुछ भी जागीर नही है) जो कि जागीरो के पुनर्ग्रहण के बाद राज्यकीय सेवा मे ले लिये गये है तथा अन्य सब बातों मे योग्य पाये गये हैं तो उनकी आयु ४० वर्ष तक, की जा सकती है। यह रियायत केवल ५ वर्ष तक ही काम मे आवेगी। ※ इस रियायत को ३१-१२-६३ तक बढाया जायेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.७ए. (२१) एफ.डी. (ए) आर/६० दिनांक ६-५-६१ द्वारा शामिल किया गया। इस नियम के अनुसार नियम ८ परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा पहिले नियम ८ के नीचे दी गई १ से ५ तक टिप्पणियां व स्पष्टीकरण भी उक्त आदेश के अन्तर्गत हटा दी गई है। इसी प्रकार इस नियम के नीचे दिये गये राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या १, २ व ३ हटा दिये गये हैं तथा शेष को पुनः क्रम से लिखा गया है।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या डी. ५४०३/एफ. १ (१०३) एफ. डी. आर./५६ दिनांक १४-११-५६ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.डी/८२१४एफ १(१४६)एफ.डी.नियम/५६ दिनांक १४-१२-५६ द्वारा शामिल किया गया।

※ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १ (२०) एफ. डी. (ए) नियम/६१ दिनांक १२-५-६२ द्वारा शामिल किया गया।

++ निर्णय संख्या ३—अधिक उम्र के व्यक्तियों की नियुक्ति के अवसरों को कम करने के दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि सभी नये नियुक्ति के आदेशों में उनकी जन्म तिथि का उल्लेख आवश्यकीय रूप से किया जाना चाहिये।

÷ निर्णय संख्या ४—यह आदेश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदों पर भारतीय पुलिस सेवाओं के सुरक्षितता प्राप्त (रिजर्विस्ट) व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु ५० वर्ष होगी।

नियम ९. नियुक्तियों के लिए डाक्टरी प्रमाण-पत्र (Medical Certificate) **[प्रस्तुत करना]**:—सिवाय इस नियम में दिये गये प्रावधानों के, किसी भी राज्य कर्मचारी को राज्य सेवा में उसके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र उसके प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिये। व्यक्तिगत मामलों में, सरकार प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं समझ सकती है या वह राज्य कर्मचारियों की किसी विशिष्ट श्रेणी को इस नियम के प्रावधान से मुक्त कर सकती है।

राजस्थान सरकार का निर्णय

※ एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या पार्ट-टाइम कर्मचारी को शारीरिक योग्यता के लिये डाक्टरी जांच कराना जरूरी है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को अपनी शारीरिक योग्यता का उसी प्रकार से एवं उन्हीं शर्तों के अनुसार डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जैसा कि पूर्ण समय के लिये नियुक्त राज्य कर्मचारियों को करना पड़ता है।

नियम १०. राज्य सेवा के लिये योग्यता का डाक्टरी प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में होगा—

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

× मैं, एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने........ जो कि .... विभाग में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार है, उसकी जांच की है तथा मुझे सिवाय.........इनके ऐसी कोई बीमारी (बतलाने योग्य या अन्यथा प्रकार की), शारीरिक कमजोरी या शारीरिक

++ वित्त विभाग के आदेश संख्या १६४७/५८/एफ १/२(१२) एफ. डी. ए. नियम/५७ दिनांक १५-५-५८ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ७ ए. (२६) एफ. डी. ए. (नियम) ६० दिनांक ३१-३-६१ द्वारा शामिल किया गया।

※ वित्त विभाग के मीमो सं० एफ. १० (४) एफ. II/५४ दिनांक २८-५-५४ द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग की विज्ञप्ति सं० एफ. (८६) एफ. डी. (ए) आर./६२ दिनांक ३-१-६३ द्वारा परिवर्तित किया गया।

दोष नहीं मालूम दिया है। मैं ....विभाग में नियुक्त किये जाने में इसे नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं समझता ।

नियम ११—नियम १० में निर्धारित प्रमाण पत्र पर जिला चिकित्सा अधिकारी या उससे ऊँचे स्तर के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, परन्तु

(क) महिलाओं के विषय में सक्षम अधिकारी किसी महिला चिकित्सक का डाक्टरी प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकेगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में जिसका वेतन, उसको स्थाई बनाने के समय तक ५० से अधिक न पहुँचे, सक्षम अधिकारी किसी राज्यकीय सेवा में नियुक्त मेडिकल ग्रेज्युएट या लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक के प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। या इनके प्रमाण पत्र न देने पर अन्य मेडिकल ग्रेज्युएट या लाइसेन्स प्राप्त डाक्टर का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा।

(ग) एक उम्मीदवार जो कि अस्थाई रूप से लगातार तीन माह तक या इससे अधिक समय तक नियुक्त किया जाना है तो उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से पूर्व या उससे एक सप्ताह के भीतर किसी अधिकृत चिकित्सक (मेडिकल अटेन्डेन्ट) से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु यदि वह चिकित्सक इसमें सन्देह करे कि उम्मीदवार राज्य सेवा के लिए योग्य है अथवा नहीं, तो वह उस मामले को प्रधान चिकित्सक (प्रिन्सिपल मेडिकल आफीसर) के पास प्रस्तुत करेगा। फिर भी यदि जब एक राज्य कर्मचारी को प्रारम्भ में किसी आफिस में तीन माह से कम समय के लिए अस्थाई रूप में नियुक्त किया जावे तथा बाद में उसी कार्यालय में रोक लिया जावे या सेवा में व्यवधान डाले बिना ही दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे तथा राज्यकीय सेवा में कुल सेवा काल तीन माह या इससे अधिक होने की आशा हो तो उसे उस कार्यालय में रखने अथवा नए कार्यालय में उपस्थित होने की स्वीकृति के आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

टिप्पणी

एक राज्य कर्मचारी जिसने अपने प्रथम अस्थाई रूप मे नियुक्त होने पर एक अधिकृत मेडिकल अटेन्डेन्ट (चिकित्सक) का योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है एवं जो बाद मे उसी कार्यालय या अन्य स्थान पर बिना अपनी सेवा भंग कराये एक स्थाई रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे, अपने स्थाई किए जाने पर, जिला चिकित्सा अधिकारी या उससे ऊँचे चिकित्सा अधिकारी से पुनः योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पडेगा। जब तक कि उसने अपनी प्रथम अस्थाई नियुक्ति के समय ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र न दिया हो। फिर भी यह प्रावधान उन लोगो पर लागू नही होता जिनका वर्णन इस नियम के (क) व (ख) भाग में किया गया है।

नियम १२. डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त हुए राज्य कर्मचारी—निम्नलिखित श्रेणियों के राज्य कर्मचारी अपने स्वास्थ्य का डाक्टरी प्रमाण पत्र देने से मुक्त किए गए हैं—

(१) एक राज्य कर्मचारी जो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता परीक्षा (Competitive Ex-

amination) द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा जिसे राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार डाक्टरी जांच के लिए जाना पड़ता है।

(२) एक राज्य कर्मचारी जो तीन माह से कम समय के लिए अस्थाई रिक्त स्थान पर उच्च सेवा में नियुक्त किया गया हो।

(३) एक राज्य कर्मचारी जो अस्थाई रिक्त स्थान पर ६ माह से कम समय के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्त किया गया हो।

(४) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी जिसकी कि डाक्टरी जांच पहिले से ही किसी एक कार्यालय में की जाचुकी हो, यदि वह विना सेवा भंग किए दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाय।

(५) एक सेवा निवृत्त (रिटायर्ड) राज्य कर्मचारी जो सेवा निवृति के बाद शीघ्र ही पुनः नियुक्त किया गया हो।

+ (६) एक शारीरिक दृष्टि से अशक्त (Handicapped) राज्य कर्मचारी जो कि विशिष्ट नियोजन विभाग (Special Employment Exchange) के द्वारा नियुक्त किया गया है जिसे राजकीय अस्पतालों के सुपरिन्टेण्डेन्ट/प्रधान चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Principal Medical & Health officer) के एक मेडिकल बोर्ड की सक्षम स्वास्थ्य जांच के लिए जाना पड़ा था।

टिप्पणियां

१—निम्न परिस्थितियों में डाक्टरी प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है:—

(क) जब एक राज्य कर्मचारी स्थानीय निधि से भुगतान किए जाने वाली अयोग्य सेवा से सरकार के अधीन उच्च सेवा में एक पद पर उन्नत किया जाये।

(ख) एक व्यक्ति जो त्याग पत्र देने के बाद या उसकी पूर्ण सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद पुनः नियुक्त किया जाता है।

(ग) जब कोई व्यक्ति उपरोक्त खंड (ख) में कही गई परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में पुनः नियुक्त किया जावे। इसमें नियुक्ति करने वाला अधिकारी निर्णय करेगा कि क्या एक डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा नहीं:—

(२) जब किसी राज्य कर्मचारी को राजकीय सेवा में प्रवेश पाने के लिए योग्यता का डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय, चाहे वह नियुक्ति स्थाई या अस्थाई रूप में ही क्यों न की जा रही हो, परन्तु जब वह एक बार वास्तविक रूप में जांचा जा चुका है तथा अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो नियुक्ति करने वाले अधिकारी के द्वारा उस प्रमाण पत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी जो एक बार प्रस्तुत किया जा चुका है।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (७३) एफ.डी. (ए) नियम/६२ दिनाङ्क २८-३-६३ द्वारा शामिल किया गया।

× नियम १३. सेवा की मौलिक शर्तें:—जब तक किसी मामले में अन्यथा रूप से साफ साफ प्रावधान न किया जावे, एक राज्य कर्मचारी का सम्पूर्ण समय सरकार की इच्छा पर रहेगा तथा यह उचित अधिकारी द्वारा, अतिरिक्त पारिश्रमिक का हक मांगे बिना ही, किसी भी ढंग से लगाया जा सकता है। चाहे उसकी चाही गई सेवाएं ऐसी हों जिनका पारिश्रमिक संचित निधि या स्थानीय निधि से दिया जावे या एक निकाय से दिया जावे जो निर्गमित हो या न हो और जो पूर्णतः या मूलतः सरकार द्वारा स्वीकृत या नियन्त्रित हो या जिसे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ (१९५९ का अधिनियम संख्या (३७) के अन्तर्गत निर्मित पंचायत समिति/जिला परिषद् निधि से दिया जावे।

नियम १४ (क)—एक ही समय एक स्थाई पद पर दो या दो से अधिक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति स्थाई रूप में नहीं की जा सकती है।

(ख) एक राज्य कर्मचारी एक ही समय सिवाय अस्थाई रूप के दो या दो से अधिक स्थाई पदों पर स्थाई रूप मे नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ग) एक राज्य कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिस पर कि किसी अन्य व्यक्ति का लीयन हो।

नियम १५. स्वत्वाधिकार (लीयन)—जब तक इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान न रखा गया हो, एक राज्य कर्मचारी किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किए जाने पर उस पद पर अपना लीयन प्राप्त कर लेता है तथा बाद में किसी अन्य स्थाई पद पर उसका लीयन हो जाता है तो वह अपने पूर्व पद का लीयन रखना बन्द कर देता है।

नियम १६.—जब तक किसी राज्य कर्मचारी का लीयन नियम १७ के अन्तर्गत निलम्बित नहीं कर दिया जाता है या नियम १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता है, तब तक स्थाई पद को धारण करने वाला वह उस पद पर अपना लीयन निम्न दशाओं में रखेगा:—

(क) जब तक वह उस पद का कार्य पूरा कर रहा हो,

(ख) जब वह विदेशी सेवा में हो या किसी दूसरे पद पर अस्थाई या कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो,

(ग) दूसरे पद पर स्थानान्तरण के समय ज्वाइनिंग टाइम में यदि वह निम्न वेतन वाले पद पर स्थाई रूप मे स्थानान्तरित नहीं कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में जिस दिन वह अपने पुराने कार्यभार से मुक्त होगा उसी दिन से उसका लीयन नए पद पर स्थानान्तरित किया जावेगा।

(घ) जब तक वह अवकाश पर रहे; एवं

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.७ ए (३१) एफ.डी/ए/नियम/६० दिनांक १२-८-६० द्वारा परिवर्तित किया गया।

(ङ) जब तक वह निलम्बित रहे।

नियम १७ [क] लीयन निलम्बित करना:—यदि कोई राज्य कर्मचारी निम्न पदों में किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है तो सरकार उसका लीयन उस स्थाई पद से समाप्त कर सकती है जिस पर कि वह कार्य करता है:—

(१) किसी सामयिक (टेन्योर) पद पर,

(२) अपने केडर जिस पर कि वह नियुक्त हुआ है, उससे बाहर किसी स्थाई पद पर

(३) अस्थाई रूप से (Provisionaly) किसी एक पद पर जिस पर कि अन्य राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन इस नियम के अन्तर्गत निलम्बित न किया गया होता।

(ख) यदि कोई राज्य कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्त (डेपुटेड) कर दिया जाता है या विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या इस नियम के (क) में अवर्णित परिस्थितियों में किसी दूसरे केडर में स्थाई या अस्थाई रूप में एक पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है एवं यदि इन मामलों में से किसी मामले में उसे यह विश्वास हो सके कि वह जिस पद पर अपना लीयन रखता है उस पद से कम से कम तीन साल की अवधि तक अनुपस्थित रहेगा तो सरकार उस राज्य कर्मचारी का उस पद का लीयन, जिस पर वह अपना स्वत्व रखता है, अपनी इच्छानुसार, निलम्बित कर सकती है।

(ग) इस नियम के खण्ड (क) या (ख) खण्ड में कुछ दिये होने पर भी, एक राज्य कर्मचारी का किसी सामयिक (टेन्योर) पद पर से लीयन किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकेगा। यदि वह किसी अन्य स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका टेन्योर पद से लीयन समाप्त किया जा सकता है

(घ) यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्वत्वाधिकार (लीयन) इस नियम के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया जाता है तो वह पद स्थाई रूप से भरा जा सकता है तथा इस पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया गया राज्य कर्मचारी उस पद पर अपना स्वत्वाधिकार (लीयन) रख सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही निलम्बित किया हुआ स्वत्वाधिकार पुनः प्रवर्तित हो जाएगा वैसे ही यह व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी।

टिप्पणी

जब इस खण्ड के अन्तर्गत पद स्थाई रूप से भरे जाते हैं तो वह नियुक्ति प्रावधानिक नियुक्ति (Provisional appointment) कहलाएगी एवं राज्य कर्मचारी उस पर अपना अस्थाई (Provisional) लीयन रखेगा एवं वह लीयन इस नियम के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत निलम्बित किया जा सकता है।

(ङ) निलम्बित लीयन का पुनः स्थापन (Revival of suspended lien):—एक राज्य कर्मचारी का स्वत्वाधिकार जो कि इस नियम के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जा चुका है जैसे ही वह कर्मचारी उस खण्ड के उप खण्ड (१) (२) या (३) में वर्णित प्रकृति के पद पर अपना लीयन समाप्त कर देता है।

(ग) एक राज्य कर्मचारी का स्वत्वाधिकार जो कि इस नियम के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निलम्बित किया जा चुका है, उसी समय पुनः स्थापित हो जाएगा जैसे ही वह राज्य कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रहना बन्द कर देता है या विदेशी सेवा में रहना बन्द कर देता है या दूसरे केडर में पद पर कार्य करना बन्द कर देता है। परन्तु शर्त यह है कि एक निलम्बित लीयन पुनः स्थापित नहीं किया जायगा यदि राज्य कर्मचारी अवकाश लेता है, यदि यह पूर्ण विश्वास किया जा सके कि अवकाश से लौटने पर वह भारत के बाहर या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन पर) चलता रहेगा या अन्य केडर में एक पद पर कार्यकर्ता रहेगा तथा सेवा से अनुपस्थिति का कुल समय तीन साल से कम न होगा या वह खण्ड (क) के उप खण्ड (१) (२) या (३) में वर्णित प्रकृति के पद पर स्थाई रूप से कार्य करता रहेगा।

टिप्पणी

जब यह ज्ञात हो जाय कि एक राज्य कर्मचारी जो अपने केडर के बाहर किसी पद पर स्थानान्तरित हो, यदि वह अपने स्थानान्तरण से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण वयस्कता प्राप्त करने के कारण पेन्शन (सुपरन्युएशन पेन्शन) पर सेवा निवृत्त किया जाता हो तो स्थाई पद से उसका लीयन समाप्त नहीं किया जा सकता।

नियम १८ (क)—लीयन समाप्त करना (Termination of lien)—एक राज्य कर्मचारी के लीयन को किसी पद से किसी भी परिस्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह लीयन उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता यदि इसका परिणाम उसे बिना स्वत्वाधिकार (लीयन) के रखे या वह एक स्थाई पद पर अपना लीयन निलम्बित रखे।

(ख) नियम १७ के खण्ड (क) के उप खंड (२) के अन्तर्गत आने वाले मामले में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की लिखित में सहमति प्राप्त किए बिना, उसके निलम्बित लीयन जब तक वह सेवा में रहे, समाप्त नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी

नियम १७ (क) के अन्तर्गत एक मामले में जिसमें कि एक राज्य कर्मचारी जिस केडर में वह पैदा हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य केडर में स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है। नियम १८ (ख) में दिया हुआ है कि जब तक इस सम्बन्ध में लिखित में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की सहमति प्राप्त नहीं करली जाती है तब तक उसका निलम्बित, लीयन स्थाई रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

× × राजस्थान सरकार के निर्णय

निर्णय संख्या १—विभिन्न एकीकृत राज्यों के स्थाई कर्मचारी जो राजस्थान के निर्माण के समय अस्थाई पदों पर लगाए थे या जो बाद में एकीकरण की प्रगति में लगाए गए थे एवं

× × वित्त विभाग के आदेश संख्या १७१८ / II / ५५ एफ/१३ (३४) एफ II/५३ दिनांक २२–३–५६ द्वारा शामिल किया गया।

गया है कि उस सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में स्थाई पदों की अनुपलब्धि होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्तियों का लीयन रखने हेतु ऐसे पदों का सृजन निम्न सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में करना उचित रहेगा। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखा जावे कि जहां तक निम्न सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में अधिकांश पदों (सुपरन्यूमेररी पद) पर अवनत किये गए अधिकारी का लीयन रखना आवश्यक है, ता उच्च पद जिसको कि उसके द्वारा रिक्त किया गया है, उसे स्थाई रूप से या अन्यथा प्रकार से नहीं भरा जाना चाहिए तथा उस उच्च पद पर नियुक्ति या उन्नति उसी समय की जा सकेगी जबकि वह राज्य कर्मचारी उस निम्न ग्रेड में प्रायः स्थाई पद पर नियुक्त किया जा सके, जिस पर कि वह अवनत किया गया है या रिवर्ट किया गया है।

+ निर्णय संख्या २--वित्त विभाग के आदेश दिनांक २-१-६१ में (राजस्थान निर्णय संख्या १) आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जब एक राज्य कर्मचारी को कटौती के कारण एक स्थाई पद रिक्त कर दिया जाता है तो उसे कटौती किए जाने की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने के पूर्व स्थाई रूप से नहीं भरा जाना चाहिए।

जब एक साल की अवधि व्यतीत हो जाए तथा ऐसा पद स्थाई रूप से भर लिया जावे, तथा मूल राज्य कर्मचारी उसके बाद पुनः राज्य सेवा में ले लिया जावें तो उसे एक ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि उसी वेतन शृंखला में स्थाई रूप से खाली हो जिसमें कि उसका पूर्व स्थाई पद था। यदि स्थान खाली न हो तो उसे एक सुपरन्यूमेररी पद (अधिकांश) पर लगाया जाना चाहिए जो उचित स्वीकृति द्वारा सृजित किया जा सकता है एवं जिसे उसके समान वेतन शृंखला वाले अन्य स्थाई पद के रिक्त होने पर समाप्त किया जा सके।

(ख) — इस नियम के खण्ड (७) में या नियम ७ के खण्ड (१७) में वर्णित कुछ भी किसी एक राज्य कर्मचारी को किसी एक ऐसे पद पर बदली करने में नहीं रोक सकेगा जिस पर कि यदि उसका लीयन नियम १७ के खण्ड (क) के अनुसार निलम्बित न किया गया होता तो वह अपना लीयन रखता।

÷ नियम २१—एक राज्य कर्मचारी को आवश्यक जीवन बीमा योजना में धन जमा कराना जरूरी होगा। जहां राजस्थान राज्य कर्मचारी जीवन बीमा नियमों में निर्धारित उम्र से अधिक उम्र होने के कारण तथा मेडिकल आधार पर अयोग्य होने के कारण कोई प्रथम या अग्रिम आश्वासन नहीं स्वीकृत किया जा सके तो उनको सामान्य प्रोविडेन्ट फण्ड (भावी निधि) जमा कराना पड़ेगा।

नियम २२—वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने की शर्तें—इन नियमों में रखे गये विशिष्ट अपवादों के अतिरिक्त जिस दिन से अपने पद का राज्य कर्मचारी कार्यभार संभालेगा, वह उस दिन से नियमानुसार वेतन व भत्ता प्राप्त करेगा और जैसे ही वह उन सेवाओं को करने से बन्द हो जायगा उसे वेतन व भत्ता मिलना बन्द हो जाएगा।

+ वित्त विभाग के कार्यालय मेमोरेन्डम संख्या एफ १ (५५) एफ डी (व्यय-नियम) ६२ दिनांक ११-१-६२ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या डी ६६४६/एफ ४ (II) एफ डी/ए/नियम/५६-१ दिनांक ३१-१२-५६ द्वारा परिवर्तित किया गया।

टिप्पणी

'आफिस के चार्ज' एवं अधिकार क्षेत्र छोड़ने के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्देशों के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखें ।

जांच निर्देशन

एक राज्य कर्मचारी पद के धारण करने समय उसके साथ संलग्न वेतन एवं भत्तों को उसी दिन से प्राप्त करना शुरू करेगा जिस रोज से वह कार्य भार धारण करता है यदि उस दिन कार्यभार उसे मध्याह्न-पूर्व संभलाया गया हो। यदि कार्य भार (चार्ज) मध्याह्न के बाद संभलाया जावे तो वह उसका वेतन व भत्ता अगले दिन से प्राप्त करना शुरू करेगा।

+ **नियम २२क. प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापिस जमा कराना–** (१) जब किसी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति राजपत्रित पद पर हो जाने पर यदि उसे अपने पद का स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यभार संभालने के पहिले किसी विशिष्ट निर्धारित समय के लिए प्रशिक्षण में जाना पड़ता हो, यदि ऐसा राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता है अथवा अन्य जगह नियुक्ति पर चला जाता है तो वह उसे प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई धनराशि को ऐसे प्रशिक्षण में सरकार द्वारा खर्च किए गए अन्य व्यय सहित सरकार को लौटा देगा। लेकिन सम्बन्धित नियमों के अनुसार जो दैनिक एवं यात्रा भत्ता उसे मिलेगा, वह धनराशि शामिल नहीं की जाएगी।

लेकिन शर्त यह है कि यह धनराशि उस समय वापिस करना जरूरी नहीं होगा जब सरकार की राय में राज्य कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी नई नियुक्ति में भी लाभदायक सिद्ध हो सकेगा।

(२) ऐसे प्रत्येक राज्य कर्मचारी को उसके प्रशिक्षण के चालू होने से पूर्व एक अनुबन्ध पत्र (बोण्ड) परिशिष्ट १८ क. में दिए गए प्रपत्र (फार्म) में भरना पड़ेगा।

÷ **नियम २३.** (१) किसी भी राज्य कर्मचारी को लगातार ५ वर्ष से अधिक समय का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

(२) एक राज्य कर्मचारी के सरकारी सेवा में न रहने की शर्तें– जब कोई राज्य कर्मचारी ५ साल तक लगातार अवकाश पर रहने के बाद सेवा पर उपस्थित नहीं होता है या जब कोई राज्य कर्मचारी अवकाश व्यतीत हो जाने पर सेवा (ड्यूटी) से अनुपस्थित रहता है सिवाय इसके कि वह कुछ ऐसे समय के लिए विदेशी सेवा में हो या निलम्बित हो

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (३८) एफ. डी. (ए) नियम/५८ दिनांक ४-११-५९ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (७) एफ. डी. ए/नियम/५८ दिनांक १७-७-५८ द्वारा संशोधित किया गया।

जो कि उसको स्वीकृत किए गए अवकाश के समय को मिलाकर पांच वर्ष से ज्यादा हो, तो वह, जब तक कि राज्यपाल मामले की अपवाद स्वरूप परिस्थिति में अन्यथा प्रकार से आदेश न दे, त्याग पत्र दिया हुआ समझा जावेगा तथा उसके अनुसार वह राज्य सेवा में रहना बन्द कर देगा।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

यह आदेश दिया गया था कि नियम २३ ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है जिनमें एक राज्य कर्मचारी, उसे निलम्बित किए जाने के आदेश के कारण, अपने पद के कार्यभार को संभालने से रोका जा रहा है। इसलिए ऐसे मामले में राजस्थान सेवा नियमों के नियम २३ की शर्तों के अनुसार सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। फिर भी राज्य सरकार एवं सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि निलम्बित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए तथा यथाशीघ्र अन्तिम आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए।

※ २३क. (१) उप नियम (२) में दिए गए के सिवाय, एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवायें किसी भी समय राज्य कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी को या नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी को लिखित में नोटिस दिया जाकर समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार के नोटिस की अवधि, जब तक राज्य कर्मचारी एव राज्य सरकार एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते हैं, एक माह होगी।

परन्तु शर्त यह है कि किसी भी ऐसे राज्य कर्मचारी की सेवा नोटिस की अवधि के समय की राशि के समान राशि का भुगतान कर सरकार उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर सकती है। या वह नोटिस की अवधि में जितने दिन बाकी रहे उतने दिन का या अनुबन्ध किये गए किसी लम्बे समय की राशि का भुगतान कर उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर सकती है। भत्तों का भुगतान उन शर्तों के अनुसार होगा जिनके कि अन्तर्गत ऐसे भत्ते स्वीकृत हों।

(२) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाएं—

(क) जो लगातार तीन साल से अधिक समय से सेवा में चला आ रहा हो, एवं

(ख) जो पद के लिए निर्धारित उम्र तथा योग्यता से पूर्णतया योग्य ठहरता हो तथा राजस्थान जन सेवा आयोग की सलाह से, जहां यह सलाह आवश्यक हो, नियुक्त हुआ हो।

समाप्त की जा सकेंगी—

(१) उनहीं परिस्थितियों में एवं उन्हीं तरीकों से जिसमें कि एक स्थाई कर्मचारी की

× वित्त विभाग के आदेश संख्या ७२८/एफ. ७ ए (७) एफ.डी.ए/नियम/५८ दिनांक २०–३–५८ द्वारा शामिल किया गया।

※ वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १ (५३) एफ.डी/ए/ (नियम) ६१ दिनाङ्क १-१-६५ द्वारा परिवर्तित किया गया।

समाप्त की जाती है।

(२) जब प्राप्य पदों की संख्या में कमी की गई हो तो उन राज्य कर्मचारियों को निकाला जावे जो स्थाई सेवा हो,

परन्तु शर्त यह है कि किसी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के अधीन केडर में पदों की कमी किए जाने के परिणाम स्वरूप सेवाओं की समाप्ति कनिष्ठता (Juniority) के आधार पर हो जावेगी।

+ राजस्थान सरकार का निर्णय

यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ कार्यालयों में अस्थाई पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में एक वचन प्राप्त करने की प्रथा चालू है यदि वे एक माह का उचित नोटिस दिये बिना ही त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नोटिस के समय का वेतन एवं भत्ता राज्य सरकार का जमा करायेंगे।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम २३ ए. द्वारा सरकार एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाओं को तो नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ता देकर उसी समय समाप्त कर सकती है परन्तु यह प्रावधान इस नियम में नहीं दिया गया है कि यदि राज्य कर्मचारी उचित समय का नोटिस सरकार को नहीं देता है तो ऐसी रकम सरकार को जमा करावे। यह प्रावधान स्पष्ट था। यह नोटिस की अवधि कर्मचारी एवं सरकार दोनों के अनेक कार्य साधती है। जहां तक कर्मचारी का सम्बन्ध है उसके लिए अवधि का वेतन एवं भत्ता उस नोटिस अवधि की उचित मजदूरी है परन्तु नियुक्ति करने वाले अधिकारी के लिए उस पद पर नियुक्ति का प्रबन्ध करने व नये कर्मचारी को उसका कार्य संभालने में बड़ी असुविधा होती है यदि वह उस पद पर नियुक्ति के प्रबन्ध के लिये तथा नये व्यक्ति को उसका कार्य दिलाने के लिए उचित समय का नोटिस प्राप्त नहीं करता है। दूसरी ओर यह तर्क किया गया है कि यदि उचित समय पर नोटिस देने की शर्त पर बल देने का कोई दण्डनीय प्रावधान नहीं होगा तो बिना उचित समय के नोटिस देने की प्रवृत्ति का कोई अन्त न होगा। ऐसे मामलों में नियुक्ति करने वाला अधिकारी त्यागपत्र स्वीकार करने से मना कर सकता है तथा यदि राज्य कर्मचारी बिना इजाजत के कार्यालय से रुक जाता है तो वह उसके विपरीत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। विशेष रूप से खराब मामलों में ऐसे अधिकारी की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि वह उससे सम्बन्धित अधिकारियों को कर्मचारी के चरित्र एवं उसके सेवा इतिहास आदि के बारे में अपनी राय आदि दे सकेगा कि वह सरकार के अधीन सेवा करने योग्य व्यक्ति नहीं है। उसके लिए यही पर्याप्त दण्ड होगा।

सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय किया गया है कि अस्थाई राज्य कर्मचारियों से नोटिस पीरियड का वेतन एवं भत्ता वसूल करने के वचन लेने की आदत को, जहां यह पहिले समाप्त नहीं की गई है,तत्काल समाप्त कर देना चाहिये। अस्थाई राज्य कर्मचारी से नोटिस के बदले में कोई वेतन वसूल नहीं करना चाहिये जहां उसकी जगह पर अन्य उचित प्रबन्ध नियुक्ति का किया जा सकता हो, वहां नियुक्तिकर्ता अधिकारी आपसी समझौते के आधार पर नोटिस के समय को कम कर सकता है या (राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट ९) शक्तियों की अनुसूचि के क्रम

+ वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ ७ ए (१४) एफ.डी.ए.आर/५९/दिनांक ३-१०-६० द्वारा शामिल किया गया।

संख्या ४ ख द्वारा राज्य कर्मचारी के लिये नोटिस की शर्तों को समाप्त कर सकता है। जहां यह सम्भव न हो तथा त्यागपत्र स्वीकृत न किया जा सकता हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही उपरोक्त पेरा २ के अन्त में कहे गये अनुसार की जा सकती है।

—::*::—

भाग ३

अध्याय ४

वेतन (Pay)

नियम २४. वेतन पद वेतन से ज्यादा न हो—किसी भी राज्य कर्मचारी का वेतन उसके द्वारा धारण किये गये पद के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये वेतन से अधिक नहीं होगा। सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी कर्मचारी को कोई विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

नियम २५. × प्रशिक्षण काल आदि में वेतन—नियम ७ (८) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी (सेवा) के रूप में समझे गए किसी भी समय के बारे में किसी भी राज्य-कर्मचारी को ऐसा वेतन स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार न्यायोचित समझे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे कि राज्य कर्मचारी, यदि नियम ७ (८) (ख) के अधीन ड्यूटी के अतिरिक्त अन्य ड्यूटी पर रहता तो प्राप्त करता।

टिप्पणी

यदि कोई राज्य कर्मचारी नियम ७ (८) (ख) (iii) के नीचे दी गई टिप्पणी के अधीन अपनी नियुक्ति के आदेश के लिये इन्तजार कर रहा हो तो वह उस पद का वेतन पाने का अधिकारी होगा जिस पद पर वह अन्त में काम रहा था या उस पद का वेतन प्राप्त करेगा जिस पर कि वह अपना नया चार्ज सम्भालेगा। परन्तु इन दोनों में से जिसका वेतन कम होगा वही उसे मिलेगा।

* जांच निर्देशन

एक राज्य कर्मचारी जो कि निर्देशन के पाठ्यक्रम में या प्रशिक्षण में या कर्तव्य (ड्यूटी) पर माना जाता है तथा जो कि जिस समय वह ऐसी ड्यूटी पर लगाया गया था, अपनी कार्यवाहक नियुक्ति का वेतन प्राप्त कर रहा था, उसे वही कार्यवाहक वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये जिसे कि वह ड्यूटी पर रहता तो समय समय

× वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. ७ ए. (५) एफ. डी. ए./नियम/६० दिनांक ३-१०-६० द्वारा परिवर्तित किया गया।

* वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. १ (१५) एफ. डी. (ई. आर.) ६४ दिनांक २५-४-६४ द्वारा शामिल किया गया।

पर नियम ७ (८) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी के अतिरिक्त रूप में प्राप्त करता रहना। उसे वह वेतन स्वीकृत किया जाना जरूरी नही है जिसे वह प्रशिक्षण पर रवाना होने के पूर्व प्राप्त कर रहा हो।

स्पष्टीकरण (Clarification)

+ एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त एक राज्य कर्मचारी के लिए किन किन परिस्थितियो मे विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये। मामले की जाच की गई है तथा एतद्द्वारा यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी उन सेवाओ से सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिए, जिन पर कि स्पेशल पे मिलती हो या जिसकी समान सेवा हो, प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे विशेष वेतन प्रशिक्षण काल मे उस ही पद का मिलेगा जिस पर कि वह प्रशिक्षण मे आने के पूर्व पद पर कार्य कर प्राप्त कर रहा था।

जो मामले उक्त अवतरण १ के अन्तर्गत नही आते हैं, परन्तु यदि प्रशिक्षण किसी ऐसे एक पद के लिये दिया जा रहा है जिस पर कि विशेष वेतन मिलेगा तो राज्य कर्मचारी को उस पद का विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में स्वीकृत किया जा सकता है। जो मामले उक्त अवतरण सं० १ व २ के अन्तर्गत नही आते है, उन्हें प्रशिक्षण काल मे साधारण रूप से विशेष वेतन स्वीकृत नही किया जावेगा।

प्रशिक्षण काल मे विशेष वेतन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट आदेशो की जरूरत होगी।

पहिले के मामले जिन पर निर्णय दिया जा चुका है, उन्हे पुनः खोड़ने की कोई जरूरत नही होगी।

÷ राजस्थान सरकार का निर्णय

निर्णय संख्या १—एक प्रश्न उठा है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मे प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी के लिये राजस्थान सेवा नियमो के नियम २५ के अन्तर्गत किन परिस्थितियो मे विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये। मामले की जाच की गई तथा राजस्थान सरकार ने वित्त विभाग के मीमो दिनाक ६-२-६१ (उक्त स्पष्टीकरण) के अतिक्रमण मे निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:—

(१) निम्न दशाओ मे प्रशिक्षण काल मे विशेष वेतन दिया जा सकेगा—

(१) यदि अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है जो कि उसके उन कर्तव्यो से सम्बन्धित है, जिन्हें वह विशेष वेतन प्राप्त करते हुए या समान कर्तव्य करते हुये पूरा कर रहा था

(२) यदि प्रशिक्षण ऐसे पद के लिये दिया जा रहा हो जिस पर उसे प्रशिक्षण के लिये

+ वित्त विभाग के मीमो सं. एफ. ७ (ग) (२) एफ. डी. (ए) नियम/६० दिनाक ६-२-६१ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. ७ ए. (४) एफ. डी. ए. (नियम)/६० दिनाक ३१-७-६१ द्वारा शामिल किया गया।

रवाना होने से पूर्व अपने पद पर पा रहे विशेष वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन मिलने वाला हो।

(२) उपरोक्त कहे गये मामलों में विशेष वेतन की स्वीकृति, फिर भी, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाएगी।

(१) यदि वह प्रशिक्षण पर रवाना होने के पूर्व विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो; एवं

(२) यदि वह अधिकारी प्रशिक्षण पर न जाता तो वह अधिकारी उस पद पर कार्य करता रहता जिससे कि वह प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ। या वह एक ऐसे पद को धारण करता रहता जो उसके समान विशेष वेतन वाला होता या उससे अधिक होता जिस पर कि वह प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व काम कर रहा था।

× निर्णय संख्या २—यह प्रश्न कि, क्या प्रशिक्षण काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७(८)(ख)(१) के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को, जो ड्यूटी के रूप में समझा जाता है, क्षतिपूरक भत्ता (कम्पेन्सेटरी अलाउन्स) स्वीकृत किया सकता है, कुछ समय तक सरकार के विचाराधीन था। मामले की जाँच करली गई है तथा यह आदेश दिया गया है कि जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ नहीं दिया हुआ हो, एक राज्य कर्मचारी को, जो राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७ (८) (ख) (१) के अन्तर्गत प्रशिक्षण काल मे ड्यूटी के रूप मे माना जाता है, ऐसी समयावधि मे उस पद का क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। जिस पर कि वह अपना लीयन धारण करता है, यदि उस प्रशिक्षण की अवधि १२० दिनो से ज्यादा न हो।

नियम २६. किसी समय शृंखला वेतन वाले (Time Scale) पद पर नियुक्ति होने पर आरम्भिक [इनिशियल] मूल वेतन को नियमित करना—एक राज्य कर्मचारी जो एक टाइम स्केल पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हुआ है, उसका आरम्भिक वेतन निम्न रूप से निर्धारित किया जायेगा—

(क) यदि वह एक सामयिक (टेन्योर) पद के अतिरिक्त किसी एक स्थाई पद पर अपना लीयन रखता है या वह एक ऐसे पद पर अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित न किया जाता तो—

(१) जब उसके नए पद पर नियुक्ति होने से उसका कार्य या उत्तरदायित्व, उसके द्वारा धारण किए गये ऐसे स्थाई पद के कार्य या उत्तरदायित्व से अधिक महत्वपूर्ण हो, तो वह अपना आरम्भिक वेतन अपने पुराने पद के स्थाई वेतन से एक टाइम स्केल अधिक में प्राप्त करेगा।

(२) जब नये पद पर की नियुक्ति में इस प्रकार के अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों या कर्तव्यों का समावेश नहीं होता है तो वह अपना आरम्भिक वेतन, उसके पुराने पद के स्थाई वेतन के बराबर प्राप्त करेगा या यदि कोई इस प्रकार की स्टेज नये पद में न हो तो उसका वेतन उसके नीचे वाली स्टेज का होगा तथा इस तरह जो भी राशि बचेगी

× वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. १ (२२) एफ. डी. (व्यय नियम)/६३ दिनांक ११-१०-६३ द्वारा शामिल किया गया।

है 'व्यक्तिगत वेतन' माना जावेगा तथा वह किसी भी तरह के मामले में उस वेतन को प्राप्त करता रहेगा जब तक कि वह अपने पुराने पद की टाइम स्केल में दूसरी वार्षिक वृद्धि प्राप्त न करले। या वह उस वेतन को उस समय तक प्राप्त करता रहेगा जब तक कि नये पद की वेतन शृंखला में उसे एक वार्षिकोन्नति न मिल जाये। इनमें से जो कोई कम हो वही प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु यदि नये पद का समय शृंखला वेतन (टाइम स्केल पे) उसके पुराने पद के स्थाई वेतन से ज्यादा है तो वह उस न्यूनतम वेतन को अपने आरम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा।

(२) जब नये पद पर नियुक्ति २० (क) के अधीन स्वयं की प्रार्थना पर की जाय तथा उस पद की समय शृंखला में अधिकतम वेतन अपने पुराने पद के स्थाई वेतन से कम हो, तो उसे नये पद का अधिकतम वेतन ही आरम्भिक वेतन के रूप में मिलेगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में वर्णित शर्तें पूरी नहीं की जाती है तो वह अपना आरम्भिक वेतन टाइम स्केल के न्यूनतम वेतन के रूप में प्राप्त करेगा।

शर्ते कि यदि खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, एवं ऐसे मामलों में जो कि सार्वजनिक सेवा से त्याग पत्र देने/हटाने/या निष्कासन करने के हों यदि

(१) उसने पूर्व में निम्न में से किसी पद पर स्थाई या कार्यवाहक रूप से काम किया हो।

(१) उसी पद पर, या

(२) समान समय शृंखला (टाइम स्केल) वेतन के स्थाई या अस्थाई पद पर या,

(३) अनुरूप वेतन शृंखला वाले स्थाई पद पर या अनुरूप वेतन शृंखला वाले अस्थाई पद पर कार्य किया हो जबकि ऐसे पद उसी प्रकार की वेतन शृंखला में हो जैसे कि स्थाई पद हो, या

(४) जब वह उस अन्य टेन्योर पद के अनुरूप वेतन शृंखला वाले टेन्योर पद पर स्थाई रूप में नियुक्त हो गया हो जिस पर कि पहिले उसने स्थाई रूप से कार्य किया है या जिस पर पहिले उसने स्थानापन्न (Officiating) रूप में कार्य किया है।

तब उस समय उसका आरम्भिक वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा विशेष-रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत धनराशि के अतिरिक्त, उस वेतन से कम नहीं होगा जिसे उसने गत ऐसे अवसरों पर प्राप्त किया था। तथा वह उस वेतन के बराबर वेतन शृंखला के क्रम में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए उस समय को भी गिनेगा जिसमें कि उसने गत एवं पूर्व ऐसे अवसरों पर उस वेतन को प्राप्त किया हो। र भी यदि अस्थाई पद में राज्य कर्मचारी द्वारा अन्त में प्राप्त किया गया वेतन समय ही वार्षिक वृद्धि देकर पूरा कर दिया गया हो तो वह वेतन जिसे वह प्राप्त करता लेकिन क वृद्धि की स्वीकृति के कारण वह प्राप्त न कर सका, जब तक कि नये पद सृजित में सक्षम अधिकारी द्वारा अन्यथा प्रकार से आदेश न दिया जाय, इस प्रावधान ए वह वेतन समझा जाना चाहिये जिसे कि उसने अन्त में अस्थाई पद पर प्राप्त

अपवाद प्रथम प्रावधान के तीसरे अवतरण में दी गई यह शर्त, कि अस्थाई पद उसी वेतन श्रृंखला में होने चाहिये जिसमें कि एक अस्थाई पद होता है, प्रभावशील नहीं होगी यदि एक अस्थाई पद (१) सरकार या विभाग द्वारा उसी प्रकृति के कार्य के लिये सृजित किया जाना है जैसा कि एक साधारण कार्य के लिए विभिन्न सरकार या विभाग के अधीन किसी केडर में स्थाई पद रहते हैं एवं (२) (जब एक स्थाई पद) सरकार या विभाग के अधीन एक केडर में स्थाई पदों पर लागू होने वाली वेतन श्रृंखला की समान वेतन श्रृंखला मे स्वीकृत किये गये हों।

टिप्पणी

(१) इसमें शामिल नहीं किये गये विशेष पद से या उस केडर में शामिल एक टेन्योर पद से साधारण केडर या सेवा मे एक पद पर प्रत्यावर्तन या एक अस्थाई पद से स्थाई पद पर प्रत्यावर्तन इस नियम के प्रयोजन के लिये उस पद पर स्थाई नियुक्ति नही होता।

✤ (२) जब एक राज्य कर्मचारी उसी तारीख को किसी ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता है जिसको कि उसकी वार्षिक वृद्धि निम्न पद में मिलनी होती है तो उच्च पद में उसका आरम्भिक वेतन निर्धारण करने के लिए उसके स्थाई मूल वेतन में वह वार्षिक वृद्धि भी मिलाई जावेगी जो कि उस दिन से उपार्जित होती है।

जांच निर्देशन

(१) एक अस्थाई पद जो कि भिन्न वेतन दर मे एक स्थाई पद में बदल गया है, उसे नियम के लिए 'स्थाई पद के रूप में "वही पद" नहा समझा जाना चाहिये, चाहे उस पद की सेवाएं वैसी ही रहे। दूसरे शब्दों में,इस कार्य के लिये अस्थाई पद की वर्तमानता समाप्त की हुई समझी जानी चाहिये तथा वह पद स्थाई पद में बदला हुआ समझा जाना चाहिये। इस प्रकार अस्थाई पद का कर्मचारी केवल स्थाई पद का ही वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है यदि वह वेतन की निश्चित दर का हो अथवा स्थाई पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम प्राप्त करेगा यदि वह पद वेतन श्रृंखला वाला हो। इस प्रकार का वेतन उसे उस समय तक मिलेगा जब तक कि उसका मामला नियम २६ के (१) (iii) एवं (१) (iii) के प्रावधानों के अधीन मान्य रियायत मे नही आता। एक ऐसे अस्थाई पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी का अधिकार, जो कि बाद में अस्थाई पदों की सेवाओं को गिनने के लिये स्थाई बन जाता है, इस टिप्पणी के प्रावधान से प्रभावित नहीं होते हैं।

(२) एक वेतन श्रृंखला हाल ही की चालू की हुई हो सकती है जबकि संवर्ग केडर) या श्रेणी, जिससे वह लगी हुई है, दर श्रृंखला में (ग्रेडेड-स्केल) टाइम स्केल के प्रभाव में आने से पूर्व ही चली आ रही है या यह हो सकता है कि एक वेतन-श्रृंखला ने दूसरी वेतन श्रृंखला का स्थान ले लिया हो। यदि किसी राज्य कर्मचारी ने नई वेतन श्रृंखला के लागू होने से पूर्व किसी संवर्ग या श्रेणी में एक पद पर स्थाई या कार्यवाहक रूप से कार्य किया हो तथा उस अवधि में किसी स्टेज के बराबर वेतन प्राप्त किया हो या दो स्टेजों के बीच का वेतन प्राप्त किया हो तो उसका आरम्भिक वेतन नई वेतन श्रृंखला में अन्तिम रूप में प्राप्त किये गये वेतन के रूप में निश्चित

✤ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ५ (१) एफ (आर) ५६ दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

किया जाना चाहिये तथा जिस अवधि में यह प्राप्त किया गया था, उसे उसी स्टेज में वार्षिक वृद्धि के लिये गिना जाना चाहिये तथा यदि वेतन दो स्टेजों के बीच का था तो निम्न स्टेज या उस टाइम स्केल में उनका आरम्भिक वेतन निश्चित किया जाना चाहिये ।

(३) इस नियम के खण्ड (क) में आये हुये "यदि वह किसी स्थाई पद पर लीयन रखता है," शब्द में उस स्थाई पद पर भी लीयन शामिल है जिस पर कि एक राज्य कर्मचारी प्राविधिक रूप से स्थाई रूप में नियुक्त हो जाता है तथा उस नियम में प्रयुक्त "पुराने पद के मूल वेतन" शब्द में उस प्राविधिक स्थाई नियुक्ति का मूल वेतन शामिल है । इस तरह उसका दूसरे पद का, जिस पर कि वह नियुक्त हुआ है, प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने में प्राविधिक स्थाई नियुक्ति का मूल वेतन शामिल करने की स्वीकृति इस नियम के खण्ड (क) द्वारा दी जा सकती है । जब एक पद पर राज्य कर्मचारी का वेतन इस तरह निश्चित कर दिया जाता है, तो यह वेतन उस पद की अवधि में भी प्रभावित नहीं होगा जिस पर कि वह अपने प्राविधिक नियुक्ति (Provisional appointment) में परिवर्तित कर दिया जाता है ।

(४) जब एक राज्य कर्मचारी वेतन,समय शृंखला वाले किसी पद पर कार्यवाहक officiating रूप में नियुक्त हो जाता है, लेकिन उसका वेतन, समय शृंखला के न्यूनतम वेतन से भी कम में निश्चित किया जाता है तो उसे नियम के अर्थ में उस पद पर वास्तविक रूप से कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिये या उसे नियम ३१ के अर्थ में उस पद का कार्य करता हुआ नहीं समझा जाना चाहिये । इस प्रकार के अधिकारी का प्रारम्भिक वेतन इस नियम के खण्ड (ख) के अनुसार, उसके स्थाई हो जाने पर निश्चित किया जाना चाहिये तथा उसे अपनी दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि उसके स्थाईकरण की तिथि से, उपयुक्त समय तक सेवा करने के बाद स्वीकृत की जानी चाहिये ।

(५) यदि कोई राज्य कर्मचारी इस नियम के खण्ड क ( ) के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन (Personal pay) प्राप्त करता हो, तो जब भी राज्य कर्मचारी की नये अथवा पुराने पद पर समय शृंखला में दूसरी वार्षिक वृद्धि बकाया होती हो, तो राज्य कर्मचारी को नए पद की दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करनी चाहिये एवं उसी समय वह अपना व्यक्तिगत वेतन एवं अपने पुराने पद की समय शृंखला से सभी सम्बन्ध छीने कर देगा । किसी भी राज्य कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन केवल उसको ऐसी नई वेतन शृंखला में प्रारम्भिक वेतन तय करने के लिए स्वीकृत किया जाता है । जिस पर कि वह अपने पुराने पद पर कार्य करते रहने से कम वेतन प्राप्त करता । व्यक्तिगत वेतन नई स्केल में किसी दूसरे क्रम पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता है ।

(६) जब पद एक ही विभाग में या विभिन्न विभागों में हो,तो जब भी आवश्यक हो, राज्य सरकार के प्रशासनात्मक विभागाध्यक्षों या सरकार से दोनों पदों के कार्यभार के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये । फिर भी इस प्रकार का स्पष्टीकरण केवल उन्हीं मामलों में प्राप्त किया जाना चाहिये जब कि दो पदों के कार्यभार की मात्रा के बारे में कोई सन्देह हो ।

+ राजस्थान सरकार का निर्णय

नियम २६१ से २८६ के अन्तर्गत परिवार पेन्शन केवल सीमित अवधि के लिए ही स्वीकृत की जाती है। सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के वेतन को नियमित करते समय उसके परिवार पेन्शन के प्राप्त करने के तथ्य को इन नियमों के अधीन नहीं गिना जावेगा।

× स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमों के नियम २६ के नीचे जाँच निर्देशन संख्या ६ में दिया हुआ है कि, सन्देह होने पर दोनों पदों के उत्तरदायित्व की सम्बन्धित मात्रा का स्पष्टीकरण विभागाध्यक्ष या प्रशासनात्मक विभाग करेंगे। इस सम्बन्ध मे शंकाएं उठाई गई है कि क्या ऐसे स्पष्टीकरण केवल वेतन के आधार पर ही जारी किए जायेंगे। मामले की जांच की गई है तथा सभी सम्बन्धितों के लिए यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि पदों के उत्तरदायित्व की सम्बन्धित मात्रा के स्पष्टीकरण में केवल वेतन को ही सिद्धांत नहीं बनाया जावेगा लेकिन अन्य तथ्य जैसे 'काम का स्वरूप' आदि भी ध्यान में रखे जावेंगे। शंका होने पर मामले को वित्त विभाग मे पेश किया जा सकता है।

÷ नियम २६ (क) फिर भी इन नियमों में कुछ दिए गए अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी एक पद पर स्थायी, अस्थाई या कार्यवाहक रूप में कार्य करता है, तथा ऐसे अन्य पद पर स्थायी अस्थाई या कार्यवाहक रूप में नियुक्त हो जाता है, जिसका कि कार्यभार एवं उत्तरदायित्व उसके द्वारा पहिले धारण किए गए पद से अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसका प्रारम्भिक वेतन उच्च पद की समय श्रृंखला (टाइम-स्केल) में निश्चित किया जाएगा। यह प्रारम्भिक वेतन, उसके निम्न पद के वास्तविक वेतन को एक वार्षिक वृद्धि देकर जो भी आएगा उससे एक स्टेज ऊपर अन्य पद की वेतन श्रृंखला में वार्षिक वृद्धि कर तय किया जाएगा।

पद की वेतन शृंखला में उसका प्रारम्भिक वेतन उस क्रम पर निश्चित किया जायेगा जो कि निम्न पद में अधिकतम वेतन से एक स्टेज ऊपर होगी।

राजस्थान सरकार का निर्णय

निर्णय संख्या १—(१) यह आदेश दिया गया है कि वे राज्य कर्मचारी जो ३१-८-६१ को सचिवालय/राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान उच्च न्यायालय/राजस्थान विधान सभा/राज्यपाल के सचिवालय में निम्नलिपिक या स्टेनोग्राफर III ग्रेड के पद पर स्थाई रूप से, अस्थाई या कार्यवाहक रूप से काम कर रहे थे उनकी उपरोक्त विभागों/कार्यालयों उच्चलिपिक या स्टेनोग्राफर ग्रेड II में स्थाई, अस्थाई या कार्यवाहक रूप में उन्नति हो जाती है उनका वेतन निम्न पद में उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे वास्तविक वेतन में दो वार्षिक वृद्धि देकर उच्च पद की वेतन शृंखला में उससे एक ऊंची स्टेज पर निश्चित किया जायेगा।

इन आदेशों को १ सितम्बर १६६१ से प्रभावशील हुआ समझा जाना चाहिये।

(२) यह आदेश दिया गया है कि स्थाई या अस्थाई रूप से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी का वेतन,उनके (भवन एवं पथ) शाखा में मुख्य अभियन्ता (चीफ इन्जीनियर)के पद पर या ⊛[मुख्य अभियन्ता, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट] या सार्वजनिक निर्माण विभाग के सिंचाई शाखा में मुख्य अभियन्ता (हैडक्वार्टर्स) के पद पर उन्नति होने पर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम २६ या ३५ क. के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक १ सितम्बर १६६१ से क्रियान्वित हुआ समझा जाना चाहिये।

+ निर्णय संख्या २—राजस्थान सेवा नियमों में नये नियम २६ (क) के शामिल किये जाने से पूर्व उच्च पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन, राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३५ के अन्तर्गत, उसके मूल वेतन में वृद्धि कर पुनर्निश्चित (Refixed) किया जा सकता था। नए नियम २६ (क) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार पुनर्निधारण (Refixation) स्वीकृत नहीं है। इस विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि इससे उच्च पद की वेतन शृंखला में (टाइम स्केल) वेतन का निर्धारण उस एक स्टेज (वेतन क्रम) पर कम होता है जैसे यदि वह उसी दिन कार्यवाहक रूप में नियुक्त हुआ होता जिस दिन उसको दूसरी वार्षिक वृद्धि बकाया होती थी।

राज्य सरकार ने मामले पर विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में जिनमें राज्य कर्मचारी एक उच्च पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त करने वाले अधिकारी के लिए यह निर्णय करना होगा कि क्या सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्ति उसके (निम्न पद के) दूसरे वेतन वृद्धि के समय तक स्थगित की जा सकती है यदि वह उन्नत किये जाने वाले समय से ३ माह की अवधि के भीतर आता हो ताकि वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम २६ (क) के अन्तर्गत एक

⊛ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२०) एफ. डी. ए./नियम/६१ I दिनांक १४-११-६२ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १ (२६) एफ. डी. (व्यय-नियम) ६३ दिनांक १०-६-६३ व २५-२-६४ द्वारा शामिल किया गया।

उच्च स्टेज पर अपने वेतन को निर्धारित किये जाने का लाभ प्राप्त कर सके। फिर भी यह एक शुद्ध प्रशासनात्मक विषय है तथा प्रत्येक मामले का निर्णय नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा उसके गुणों को (qualitics) एवं परिस्थितियों की वाध्यताओं को ध्यान में रख कर किया जावेगा।

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. २ (ख) (१) एफ. डी. ए/नियम/६२ दिनांक २९-१-६२ के अन्तर्गत १-९-६१ से वेतन की सलेक्शन ग्रेड स्वीकृत की गई थी।

ऐसे मामलों में जिनमें व्यक्ति १-४-६१ से सलेक्शन ग्रेड में पद पर नियुक्त होने से अधिकतम फायदा इसलिये नहीं उठा सके कि उनकी निम्न पद पर वेतन वृद्धि नियुक्ति के कुछ समय बाद बकाया थी, उनमें नियुक्ति करने वाला अधिकारी उनके प्रमोशन की तारीख १-९-६१ से निम्न पद की वेतन शृंखला में दूसरे वेतन वृद्धि बकाया की तारीख तक बदल सकता है, यदि उनके दूसरे वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख १-१२-६१ से पूर्व पड़ती हो।

ऐसे मामले जिनमें कि राज्य कर्मचारी साधारण वेतन शृंखला में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा उसी संवर्ग (केडर) सेवा में उच्च वेतन शृंखला में १-४-६१ या उसके बाद उन्नत हो गये हैं तथा इससे नियुक्ति के पूर्व या बाद में किए जाने वाले कार्यों के रूप में कोई अन्तर नहीं आता है तो नियुक्ति करने वाला अधिकारी प्रत्येक मामले के गुणों एवं उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सकता है कि क्या ऐसे राज्य कर्मचारी की नियुक्ति उसकी निम्न वेतन शृङ्खला में दूसरी वेतन वृद्धि बकाया हो, चुकाने के समय तक स्थानीय करदी जाये यदि वह वेतन वृद्धि उसके उच्च पद पर नियुक्त होने से २ माह के भीतर बकाया हो। जहां पर उन्नति के आदेश पहिले से ही जारी कर दिये गए हैं तथा वे आदेश जारी करने की तारीख से पूर्व प्रभावशील हो गए हैं, परन्तु यदि वे १-४-६१ से पूर्व प्रभावशील नहीं हुए हैं तो २ माह की अवधि उन्नति के आदेश की तारीख से गिनी जाएगी। जो उन्नतियां पहिले से ही प्रभावशील हो चुकी हैं उन्हें रोका नहीं जायेगा जिनमें कि उच्च पद पर नियुक्ति करने में वैधानिक शक्तियों, सेवाओं का प्रयोग किया जाना शामिल हो।

अनूसूचि (Schedule)

(१) राजस्थान प्रशासन सेवा (R.A.S.) के अधिकारी जो कि राजस्थान प्रशासन सेवा केडर में सलेक्शन ग्रेड पद पर उन्नत हो गए हों।

(२) राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा (राजस्थान हायर ज्युडिसियल सर्विस) के अधिकारी जो सिविल एण्ड एडीसनल सैशन जज (एवं अन्य समान पदों से) डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पद पर (एवं अन्य समान पदों पर) उन्नत किए गए हैं।

(३) नायब तहसीलदार जो तहसीलदार उन्नत कर दिए गए हों।

(४) सेवा में दिनांक १-९-६१ को नियुक्त निम्नलिपिक जो १-९-६१ को या उसके बाद में सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का सचिवालय एवं राजस्थान विधान सभा में उच्च लिपिक के पद पर नियुक्त हो गए हों।

(५) सेवा में दिनांक १-९-६१ को नियुक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड III जो १-९-६१ को या उसके बाद में सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य

पाल का सचिवालय एवं राजस्थान विधान सभा में स्टेनोग्राफर ग्रेड II के पद पर उन्नत हो गए हों।

❀ (६) सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एडीसनल चीफ इन्जिनियर) जो भवन एवं पथ (B&R) शाखा में मुख्य अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परीयोजना (राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) या सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा के मुख्य अभियन्ता (हैडक्वार्टर्स) के पद पर उन्नत हुए हों।

(७) R.S.S. केडर में सहायक सचिव से उप सचिव, राजस्थान सरकार के पद पर उन्नति हुई हो।

(८) सचिवालय में स्थाई रूप में नियुक्त एसिस्टेन्ट या स्टेनोग्राफर जो सेक्शन आफीसर के पद पर उन्नत हो गये हों।

टिप्पणी

आइटम संख्या ७ व ८ मे वर्णित उन्नतियो के सम्बन्ध में नियम २६ क. के प्रावधान दिनांक १–४–६१ से ३१–८–६१ तक प्रभावशील समझे जायेंगे। दिनांक १–९–६१ से उनका वेतन मुख्य नियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये जायेंगे। आइटम संख्या ३ से ६ तक के सम्बन्ध में उन्नति होने पर दिनांक १–४–६१ से ३१–८–६१ तक उन्नति होने पर उनका वेतन मुख्य नियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये हुए समझे जावेंगे एवं उसका प्रावधान दिनांक १–९–६१ से प्रभावशील समझा जावेगा।

+ नियम २६ ख.—फिर भी इन नियमों में कुछ दिये गये अनुसार जहां एक राज्य कर्मचारी ने नियम ७ (३१) (क) के अन्तर्गत उच्चतर दायित्वों या विशेष प्रकार के कठिनाई के कार्यों को पूरा करने के कारण लगातार रूप में कम से कम ३ वर्ष तक विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि वह अपने द्वारा धारण किये गये पद के दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों वाले एक पद पर उन्नत या नियुक्त हो जाता है तथा उसका वेतन एवं उच्च पद का विशेष वेतन दोनों मिलाकर, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उसके द्वारा धारण किये गये पद से कम है, तो वह अन्तर व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत कर दिया जावेगा जो बाद में वार्षिक वृद्धि में शामिल कर लिया जावेगा।

यह संशोधन १–९–६१ से शामिल किया हुआ समझा जावेगा।

× स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमों के नियम २६ के अनुसार एक राज्य कर्मचारी, जिसने कि लगातार कम

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२०) एफ.डी.ए.(आर) ६१–I दिनांक १४–११–६२ द्वारा परिवर्तित किये गये। मूल अनुसूचि नियम २६ क. के साथ शामिल की गई।

+ वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १ (२०) एफ.डी/ए/(आर) ६१ दिनाङ्क ३०-८-६१ द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ डी (आर) ६१ II दिनांक २०–३–६३ द्वारा शामिल किया गया।

से कम २ साल तक नियम ७ (३१) (क) के अन्तर्गत विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि वह १-९-६१ को या उसके बाद एक उच्च पद पर उन्नत या नियुक्त कर दिया जाता है तो वेतन निर्धारण में उसके विशेष वेतन को भी गिना जाएगा। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या लगातार २ साल की अवधि गिनने में सरकारी अधिकारी द्वारा उपभोग किया गया समय भी शामिल किया जावेगा।

मामले की जांच करली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम २६ ख में वर्णित दो साल की अवधि में अधिकारी द्वारा उपभोग किया गया सभी समय शामिल किया जावेगा बशर्ते कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि वह अधिकारी लगातार विशेष भत्ता प्राप्त करता रहा परन्तु वह अवकाश पर रवाना होने के कारण नहीं कर सका।

नियम २७. घटाई गई वेतन की समय श्रृङ्खला में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक (Initial) वेतन का पुनः नियमित करना (रिग्रेडेशन)— एक राज्य कर्मचारी जो कि किसी वेतन श्रृङ्खला में किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो गया है, यदि उसका प्रारम्भिक मूल वेतन, उस पद के कार्य एवं जिम्मेदारियों के कम हुए बिना ही किन्हीं अन्य कारणों से कम हो गया है एवं जो इस कटौनी के पूर्व की वेतन श्रृङ्खला का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, नियम २६ के प्रावधानों द्वारा नियमित किया जाता है बशर्ते कि उस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत आये मामलों में तथा खंड (ख) के अधीन सेवा से त्यागपत्र देने, हटाने या डिसमिस करने के अतिरिक्त अन्य मामलों में या तो उसने—

(१) पूर्व में निम्न पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काम किया हो—

[१] उसी पद पर, उसके वेतन के टाइम स्केल के कम होने के पूर्व।

[२] उसी वेतन श्रृङ्खला के स्थायी या अस्थाई पद पर उस पद की वेतन श्रृङ्खला कम न होने पर काम किया हो;

[३] सामयिक (टेन्योर) पद या अस्थाई पद के अतिरिक्त एक स्थाई पद पर ऐसी वेतन श्रृङ्खला में काम किया हो जो कि उस पद पर न घटे हुए के समान हो। यह अस्थाई पद उसी वेतन श्रृङ्खला में हो जैसा कि स्थाई पद होता है; या

(२) वह एक ऐसे टेन्योर (सामयिक) पद पर मूल रूप से नियुक्त हो गया हो जिसकी कि वेतन श्रृङ्खला (टाइम-स्केल) उस पद की सेवाओं (ड्यूटी) एवं उत्तरदायित्वों को कम किए बिना ही घटा दी गई हो एवं उसने पूर्व में टेन्योर पद की न घटाई गई वेतन श्रृङ्खला के समान अन्य वेतन श्रृङ्खला वाले किसी टेन्योर पद पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से कार्य किया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन, उसके विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य राशि जो वेतन के वर्गीकरण में आती हो, के अतिरिक्त उस वेतन से कम नहीं होगा जिसे कि वह पहिले अवसरों पर नियम २६ के अनुसार प्राप्त करता। यदि कम की गई वेतन-श्रृङ्खला प्रारम्भ से ही प्रभावशील हुई हो। एवं वह वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये उस समय को गिनेगा जिसमें कि वह पूर्व अवसरों पर उस वेतन को प्राप्त करता।

÷ नियम २७ क.—(१) फिर भी इन नियमों में कुछ दिए गए अनुसार यदि कोई राज्य कर्मचारी जो अन्य सेवा या केडर में प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त हुआ हो तथा बाद में उस सेवा या केडर में स्थाई (कन्फर्म) कर दिया गया हो तो उस कर्मचारी का वेतन निम्न प्रावधानों के अनुसार शासित होगा—

[क] प्रोबेशन (शर्तकालीन) काल में वह वेतन-श्रृंखला का न्यूनतम वेतन या सेवा या पद की टाइम-स्केल की प्रोबेशनरी स्टेजों पर, जैसी भी स्थिति हो, मिलेगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि टेम्पोर (सामयिक) पदों के अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थाई पद का प्रारम्भिक (प्रिजूम्पिटिव पे) वेतन, जिस पर कि उसका लीयन है या यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तो वह उसे धारण करता रहता, किसी भी समय इस खण्ड के अन्तर्गत निश्चित किए गए वेतन से ज्यादा हो तो वह स्थाई पद का प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा।

[ख] प्रोबेशन (शर्तकालीन) की अवधि समाप्त हो जाने के बाद किसी सेवा या पद पर स्थाई होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन नियम २६ के प्रावधानों के अनुसार सेवा या पद की वेतन-श्रृंखला में निश्चित किया जावेगा।

(२) उप-नियम (१) में दिए गए प्रावधान यथावत् परिवर्तनों के साथ उन राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो अन्य सेवा या केडर में अस्थाई पदों पर निश्चित शर्तों के साथ प्रोबेशन पर नियुक्त हुए हों तथा जहां ऐसे सेवा या केडर में अस्थाई पदों पर नियुक्ति प्रोबेशन के रूप में की जाती है केवल इसके कि ऐसे मामलों में उप नियम (१) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार वेतन का निर्धारण सेवा या पद पर प्रोबेशन की अवधि समाप्त होने पर तथा उस पद पर स्थाई या अस्थाई रूप में कार्यवाहक नियुक्ति होने पर, इन नियमों के नियम ३५ क के अन्तर्गत किया जाएगा।

(३) फिर भी इन नियमों में कुछ दिए गए अनुसार एक राज्य कर्मचारी जो सेवा या केडर में प्रशिक्षार्थी (एपेरेन्टिस) के रूप में नियुक्त हुआ है; वह

[क] प्रशिक्षण (एपेरेन्टिसशीप) की अवधि में ऐसे समय के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति या वेतन प्राप्त करेगा बशर्ते कि यदि सामयिक (टेन्योर) पद के अतिरिक्त अन्य स्थाई पद का प्रारम्भिक (प्रिजुम्पटिव) वेतन, जिस पर कि उसका लीयन है या यदि उसका लीयन समाप्त नहीं किया जाता तो वह अपना लीयन रखता, किसी भी समय इस खण्ड के अन्तर्गत निश्चित किए गए वेतन या छात्रवृत्ति से ज्यादा हो, तो वह स्थाई पद का प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा।

[ख] प्रशिक्षण काल सन्तोषजनक रूप से समाप्त करने पर तथा सेवा या केडर में एक पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर वह अपना वेतन इन नियमों के नियम २६ या ३५ के अन्तर्गत सेवा या पद की वेतन श्रृंखला में निश्चित किए गए अनुसार प्राप्त करेगा।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४१) एफ. डी. (ए) नियम/ ६१ दिनांक ९-१२-६१ द्वारा शामिल किया गया।

नियम २८. एक पद के वेतन परिवर्तित होने पर वेतन को नियमित करना—यदि किसी पद का वेतन बदल दिया जाय तो उस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को नए वेतन के नए पद पर स्थानान्तरित किया हुआ समझा जावेगा। परन्तु शर्त यह है कि वह अपनी इच्छानुसार अपने पुराने वेतन को उसी श्रृङ्खला में अगली वार्षिकोन्नति के समय तक या अन्य किसी और अग्रिम वार्षिकोन्नति के समय तक रख सकता है। या वह अपनी इच्छानुसार उस पद को अपने पद के खाली होने के समय तक या उस वेतन श्रृङ्खला की अधिकतम धनराशि तक रख सकता है एक बार दिए गए आप्सन को अन्तिम समझा जाएगा।

टिप्पणी

एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में जो एक ऐसी तारीख को उच्च वेतन श्रृंखला में कार्य-वाहक रूप मे कार्य कर रहा हो जिससे कि एक ही केडर विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं वाले अनेकों पदों को एक कर दिया हो, तो नियम के प्रावधान में आये हुये 'उसके पुराने वेतन' का तात्पर्य केवल उसमें उस प्रामाणिक तिथि को प्राप्त कर रहे अपने कार्यवाहक वेतन की दर को ही शामिल नही किया जावेगा लेकिन उसमें वेतन की उस श्रृंखला को भी शामिल किया जावेगा जिसमे वह उस वेतन को प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार आप्सन (विकल्प) की अवधि के लिये उसकी पुरानी श्रृंखला को ही, जिसमें कि वह अपना कार्यवाहक वेतन प्राप्त कर रहा था, सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले मे चालू रखा हुआ समझा जायेगा और चूंकि वह उस अवधि मे अपने पुराने वेतन को रखने का अधिकारी है, तो आप्सन के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा वेतन इस पर निर्भर नही करता है कि उस प्रामाणिक तिथि के बाद से उस कार्यवाहक नियुक्ति का कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण रहता है या नही। फिर भी यह आप्सन उस समय समाप्त हो जाता है जब एक बार सम्बन्धित व्यक्ति उस पद पर कार्य करना बन्द कर देता है या जिस श्रृंखला में वह अपना कार्यवाहक वेतन प्राप्त कर रहा था उसमें अपना वेतन प्राप्त करना बन्द कर देता है।

इस नियम का मूल भाग एवं उसका प्रावधान दोनों ही एक साथ एक समय पर प्रभावशील नहीं हो सकते है। क्योंकि जिस अवधि में आप्सन भरा जाता है वह अवधि प्रावधान के अन्तर्गत प्रभावशील होती है तथा उस समय नियम का मूल भाग प्रभावशील नही होता है। किसी भी कारण से आप्सन न देने की स्थिति में नियम के लाभ नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं।

जांच निर्देशन (Audit Instructions)

(३) इस नियम के प्रावधान मे प्रयुक्त "पुरानी वेतन शृंखला मे परवर्ती वार्षिक वृद्धि" मे उन मामलो की 'श्रेणी वृद्धि' (Grade Promotion) भी शामिल हैं जिनमे वेतन की समय शृंखला किसी वेतन की 'श्रेणी वृद्धि' शृंखला मे परिवर्तित हो गई हो।

(४) नियम २६ के नीचे दी गई जांच निर्देशन संख्या (१) को भी देखें।

राजस्थान सरकार के निर्णय

+ एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या निलम्बित किये गये राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमो के नियम २८ के अन्तर्गत निलम्बन काल मे परिवर्तित वेतन शृंखला को अपनाने की स्वीकृति दी जा सकती है यदि उसको निलम्बित किए जाने के पूर्व ही उसके पद का वेतन परिवर्तित किया गया हो। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलो का निर्णय निम्न तरीको से करना चाहिये:—

(१) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतन शृंखला निलम्बन की तारीख से पहले से ही क्रियान्वित होती हो—

ऐसे मामलो मे एक राज्य कर्मचारी को, नियम २८ के अन्तर्गत या परिवर्तित वेतन शृंखला के लिए आप्सन भरने के सम्बन्ध मे विशिष्ट नियमो के अन्तर्गत, आप्सन भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये चाहे जिस समय वह अपना आप्शन भर कर देता है, वह उसके निलम्बन की अवधि मे ही आता हो। तथा इस आप्सन के परिणाम स्वरूप, निलम्बन के पूर्व की तारीख के लिए यदि कोई उसे फायदा पहुंचता हो तो वह उसे मिलेगा तथा उस वृद्धि का लाभ उसे निलम्बन काल की अवधि मे, निर्वाह भत्ता (Subsistence allowance) मे भी मिलेगा।

(२) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतन शृंखला निलम्बन की अवधि में प्रभावशील होती है।

(क) निलम्बन काल मे एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन अपने स्थाई पद पर रखता है। चूंकि राजस्थान सेवा नियमो के नियम २८ मे प्रयुक्त "पद को धारण करने वाला" शब्द मे वह व्यक्ति भी शामिल है जो एक पद पर अपना लीयन या निलम्बित लीयन रखता है चाहे वह वास्तव मे उस पद पर कार्य न कर रहा हो, एक ऐसे राज्य कर्मचारी को, उसके निलम्बन काल मे भी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम २८ के अन्तर्गत या परिवर्तित वेतन शृंखला मे आप्सन भरने सम्बन्धित किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत आप्सन भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये। फिर भी निलम्बन काल की अवधि के लिए आप्सन भरने का लाभ केवल उसके बहाल (Reinstatements) होने पर इस तथ्य पर आधारित होगा कि क्या निलम्बन का समय उसके लिए ड्यूटी के रूप मे समझा जायेगा या नहीं।

(ख) यदि किसी पद का वेतन परिवर्तन हो जाता है तथा उस पर एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन नहीं रखता है तो वह राजस्थान सेवा नियमो के नियम २८ या परिवर्तित वेतन शृंखला मे आप्सन भरने सम्बन्धित किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत अपना आप्सन भरने का अधिकारी नही है। फिर भी यदि वह उस पद पर बहाल हो जाता है तथा उसके निलम्बन के समय

+ वित्त विभाग के मीमो सं० एफ. ७ ए (३५) एफ.डी.ए. (नियम) ५८ दिनांक २८-५-५४ द्वारा शामिल किया गया।

को सेवा (ड्यूटी) के रूप में समझा लिया जाता है, तो बहाल होने के बाद उसे भत्ता प्राप्त करने के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, जिनमें आवेदन भर कर देने की कोई समयावधि दी हुई हो तथा यह समय उसका निलम्बन काल में ही व्यतीत हो जाता है तो सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आवेदन करने के लिए अवधि को बढ़ा सकती है।

× नियम २९. जब तक वार्षिक वृद्धि [इन्क्रीमेंट] रोकी न जाए, वह प्राप्त की जाती रहनी चाहिये—नियम ३० के प्रावधानों के अनुसार, जब तक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील (क्लासीफिकेशन,कन्ट्रोल एवं अपील नियम) नियमों के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार वार्षिकोन्नति रोकने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा वह न रोकदी जाये, एक राज्य कर्मचारी को उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हमेशा मिलती रहेगी। वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश में उसको रोके जाने की अवधि का उल्लेख किया जायेगा तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि क्या उस रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि से भावी वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने में भी प्रभाव रखेगा।

[राजपत्रित राज्य कर्मचारियों द्वारा तथा (२) अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि प्राप्त करने के तरीके के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम क्रमशः १६२ एवं १६८–१६६ देखिए।]

× नियम ३०. एफिसियेन्सी वार [कार्यकुशलता प्रगति प्रतिवन्ध] पार करना—जब किसी वेतन श्रृंखला में कार्यकुशलता प्रगति प्रतिवन्ध (एफिसिएन्सी वार) पार करने का प्रावधान हो, तो उस प्रतिवन्ध की अगली वार्षिक वृद्धि, उसे रोकने में सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृति के विना किसी भी राज्य कर्मचारी को नहीं दी जायेगी। जब किसी राज्य कर्मचारी को ऐफिसियेन्सी वार पार करने की स्वीकृति दे दी गई हो जिसे पहिले उसके विपरीत प्रभावशील किया गया हो, तो वह अपना वेतन उस वेतन श्रृंखला में उस स्टेज पर प्राप्त करेगा जिस पर कि वार्षिक वृद्धि रोकने सक्षम अधिकारी निश्चित करे। वशर्ते कि इस प्रकार का निश्चित किया गया वेतन उस वेतन से ज्यादा नहीं होगा जिसे वह अपनी ऐफिसियेन्सी वार न रोके जाने पर प्राप्त करता।

टिप्पणियां

(१) प्रत्येक अवसर पर जबकि एक राज्य कर्मचारी को ऐसी कार्यकुशलता प्रगति प्रतिवन्ध (एफिसिएन्सी बार) पार करने की स्वीकृति दी जाती है जो कि पूर्व में उसके विपरीत लगाया गया था, तो उसका वेतन श्रृंखला में उस स्टेज पर वेतन, प्रतिवन्ध हटाने में सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा जो कि उसे उसके सेवा काल के अनुसार प्राप्य हो सकता हो।

(२) कार्यकुशलता प्रगति प्रतिवन्ध एफिसिएन्सी बार) पर रुके हुए सभी राज्य कर्मचारियों के मामलों का हर वर्ष अवलोकन किया जाना चाहिये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि क्या उनके कार्य की प्रगति सुधरी है या सामान्यतया यह देखा जाना चाहिये कि क्या जिन व्यक्तियों के कारण उनकी एफिसियेन्सी वार रोकी गई है, वे कमियां दूर हो गई है जिससे कि प्रतिवन्ध समाप्त

× वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. ७ ए (२२) एफ. डी. ए (नियम) ५८ दिनांक ६–७–५८ द्वारा नियम २९ व ३० परिवर्तित किये गये।

लिया जा सके। यदि वे बाद में कार्यकुशलता प्रगति की वार्षिक वृद्धि स्वीकार करें तो उसे यह पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए।

÷ नियम ३१. टाइम स्केल (समय श्रेणी) में वेतन वृद्धि (Increments) के लिए सेवा को गिना जाना—निम्न लिखित प्रावधानों में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन पर समय शृंखला में वेतन वृद्धि के लिए सेवा को गिना जाता है—

(क) किसी टाइम-स्केल वाले पद में सम्पूर्ण सेवा को उस समय शृंखला में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिए शामिल किया जाता है।

+ (ख) (१) नियम २० के उप खण्ड (१) में वर्णन किए गए कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे वह स्थायी या अस्थाई रूप में हो, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा एवं मेडिकल प्रमाण पत्र पर असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave) को छोड़ कर अन्य अवकाश उस पद की समय शृंखला (टाइम स्केल) में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा जिस पर कि राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता है, तथा, यदि कोई हो तो, उस पद या उन पदों की समय-शृंखला में भी वेतन-वृद्धि के लिए लागू होगा जिस पर कि यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया गया होता तो वह अपना लीयन रखता।

(२) मेडिकल प्रमाण पत्र पर लिए गए अवकाश के अतिरिक्त अन्य असाधारण अवकाश को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण अवकाश एवं भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति का समय ऐसे एक पद के लिए लागू होने वाली समय शृंखला में वेतन-वृद्धि के लिए शामिल किया जायेगा जिस पर कि राज्य कर्मचारी जिस समय वह अवकाश पर रवाना हुआ या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया, कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा था एवं जिस पद पर वह अपना लीयन रखता परन्तु अपने अवकाश पर चले जाने के कारण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रवाना होने के कारण नहीं रख सका।

परन्तु शर्त यह है कि सरकार किसी भी मामले में जिसमें उसे इससे सन्तोष हो जाय कि असाधारण अवकाश किसी ऐसे कारण से लिया गया है जो कि सरकारी कर्मचारी के नियन्त्रण से बाहर हो, या सीधी उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन करने के लिए लिया गया है तो असाधारण अवकाश खण्ड (१) या (२) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिए गिना जावेगा।

✽. (ख ख) खण्ड (ख ख) हटा दिया गया है।

÷ वित्त विभाग की विज्ञप्ति सं० एफ. ७ ए (४) एफ.डी. (ए) नियम/५६-१ दिनांक ३१-३-६१ द्वारा परिवर्तित किया गया।

+ वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १ (४४) एफ.डी.ए/नियम/६२ दिनांक १७-७-६२ एवं ८-९-६२ द्वारा परिवर्तित किया गया। तथा पुनः वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३०) एफ डी. (व्यय-नियम) ६४ दिनांक २६-७-६४ द्वारा संशोधित किया गया।

✽ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४४) एफ.डी. ए./नियम/६२ दिनांक १७-७-६२ एवं ८-९-६२ द्वारा हटाया गया।

(ग) यदि कोई राज्य कर्मचारी जब वह वेतन की समय शृंखला वाले एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो या एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा उसकी नियुक्ति उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में की गई हो या उसे उच्च अस्थाई पद पर लगाया गया हो, तथा यदि वह निम्न पद पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है या वेतन की समान समय शृंखला वाले पद पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो उसकी उच्च पद की कार्यवाहक या अस्थाई सेवा ऐसे निम्न पद पर लागू होने वाली समय शृंखला में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जावेगी, फिर भी, उच्च पद पर कार्यवाहक के रूप में की गई सेवा, जो कि निम्न पद में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाती है, उस अवधि तक सीमित रहेगी जिसमें कि राज्य कर्मचारी निम्न पद में कार्यवाहक रूप में कार्य करता परन्तु उसकी उन्नति उच्च पद पर होने के कारण वह नहीं कर सका। यह खण्ड एक ऐसे राज्य कर्मचारी पर भी लागू होता है जो वास्तव में उच्च पद पर नियुक्ति के समय निम्न पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य नहीं करता हो लेकिन यदि वह उच्च पद पर नियुक्त न किया गया होता तो वह ऐसे निम्न पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करता होता या उसी के समान समय शृंखला में पद पर कार्य करता रहता।

(घ) निम्नलिखित पदों पर लागू होने वाली समय शृंखला में वेतन वृद्धि के लिए विदेशी सेवा गिनी जाएगी—

(१) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता है, या ऐसा पद या बहुत से पद, यदि कोई हो, जिन पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं होता।

(२) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर विदेशी सेवा में स्थानान्तरण होने से कुछ ही समय पूर्व वह राज्य कर्मचारी कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा था क्योंकि उतने समय तक वह उस पद पर या उसी समान समय शृंखला के पद पर कार्यवाहक रूप में लगातार कार्य करता रहता लेकिन वह विदेशी सेवा में प्रस्थान कर गया, एवं

(३) कोई पद जिस पर कि वह ऐसी उन्नति (Promotion) की अवधि के लिए नियम १४३ के अन्तर्गत कार्यवाहक उन्नति प्राप्त कर सकता हो।

(ङ) सेवा पर उपस्थित होने का समय (ज्वाइनिंग टाइम) वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है—

(१) यदि वह ऐसे पद पर लागू होने वाली समय शृंखला में नियम १२७ के खण्ड (१) के अन्तर्गत आता हो जिस पर कि एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता हो या यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तो वह उस पर अपना लीयन रखता। इसके अलावा उस पद पर लागू होने वाली समय शृंखला में भी वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा, जिसका कि वेतन राज्य कर्मचारी समय पर प्राप्त करता है, एवं

(२) यदि वह उस पद/या पदों पर लागू होने वाली समय शृंखला में नियम १२७ के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता हो जिस पर कि उपस्थिति का समय प्रारम्भ होने (ज्वाइनिंग टाइम) के पहिले का अवकाश का अन्तिम दिन वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता हो।

स्पष्टीकरण

इस नियम के लिए नियम ७ (८) (ख) के अन्तर्गत कर्तव्य (ड्यूटी) के रूप में माना गया समय कर्तव्य (ड्यूटी) के रूप में समझा जायेगा यदि राज्य कर्मचारी ऐसे समय में उस पद का वेतन प्राप्त करता हो।

जांच निर्देशन

(१) अवकाश से अधिक दिन तक ठहरने का समय किसी समय शृङ्खला में वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जायेगा जब तक कि वह समय सक्षम अधिकारी के आदेश के द्वारा असाधारण अवकाश में रूपान्तरित नहीं कर दिया जाता है। एवं जब तक कि नियम ३१ के उपनियम (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत असाधारण अवकाश विशेष रूप से वेतन वृद्धि में शामिल किए जाने के लिए स्वीकृत नहीं कर दिया जाता है।

÷ (२) एक राज्य कर्मचारी जबकि वह एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा है तथा दूसरे पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त कर दिया गया हो तो एक पद से दूसरे पद पर रवाना होने के लिए उपस्थिति का समय (ज्वाइनिंग टाइम) उसी पद पर कर्तव्य के रूप में माना जाना चाहिए जिस पर कि राज्य कर्मचारी उस समय का वेतन प्राप्त करता है एवं वह समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३१ (क) के अनुसार उसी पद का गिना जावेगा। फिर भी यदि दोनों पदों की वेतन दर एक ही होती है तो एक पद से दूसरे पद के लिए रवाना होने का उपस्थिति का समय (ज्वाइनिंग टाइम) दोनों में से निम्न पद में कर्तव्य के रूप में माना जाना चाहिए तथा नियम ३१ (ग) के अन्तर्गत उसे निम्न पद में वेतन वृद्धि के लिए गिना जावेगा।

(३) यदि कोई राज्य कर्मचारी जो कि किसी पद पर कार्यवाहक रूप में काम करते हुए एक प्रशिक्षण पर रवाना होता है या किसी निर्देशन के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए रवाना होता है तथा जो, प्रशिक्षण काल में रहते हुए कर्तव्य के रूप में माना जाता है, तो इस प्रकार के कर्तव्य का समय उस पद में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा जिस पर कि प्रशिक्षण या निर्देशन प्राप्त करने के लिए भेजे जाने के पूर्व वह कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा था, यदि उसे प्रशिक्षण काल में कार्यवाहक पद का वेतन ही स्वीकृत कर दिया जावे।

(४) यदि कोई प्रोबेशनर (नव नियुक्त) १२ माह से अधिक के परिवीक्षाकालीन (प्रोबेशन) समय के व्यतीत होने पर स्थाई (कन्फर्म) कर दिया जाता है तो वह पूर्व प्रभाव से (Retrospectively) वेतन वृद्धि पाने का अधिकारी है जिसे कि वह साधारण रूप में प्राप्त करता रहता लेकिन प्रोबेशन पर रहने के कारण प्राप्त न कर सका।

× स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३१ के नीचे दिए गए जांच निर्देशन संख्या ५ के प्रावधानों

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३६) एफ डी/(ई.आर) ६३ दिनांक ४-११-६३ द्वारा परिवर्तित की गई।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ७ ए (४) एफ. डी. (ए) नियम/५६-II दिनांक ३१-३-६१ द्वारा शामिल किया गया।

(ख) यदि एक राज्य कर्मचारी दण्ड के रूप में निम्न सेवा, श्रेणी अथवा पद पर या एक निम्न समय श्रृंखला में अवनत कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आदेश देने वाला अधिकारी आदेश में उस समय का वर्णन कर भी सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है जिस तक कि वह आदेश प्रभावशील रहेगा। लेकिन जहां पर ऐसे समय का स्पष्ट वर्णन कर दिया जावे वहां अधिकारी यह भी उल्लेख करेगा कि क्या उसके पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) के बाद, अवनति का समय भावी वार्षिक वृद्धियों को स्थगित रखेगा, एवं यदि हां तो किस सीमा तक।

स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियम का नियम ३४ (क) समय श्रेणी मे निम्न स्टेज पर अवनत किये गए समय के बाद पुर्नस्थापन के मामलो में लागू होता है तथा नियम ३४ (ख) किसी निम्न श्रेणी या पद पर अवनति की निर्धारित तिथि के बाद पुर्नस्थापन के मामलो मे लागू होता है। निम्न श्रेणी मे अवनति केवल निर्दिष्ट समय के लिए ही की जा सकती है। इसलिए इस प्रकार की अवनति के आदेश देने वाले अधिकारी को अवनति के आदेश में समय को निर्दिष्ट कर देना चाहिये। निम्न पद या श्रेणी मे पदावनति या तो किसी विशिष्ट अवधि के लिए की जा सकती है जिसमे कि अवनति की अवधि के विशिष्ट समय का उल्लेख करना पड़ता है या वह अवर्णित या अनिश्चित समय तक होती है। अन्तिम मामले मे उच्च पद या श्रेणी मे पुर्नानियुक्त होने पर राज्य सरकारी कर्मचारी का वेतन साधारण नियमों के अनुसार नियमित होगा न कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३४ के अनुसार।

जांच निर्देशन

एक वार्षिक वृद्धि जो कि अवनति के समय में बकाया होती हो, उसे स्वीकृत की जानी चाहिये अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों की स्पष्ट व्याख्या के अनुसार हल किया जाता है। यदि दन्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों में निहित किसी इरादे में सन्देह मालूम होता हो तो स्पष्टीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखा जाना चाहिये।

÷ स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३४ के उप नियम (क) की सही व्याख्या के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किये गये हैं। इसलिये निम्नलिखित स्पष्टीकरण निकाले जाते हैं—

(क) किसी भी राज्य कर्मचारी को एक समय-श्रृंखला में निम्न स्टेज पर दण्ड के रूप में अवनत करने के आदेश जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आदेश में निम्न का उल्लेख

(२) समय श्रेणी (रुपयो मे) मे स्टेज जिस पर राज्य कर्मचारी को पदावनत किया गया हो, एवं

(३) सीमा (वर्ष एवं माह मे) यदि कोई हो, जिस तक उपरोक्त (१) मे कही गई अवधि, एवं भावी वृद्धियों को स्थगित रखेगी।

यह ध्यान मे रखा जाना चाहिये कि किसी समय श्रेणी मे निम्न स्टेज पर पदावनत करने का दण्ड अनिश्चित समय के लिए या स्थाई रूप मे देना नियमो के अनुसार स्वीकार्य नही है। और भी जब एक राज्य कर्मचारी किसी विशिष्ट स्टेज पर पदावनत किया जाता है तो उसका वेतन अवनति के पूर्ण समय तक उस स्टेज पर लगातार स्थाई रहेगा। उपरोक्त (३) के अन्तर्गत जो समय निश्चित किया जावे वह किसी भी रूप मे (१) के अधीन निर्धारित समय से ज्यादा नही होना चाहिये।

+ (ख) अवनति की अवधि समाप्त होने पर एक राज्य कर्मचारी का वेतन क्या होना चाहिये, यह प्रश्न निम्न प्रकार से तय करना चाहिये—

(१) यदि अवनति के आदेश मे यह दिया हुआ हो कि अवनति का समय भावी वार्षिक वृद्धि को नही रोकेगा, तो राज्य कर्मचारी को वह वेतन दिया जाना चाहिये जिसे वह साधारण रूप मे प्राप्त करता परन्तु अवनत करने के कारण प्राप्त नही कर सका। फिर भी, यदि अवनति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन कार्यकुशलता प्रतिबन्ध (एफिसिएन्सी बार) से कम हो तो उसे उस प्रतिबन्ध को (बार को) पार करने की स्वीकृति सिवाय राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३० के प्रावधानो के अनुसार, नही दी जानी चाहिये।

(२) यदि आदेश मे विशेष रूप से यह दिया गया हो कि अवनति का समय किसी निश्चित समय तक भावी वृद्धियों को स्थगित करेगा, तो राज्य कर्मचारी का वेतन उपरोक्त (१) के अनुसार निश्चित किया जायेगा लेकिन उसमे वृद्धि के लिए स्थगित की गई अवधि को वार्षिक वृद्धि के लिए नही गिना जाएगा।

*** नियम ३४.** (ए)—एक राज्य कर्मचारी की वार्षिक वृद्धि रोकने या निम्न सेवा, श्रेणी या पद पर उसकी अवनति करने अथवा निम्न समय शृंखला या समय शृंखला में निम्न स्टेज पर पदावनत करने के दण्ड का आदेश जब अपील या निगरानी (Review) पेश करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है या संशोधित कर दिया जाता है तो राज्य कर्मचारी का वेतन, इन नियमों में कुछ दिए गए अनुसार, निम्न तरीके द्वारा नियमित किया जावेगा।

(क) यदि उक्त आदेश निरस्त (Set aside) कर दिया जाता है तो जितने समय तक वह आदेश प्रभावशील रहा, उतने समय तक का उन वेतनों का अन्तर वह प्राप्त करेगा जिसे वह प्राप्त करता यदि वह आदेश जारी नहीं किया जाता, एवं वह वेतन जिसे उसने प्राप्त किया,

---

+ वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ ७ ए (२७) एफ डी/ए/नियम/६०-१ दिनाक ३-१०-६० द्वारा परिवर्तित किया गया।

* वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (२७) एफ.डी./ए/आर/६०-II दिनाक ३-१०-६० द्वारा शामिल किया गया।

विशेष—कहने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक वेतन उसने प्राप्त किया है तथा ज वेतन उस प्रकार के आदेश के जारी न होने पर उसे मिलता, उन दोनों वेतनों की राशि का जो अन्तर होगा, वह उसे दिया जावेगा।

(ख) यदि उक्त आदेश संशोधित कर दिया जाता है तो वेतन इस तरह नियमित किया जायेगा जैसे कि मानों संशोधित आदेश ही प्रथम बार उस पर लागू किया गया हो।

विशेष—उक्त स्थिति में संशोधित आदेश को ही प्रारम्भ से प्रभावशील किया हुआ माना जावेगा।)

स्पष्टीकरण

यदि इस नियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के आदेशों के जारी करने से पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में एक राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया वेतन यदि पुनः दोहरा (Revised) दिया जाता है, तो अवकाश वेतन एवं भत्ते (यात्रा भत्तों के अतिरिक्त अन्य) यदि कोई हों, जो उसे उस समय में मिले हो, परिवर्तित (Revised) वेतन के अनुसार परिवर्तित किये जायेंगे।

+ **नियम ३५.** (१) अध्याय ६ के प्रावधानों की शर्त पर एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर कार्यवाहक रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह सावधि पद (टेन्योर पद) के अतिरिक्त स्थाई पद के मूल वेतन से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि उसकी कार्यवाहक नियुक्ति में सावधि पद (टेन्योर पद) के अतिरिक्त, उस पद के साथ संलग्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके अपने उस पद से भी अधिक हैं जिस पर वह अपना लीयन रखता है या जिस पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तो।

टिप्पणी

सरकार आदेश द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख कर सकती है जिसके अधीन केडर के बाहर कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों की साधारण ढंग से कार्यवाहक उन्नति की जा सकती है।

(२) इस नियम के लिये कार्यवाहक नियुक्ति में कर्तव्यो एवं उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जावेगा यदि वह पद, जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन की समय श्रंखला में है जिसमें कि सावधि पद को छोड़ कर, स्थाई पद हैं, जिस पर उसका लीयन है या जो अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता या जो उसी के समान वेतन श्रंखला में है।

नियम ३५ ए—(१) नियम ३५ व ३६ के प्रावधानों की शर्त पर एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह उस पद का प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा।

(२) वेतन वृद्धि या अन्यथा प्रकार से मूल वेतन में वृद्धि होने पर राज्य कर्मचारी

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ७ ए (३५) एफ. डी. (ग) नियम/६० दिनांक ३१-३-६१ द्वारा परिवर्तित किया गया।

का वेतन ऐसी वृद्धि की तारीख से उपनियम के अन्तर्गत इस रूप में पुनः निश्चित किया जावेगा कि मानों वह उस पद पर उस तारीख को ही कार्यवाहक रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, जहां पर ऐसा पुनः निर्धारण (Refixation) उसके हित में हो।

❀ परन्तु शर्त यह है कि नियम २६ के प्रावधान इस नियम के उपनियम (२) के अधीन वेतन के पुनर्निर्धारण (रिफिक्सेशन) के मामलों में लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—उपनियम (२) १-४-५८ से प्रभावशील है।

टिप्पणियां

१—इस नियम के लिए कार्यवाहक नियुक्तियों में कार्यों या उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जावेगा यदि वह पद जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन श्रृंखला में है जिसमें कि टेम्पोरेरी पद के अतिरिक्त अन्य स्थाई पद है व जिस पर उसका लीयन है या जिस पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं होता या उसी के समान वेतन श्रृंखला में है।

(२) अधिक कार्यवाहक वेतन वर्तमान कर्मचारियों को नहीं दिया जावेगा जहां पर कि वेतन श्रृंखला की दृष्टि से विभिन्न पद नए उम्मीदवारों के लिए एक वेतन श्रृंखला में मिला दिए गए हैं।

÷ अगला नीचे का नियम—"अगला नीचे नियम" के रूप में प्रसिद्ध स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तथा प्रचलित प्रथा को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने निम्न लिखित पथ प्रदर्शक नियमों को अपनाने की स्वीकृति दे दी है:—

(१) एक राज्य कर्मचारी को, जो अपनी नियत श्रेणी से बाहर हो, अपनी कार्यवाहक नियुक्ति गवा कर नुकसान नहीं उठाना चाहिए जिसे कि वह अपनी निश्चित श्रेणी में रहने पर प्राप्त करता।

(२) एक राज्य कर्मचारी से जो अपनी नियत श्रेणी के बाहर हो, छोटे कर्मचारी की कार्यवाहक नियुक्ति 'अगले नीचे नियम' के अन्तर्गत उसका हक नहीं बनाती है।

(३) इस प्रकार का हक स्थापित करने से पहिले यह आवश्यक होना चाहिये कि अन्य राज्य कर्मचारियों से वरिष्ठ सभी राज्य कर्मचारियों को, जो कि अपनी नियत श्रेणी से बाहर हो, पहिले कार्यवाहक उन्नति प्रदान की जानी चाहिये।

(४) यह भी आवश्यक है कि किसी राज्य कर्मचारी से नीचे के राज्य कर्मचारी को ही तरक्की प्रदान की जानी चाहिए सिवाय इसके कि किसी स्थिति में उसे कार्यवाहक उन्नति उसकी अकार्यकुशलता, अयोग्यता या अवकाश के कारण न दी गई हो।

❀ वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ़ १ (२०) एफ डी. (ए) नियम/६१ दिनांक १६-७-६२ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ५ (१) एफ आर/(५६) दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

(५) उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों में एक या एक से अधिक की स्थिति में, एक राज्य कर्मचारी से, जो कि अपनी नियत श्रेणी के बाहर हो, नीचे का राज्य कर्मचारी पर यह नियम लागू होना चाहिये तथा इस प्रकार अधिक नीचे के कुछ राज्य कर्मचारियों को भी कार्यवाहक उन्नति दी जानी चाहिये तथा बीच के राज्य कर्मचारी को, यदि कोई हो, तो इनमें से किसी एक कारण से उन्हें उन्नति नहीं दी जा सकती है।

(६) एक ऐसे मामले में यदि एक राज्य कर्मचारी को उच्च वेतन वाले पद पर कार्यवाहक नियुक्ति पर जाने से इसलिए रोक दिया जाता है कि उसे, जो अपनी साधारण श्रेणी के बाहर है कुछ समय के लिए उस पद से हटाना अव्यवहारिक है तो उसे पहले तीन माह तक अपने निम्न पद पर रोके रखने का कोई क्षतिपूरक भत्ता नहीं मिलेगा जब तक कि 'अगले नीचे के नियम' में दी गई शर्तों को पूरा न किया गया हो।

(७) यदि किन्ही मामलों में कार्यवाहक उन्नति पर जाने का समय तीन माह से अधिक का व्यतीत हो गया हो तो सम्बन्धित अधिकारी को तीन माह से अधिक जितना भी समय हो उसका उच्चतर वेतन वाले पद का वेतन दिया जायेगा परन्तु जहां तक सम्भव हो अधिकारियों को अधिक समय तक कार्यवाहक उन्नति से नहीं रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(८) सिवाय अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के किसी भी अधिकारी को जिस पर 'अगला नीचे का नियम' लागू नहीं होता है, लगातार ६ माह से अधिक निम्न वेतन वाले पद पर नहीं रोका जाना चाहिये क्योंकि उस तिथि के बाद वह उच्चतर पद पर लगातार कार्यवाहक रूप से काम करने का अधिकारी होता है।

(९) यदि कोई राज्य कर्मचारी जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से कार्यवाहक उन्नति से वंचित किया जाता है, चाहे वह राज्य कर्मचारी अपनी साधारण श्रेणी से बाहर या उसमें ही कार्य क्यों न करता हो, तथा उसके मामले में 'अगला नीचे के नियम' की शर्तें पूरी नहीं होती हों, तो उसके लिए उक्त (६) व (७) में दी गई हिदायतें लागू होगी।

* राज्य सरकार का निर्णय

उच्चतर पदों या अतिरिक्त पदों पर कार्यवाहक उन्नति के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग में बहुत से मामले प्राप्त किये जा रहे हैं।

(२) [१] उच्चतर पदों के स्थानापन्न काल के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की राशि राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३५ के द्वारा शासित होती है। इस नियम के खण्ड (क) के अनुसार जब कार्यवाहक नियुक्ति में अपने स्थाई पद से, जिस पर कि उसका लीयन है, सम्बन्धित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हों तो वह उस पद का प्रारम्भिक वेतन पाने का हकदार है।

[२] इस नियम के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या (२) के अनुसार साधारण मामलों में फिर भी, पूर्ण कार्यवाहक उन्नति दो या दो से अधिक माह तक रिक्त रहने वाले स्थान पर दी जा सकती है तथा जहां आवश्यक हो, विशेष कारणों से एक माह या उससे अधिक के लिए दी जा सकती है।

* वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ ३५ (५) आर/५१ दिनाङ्क २१-७-५१ द्वारा शामिल किया गया।

[३] एक माह से कम के समय के लिए औपचारिक रूप से ऐसे प्रबन्ध न किए जाने चाहिए जिसके कारण उन्नततर वेतन या अतिरिक्त वेतन का क्लेम करना पड़े।

एक माह या इससे अधिक समय के लिए लेकिन (२) मे कही गई सीमा से कम के लिए प्रबन्ध इस तरह करना चाहिये कि उसके चालू कार्य की वह देख भाल करे न कि उसकी कार्यवाहक नियुक्ति की जानी चाहिये।

[४] नियम ३६ मे दिया हुआ है कि एक कार्यवाहक राज्य कर्मचारी का वेतन उससे कम पर निश्चित किया जा सकता है जिसे वह नियम ३५ के अनुसार प्राप्त कर सकता है। यह नियम उस राज्य कर्मचारी को उस पद का पूर्ण वेतन देने से रोकने के लिए बनाया गया है जिस पर कि वह साधारणतया उन्नत नहीं किया जाता परन्तु विशेष परिस्थितियों मे उसकी उस उच्च पद पर कार्यवाहक उन्नति की गई है। यह आशा की जाती है कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी को, जब वह कार्यवाहक नियुक्ति करता हो, यह विचारना चाहिये कि क्या किसी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को पद का प्रारम्भिक वेतन दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। यदि किसी राज्य कर्मचारी को केवल उस पद का चालू कार्य देखने के लिए ही नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन नियम ३६ के नीचे दी गई 'टिप्पणी' के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।

(३) प्रबन्ध करने के लिए सक्षम अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३५ व उसके नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार स्पष्ट आदेश निकालने चाहिये कि क्या नियुक्ति कार्यवाहक नियुक्ति है या केवल चालू कार्य को देखने के लिए की गई नियुक्ति है। यदि कार्यवाहक नियुक्ति दो माह से कम समय के लिए की गई हो तो उसके कारणों का उल्लेख नियुक्ति आदेश मे दिया जाना चाहिये तथा यदि वेतन नियम ३५ के अनुसार मिलने वाले वेतन से कम पर निश्चित किया जाना हो तो शक्तियों की अनुसूचि की मद संख्या ७ के अन्तर्गत एक विशिष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिये।

+ स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमो के ३५ से ५० के क्षेत्र के एवं उन परिस्थितियों के सम्बन्ध मे सन्देह प्रकट किए गए है जिनके अधीन एक सक्षम अधिकारी द्वारा दोहरा प्रबन्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे सभी सन्देहों को दूर करने के लिए सरकार निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण एवं निर्देशन प्रसारित करती है:—

जब कोई पद रिक्त हो तो सक्षम अधिकारी के लिए निम्न तरीके खुले हुए है:—

(१) स्टाफ के अन्य सदस्यों मे कार्य को बांट देना तथा पद को खाली करना।

(२) नई नियुक्ति या उन्नति प्रदान कर स्थान की पूर्ति करना।

(३) किसी राज्य कर्मचारी को अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त उस पद का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करना।

जगह के रिक्त होने पर सक्षम अधिकारी को निर्णय करना चाहिए कि उपरोक्त बतलाए गए तरीको मे किस मामले मे कौनसा तरीका ठीक है। यदि पद एक माह से अधिक के लिए

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ (२८) एफ II/५५ दिनांक ९-८-६२ द्वारा शामिल किया गया।

तो उस पद का वेतन उस आवश्यक न्यूनतम (Minimum) रूप में निश्चित किया जावेगा जो कि उस पद पर योग्य व्यक्तियों को कार्य पर लाने में पर्याप्त हो सके।

नियम ४१. जब एक ऐसा अस्थाई पद सृजन होता है जो कि संभवतः राज्य सेवा में लगे राज्य कर्मचारी द्वारा भरा जा सके तो उसका वेतन निम्न को ध्यान में रख कर निश्चित किया जाना चाहिये—

(क) संपादन किये जाने वाले काम की प्रकृति एवं उसकी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुये।

(ख) एक स्तर के कर्मचारी का वर्तमान वेतन उस पद पर निर्वाचन के लिये पर्याप्त हो।

टिप्पणियां

(१) एक राज्य कर्मचारी जो कि "विशेष कर्तव्य" (Special duty) या प्रतिनियुक्ति पर (on deputation) पर जाता है उसे अपने अस्थाई पद का वेतन प्राप्त करना चाहिये जो कि उसे समय-समय पर मिलता रहता यदि वह इस प्रकार प्रति नियुक्त नहीं किया जाता। यदि स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार से प्रतिनियुक्त किया गया कर्मचारी शीघ्र ही उस अपने पद से जिस पर वह 'विशेष कर्तव्य' पर या प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, उच्च वेतन की दर वाले पद पर उन्नत हो जाता तथा ऐसे पद पर अनुमानतः उसी समय एक कम से कम कार्य करता रहता जितने समय तक उसके अस्थाई पद के चलने की आशा है, तो वह इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है तथा सम्पूर्ण समय तक के लिये एक समान वेतन निश्चित कर सकता है।

(२) ऐसे मामलों में अधिक वेतन स्वीकृत करने का मुख्य आधार काम की निश्चित रूपेण वृद्धि या उत्तरदायित्व का अपने उस पद के कार्यों की तुलना में सिद्ध करना है जिसे वह अपनी नियत श्रेणी में रहकर अन्यथा रूप से प्राप्त करता। जहां पर उत्तरदायित्व की जांच व्यावहारिक नहीं हो, वहां नियम ४० का अनुसरण किया जाना चाहिये।

(३) काम की या उत्तरदायित्व की अधिकता के कारण, सिवाय किन्हीं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, अतिरिक्त स्वीकृत किया गया वेतन उसके मूल वेतन के १/५ भाग या १०० रु.,इन में से जो कम हो, से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

(४) उन राज्य कर्मचारियों को जो उन पदों पर प्रतिनियुक्त किये गए हैं जिनका कार्य या उत्तरदायित्व उन्हीं पदों के समान है जिनको कि वे अन्यथा प्रकार से ग्रहण करते, उन्हें वेतन में कोई वृद्धि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिये चाहे उन्हें किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने के कारण क्षतिपूरक भत्ता मिलना चाहिये। इस तरह का एक सुन्दर उदाहरण उन लोगों का मिलेगा जो समितियों (कमेटी) या आयोगों (कमीशन) में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर भेजे जाते हैं। समितियों एवं आयोगों के सदस्यों के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये राज्य कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व उनसे अधिक नहीं है जिन्हें वे अपनी नियत श्रेणी में रहकर पूरा करते। एवं केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही अतिरिक्त पारिश्रमिक उचित ठहराया जा सकता है। फिर भी अपवाद स्वरूप मामलों में उक्त सिद्धान्तों में रियायत बरतनी पड़ेगी जहां पर कि कर्तव्यों को ध्यान में रखकर, यह आवश्यक होता है कि विशेष योग्यताओं के अधिकारी विशेष शर्तों पर लाये जावें।

(५) अस्थाई पदों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया जावेगा—साधारण कार्य को करने के लिए सृजित किए गए पद जिनके कि लिए एक केडर में पहिले से ही स्थाई पद मौजूद हैं अन्तर केवल इतना ही है कि नये पद अस्थाई है और स्थाई नहीं है, एवं दूसरे पद जो साधारण कार्य से असम्बद्ध विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए अलग से पद सृजित किये जाने चाहिये जिन्हें एक सेवा को करना पड़ता है। आखिरी किस्म के पदों का एक उदाहरण जांच कमीशन में एक स्थान का है। मौखिक परिभाषा द्वारा इनको पहिचाना जाना कठिन है परन्तु व्यवहार में व्यक्तिगत मामलों में पहिचान करने में बहुत ही कम कठिनाई आती है। पद की प्रथम श्रेणी को सेवा के केडर में एक अस्थाई वृद्धि के रूप में समझा जाना चाहिये चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त क्यों न हो। अस्थाई पदों की बाद की श्रेणी को अवर्गीकृत एवं पृथक–एक्स–केडर पद के रूप में समझी जानी चाहिये।

अस्थाई पद जिन्हें इस सिद्धांत से सेवा के किसी केडर में अस्थाई वृद्धि समझी जानी चाहिये, उन्हें बिना पारिश्रमिक के साधारण सेवा की समय श्रेणी में सृजित किया जाना चाहिये। इन पदों के कर्मचारी, इसलिये, अपनी साधारण समय श्रेणी का वेतन प्राप्त करेंगे। यदि किन्हीं पदों पर कार्य या उत्तरदायित्व का भार सामान्यतः अपने मूल केडर के कर्तव्यों की तुलना में अधिक हो तो इसके अतिरिक्त विशेष वेतन उनके लिए स्वीकृत किया जाना आवश्यक होगा।

पृथक एक्स–केडर पदों के लिए सामयिक तौर पर कभी वेतन की कुल एकत्रित राशि निर्धारित करना वांछनीय होगा। फिर भी जहां पद पर नियुक्ति सेवा में लगे कर्मचारियों में से की जाती हो तो पद को धारण करने वाले की समय श्रेणी में सृजित करना उचित होगा।

जांच निर्देशन

इन नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यों को मान्यता नहीं दी जावेगी। विशेष कार्य करने के लिये एक अस्थाई पद का सृजन कराना पड़ेगा। यदि विशेष कर्तव्य एक राज्य कर्मचारी के कर्तव्यों के साथ में कराये जाने हों तो नियम ४१ व ५० लागू होंगे।

अध्याय ५

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते (Addition ta pay)

नियम ४२.---सामान्य नियमों के अनुसार कि भत्ते, प्राप्त कर्ता को लाभ का पूर्ण साधन नहीं होता है, सरकार अपने नियन्त्रण के अधीन राज्य कर्मचारियों को ऐसे भत्ते स्वीकृत कर सकती है तथा उसकी राशि निर्धारित करने के लिए एवं उसको प्राप्त करने की शर्तों के बारे में नियम बना सकती है।

(इस नियम के अधीन बनाये गए नियमों के लिए परिशिष्ट १६, १७ व १८ देखें)

× नियम ४३ (क) काम करने एवं उसका शुल्क स्वीकार करने की स्वीकृति- नियम ४४ से ४९ के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन एक राज्य कर्मचारी को, गैर सरकारी व्यक्ति या निकाय या सार्वजनिक निकाय जिसमें स्थानीय निधि द्वारा प्रशासन किया जाता हो, का कार्य करने एवं उसका आवर्तक या अनावर्तक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक लेने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि उसकी सेवा लेना जरूरी हो तथा यदि वह उस कार्य को अपने राजकीय कर्त्तव्यों एवं दायित्वों में बिना बाधा पहुंचाए हुए कर सकता हो।

* टिप्पणी—हटा दी गई

(ख) शुल्क [फीस] स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक—सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी किसी निजि (प्राइवेट) या सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता है तथा उसका शुल्क (फीस) नहीं ले सकता है। यह सक्षम अधिकारी, केवल कर्मचारी के अवकाश पर रहने के अतिरिक्त, यह प्रमाणित करेगा कि उसके उपरोक्त कार्य करने में सरकारी कार्यों एवं जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की दखल नहीं होती है।

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें पारिश्रमिक (*Honorarium*) स्वीकृत किया जा सकता है—राज्य सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी कार्य के लिए संचित निधि से पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दे सकती है या उसमें से स्वीकृत कर सकती है यदि वह कार्य आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग का हो या इतना परिश्रम का हो या ऐसी विशेष योग्यता का हो, जिसके लिए ऐसा पारिश्रमिक देना उचित है। सिवाय इसके कि जब कोई विशेष कारण, जिनको कि लिखा जाना चाहिए, इस प्रावधान का उल्लंघन कराते हों किसी पारिश्रमिक स्वीकार करने या उसको लेने की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कार्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से न लिया जाय तथा इसकी राशि पहिले से ही तय नहीं की गई हो।

× राजस्थान सरकार के जांच निर्देशन

कभी कभी ये प्रश्न उठाये जाते हैं कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ (ग) के अन्तर्गत किसी राजपत्रित अधिकारी के लिए अधिक समय तक काम करने का पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उतने ही अधिक समय तक काम करने पर एक अराजपत्रित कर्मचारी को पारिश्रमिक स्वीकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (१३) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके कि अनुसार पारिश्रमिक केवल आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.डी.४६२१/५९/एफ/३१/एफ. डी. ए/नियम/५७ दिनांक २४-९-५९ द्वारा संशोधित किया गया।

* वित्त विभाग के आदेश सं. डी १ (१४) एफ.डी.ए (नियम) ६१/१ दिनांक २३-१०-६४ द्वारा हटाई गई।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ डी/६५५८/५९/एफ. ▪ ए.(३१) एफ. डी. ए (नियम) ५७ दिनांक ३०-९-६० द्वारा शामिल की गई।

के विशेष कार्य के लिए ही स्वीकृत किया जाता है । इससे स्पष्ट है कि जब एक राज्य कर्मचारी अपनी साधारण सेवा करता है तो उसे पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जाता है चाहे वह सामान्य समय से अधिक समय तक काम क्यों न करे । इसी प्रकार जब सेवायें साधारण सेवाओं के समान हो तो भी उसके लिए पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

फिर भी, लिपिक वर्ग से सम्बन्धित सदस्यों के मामले में जब एक कर्मचारी को अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में एक उचित समय तक असाधारण लम्बे समय तक कार्य करना पड़ता हो तो उसे सरकार प्रचलित पद्धति के अनुसार पारिश्रमिक स्वीकृत कर सकती है । किसी भी राज पत्रित अधिकारी के लिए किसी भी कार्य का पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जो कि उसकी सामान्य सेवाओं का हिस्सा हो या उसके समान हो यद्यपि चाहे वह कार्यालय समय के बाद भी कार्य करता हो । इसलिए इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार को कभी भी राज पत्रित अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए ।

विशेष – उक्त हिदायत से स्पष्ट है कि राजपत्रित अधिकारी पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं है (अतः उन्हें इसके लिए आवेदन आदि नहीं करना चाहिए)

❀ निर्देशन सं० २—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या नियम ४३ (ग) के अधीन किसी राज्य कर्मचारी को, जो अपने पद की सामान्य सेवा (ड्यूटी) के साथ में अन्य स्वीकृत पद की सेवाओं को भी पूरा कर रहा हो, पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है ।

पारिश्रमिक की परिभाषा राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (१३) में आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग के विशेष कार्य के लिए राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि से पारिश्रमिक के रूप में किसी राज्य कर्मचारी को आवर्तक या अनावर्तक भुगतान के रूप में की गई है । जब एक पद स्वीकृत किया जाता है तो उसकी सेवाएं मुश्किल से ही आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग की मानी जा सकती है । अतः जब अपने कार्य के अतिरिक्त, एक राज्य कर्मचारी से दूसरे स्वीकृत पद की सेवाओं को पूरा करने के लिए कहा जाय तो उसे अतिरिक्त कार्य करता हुआ समझना चाहिए जो कि आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग की नहीं है, चाहे उसे ऐसी अतिरिक्त सेवाओं को थोड़े समय के लिए करने के लिए ही कहा जाय । इसलिए एक कर्मचारी को जब भी अपने पद के अतिरिक्त एक स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिये कहा जाय तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ (ग) के अन्तर्गत पारिश्रमिक नहीं मिल सकेगा ।

पूर्व के मामले जो पहिले अन्यथा प्रकार से तय किये जा चुके हैं, उन्हें पुनः खोलने की जरूरत नहीं है ।

+ राजस्थान सरकार के निर्णय

निर्णय संख्या १—राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ (ग) के अन्तर्गत कोई भी राज्य कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी कार्य को नहीं ले सकता है तथा उसका पारिश्रमिक स्वीकार नहीं कर सकता है । सामुदायिक विकास में लगा हुआ क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (फील्ड स्टाफ) एवं ग्राम सेवक, विकास अधिकारी जैसे व्यक्ति 'पंचायती राज' पत्रिका में पत्रों

❀ वित्त विभाग के मेमोरेन्डम संख्या एफ ७ ए (३८) एफ डी ए (नियम) ६०-१ दिनांक २-१-६१ द्वारा सम्मिलित किया गया ।

+ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ १ (१३) एफ.डी (व्यय-नियम) ६४-१ दिनाङ्क १३-४-६१ द्वारा शामिल किया गया ।

एवं सेवाओं के रूप में प्रकाशन सामग्री दे सकते हैं जो कि सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय के माध्यम से निकाला जाता है। तथा वे उसका पारिश्रमिक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में प्राप्त करते हैं। जैसा कि उक्त नियम में चाहा गया है।

राज्य सरकार ने मामले पर विचारकर अपनी यह राय बनाई है कि उक्त कार्य को लेने एवं उसके पारिश्रमिक को स्वीकार करने की आज्ञा सक्षम अधिकारी से प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में प्राप्त करने में बड़ा देर व असुविधा होती है इसलिए सरकार आदेश देती है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नियोजित क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (फील्ड स्टाफ) जो उपरोक्त पत्रिका में पत्रों एवं लेखों के रूप में योगदान करते हैं, उन्हें ऐसा करने तथा उसका पारिश्रमिक स्वीकार करने की आज्ञा दी जाती है।

× निर्णय सं० २—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में पूर्ण समय के लिए नियुक्त अध्यापन वर्ग या आंशिक समय के लिए नियुक्त अध्यापन वर्ग को जिसे कि अध्यापन सेवाओं के लिए विशेष वेतन मिलता हो,उक्त संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में लिए जाने वाले टेस्टों व परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र बनाने,उत्तर पुस्तिकायें जांचने या व्यवहारिक परीक्षा लेने आदि का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक के रूप में नियम ४३ (ग) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है।

मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पूर्ण समय या आंशिक समय के लिए नियुक्त किये गये अध्यापन वर्ग के कर्मचारियों को प्रश्न पत्र बनाने,उत्तर पुस्तिकाएं जांचने या व्यवहारिक परीक्षा लेने आदि का कोई भी पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसी संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में नियुक्त अध्यापन वर्ग की यह अध्यापन सेवाओं में शामिल है। फिर भी उन लोगों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता रहेगा जो इन संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।

+ निर्णय संख्या ३—विषय-राजकीय विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुशायरों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारियों द्वारा भाग लेना तथा उसका उन्हें पारिश्रमिक देना—

राज्य कर्मचारी जो कि कवि या कलाकार हैं, उन्हें समय पर सार्वजनिक संपर्कालय तथा अन्य कुछ विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुशायरों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जाता है तथा उनकी सेवा के लिये उन्हें संचित निधि से पारिश्रमिक दिया जाता है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४२ के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना एक कार्यालय में कार्य करते हुये दूसरे कार्यालय का कार्य नहीं ले सकता है तथा न उसका पारिश्रमिक ही स्वीकार कर सकता है।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२३) एफ. डी. (व्यय-नियम) ६४ दिनांक १५-९-६४ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १ (३४) एफ. डी. (व्यय-नियम) ६४ दिनांक १७-९-६४ द्वारा शामिल किया गया।

मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उन राज्य कर्मचारियों को, जिन्हें सार्वजनिक सम्पर्कालय या ऐसे उत्सव मनाने वाले अन्य विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुशायरों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने को बुलाया जाता है, निम्न शर्तों के आधार पर उनमें भाग लेने की स्वीकृति दी हुई समझी जाती है—

(१) किसी एक अवसर पर राज्य कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक २५ रु. से ज्यादा न हो तथा एक माह में ५० रु. से ज्यादा का न हो।

(२) सार्वजनिक सम्पर्क संचालनालय या ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले राज्य विभागों के कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने पर इन आदेशों के अधीन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

शुल्क एवं पारिश्रमिक (Fees and Honoraria)

(घ) **स्वीकृति के कारणों को लिखा जावे**—शुल्क एवं पारिश्रमिक दोनों ही मामलों में स्वीकृति प्रदान करने वाला लिखित में यह उल्लेख करेगा कि नियम १३ में वर्णित सामान्य सिद्धान्तों का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा वह उसमें उन कारणों का भी उल्लेख करेगा कि जो उसकी राय में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिलाने के लिए पर्याप्त हों।

पारिश्रमिक की स्वीकृति राज्य कर्मचारी को केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है कि उसके कार्य में अस्थाई वृद्धि हो गई है अर्थात् जैसे कि उसके विभाग के तत्वाधान में विशेष सम्मेलन हो रहा हो। ऐसी अस्थाई कार्य वृद्धि राजकीय सेवा की साधारण घटना है तथा उन्हें पूरा करने में राज्य कर्मचारी का कर्तव्य बँध होता है। अतः परिणामस्वरूप उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है।

जांच निर्देशन

जांच अधिकारियों के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में उन्हें पारिश्रमिक या शुल्क स्वीकृत करने के कारण भेजे जायेंगे ताकि वे स्वीकृति की औचित्यता की जांच कर सकें।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या परसनल एसिस्टेन्ट (निजि सहायक), निजि सचिव/स्टेनोग्राफर (शीघ्र लिपिक) आदि जो कि कुछ निगमों/कम्पनियों के संचालक मण्डलों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत अधिकारियों के साथ लगे होते हैं, उन्हें इन संस्थाओं से शुल्क के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है चूंकि ये उन अधिकारियों का कार्य करते हैं जिनके कि साथ वे संलग्न है और जो इन मण्डलों के कार्यों को पूरा करने के लिये मनोनीत हुये हैं। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय किया जाता है कि वे उन राज्याधिकारियों के साथ इन मण्डलों के कार्य के पूरा करने का कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या ६१३८ एफ/७ ए (३४) एफ डी ए/नियम दिनांक ३१-१२-५७ द्वारा शामिल किया गया।

× स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमो के परिशिष्ट ९ के क्रम संख्या ९ पर दिखाई गई सीमा तक ऐसे कार्य लेने तथा पारिश्रमिक स्वीकृत करने या लेने की शक्ति प्रदान कर दी गई है जिसके कि लिये पारिश्रमिक दिया जाता है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रश्न उठाये गये हैं—

(१) क्या ऐसे मामलों मे जिनमे कार्य लेने की स्वीकृति तथा पारिश्रमिक के स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी पारिश्रमिक स्वीकृत करने मे सक्षम अधिकारी से भिन्न हो, (ऐसे मामले उदाहरण के रूप मे जहा एक राज्य कर्मचारी एक विभाग मे कार्य करता है तथा दूसरे विभाग का कार्य स्वीकार करता है) वित्त विभाग की स्वीकृति, ऐसे कार्यों को लेने तथा उनका पारिश्रमिक स्वीकार करने के लिये, प्राप्त करनी आवश्यक होगी जिनमे कि निर्धारित सीमा राजस्थान सेवा नियमो के परिशिष्ट ९ की क्रम संख्या ९ मे दी हुई से अधिक है, तथा

क्या ऐसे मामलो मे दो आज्ञाए' जरूरी होगी जिनमे एक कार्य को लेने तथा उसका पारिश्रमिक स्वीकार करने की स्वीकृति उधार देने वाले अधिकारी द्वारा निकाली जावेगी तथा दूसरी पारिश्रमिक के रूप मे निर्धारित राशि स्वीकृत करने की उधार देने वाली अधिकारी द्वारा निकाली जायेगी।

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलो मे उधार देने वाला अधिकारी, यह निर्णय लेने के बाद कि अपनी साधारण कार्यालय की सेवाओ एवं उत्तरदायित्वों मे बिना बाधा पहुँचे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को कार्य लेने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है, वह उधार लेने वाले विभाग को अपनी अनुमति भेज देगा जिसमे वह अतिरिक्त कार्य लेने एवं पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति होगी। वह इसके साथ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ (घ) के अन्तर्गत चाहा गया प्रमाण पत्र भी भेजेगा। एवं इसके बाद उधार लेने वाले अधिकारी को पारिश्रमिक की एक स्वीकृति जारी करेगी उसमे वह (१) उपरोक्त ४३ (घ) मे चाहा गया प्रमाण पत्र तथा (२) इस सम्बन्ध के प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा कि स्वीकृति उधार देने वाले अधिकारी की स्वीकृति से जारी की गई है।

जहा एक सक्षम अधिकारी को अपने कर्मचारियों मे से किसी एक के लिए पारिश्रमिक स्वीकृत करना हो तो उसकी स्वीकृति मे ४३ (घ) मे निर्धारित प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा जो कि स्वतः ही उस कार्य को लेने तथा पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

अवतरण २ एवं ३ में कहे गये प्रकार के मामलो मे उधार लेने वाले अधिकारी को स्वीकृति वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी करनी चाहिये यदि पारिश्रमिक की मात्रा परिशिष्ट ९ के क्रम सं. ९ से अधिक हो।

❀ स्पष्टीकरण

नियम ४३ (घ) के नीचे एक निर्णय द्वारा चाहा गया है कि किसी दूसरे विभाग के कार्य

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ ७ ए (३८) एफ. डी. ए/नियम/६०-II दिनांक २-१-६१ द्वारा शामिल किया गया।

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (६६) एफ डी.ए (नियम ६२)[·ता ५-१०-६२ द्वारा शामिल किया गया।

को लेने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने में राज्याधिकारियों द्वारा उधार देने वाले विभाग (Lending Deptt.) की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ (ब) में दिया हुआ है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी प्राइवेट या सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति के कार्य को नहीं ले सकता है और न उसके बदले में कोई फीस ही स्वीकृत कर सकता है। इन प्रावधानों से कुछ मामलों में अनावश्यक देर हो गई है। सरकार ने सामान्य रूप से विचार किया है तथा उसकी राय है कि राजस्थान जन सेवा आयोग, विश्व विद्यालयों एवं सरकारी विभिन्न विभागों आदि द्वारा जो परीक्षायें ली जाती हैं उनके सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कार्य करने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति प्रदान करना जरूरी नहीं है। इसलिये सरकार आदेश देती है कि सरकार का एक अधिकारी जो निम्नलिखित परीक्षा लेने वाले निकायों द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिये बुलाया जाता है वे इस शर्त के साथ कार्यभार व उसका पारिश्रमिक स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसा कार्य उनके साधारण कार्यों में कोई बाधा नहीं डालता—

(१) राजस्थान के विश्व विद्यालय।

(२) राजस्थान जन सेवा आयोग एवं केन्द्रीय जन सेवा आयोग।

(३) आचार्य, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर।

(४) राज्य सरकार के अन्य विभाग।

÷ **नियम ४४. चिकित्सा अधिकारियों द्वारा फीस स्वीकार करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति**—शर्तों एवं सीमाओं के लिये अलग से नियम हैं जिनके कि अनुसार व्यवसायात्मक चिकित्सा के लिये एवं व्यवसायात्मक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिये फीस राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

× नियम ४५—हटा दिया गया।

× नियम ४६—हटा दिया गया।

नियम ४७—सरकार को शुल्क कब जमा कराना चाहिए:—जब तक सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा प्रकार से आदेशित न करे, २५०) रु० से अधिक राशि का १/३ भाग अथवा वह शुल्क यदि आवर्तक हो, २५०)रु० की वार्षिक राशि जो कि राज्य कर्मचारी को दी जाती है, उससे अधिक राशि का १/३ भाग सामान्य राजस्वों में जमा करा देना चाहिए।

टिप्पणियां

(१) यह नियम विश्व विद्यालय या अन्य परीक्षण संस्था से, उनकी परीक्षक के रूप में की गई

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या १ (२४) एफ.डी. (नि) नियम/६१-१ दिनांक २३-१०-६१ द्वारा परिवर्तित किया गया।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या १ (२४) एफ.डी. (नि) नियम/६१-१ दिनांक २३-१०-६१ द्वारा हटाए गये।

सेवाओं के परिणामस्वरूप राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए शुल्कों पर लागू नहीं होगा।

(२) राज्य कर्मचारी किसी अदालत के सम्मुख तकनीकी मामलों में दक्ष सलाह देने के कारण जो शुल्क प्राप्त करता है, वह उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है।

(३) आवर्तक तथा अनावर्तक शुल्क अलग अलग समझे जाएँगे तथा उन्हें इस नियम के अन्तर्गत सामान्य राजस्व में १/३ हिस्सा जमा कराने के लिए शामिल नहीं किया जावेगा। पूर्व के मामले में २५० रु० की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लागू समझी जानी चाहिए तथा बाद के मामले में वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तक शुल्क के योग के अनुसार सीमा लागू होगी।

× राजस्थान सरकार के निर्णय

एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) केडर के राज्याधिकारियों पर भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४७ के प्रावधान तथा वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ (२६) (३०) एफ १/५४ दिनाङ्क १-१०-५४ को लागू होंगे।

मामले की जाँच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के केडर के अधिकारियों के मामले निम्न दोहराए गए एफ. आर. एवं एस. आर. प्रावधानों द्वारा निपटाए जायेंगे जो कि नियम ४७ व वित्त विभाग के उक्त मीमो के समान है।

एस आर १२-जब तक राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा अन्यथा प्रकार से निर्देश न दें २५०) रु० से ज्यादा कोई भी १/३ फीस, तथा यदि आवर्तक फीस हो तथा २५० रु० वार्षिक राज्य कर्मचारी को दी जाती हो तो उसकी १/३ फीस सामान्य राजस्व में जमा करादी जावेगी।

❀ निर्णय संख्या २—(१) राज्य अधिकारी जो सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कम्पनियों, सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थाओं के संचालक मण्डलों की बैठकों में उपस्थित होते हैं, उन्हें ऐसी संस्थाओं से दिए गए शुल्क तथा पारिश्रमिक को प्राप्त करना चाहिए तथा कुल राशि को राज्य के सामान्य राजस्व में जमा करा देना चाहिए।

(२) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ २६ (३०) १/५४ दिनाक १-१०-५४ जो कि राज्याधिकारियों की ऐसी संस्थाओं के संचालकों की बैठकों में भाग लेने पर फीस की स्वीकृति के बारे में है, उसे रद्द समझा जावे।

+ (३) फिर भी ऐसे अधिकारी कम्पनियों द्वारा स्वीकृत किया गया यात्रा भत्ता स्वयं रखेंगे। किन्तु सरकार से वे कोई भी यात्रा भत्ता का क्लेम नहीं कर सकेंगे। यह अधिकारियों के ध्यान रखने की बात होगी कि कम्पनियों द्वारा उन्हें उचित यात्रा भत्ता दिया जावे। ऐसे मामलों में यात्रा भत्ते में कोई पारिश्रमिक की राशि शामिल नहीं की जानी चाहिए।

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ ११ (११) एफ ११/५५ दिनाक ३-६-५५ द्वारा शामिल किया गया।

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या ३८२६/एफ ७ ए (३४) एफ डी. ए /नियम/५७ दिनाक ३१-१०-५७ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ७ (ए) (३४) एफ.डी.ए./नियम/५७ दिनाक ५-६-५६ द्वारा परिवर्तित किया गया।

× (४) स्थानीय बैठकों के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों को सवारी व्यय अपने पास रखने का अधिकार है जहां पर ऐसा व्यय कम्पनियां देती हो। यदि कम्पनी इत्यादि के नियमों के अनुसार सवारी व्यय आदि नहीं मिल सकता हो तो राजकीय संचालकों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने पर ५ रु० सवारी व्यय सम्बन्धित विभागों की फुटकर (कन्टिन्जेन्सी) । निधियों में से दिया जा सकता है।

⊛ **निर्णय संख्या ३**–एक प्रश्न पैदा किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी को, जिसे अध्ययन पाठय-क्रम चालू रखने के लिए या किसी व्यवसायात्मक या तकनीकी विषयों में अध्ययन करने के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा जिसे अपने अवकाश वेतन के अतिरिक्त छात्रवृति या स्टाइपन्ड राजकीय या अराजकीय स्त्रोत से मिलता है, नियम ४७ के अन्तर्गत स्टाइपन्ड का १/३ भाग सरकार को जमा कराना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से छात्रवृति या स्टाइपन्ड [वजीफा] के रूप का कोई भी भुगतान नियम ७ (१३) के अन्तर्गत 'पारिश्रमिक' माना जाता है। केवल उसी समय जब राज्य कर्मचारी उक्त दोनों साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन द्वारा छात्रवृत्ति या स्टाइपण्ड प्राप्त करता हैं, उसे फीस के रूप में समझा जावेगा

अब यह निर्णय किया गया है कि अध्ययन अवकाश या अन्य अवकाश काल में अध्ययन पाठ्यक्रम चालू रखने या किसी व्यवसायात्मक या तकनीकी विषय में अध्ययन के लिये यदि कोई भी राज्य कर्मचारी भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य साधन से छात्रवृति या स्टाइपन्ड (वजीफा) प्राप्त करेगा, उसमे से नियम ४७ के अधीन कोई कटौती नहीं की जावेगी।

+ **निर्णय संख्या ४**–मीमो दिनांक २४–६–५६ के द्वारा विस्तृत किए गए नियम ७ (६) के अन्तर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक से प्राप्त आय, यदि ऐसे प्रयत्न राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में प्राप्त किये गए ज्ञान से समर्थित है, 'फीस' होती है, जब ऐसी आय भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य साधन से होती है तथा वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४७ के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है। अब यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने सेवा काल में प्राप्त ज्ञान की सहायता से कोई पुस्तक लिखे तथा वह पुस्तक केवल सरकारी नियमों, नियमितताओं या पद्धतियों का संकलन मात्र न हो बल्कि लेखक की बुद्धिमता को प्रकट करे तो ऐसी पुस्तकों के बेचने तथा उनकी रायल्टी से होने वाली आमदनी पर नियम ४७ लागू नहीं किया जाना चाहिए इसलिए ऐसे मामलों में नियम ४७ में छूट

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (५३) एफ.डी./ए./नियम/६० दिनांक २८-२-६२ द्वारा परिवर्तित किया गया।

⊛ वित्त विभाग के आदेश सं ७८३/एफ. ७ ए. (५०) एफ. डी. ए./नियम/५६ दिनांक १६–३–६० द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या २५३६/एफ ७ ए (२४) एफ.डी/नियम/६० दिनाक १-७-६१ द्वारा शामिल किया गया।

देने की सिफारिश करते समय उक्त सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए। यह भी निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम ४८ के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मे उसके द्वारा निकाले गए आविष्कार से प्राप्त होने वाली आमदनी को नियम ४७ के अन्तर्गत नही लाया जावेगा।

+ *निर्णय संख्या ५—राजस्थान सेवा नियमो के नियम ४७ के अन्तर्गत शक्तियों के* प्रयोग मे सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियो को (१) उनके द्वारा परीक्षक, पेपर सेटर, सुपरिन्टेण्डेन्ट, निरीक्षक (इनविजिलेटर) या जाच कर्ता के रुप मे दी गई सेवाओ के बदले विश्व विद्यालय, शिक्षा बोर्ड या अन्य परीक्षा लेने वाली संस्था से प्राप्त की गई फीसो के सम्बन्ध मे व (२) अपने कार्य मे बिना रुकावट डाले नगर पालिकाओं, ग्राम्य स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, पंचायत समितियो से उनकी सेवाओ की फीस प्राप्त करने के बारे मे छूट दे दी है।

फिर भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ के प्रावधान लागू रहेंगे तथा नियम ४१ के प्रावधान के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना उपरोक्त अवतरण के अधीन कोई कार्य नही लिया जावेगा तथा न कोई शुल्क ही स्वीकार किया जावेगा।

टिप्पणी

विश्व विद्यालय या अन्य परीक्षा संस्था में परीक्षक के रुप मे काम करने पर जो राज्य कर्मचारी अपनी सेवाओ के बदले शुल्क प्राप्त करता है उन पर उपरोक्त नियम लागू नही होता है।

÷ **नियम ४८. बिना विशेष आज्ञा के स्वीकार किया जाने वाला भुगतान—** राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी राज्य कर्मचारी बिना विशेष स्वीकृति के निम्न राशि प्राप्त करने एवं उसे अपने पास रखने का हकदार है:—

(क) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निबन्ध या योजना के लिए दिया गया अनुदान।

(ख) न्याय के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अपराधी को गिरफ्तार कराने या कोई सूचना देने या विशेष सेवा करने के लिए कोई इनाम प्राप्त किया हो।

(ग) किसी अधिनियम या नियमनों या उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई इनाम जो दी जाने वाली हो।

(घ) कस्टम एवं आबकारी (एक्साइज) नियमों के प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के लिए स्वीकृत इनाम।

(ङ) किसी विशेष या स्थानीय नियम अथवा सरकार के आदेश द्वारा सरकारी हैसियत मे पूरी की जाने वाली सेवाओं के लिये किसी राज्य कर्मचारी को भुगतान किया जाने वाला शुल्क।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.७ ए (४८) एफ.डी/ए/नियम/६० दिनांक ३१-३-६१ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या डी./५४६७/५९/एफ. ७ ए (४०) एफ. डी. १/नियम/५६ दिनांक ६-११-५९ द्वारा संशोधित किया गया।

+ (च) राजस्थान एवार्ड आफ कैस प्राइजेज टू गवर्नमेंट सर्वेन्ट रूल्स १९६० के अधीन सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा इनाम में दी गई नकद इनामें।

÷ राजस्थान सरकार का निर्णय

राज्य कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय आकाशवाणी (All India Radio) कार्यक्रमों में भाग लेने तथा उनको उसका पारिश्रमिक स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान करने से सम्बन्धित प्रश्न की जांच सरकार द्वारा गृह मन्त्रालय भारत सरकार के अपने पत्र संख्या २५।३२।५६ स्था/ए दिनांक १५-१-५७ द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार की गई। यह निर्णय किया गया है कि यदि प्रसारण शुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रकृति के हों तो उन्हें अखिल भारतीय आकाशवाणी से प्रसारण के लिये कोई आज्ञा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में यह निश्चय करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर होगी कि अमुक प्रसारण ऐसी प्रकृति के हैं या नहीं।

यह सरकार भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथा से सहमत हो गई है जिसके अनुसार एक सरकार द्वारा अन्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों को किये गये सभी भुगतान 'पारिश्रमिक' व शुल्क के रूप में माने जाने हैं एवं उसके किसी भी भाग की वसूली उसे फीस मान कर नही की जा सकेगी।

यह और भी निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले जिनमें प्रसारण की कोई स्वीकृति की जरूरत न हो, उनमें राज्य कर्मचारी को पारिश्रमिक प्राप्त करने में भी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती है। जिन मामलों में प्रसारण की स्वीकृति लेना आवश्यक हो, वहां ऐसी स्वीकृति में, यदि दी जा चुकी हो, उसके पारिश्रमिक की स्वीकृति भी शामिल की हुई समझी जानी चाहिये।

नियम ४९. अनुसंधान कार्य में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकार प्राप्त करने में रोक—एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवायें वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने की हों, सरकार की स्वीकृति के तथा उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के बिना वह अपने द्वारा किये गये नये आविष्कार के स्वाधिकार प्राप्त करने के लिये निवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा। न वह किसी अन्य व्यक्ति को निवेदन करने के लिये या प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४९) एफ. डी. ए. (नियम) ६१ दिनांक १-११-६१ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० ६१३८ एफ/७ए (३४) एफ.डी.ए. (नियम) दिनांक ३१-१२-५७ द्वारा शामिल किया गया।

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

नियम ५०. नियुक्तियों का समन्वय—सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी भी एक समय में दो या दो से अधिक स्वतन्त्र पदों पर स्थाई, अस्थाई या कार्य-वाहक रूप से एक साथ काम करने के लिये नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियमित होगा।

(क) **एक से अधिक पद ग्रहण करने पर वेतन का नियमन**—वह उन पदों में से अधिकतम वेतन वाले पद का अधिकतम वेतन प्राप्त कर सकता है क्योंकि यदि वह उस अकेले पद पर कार्य करता तो उसे प्राप्त करता। वह उस वेतन को पद की अवधि तक प्राप्त कर सकता है।

(ख) प्रत्येक अन्य पदों के लिये वह ऐसा उचित वेतन प्राप्त करेगा जो कि जैसा सरकार निर्धारित करे, उस पद के आरम्भिक वेतन के १/५ भाग से ज्यादा नहीं होगा।

टिप्पणी

नियम ५० (ख) के अन्तर्गत जो वेतन स्वीकृत किया जाता है वह विशेष वेतन नहीं है बल्कि नियम ७ (२४) (१) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन होता है।

(ग) यदि एक या एक से अधिक पदों के साथ क्षतिपूरक या सिम्पचुरी भत्ते दिये जाते तो वह, जैसा सरकार निर्धारित करे, ऐसे क्षतिपूरक भत्ते व सिम्पचुरी भत्ते भी प्राप्त कर सकता है। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे भत्ते सभी पदो के साथ संलग्न क्षतिपूरक एवं सिम्पचुरी भत्तो के कुल योग से ज्यादा नही होंगे।

(इसके अलावा १ से ५ तक टिप्पणिया नियम ५० (क) व नियम ५० (ख), जाच निर्देशन एवं राजस्थान के निर्णय वित विभाग के अन्तिम आदेश संख्या एफ. ८ (२८) एफ II/५५ दिनांक ९-८-६२ एवं पूर्ववर्ती आदेशो द्वारा हटा दिये गये है। तथा अन्त मे निम्न शामिल किया जावे)

"इस सम्बन्ध मे देखिये नियम ३१ के नीचे वित्त विभाग का स्पष्टीकरण जो वित्त विभाग के आदेश संख्या ९-८-६२ द्वारा शामिल किया गया है।"

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति (Deputation out of India)

नियम ५१. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार नियमित होगा—जब कोई

वह प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसलिये प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये सरकार द्वारा भेजे जाने वाले राज्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की शर्तों को स्वीकृत कराने में साधारणतया निम्न बातों से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये—

(क) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद कम से कम उसे तीन साल तक सेवा करनी चाहिये एवं उस अवधि तक उसे सेवा से मुक्त (रिटायर) करने की आशा नहीं करनी चाहिये।

(ख) यदि कोई राज्य कर्मचारी सरकार की अस्थाई सेवा में नियुक्त हो तो प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद कम से कम तीन साल तक उसके राजकीय सेवा में रहने की सम्भावना होनी चाहिये तथा उसे लिखित में इस बात का एक प्रतिज्ञा पत्र देना चाहिये कि वह उतने समय के लिये राज्य सरकार की सेवा करने में सहमत है।

(ग) उसे कम से कम ५ साल की सेवा पूरी कर लेनी चाहिये। इस अवधि में ऐसी दशा में फिर भी रियायत की जा सकती है जहां प्रशिक्षण की प्रकृति इस प्रकार के प्रतिबन्ध पर बल न देती हो दूसरे शब्दों में जहां व्यक्ति इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया हो कि उनको नियमित कर्तव्यों (ड्यूटी) पर लगाने से पूर्व प्रशिक्षण के लिये जाना चाहिये।

(घ) ऐसे मामलों में १८ माह की प्रतिनियुक्ति का समय साधारणतया उचित रूप से अधिकतम समय समझा जाना चाहिये।

यदि विदेश में प्रशिक्षण का सम्बन्ध डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने से हो तो प्रशिक्षण के प्रथम ६ माह उपरोक्त अवतरण १ में दी गई शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्ति के रूप में समझा जावेगा। शेष समय निम्न शर्तों पर 'विशेष अवकाश' (Special leave) की स्वीकृति द्वारा नियमित किया जावेगा—

(१) विशेष अवकाश का समय उन्नति के लिए सेवा के रूप में गिना जावेगा, तथा यदि कर्मचारी पेन्शन प्राप्त करने वाली सेवा में है तो वह समय पेन्शन के लिये भी गिना जावेगा।

(२) 'विशेष अवकाश' राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखे (Account) में से नहीं काटा जावेगा।

(३) विशेष अवकाश काल का 'अवकाश वेतन' राज्य कर्मचारी के अर्द्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) के लिये स्वीकृत अवकाश वेतन के बराबर होगा।

(४) विशेष अवकाश के समय में कोई मंहगाई भत्ता नही मिल सकेगा।

(५) मकान किराया भत्ता उपरोक्त अवतरण १ (३) के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जावेगा।

एक राज्य कर्मचारी जो भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त हो जाता है तो वह प्रशिक्षण के समय का ध्यान न रखते हुये इस अध्याय के अन्त में संलग्न एक फार्म में प्रतिज्ञा पत्र (Bond) भरेगा। बॉंड में जिस कुल राशि को लौटाने का विशिष्ट उल्लेख किया जावेगा उसमें सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को दी गई कुल राशि जैसे वेतन एवं भत्ते, अवकाश वेतन, फीस की राशि, यात्रा एवं अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एवं सम्बन्धित विदेशी सरकार या एजेन्सियों द्वारा सहन किये गये प्रशिक्षण के व्यय आदि शामिल होंगे। विदेश में प्रशिक्षण

लिये प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा भरा गया बोंड नियुक्ति करने वाले अधिकारी की सुरक्षा में रखा जावेगा।

जिस किसी भी राज्य कर्मचारी को विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत देश के बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, उसकी जांच एक समिति द्वारा होगी जो कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव (व्यय) एवं सम्बन्धित विभाग के सचिव से मिलकर बनेगी। यदि आवश्यक हो तो समिति सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को भी सहवरित (Co-opt) कर सकती है।

व्यक्तिगत मामलों में उपरोक्त प्रतिनियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में वास्तविक स्वीकृतियां केवल वित्त विभाग (व्यय) की सहमति से ही जारी की जानी चाहियें।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होंगे। इन आदेशों के जारी होने की तारीख से या उसके बाद से प्रशिक्षण पर रवाना होने वाले राज्य कर्मचारियों के मामले इसमें दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही नियमित होंगे। इन आदेशों के विपरीत अन्यथा प्रकार से जो मामले पूर्व में तय हो गये हों उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं।

❀ निर्णय संख्या २—राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५१ के नीचे दिये गये राजस्थान सरकार के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उन मामलों में भी बोंड भराने की जरूरत समझी जावेगी जिनमें कि प्रशिक्षण का समय (देश से प्रशिक्षण स्थान तक आने जाने के समय को निकाल कर) ६ माह से ज्यादा का न हो तथा पूर्ण समय पूर्ण वेतन पर प्रतिनियुक्ति का समय समझा जावे। यह निर्णय किया गया है कि विदेश में प्रशिक्षण के सभी मामलों में जो कि, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि प्रतिनियुक्ति के समय को प्रतिनियुक्ति या विशेष अवकाश के रूप में माना जाय, नियम ५१ के नीचे दिये गये राजस्थान सरकार के निर्णय से नियमित किये जाते हैं उनके अनुसार प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को बोंड भरने के लिये कहा जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में बोंड अध्याय के अन्त में दिये गये फार्मों में भराया जाना चाहिये।

÷ स्पष्टीकरण

एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता किस प्रकार नियमित किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे राज्य कर्मचारी प्रथम ६ माह का अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर, जो कि राजस्थान सरकार के निर्णयानुसार 'प्रतिनियुक्ति' का माना जाता है, मकान किराया भत्ता राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४३ (क) की शर्तों के पालन करने की शर्तों पर प्राप्त करने का हकदार होगा। ये शर्तें उस प्रशिक्षण काल में स्वीकृत नहीं किये जावेंगे जो कि विशेष अवकाश या औसतन वेतन पर अवकाश / उपार्जित अवकाश के रूप में माना जाता है।

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या ६४८२ (५९) एफ. १० (१०) एफ II/५३ दिनांक १–७–६० द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के पत्र संख्या ३७४१/एफ. ७ ए (२८) एफ. डी. (ए) नियम/५९ दिनांक २३-६-५९ द्वारा शामिल किया गया।

+ निर्णय संख्या ३ -- सैन्ट्रल ओवरसीज स्कालरशिप योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है तथा यह विश्व विद्यालयों, कालेजों एवं उच्चतर शिक्षा की समान संस्थाओं के लिये है ताकि वे अपने अध्यापकों को भारत के बाहर उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें तथा इस प्रकार देश में पाठ्यक्रम व अनुसंधान का स्तर ऊंचा उठा सके। इस योजना के अन्तर्गत मेन्टेनेन्स एलाउन्स, रेल एवं समुद्र किराया, ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की कीमत आदि के व्यय का ५० प्रतिशत भारत सरकार अनुदान देती है तथा शेष ५० प्रतिशत तक खर्चा जिम्मेदार एजेन्सी को देना पड़ता है। मेन्टेनेन्स एलाउन्स व अन्य सुविधाओं का पूर्ण व्यय पहिले पहल भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा इस योजना के लिये निर्धारित निधि से सहन किया जाता है। भेजे गये उम्मीदवार के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उपरोक्त आधार पर बांट लिया जावेगा।

(२) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति के सम्बन्ध का मामला कुछ समय पूर्व से ही राज्य सरकार के विचाराधीन था तथा यह आदेश दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत भारत के बाहर उच्चतर शिक्षा/प्रशिक्षण के लिये चयन किये गये राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें माननी होंगी—

(क) विशेष अवकाश का समय उन्नति के लिये सेवा मे गिना जायेगा तथा यदि राज्य कर्मचारी पेन्शन योग्य सेवा मे हो तो वह समय पेन्शन के लिये भी गिना जावेगा।

(ख) 'विशेष अवकाश' राज्य कर्मचारी के अवकाश लेखे में नाम नहीं लिखा जावेगा। 'विशेष अवकाश' में अवकाश वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम ९७ के खण्ड (२) के प्रावधान के अनुसार नियमित किया जावेगा।

(ग) उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत अवकाश वेतन के साथ में मंहगाई भत्ता वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १० (१०) एफ. II/५२ दिनांक २७-२-५६ में दी गई दरों के अनुसार नियमित किया जावेगा।

(३) उम्मीदवारों के चयन एवं बोंड भरने की पद्धति, जैसा कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५१ के निर्णय में दिया हुआ है, इन मामलों में भी लागू होगा।

❀ निर्णय संख्या ४—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या अस्थाई राज्य कर्मचारी को भी विदेश में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा सकता है। यदि हां, तो किन परिस्थितियो के अन्तर्गत ?

मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है कि साधारण तौर पर अस्थाई राज्य कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये जबकि आवश्यक योग्यता रखने वाले स्थाई राज्य कर्मचारी उपलब्ध हों। जब एक स्थाई राज्य कर्मचारी उपयुक्त योग्यता के साथ उस विभाग में उपलब्ध न हो तो अस्थाई राज्य कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। परन्तु शर्त यह है कि—

+ वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ १० (१०) एफ II/५२ दिनांक ३१-५-६१ द्वारा शामिल किया गया।

❀ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (८७) एफ.डी.(ई-आर) ६३-I दिनांक ४-११-६१ द्वारा शामिल किया गया।

(१) अस्थाई राज्य कर्मचारी ने अपनी तीन साल की सेवाएं पूरी करली हों,

(२) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की नियुक्ति नियमित हो अर्थात् वह नियुक्ति के लिये आवश्यक शिक्षा, आयु व योग्यता आदि रखता हो तथा जहां सेवा नियमों में आवश्यक हो, राजस्थान जन सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करली हो।

परिशिष्ट

प्रपत्र (क)

प्रशिक्षण की प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने वाले स्थाई राज्य कर्मचारियों के लिये बन्ध पत्र (बॉंड)

इस बन्ध पत्र द्वारा सबको विदित हो कि मैं ··· ·····निवासी ··········जिला········ ···जो कि वर्तमान में ········के रूप में ··········कार्यालय/विभाग में नियुक्त हूं, एतद्द्वारा स्वयं को, मेरे उत्तराधिकारियों को, निष्पादकों को (Executors) एवं प्रबन्धकों को राजस्थान राज्य के राज्यपाल को (जो बाद में सरकार कहलावेगा) उनके द्वारा मांगने पर ··········रु० (शब्दों में रुपये ······) वर्तमान राजकीय ब्याज की दर से मय ब्याज के लौटाने के लिये जो कि राज्य सरकार ने मुझे ·········· (समय) से ······ (समय) तक (विदेश का नाम) ··········में ·· ······(कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण का स्वरूप) के प्रशिक्षण के लिये विदेश में सरकार के व्यय पर/या वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ. १ (८७) नियम/६२ दिनांक १४-२-६३ के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत भेजा है या यदि भुगतान भारत के बाहर अन्य देश में हुआ हो तो उक्त रकम के बराबर उस देश की मुद्रा की रकम जो कि उस देश व भारत सरकार के विनिमय की दर हो, देने के लिये बाध्य करता हूं।

तारीख आज ······ ·· माह···· ·· ····सन् एक हजार नौ सौ ··········

चूंकि उपर लिखित प्रतिज्ञा बद्ध श्री ·········को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।

अब ऊपर लिखे गये ऋण की शर्त यह है कि यदि उक्त प्रतिज्ञा बद्ध व्यक्ति ······ ·· प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद सेवा से त्याग पत्र देते हुये या उस पर आने से पूर्व सेवा से मुक्त होते हुये या सेवा से लौटने के बाद तीन साल की अवधि में किसी भी समय उपस्थित नहीं होता है तो वह राज्य सरकार को उसी समय रु० ··········(शब्दों में ··········)उसको उपरोक्त प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के कारण तथा राज्यकीय व्यय पर वर्तमान में चालू सरकारी ब्याज की दर से मय ब्याज के शीघ्र जमा करना पड़ेगा/या उसे जमा कराना पड़ेगा जिसके लिये सरकार निर्देश दे।

और ··· ······उपर लिखित प्रतिज्ञा बद्ध श्री ······ ···द्वारा इस प्रकार रकम के वापिस कर देने पर उक्त बन्ध पत्र बेकार और प्रभावहीन हो जायेगा। अन्यथा यह पूरी तरह से सक्रिय एवं प्रभावयुक्त रहेगा।

राजस्थान सरकार इस वन्ध पत्र पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का व्यय सहन करना मन्जूर करती है।

उपरोक्त द्वारा हस्ताक्षर किये गये एवं सौंपा गया

प्रतिज्ञावद्ध व्यक्ति

साक्षी…………

स्वीकृत (ACCEPTED)

राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में एवं उसके लिये

प्रपत्र (ख)

प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने वाले अस्थाई राज्य कर्मचारियों के लिये वन्ध पत्र (बोंड)

इस वन्ध पत्र द्वारा सबको विदित हो कि हम………… निवासी ………… जिला …………जो कि वर्तमान में ………के कार्यालय/विभाग में…………पद पर नियुक्त हैं (जो आगे ऋणी कहलायेगा) एवं श्री …………आत्मज…………उसके जामिन हैं, तथा ऐतद्द्वारा सम्मिलित रूप से तथा अलग रूप से हमारे सम्वन्धित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रबन्धकों को राजस्थान के राज्यपाल को(जो कि अव से आगे सरकार कहलायेगा) उनके द्वारा मांगने पर ……… रु० ……… (शब्दों में) वर्तमान राजकीय व्याज की दर से मय व्याज के लौटाने के लिये जो कि राज्य सरकार ने मुझे ……… (समय) से ……… (समय) तक ……… (विदेश का नाम) में ……… (कार्य सम्वन्धित प्रशिक्षण स्वरूप) के प्रशिक्षण के लिये विदेश में सरकार के व्यय पर/या वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ. १ (८७) नियम/६३ दिनांक १४–२–६३ के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत भेजा है, या यदि भुगतान भारत के बाहर अन्य देश में हुआ हो तो उक्त रकम के वरावर उस देश की मुद्रा की रकम जो कि उस देश व भारत सरकार के विनिमय की दर हो, देने के लिये वाध्य करता हूं।

तारीख आज माह……… सन् एक हजार नो सौ ………

चूंकि ऊपर लिखित प्रतिज्ञा वद्ध श्री ……… को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।

अव उपर लिखे गये ऋण की शर्त यह है कि यदि उक्त प्रतिज्ञा वद्ध श्री ……… प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के वाद सेवा से त्याग पत्र देते हुए या उस पर आने से पूर्व सेवा से मुक्त होते हुए या सेवा से लौटने के वाद तीन साल की अवधि में किसी भी समय उपस्थित नहीं होता है तो ऋणी एवं जमानत देने वाले राज्य सरकार को या जिसके लिये राज्य सरकार आदेश दे, उसी समय………रु०………(शब्दों में) उसको उपरोक्त प्रशिक्षण में भेजे जाने के कारण तथा राजकीय ऋण पर वर्तमान में चालू सरकारी व्याज की दर से मय व्याज के शीघ्र जमा कराता है।

भौर ऊपर लिखित प्रतिज्ञा बद्ध श्री .... एवं/या श्री .... एवं/या श्री .... उपरोक्त जमानत देने वालों द्वारा ऐसी रकम लौटाने पर उपरोक्त लिखा गया ऋण पत्र प्रभावहीन एवं बेकार हो जायेगा । अन्यथा वह पूरी तरह से सक्रिय एवं प्रभाव युक्त रहेगा ।

हमेशा यह ध्यान रखा जाये कि इसके अधीन जामीनदारों का उत्तरदायित्व, अधिक समय लगने के कारण, या कोई भूल से किये गये काम के कारण से या सरकार या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की भूल के कारण (चाहे जमानत देने वालों की सलाह या उनके ध्यान में लाकर दी गई हो या नहीं) किसी भी प्रकार कम नहीं होगा तथा न सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इसके अधीन बकाया रकम के लिये ऊपर लिखित जामिन श्री .... एवं श्री .... पर या दोनों में से किसी एक पर दावा करने से पूर्व ऊपर लिखित श्री .... पर दावा करे ।

राजस्थान सरकार इस बन्ध पत्र पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का व्यय सहन करना मन्जूर करती है ।

ऊपर लिखित प्रतिज्ञा बद्ध .... द्वारा .... के समक्ष हस्ताक्षर किया गया तथा पेश किया गया ।

(१) उपरोक्त जामिन श्री .... द्वारा श्री .... के समक्ष हस्ताक्षर किया गया और पेश किया गया ।

(२) उपरोक्त जामिन श्री .... द्वारा .... के समक्ष हस्ताक्षर किया गया और पेश किया गया ।

स्वीकृत (Accepted)

राजस्थान राज्य के राज्य पाल के पक्ष में एवं उसके वास्ते ।

अध्याय ८

बर्खास्तगी, हटाना या निलम्बित करना (Dismissal, Remavol and Suspensions)

नियम ५२. बर्खास्तगी (Dismissal) की तारीख, तनख्वाह और भत्तों का बंद होना—जिस दिन राज्य कर्मचारी सेवा से बर्खास्त (डिसमिस) या हटा दिया जाता है तो उसका वेतन एवं भत्ता उसी दिन से बन्द कर दिया जाता है। (वेतन एवं भत्तों के अन्तिम भुगतान की पद्धति के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम १६४ को भी देखें।)

÷ नियम ५३—निर्वाह अनुदान (Subsistence grant) :—(१) निलम्बन

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना नं० एफ. १ (४४) एफ.डी. (ए) (व्यय-नियम) ६३ दिनांक २२-१-६४ द्वारा परिवर्तित किया गया ।

काल में एक राज्य कर्मचारी निम्नलिखित धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा, मुख्य रूप से—

[क] निर्वाह भत्ता उस अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर जिसे कि राज्य कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहता तथा मंहगाई भत्ता जो ऐसे अवकाश वेतन पर मिलता हो।

परन्तु शर्त यह है कि जहां निलम्बन का समय १२ माह से अधिक का हो, तो वह अधिकारी जिसने उसके निलम्बन के आदेश दिए हों या उसके द्वारा दिए गए समझे गए हों, तो वह १२ माह से कितने भी अधिक समय के लिए निर्वाह भत्ता की राशि को निम्न प्रकार से परिवर्तित कर सकता है—

[१] निर्वाह भत्ते की धनराशि उचित धनराशि तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह धनराशि प्रथम बारह माह की अवधि में प्राप्य निर्वाह भत्ते की ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है यदि उक्त अधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढ़ाई गई है, जिनको कि लिखित में लिखा जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी के हित के लिए नहीं हैं।

[२] निर्वाह भत्ते की धनराशि उचित धनराशि तक घटाई जा सकती है। लेकिन यह धनराशि प्रथम बारह माह की अवधि में प्राप्य निर्वाह भत्ते की ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं घटाई जा सकती है यदि उक्त अधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढाई गई है, जिनको कि लिखित में लिखा जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी को हित पहुंचाने वाले हों।

[३] मंहगाई भत्ते की दरें उपरोक्त उप खण्ड (१) व (२) के अन्तर्गत प्राप्य निर्वाह भत्ते की बढी हुई या घटी हुई राशि पर, जैसी भी स्थिति हो, आधारित होगा।

(ख) अन्य क्षति पूरक भत्ते, यदि कोई हों, जिन्हें कि राज्य कर्मचारी निलम्बित होने की तारीख को प्राप्त कर रहा था परन्तु शर्त यह है कि राज्य कर्मचारी उसे निलम्बित करने वाले अधिकारी को इससे सन्तुष्ट करदे कि वह उन व्ययों को करता जा रहा है जिनके लिए क्षति पूरक भत्ते स्वीकृत किए गए हैं।

∴ जब तक राज्य कर्मचारी यह प्रमाण प्रस्तुत न करदे कि वह किसी अन्य नियुक्ति, व्यापार व्यवसाय या धन्धे में नहीं लगा है, तब तक उपनियम (१) के अन्तर्गत उसे कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

परन्तु शर्त यह है कि सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया या आवश्यक रूप से मुक्त किया गया राज्य कर्मचारी जो कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १३ के उपनियम (३) या उपनियम (४) के अन्तर्गत ऐसे सेवा से बर्खास्त किए जाने, हटाए जाने या आवश्यक रूप से सेवा से मुक्त किया जाने की तारीख से निलम्बित किया हुआ समझा जा रहा है या निलम्बित चल रहा है तथा वह ऐसे किसी समय का आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है

जिसमें कि वह निलम्बित किया हुआ समझा जा रहा है या निलम्बित चला आ रहा है तो वह उस राशि के बराबर निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त करेगा, जितनी कि उसके द्वारा ऐसे समय या समयों में कमाई गई धनराशि, उसके निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम पड़ती है जो कि उसे अन्यथा प्रकार से प्राप्त होती। जहां उसे प्राप्य निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते उसके द्वारा कमाई गई धनराशि के बराबर या उससे ज्यादा हो तो इसका कोई प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा।

÷ राजस्थान सरकार का निर्णय

एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम (५३) (१) (क) प्रावधानों में कही गयी १२ माह की अवधि वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या दिनांक २२-१-५४ से गिनी जानी है अथवा उस तारीख से जिसको कि सक्षम अधिकारी ने राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया है।

मामले की जांच की जा चुकी है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त नियम में कही गई १२ माह की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिसको कि राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया था।

×नियम ५४–पुनर्नियुक्ति (Reinstatement) :— (१) एक राज्य कर्मचारी जो कि बर्खास्त (डिसमिस) हो गया हो, हटा दिया गया हो (Removed), आवश्यक रूप से सेवा मुक्त (रिटायर) कर दिया गया हो, या निलम्बित कर दिया गया हो, पर पुनर्नियुक्त हो गया हो या जो पुनर्नियुक्त हो गया होता लेकिन निलम्बन काल में पूर्णावस्था (Superannuation) पर उसको सेवा मुक्त किया जाना हो तो पुनर्नियुक्ति के आदेश देने वाला सक्षम अधिकारी इस पर विचार करेगा तथा निम्न के बारे में एक विशेष आदेश निकालेगा।

[क] सेवा (ड्यूटी) से उसके अनुपस्थित रहने के समय का या पूर्णावस्था पर सेवा मुक्त होने की तारीख तक समाप्त होने वाले निलम्बन के समय का, जैसी भी स्थिति हो, राज्य कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में।

[ख] क्या उक्त अवधि 'सेवा में बिताई गई अवधि' समझी जाएगी अथवा नहीं।

(२) जहां ऐसा सक्षम अधिकारी यह विचार करे कि राज्य कर्मचारी को पूर्णतया दोषमुक्त (Exonerated) कर दिया गया है अथवा निलम्बन के मामले में उसे निलम्बित किया जाना पूर्णतः अनुचित था, तो राज्य कर्मचारी उस समय का अपना पूर्ण वेतन मय महंगाई भत्ते के उसी दर से प्राप्त करेगा जिसको कि वह पाने का हकदार होता यदि वह,

---

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (५४) एफ डी. (व्यय-नियम) ६३ दिनांक १२-६-६४ द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १ (८८) एफ डी/ए/नियम/६२ दिनांक ६-८-६३ द्वारा परिवर्तित किया गया।

जैसी भी स्थिति हो, बर्खास्त नहीं किया गया होता, हटाया नहीं जाता, या आवश्यक रू से सेवा मुक्त नहीं किया जाता या निलम्बित नहीं किया जाता।

(३) अन्य मामलों में राज्य कर्मचारी को वेतन एवं मंहगाई भत्ते का ऐसा हिस्सा दिया जावेगा जिसे कि सक्षम अधिकारी निर्धारित करे।

(४) खण्ड (२) के अन्तर्गत आने वाले मामले में सेवा से अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यों के लिए सेवा में बिताए गए समय के रूप में समझा जावेगा।

(५) खण्ड (३) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में सेवा से अनुपस्थिति के समय को सेवा में बिताये गये समय के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा सक्षम अधिकारी विशेष रूप से निर्देश न दे कि वह किसी विशेष कार्य के लिए इस प्रकार से समझा जावेगा।

❀ परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य कर्मचारी ऐसा चाहे तो ऐसा सक्षम अधिकारी निर्देश दे सकता है कि सेवा से अनुपस्थिति का समय राज्य कर्मचारी के बकाया एवं उसे स्वीकृत किए जाने योग्य किसी भी प्रकार के अवकाश में बदल दिया जावेगा।

÷ टिप्पणी

इस परन्तुक के अन्तर्गत बिताये गये सेवा से अनुपस्थिति के समय को किस रूप में समझा जावे, इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के आदेश अन्तिम रूप से मान्य है तथा जहां तक अस्थाई राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, तीन माह से अधिक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिये और अन्य उच्चतर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

फौजदारी कार्यवाहियों के समय में गिरफ्तारी के लिए, ऋणों के लिए या किसी कानून के अन्तर्गत नजरबन्दी के समय में निरोधात्मक नजरबन्दी के प्रावधानों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई प्रशासनात्मक हिदायतों के लिए परिशिष्ट १ खण्ड (२) देखें।

टिप्पणियां

(१) पुनरावलोकन (Revising) या अपील सम्बन्धी (Appellate) अधिकारी निलम्बन काल में बिताये गये समय को अवकाश में परिवर्तित करने एवं उसके उचित अवकाश वेतन के भुगतान कराने के आदेश देने में सक्षम है।

(२) यदि एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो परन्तु अपील करने पर किसी परवर्ती (Subsequent date) तारीख से पुनर्नियुक्त

❀ वित्त विभाग के आदेश सं० ३७११ एफ ७ ए (१४) एफ.डी.ए/नियम/५८ दिनांक १३-७-५८ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (५२) एफ डी (ए) नियम/६०-१ दिनांक ३१-३-६१ द्वारा शामिल की गई।

कर दिया जाता हो तथा बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने व पुनर्नियुक्ति के बीच के समय को सेवा के रूप में बिताए गया समय मानने के लिए आदेश दे दिया जाता है तथा वह समय अवकाश एवं वेतन वृद्धि के लिए शामिल किये जाने के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस प्रकार के आदेशों का परिपालन किया जाना चाहिए चाहे राज्य कर्मचारी अपनी बेकारी के समय के भीतर किसी स्थाई पद पर अपना लीयन न रखता हो। जो राज्य कर्मचारी सेवा से बर्खास्त या हटाए गए हैं, उनके द्वारा जो स्थान रिक्त किए गए हैं, उन्हें स्थाई रूप से इस शर्त के साथ भरा जा सकता है कि इस प्रकार का किया गया प्रबन्ध उलटा हो जाएगा यदि सेवा से बर्खास्त किया गया कर्मचारी अपील करने पर पुनर्नियुक्त हो जाता है।

× (३) एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामलों में जिनमें कि निलम्बन काल के समय को अवकाश पर बिताए गये समय के रूप में मानने का आदेश दे दिया जाता है तथा परिवर्तन करने पर जब यह विदित होवे कि समय का बहुत से भाग को असाधारण अवकाश के रूप में समझा जाता है जिसका कि कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता है, तो पहिले से ही दिए गये निर्वाह भत्ते की राशि की वसूली यथोचित मानी जावेगी। यह निर्णय किया गया है कि निलम्बन काल के समय के किसी भी अंश को असाधारण -अवकाश में परिवर्तन करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन व्यक्तियों के मामले में जो पूर्णतया दोष मुक्त नहीं किए गये हैं, निलम्बन के समय को भत्ते सहित या बिना भत्ते के अवकाश में बदलने से, उनके निलम्बन के लाछन तथा उससे निकलने वाले तमाम विपरीत परिणामों को हटाया जाता है। जिस क्षण से निलम्बन का समय अवकाश में बदल दिया जाता है, उसी समय से वह निलम्बन के आदेश को प्रभावहीन करता है तथा यह समय निलम्बन काल में बिलकुल बिताया गया नहीं समझा जावेगा। इसलिए यह पाया गया है कि एक राज्य अधिकारी निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ते एवं क्षतिपूरक भत्ते की जो कुल धनराशि प्राप्त करता है, यदि वह अवकाश वेतन एवं भत्तों में अधिक होता है तो यह अधिक राशि वापिस जमा करानी पड़ेगी तथा इस परिणाम से बचने का कोई उपाय नहीं।

÷ (४) असाधारण अवकाश की स्वीकृति एवं राज्य सेवा से बर्खास्तगी दोनों पूर्णतया विभिन्न मामले हैं तथा निलम्बित अवधि को अवकाश में बदलने के व्यवहार का उदाहरण स्वतः ही बर्खास्तगी के मामलों पर पूर्व प्रभाव से (Retrospective effect) से लागू नहीं होता है क्योंकि बर्खास्तगी में राज्य कर्मचारी को अपने पद से हटाया जाता है। इसलिए इस मध्यावधि में राज्य कर्मचारी को जो निर्वाह भत्ता (*Maintenance*) *स्वीकार किया जाय*, वह उससे वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

(विशेष—कहने का तात्पर्य यह है कि यदि निलम्बित राज्य कर्मचारी का निलम्बन काल का समय किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जाना हो तो वह पूर्व प्रभाव से लागू होता है तथा यदि अवकाश वेतन व भत्ते निलम्बन काल के निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्ते से कम हो तो उसे अधिक रकम को वापिस जमा कराना पड़ेगा। परन्तु बर्खास्तगी के आदेश पूर्व प्रभाव से लागू

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ६ (१) ५५ दिनांक १-३-५५ द्वारा शामिल की गई।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. १ (११०) एफ. डी. /आर ५६ दिनांक २१-११-५६ द्वारा शामिल की गई।

नहीं होते हैं इसलिए यदि किसी राज्य कर्मचारी को इस मध्य अवधि में जो भी निर्वाह भत्ता इत्यादि मिलता है, वह पूर्व प्रभाव न रखने के कारण वापिस जमा नहीं कराया जा सकता है।

× (५) एक राज्य कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने या आवश्यक रूप से सेवा मुक्त किए जाने के कारण रिक्त किया गया एक स्थाई पद उस समय तक स्थाई रूप से नहीं भरा जाना चाहिए, जब तक कि, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार की बर्खास्तगी, हटाये जाने या आवश्यक रूप से सेवा मुक्त किए जाने से १२ माह का समय व्यतीत न हो गया हो। जब एक साल की अवधि के समाप्त होने पर, स्थाई पद भर लिया जाता है तथा उसके बाद उस पद का मूल कर्मचारी सेवा में पुनर्नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे किसी भी पद के विपरीत लगाया जाना चाहिए जो कि उसी श्रेणी में स्थाई रूप से रिक्त हो जिसमे कि उसका पूर्व का स्थाई पद था। यदि इस प्रकार का कोई पद रिक्त न हो, उसे एक अधिसंख्यक पद (Supernumerary Post) के विपरीत लगाया जाना चाहिए जो कि उचित स्वीकृति द्वारा इस श्रेणी (Grade) में सृजित (Create) किया जाना चाहिए तथा इस धारणा (Stipulation) के साथ सृजित किया जाना चाहिए कि उक्त वेतन शृंखला में प्रथम स्थान रिक्त होने पर उसे समाप्त कर दिया जावेगा।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि एक ऐसे मामले में जिसमें कि राज्य कर्मचारी की सेवाएं ६-३-५७ को समाप्त कर दी गई थी तथा अपील पर वह पुनर्नियुक्त कर दिया गया था तथा अपील सम्बन्धी अधिकारी (Appellate Authority) ने घोषित कर दिया कि उसे ६-३-५७ से ३०-६-५७ तक का उसका बकाया अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा १-७-५७ से बाद का उसे अपने पद का पूर्ण वेतन मिलेगा। कर्मचारी ने अपने पद का कार्यभार १६-१२-५७ को संभाला।

चूंकि कोई ऐसा पद नहीं था जिसके विपरीत बर्खास्तगी के समय में राज्य कर्मचारी का लीयन दिखलाया जा सके क्योंकि कार्य को चलाने के लिए कार्यवाहक प्रबन्ध उस पद पर पहिले ही किया जा चुका था, उसे लीयन प्रदान करने तथा उसे इस समय का वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने के लिए एवं पद सृजन करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

मामले की जांच करली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियमों का नियम ५४ पूर्ण है तथा यदि 'लीयन' की शर्त पहिले पूरी की जाती है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ते राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५४ के अन्तर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इसके लिए एक अधिकांश पद के सृजन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार को अधिकांशता स्वीकार्य होती है।

नियम ५५—निलम्बन काल में अवकाश की स्वीकृति—निलम्बन काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

× वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ. ७ ए (५२) एफ डी (ए) नियम/६०-II दिनांक ३१-३-६१ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (१) एफ. डी. (ए) नियम/५६ दिनांक १७-३-५६ द्वारा शामिल किया गया।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५५ के अन्तर्गत निलम्बन काल मे राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध डाला गया है । फिर भी इस नियम के पालन मे उसके परिवार आदि मे अधिक बीमारी होने की दशा मे उसे कठिनाई आती हैं इसलिए राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलो मे पद को भरने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा उसे मुख्यालय छोडने की स्वीकृति दी जा सकती है यह मुख्यालय छोडने की स्वीकृति अत्यावश्यक परिस्थितियों में जाच की स्थिति को एवं उसकी प्रगति मे राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति के सम्भावित परिणाम को ध्यान मे रखते हुए उचित समय के लिए दी जाएगी।

+ *नियम ५५ (क)*—अवकाश ऐसे राज्य कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसको कि दण्ड देने वाले सक्षम अधिकारी ने राज्य सेवा से बर्खास्त करने, हटाने या आवश्यक रूप से सेवा मुक्त करने का निर्णय कर लिया हो।

अध्याय ९

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

× नियम ५६.(क)–पूर्ण वयस्कता (Superannuation) वय प्राप्त कर लेने पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति–(१) जब तक इन नियमों में कुछ अन्यथा प्रकार से न किया गया हो तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख वह होगी जिसको कि वह ५८ वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है। उसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से, जिसको कि लिखा जायेगा, सरकार की स्वीकृति द्वारा अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है परन्तु किन्हीं बहुत विशेष परिस्थिति को छोड़कर उसे ६० वर्ष की उम्र के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकता है।

(२) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख वह होगी जिसको कि वह ६० वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है।

टिप्पणी

संस्थाओं के अध्यापक एवं अध्यक्ष चाहे राजपत्रित हों या अराजपत्रित तथा जो शिक्षा सत्र

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या ९ (१) आर/५५ दिनाक ८–२–५५ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या ५७९०/५७ एफ १ (४०) एफ.डी. (ए) नियम/५६ दिनांक १३–९–५७ द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १. (८४) एफ.डी.ए/नियम/६२ दिनाङ्क ३१–८–६२ द्वारा परिवर्तित किया गया।

के प्रारम्भ के तीन माह में अर्थात् सितम्बर तक पूर्ण वयस्कता वय को प्राप्त करते हों उनको सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिये एवं वे जो पूर्ण वयस्कता वय प्राप्त करते हों तथा सितम्बर के बाद सेवा निवृत किये जाने हों तथा अध्ययन के हित की दृष्टि से उन्हें रोका जाना आवश्यक हो तो उनकी सेवाएं सत्र के अन्त तक मय गर्मियों के अवकाश के रोकी जा सकती है। यह आदेश चिकित्सा, कृषि, पशुपालन एवं आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापन वर्ग पर भी लागू होगा।

राजस्थान सरकार का निर्णय

ः राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५६ (क) के नीचे दी गई टिप्पणी के अन्तर्गत उन अध्यापकों की सेवाएं जो कि शिक्षण सत्र में सितम्बर के बाद सेवा निवृत होने हैं, उन्हें ग्रीष्मावकाश सहित सत्र के अन्त तक सेवा में रखा जा सकता है।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत २-१०-५६ से पंचायत समितियों के निर्माण के फलस्वरूप कुछ प्राथमिक पाठशालाएं पंचायत समितियों के नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गई है।

यह आदेश दिया गया है कि उपरोक्त टिप्पणी में वर्णित शर्तों के अनुसार पंचायत समितियों द्वारा ऐसे अध्यापकों को रोका जाना सक्षम अधिकारी के आदेशों से रोका हुआ समझा जावेगा।

यह आदेश दिनांक २-१०-५६ से प्रभाव में आया हुआ समझा जाना चाहिये।

× (ख) हटा दिया गया।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ निर्णय संख्या १—फिर भी एकीकृत राज्यों के सिविल सर्विसेज नियमों, नियमनों आदि में कुछ दिये गये अनुसार राजप्रमुख ने नियम के अन्तर्गत ऐसे सभी राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में नियम बनाये हैं जो कि राजस्थान सेवा नियमों द्वारा नियमित नहीं होते हैं।

(१) एक राज्य कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख वह है जिसको कि वह ५५ वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है।

परन्तु शर्त यह है कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से, जिसको कि लिखित में लिखा जायेगा, सरकार की स्वीकृति से उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति के बाद भी सेवा में रोका जा सकता है। लेकिन वह किन्हीं अति आवश्यक विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त ६० वर्ष की उम्र के बाद उसे सेवा में इस प्रकार से नहीं रखा जावेगा।

ः वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (२०) एफ.डी./ए/नियम/६० दिनांक १२-८-६० द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (८८) एफ.डी. (ए) आर/६२ दिनांक ६-८-६३ द्वारा हटाया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. २१ (३०) आर/५१ दिनांक ११-६-५१ द्वारा शामिल किया गया।

(२) दुर्व्यवहार के आरोप के कारण जो राज्य कर्मचारी निलम्बन में हो, उसे अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख को सेवा से निवृत होने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी, लेकिन उसे सेवा में उस समय तक रखा जावेगा जब तक कि उसके विरुद्ध जाच पूरी न की जा सके तथा उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश न दे दिया जावे।

(३) एक राज्य कर्मचारी पर नियम (१) व (२) में दिया हुआ कुछ भी लागू नहीं होगा जो कि उसके एवं एकीकृत राज्यों अथवा राजस्थान राज्य की सरकारों के बीच हुई ठेके के आधार पर नियुक्त हुआ हो।

※ निर्णय संख्या २—(१) एक राज्य कर्मचारी जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५६ (ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद सेवा में रखा जाता है, उसके निलम्बन को पूर्णतया अनुचित सिद्ध हो जाने पर, उसे उस समय के लिये नियम ५४ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सेवा अधिकारों से वंचित रखा जावेगा, जितने समय तक वह सेवा में रखा जाता है इस प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाना उचित नहीं होगा क्योंकि उसे सरकार की सुविधा के लिये अनिवार्य सेवा निवृति के बाद सेवा में रखा गया है न कि उसके स्वयं के हित के लिये उसे सेवा में रखा गया है।

(२) जब इसी प्रकार की परिस्थिति में एक राज्य कर्मचारी का निलम्बन पूर्णतया अनुचित नहीं ठहराया जा सकता हो, तो उस समय के लिये उसके वेतन एवं भत्ते नियम ५४ के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित होंगे जिसके कि अन्तर्गत सक्षम अधिकारी अपने निर्णयानुसार उस निलम्बित अवधि का वेतन एवं भत्ते का जो भी भाग स्वीकृत करे तथा वही यह निर्देश देगा कि क्या उस समय को किसी विशिष्ट कार्य के लिये सेवा पर बिताया गया समय समझा जावेगा अथवा नहीं।

टिप्पणियां

÷ (१) नियम ८६ के अन्तर्गत उस तारीख से आगे की अवकाश की स्वीकृति जिसको कि राज्य कर्मचारी को अनिवार्य रूप सेवा निवृत कर दिया जाना चाहिये था या उस तारीख से आगे के अवकाश की स्वीकृति जिस तारीख तक राज्य कर्मचारी को सेवा में रोका गया है, को जोधपुर अंशदान प्राविधिक निधि (जोधपुर कान्ट्रीब्युटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) नियमों के अन्तर्गत अंशदान प्राविधिक निधि या पेन्शन कार्य के लिये या लीयन रखने के लिए सेवा की वृद्धि की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य कर्मचारी अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख को या बाद की अन्य तारीख को, जिस तक कि उसकी सेवा समाप्ति की तारीख के बाद उसे सेवा में रोका गया हो, सेवा निवृत हो जाएगा तथा वह अपने हक के सभी पेन्शन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिये योग्य होगा।

※ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १० (५) एफ. II/ ५३ दिनांक ६-१२-५३ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (५१) एफ.डी.(ए)/नियम/६१ दिनाङ्क १८-१२-६१ व विज्ञप्ति संख्या एफ. १ (१३) एफ डी. (ए) नियम/६२ दिनाङ्क ५-३-६२ द्वारा परिवर्तित किया गया।

(२) यह नियम उन सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होता है जिन पर ये नियम लागू होते हैं चाहे वह अस्थाई या स्थाई पदों पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काम कर रहे हों।

× (३) हटादी गई।

राजस्थान सरकार के निर्णय

❀ विभिन्न विभागों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५६ को ध्यान में रखते हुये ६० वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहिले ही सेवा निवृत कर दिये गए। यद्यपि उन्हें नियम २४६ के अन्तर्गत सेवा निवृत किया जाना था। इन सब पुराने मामलों को नियमित करनें के उद्देश्य से सरकार आदेश देती है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ६-१०-५३ तक ५५ वर्ष व ६० वर्ष की बीच की अवस्था में सेवा से निवृत हो गये हैं उन्हें पूर्ण वयस्कता प्राप्त पेन्शन/ग्रेच्युटी (इनाम) पर सेवा निवृत किया हुआ समझा जाना चाहिये।

(२) चूंकि नियम २४६ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. ३५ (४८) आर/५२ दिनांक ६-१०-५३ द्वारा हटा दिया गया है तथा उससे सम्बन्धित प्रावधान नियम ५६ की टिप्पणी संख्या ३ में दे दिया गया है, ऐसे सभी मामले इस नियम द्वारा शाषित किये जाएंगे।

जांच निर्देशन

(१) जब एक राज्य कर्मचारी का विशिष्ट अवस्था प्राप्त करने पर सेवा निवृत होना या रिवर्ट होना या अवकाश पर बन्द रहना चाहा गया हो तो जिस तारीख को वह उस अवस्था को प्राप्त करता है तो वह दिन, जैसी भी स्थिति हो, अकार्य का दिन गिना जाता है तथा राज्य कर्मचारी को उस दिन से उसको मिलाकर, सेवा से निवृत या रिवर्ट हो जाना चाहिये अथवा अवकाश से बन्द हो जाना चाहिये।

(२) नियम ३४६ इसकी रियायतों एवं शर्तों के स्वरूप से एक व्यक्ति को, जो पूर्ण वयस्कता वय प्राप्त हो या पेन्शन पर सेवा से निवृत हो रहा हो, उसे इस नियम के बाहर एवं नियम ३४६ में वर्णित उन शर्तों के आधार पर पुर्ननियुक्ति प्रदान करता है, जिनका कि पालन प्रत्येक स्वीकृति के नवीनीकरण (Renewal) में किया जाता है।

× वित्त विभाग की विज्ञप्ति सं. एफ १ (८४) एफ.डी.ए (नियम) ६२ दिनांक ३१-८-६२ द्वारा हटाई गई।

❀ वित्त विभाग के मीमो संख्या डी.८७४८ एफ/II/५३ दिनांक २८-१२-५३ द्वारा शामिल किया गया।

भाग ४

अध्याय १०

अवकाश (Leave)

खण्ड १—अवकाश की सामान्य शर्तें

+ **नियम ५७—सेवा (Duty) द्वारा उपार्जित अवकाश**—अवकाश केवल सेवा द्वारा ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए विदेशी सेवा में बिताया गया समय भी सेवा में गिना जाता है यदि ऐसे समय के अवकाश वेतन के लिए अंशदान दिया जाता है।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ निर्णय संख्या १—सेवाओं के एकीकरण के समय में भिन्न भिन्न समय तक बहुत से राज्य कर्मचारियों को बिना नियुक्ति (Posting) के रहना पड़ा। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे समय को अवकाश उपार्जित करने के लिए गिना जावेगा।

चूंकि अवकाश केवल वास्तविक सेवा करने पर ही उपार्जित किया जाता है, तथा ऐसी अवधियों में राज्य कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक सेवा नहीं की गई, अतः यह निर्णय किया जाता है कि उक्त विचाराधीन समय अवकाश उपार्जित करने में नहीं गिना जाएगा चाहे उसे पेंशन कार्यों के लिए वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ २३ (२)–आर/५२ दिनांक ३१–५–५२ (देखिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम १० के नीचे राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या १) के अनुसार गिना जा सकता है।

× निर्णय संख्या २—कुछ सन्देह उत्पन्न किए गये हैं कि क्या वित्त विभाग के आदेश दि० ७–१–५३ (निर्णय संख्या १ जो ऊपर लिखा गया है) में वर्णित 'अवकाश' शब्द का अर्थ क्या केवल उपार्जित अवकाश (Privilege leave) है या उसमें अन्य किस्म के अवकाश भी शामिल हैं जैसे अर्द्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave) तथा क्या यह आदेश पूर्व समय से प्रभावशील होगा। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त आदेश में आये हुए 'अवकाश' का तात्पर्य उपार्जित अवकाश एवं उसके समान अवकाश में ही है न कि अन्य किस्म के अवकाश से है। यह आदेश पूर्व काल से लागू होता है लेकिन जो राज्य कर्मचारी ७–१–५३ के पूर्व सेवा निवृत किए जा चुके हैं, उनसे कोई वसूली नहीं की जानी है।

(२) जो राज्य कर्मचारी अनियुक्त (Unposted) या 'सरप्लस' रहे उनका अवकाश का

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ५ (१) एफ. (आर) ५६ दिनांक ११–१–५९ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ २३ (२) आर/५२ दिनांक ७-१-५३ द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ २३ (२) आर/५२ दिनांक २६ दिसम्बर १९५३ द्वारा शामिल किया गया।

लेखा, जैसा कि उक्त अवतरण में स्पष्ट किया गया है, वित्त विभाग के आदेश दिनांक ७-१-५३ (उक्त निर्णय संख्या १) के अनुसार संशोधित (Revised) किये जाने चाहिए। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के मामले में यह विभागों के अध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।

यदि राज्य कर्मचारियों के अवकाश के लेखे के संशोधित करने पर अधिक अवकाश लिया हुआ प्रतीत होता है तो इस प्रकार के अधिक अवकाश का समाधान (Adjustment) भविष्य में उपार्जित किए गये अवकाश से किया जाना चाहिए।

नियम ५७ (क)-दूसरे नियमों के समूह से नियन्त्रित एक राज्य कर्मचारी द्वारा इन नियमों से शासित पद पर काम करने पर उसके अवकाश का नियमन का प्रकार—जब तक किसी मामले में इन नियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत अन्यथा प्रकार से न दिया गया हो, एक राज्य कर्मचारी ऐसी सेवा या पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिस पर ये नियम लागू होते हैं तथा ऐसी सेवा या पद से आता है जिस पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश साधारणतया इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं कर सकता है।

नियम ५८—पुनर्नियोजन (Re-employment) **या पुनर्नियुक्ति होने पर बर्खास्त होने से पूर्व की गई सेवाओं का अवकाश**—यदि एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा को क्षतिपूर्ति पर (Compensation) या अशक्त पेंशन (Invalid Pension) या ईनाम (ग्रेच्युटी) पर छोड़ देता है तथा पुनः सेवा में ले लिया जाता है एवं इसके परिणाम स्वरूप उसको ईनाम वापिस लौटा दी जाती है या उसकी पेंशन पूर्ण रूप से स्थगित (Abyence) रखी जाती है, तथा इसके द्वारा उसकी पूर्व की सेवाएं अन्तिम सेवा निवृत्ति पर पेंशन योग्य हो जाती है, तो पुनः नियुक्ति करने वाले सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार जितनी सीमा तक वह निर्धारित करे, उसकी गत सेवाएं अवकाश के लिए गिनी जा सकती है।

(ख) एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है, पर जो अपील या निगरानी (Revision) पर पुनः नियुक्त हो जाता है, तो वह अपनी पूर्व की सेवाओं को अवकाश के लिए गिनाने का हकदार होगा।

जांच निर्देशन

(१) एक व्यक्ति जो पूर्ण वयस्कता प्राप्त होने पर (Superannuation) या सेवा-निवृत्ति पेंशन पर सेवा निवृत्त हो गया है, उसकी पुनर्नियुक्ति (Re-employment) साधारणतया एक अपवाद स्वरूप एवं अस्थाई उपाय है। ऐसे मामलों में पुनर्नियुक्त व्यक्ति की सेवा को अस्थाई समझा जाना चाहिए तथा पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसका अवकाश, अस्थाई राज्य कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले नियमों के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए।

×(२) हटा दी गई।

×राजस्थान सरकार का निर्णय

ऐसे मामले मे जिसमे कि सार्वजनिक सेवा मे त्याग पत्र को राजस्थान सेवा नियमों के नियम २०८ (ख) के अर्थ के अनुसार त्याग पत्र के रूप मे नही समझा जाता है, तो अवकाश के मामले मे भी उसे सेवा को निरन्तर गिने जाने का लाभ दिया जाना चाहिए।

नियम ५६. अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है (Leave can not be claimed as right)—अवकाश अधिकार के रूप में नही मांगा जा सकता है। अवकाश स्वीकृत करने वाले के निर्णय पर आधारित है कि वह सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है या उसमे वापिस (revoke) बुला सकता है। परन्तु ऐसे अधिकारी की इच्छानुसार राज्य कर्मचारी द्वारा अपने बकाये अवकाश के प्रकार के लिए व दिनों के लिए दिए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। चूंकि स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के लिए स्वतन्त्रता है कि वह इस नियम के अन्तर्गत चाहे अवकाश की किस्म [redacted] उतने दिनों के अवकाश को अस्वीकृत या वापिस रद्द कर सकता है, उसे यह स्वतन्त्रता नहीं कि वह आवेदन किए गए अवकाश के रूप में परिवर्तन करे।

(विशेष–सक्षम अधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को कितने ही समय का अस्वीकृत कर सकता है, परन्तु एक कर्मचारी यदि किसी प्रकार के उसके बकाया अवकाश के लिए कितने ही दिन का अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन करे तो अधिकारी चाहे अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है परन्तु उसे अवकाश के रूप व दिनो की संख्या बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

राजस्थान सरकार का निर्णय

+ अभी अभी कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जहां राज्य कर्मचारियों द्वारा उपभोग किए गए दो अवकाशो के बीच की सेवा का समय केवल नाम मात्र का था। ऐसे मामलो मे अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५६ के अन्तर्गत अपने निर्णयानुसार अवकाश नियमो की अवहेलना करने के प्रयत्न को रोकने मे असफल रहे तथा नियमों की अवहेलना करके उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों ने अवांछनीय लाभ प्राप्त किए।

राजस्थान सेवा नियमो के नियम ५६ के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत करने वाला एक अधिकारी, एक कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छानुसार उपार्जित अवकाश या अर्द्ध वेतन अवकाश के लिए आवेदन किए गए विकल्प मे दखल देने का कोई अधिकार नही रखता है। इसलिए जब एक बार

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३४) एफ डी. (व्यय–नियम) ६३ दिनांक २८-१२-६३ द्वारा उक्त टिप्पणी हटाकर उसके नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय को शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (२१) एफ डी ए/(नियम) ५८ दिनांक ७-२-५६ द्वारा शामिल किया गया।

अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तो उन्हें लगातार दो प्रकार के अवकाशों के रूप समझा जाकर एक रूप में नहीं बदला जा सकता है तथा राज्य कर्मचारी को नियमों द्वारा अवांछनीय लाभ उठाने से नहीं रोका जा सकता है। फिर भी सक्षम अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५६ के अन्तर्गत किसी प्रकार के अवकाश को अस्वीकृत कर इस प्रकार अवकाश नियमों की अवहेलना करने के प्रयत्नों पर प्रतिबन्ध डाल सकते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए कि ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य कर्मचारियों ने सेवा के अल्प समय के बाद ही किसी नये प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया हो, वह सावधानी पूर्वक इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जांच करें कि नियमों के पालन का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा यदि किन्हीं कारणों से यह विश्वास हो जाए कि अवकाश नियमों का या उनके आशय का गलत ढंग से लाभ उठाने की चेष्टा की जारही है तो सक्षम अधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५६ के अन्तर्गत अपने निर्णय के अधिकार का उपयोग कर उसके अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है।

नियम ६०. अवकाश का प्रारम्भ व अन्त—साधारणतया अवकाश उस दिन से प्रारम्भ होना है जिसको कि कार्यभार का स्थानान्तरण होता है तथा चार्ज लेने के पहिले दिन अन्त होता है। जब भारत के बाहर विदेश से लौटकर आने वाले राज्य कर्मचारी को उपस्थिति का समय (ज्वाइनिंग टाइम) स्वीकृत किया जाता है तो उसके अवकाश का अन्तिम दिन वह होगा जिस दिन के पहिले कि वह जहाज, जिसमें वह यात्रा कर रहा है, अपने रवाना होने के स्थान या लंगर पर, उतरने के बंदरगाह पर पहुँचे, यदि वह वायुयान द्वारा लौटता है तो वह दिन होगा, जिसको वह उस वायुयान में लौटता है, भारत में अपने पहिले नियमित बन्दरगाह पर पहुँचे।

नियम ६० क. अवकाश के समय में पता—अवकाश पर रवाना होने वाले प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने अवकाश के प्रार्थना पत्र पर अपना पता लिखना चाहिए जिससे कि उस समय में उसके पास पत्र इत्यादि पहुँच सकें। (अवकाश काल में) पते में परिवर्तन होने पर, यदि कोई हो. तो उसकी सूचना, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के पास पहुँचा देनी चाहिए।

नियम ६१. अवकाश एवं उपस्थिति के समय (Joining time) के साथ अवकाशों (Holidays) का समन्वय (combination)—जब राज्य कर्मचारी के अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन तथा अवकाश या उपस्थिति का समय समाप्त होने के बाद ही कोई सरकारी अवकाश (Holiday) या एक से अधिक अवकाश हों तो राज्य कर्मचारी पूर्व दिन की समाप्ति पर अपने कार्यालय को छोड़ सकता है या आने वाली छुट्टी को या अधिक छुट्टियों में अन्तिम दिन की छुट्टी को लौट सकता है, परन्तु शर्त यह है कि –

[क] उसके स्थानान्तरण या कार्यभार के संभालने में स्थाई एडवान्स के अतिरिक्त जमानतें (Securities) या धनराशियों का कार्यभार संभालना या संभलाना शामिल न हो।

[ख] उसका शीघ्रतापूर्वक रवानगी में एक राज्य कर्मचारी को दूसरे स्टेशन से

अपनी सेवाओं को पूरा करने के लिए उस तरह शीघ्र रवाना न होना पड़ता हो।

[ग] उसके लौटने में विलम्ब होने से ऐसे राज्य कर्मचारी के किसी दूसरे स्टेशन से स्थानान्तरण होने में देर नहीं हो रही हो जो कि वह उसकी अनुपस्थिति में कार्य कर रहा था या उस पर अस्थाई रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को राज्यकीय सेवा से मुक्त करने में विलम्ब नहीं होता हो।

नियम ६२. मुक्त (Exempt) करने की शक्ति—इस शर्त पर कि विदा होने वाला कर्मचारी अपने चार्ज की धनराशि का उत्तरदायी बना रहे, तो एक सक्षम अधिकारी घोषणा कर सकता है कि किसी विशेष मामले में नियम ११ के अन्तर्गत (क) भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

नियम ६३. अवकाश के साथ छुट्टियों के समन्वित होने पर अनुवर्ती व्यवस्थाओं का प्रभावशील होना (Consequential arrangements when effective, if holidays combined with leave)—जब तक सक्षम अधिकारी किसी एक मामले में अन्यथा प्रकार से निर्देशित न करे—

[क] यदि छुट्टियां (holidays) अवकाश से पूर्ववर्ती (Prefix) हों तो अवकाश व वेतन व भत्तों की कोई अनुवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव छुट्टियों के बाद प्रथम दिन से पड़ेगा।

[ख] यदि छुट्टियां अवकाश या उपस्थिति के समय (Joining time) से परवर्ती (affix) हो तो छुट्टी या उपस्थिति का समय उस रोज समाप्त किया हुआ समझा जाता है तथा वेतन एवं भत्तों की किसी अनुवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव उस दिन से पड़ता है जिसको कि अवकाश एवं उपस्थिति के समय का अन्त हो जाए, यदि उसके आगे कोई सरकारी छुट्टियां नहीं होती।

* **नियम ६४. अवकाश (Leave) में नौकरी स्वीकार करना**—(१) एक राज्य कर्मचारी अवकाश काल में कोई भी सेवा या कोई नियुक्ति (जिसमें निजि व्यवसाय की स्थापना, लेखापाल, सलाहकार कानूनी या चिकित्सा सम्बन्धी प्रेक्टिस भी शामिल है) सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकार नहीं कर सकता।

+[२] एक राज्य कर्मचारी जिसको अवकाश काल में किसी सरकार या प्राइवेट नियुक्तक के अधीन नौकरी करने की आज्ञा दे दी गई है, उसका अवकाश वेतन राज्यपाल के आदेशानुसार निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

---

* वित्त विभाग के आदेश सं. ६४०३/५६/एफ./ ए.(३४) एफ. डी. ए./नियम/५६ दिनांक १०-११-५६ द्वारा संशोधित किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (८६) आर/५६ दिनांक १२-८-५८ द्वारा शामिल किया गया।

टिप्पणी

(१) यह नियम आकस्मिक साहित्यिक कार्य या परीक्षक के रूप में सेवा या ऐसी समान सेवा पर लागू नहीं होगा तथा यह नियम उस विदेशी सेवा स्वीकार करने पर भी लागू नहीं होगा जो कि नियम १४१ के अन्तर्गत आती है।

× (२) यह नियम उन पर भी लागू नहीं होगा जहां राज्य कर्मचारियों को कुछ मर्यादित सीमा तक निजि प्रेक्टिस करने की एवं उसकी फीस प्राप्त करने की स्वीकृति, उसकी सेवा की शर्तों के अंश के रूप में दी गई है, उदाहरणार्थ जैसे एक चिकित्सक को निजि चिकित्सा करने का अधिकार स्वीकृत किया गया है।

+ स्पष्टीकरण

एतद्द्वारा सन्देह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम ६४(२) के द्वारा अवकाश वेतन पर डाला गया प्रतिबन्ध समान रूप से अस्थाई सेवा में नियुक्त ऐसे राज्य कर्मचारी के लिए भी लागू होगा जो कि अवकाश के भीतर या ऐसे अवकाश में जिसके समाप्त होने पर उसके सेवा पर वापिस आने की आशा न हो किसी राज्य सरकार या प्राइवेट नियुक्तक के अधीन नौकरी स्वीकृत कर लेता है या किसी स्थानीय निधि से दिए जाने वेतन वाली नौकरी स्वीकार कर लेता है।

यह और भी निर्णय किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबन्ध संविदा (Contract) अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ एक राज्य कर्मचारी जिसे निवृति पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) या अस्वीकृत अवकाश के भीतर किसी अन्य सरकार या एक गैर-सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय किसी सेवा में नौकरी करने की स्वीकृति दे दी गई है, तो उसका वेतन अर्द्ध वेतन अवकाश पर प्राप्य अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगा।

नियम ६५. निवृति पूर्व अवकाश पर राज्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति— जब कोई राज्य कर्मचारी जो कि अनिवार्य सेवा निवृति की तिथि से पूर्व निवृति पूर्व अवकाश पर रवाना हो चुका हो, तथा उसे ऐसे अवकाश में सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्त करने की जरूरत पड़ती हो तथा वह सेवा (ड्यूटी) पर आने के लिए रजामन्द हो तो उसे सेवा पर वापिस बुला लिया जावेगा तथा सेवा पर उपस्थित होने के दिन से जो भी अवकाश का भाग शेष रहेगा वह रद्द कर दिया जावेगा। इस प्रकार जो अवकाश

× वित्त विभाग के आदेश संख्या डी ६४०३/५९ एफ/ ७ ए (३४) एफ डी. ए (नियम) ५९ दिनांक ३०-११-५९ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १ (८६) आर ५६ दिनाङ्क १२-८-५८ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के मीमो संख्या १ एफ (१६) एफ.डी. (ए) आर/५७–१ दिनांक ३०-६-६१ द्वारा शामिल किया गया।

(२ किया जाएगा वह अस्वीकृत अवकाश (Refused leave) के रूप में समझा जावेगा तथा वह अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख से या पुनर्नियुक्ति की तारीख समाप्त होने के बाद से स्वीकृत किया जावेगा यदि राज्य कर्मचारी अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख तक या पूर्वोक्त तारीख के बाद तक, जैसी भी स्थिति हो, सेवा में चलता रहे। एक राज्य कर्मचारी जिसे पूर्ण वयस्कता प्राप्त होने के पूर्व निवृति पूर्व अवकाश में किसी अन्य सरकार के अधीन या गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देश सेवा के अधीन नौकरी करने की स्वीकृति दी गई है, उसका अवकाश वेतन उसके अर्द्ध वेतन अवकाश के वेतन की राशि के बराबर होगा।

+ (२) हटा दिया गया।

टिप्पणी

× वित्त विभाग के आदेश संख्या ३५ (२०) आर/५२ दिनांक १२-७-५२ के द्वारा नियम ६५ का संशोधन दिनांक १-४-५१ से प्रभावशील होगा जिसको कि राजस्थान सेवा नियम लागू हुये हैं।

राजस्थान सरकार के निर्णय

÷ निर्णय संख्या १—विलीनीकरण (Integration) विभाग के आदेश संख्या ४०१ जी. डी./खण्ड II/दिनांक २४-६-४६ एवं संख्या २६ खण्ड II दिनांक १४-८-४६ के अन्तर्गत बहुत से राज्य कर्मचारी, उनके बकाया अवकाश के पूर्ण या आंशिक रूप में उपभोग करने से पूर्व ही अस्थाई रूप से पुनर्नियुक्त कर लिये गए थे। उनके बकाया अवकाश के उपभोग तथा उसे पेन्शन के लिये योग्य सेवा में गिने जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को अवकाश पर के रूप में उस समय तक समझा जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक कि उस पद पर कार्य करते हुये उनका अवकाश समाप्त नहीं हो जाता है जिस पर वे पुनर्नियुक्त हुये है तथा उस मामले में उन्हें पुनर्नियुक्ति पर आधारित किये गये वेतन के अतिरिक्त आधा अवकाश वेतन प्राप्त करने की तथा अवकाश के समय को पेन्शन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जाती है। यदि इस प्रकार पुनर्नियुक्त कर्मचारी इस रियायत का लाभ उठाना नहीं चाहता हो तो वह पुनर्नियुक्ति की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे अवकाश में प्राप्य पूर्ण अवकाश वेतन प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में उसकी सेवा निवृति पुनर्नियुक्ति से पूर्व में मानी जावेगी तथा वह अवकाश का समय पेंशन के लिये नहीं गिना जावेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ (१६) एफ.डी.ए/नियम/५७-II दिनांक ३०-६-६१ द्वारा हटा दिया गया।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ३५ (५१) आर/५२ दिनांक ११-४-५३ द्वारा शामिल की गई।

÷ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ ३५ (१) आर/५२ दिनांक १-२-५२ द्वारा शामिल किया गया।

+ ऐसे मामले जिनमें प्रारम्भ में सिफारिश की गई अवकाश की अवधि या प्रारम्भ में सिफारिश किए गए तथा उसके बाद में और सिफारिश की गई अग्रिम अवकाश की अवधि, यदि २ माह से ज्यादा नही हो तो चिकित्सा अधिकारी को यह आवश्यकीय रूप से प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या उसकी राय में अधिकारी का मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होना जरूरी है अथवा नहीं।

नियम ७१. मेडिकल कमेटी के सामने उपस्थित होना—ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर राज्य कर्मचारी को, केवल नियम ७४ के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, अपने कार्यालय के अध्यक्ष से या स्वयं के कार्यालय के अध्यक्ष होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद उसे अपने मामले की दो प्रतियों के साथ कमेटी के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। कमेटी का निर्माण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से बुलाई जावेगी। कमेटी या तो जयपुर या ऐसे अन्य स्थान पर बुलाई जावेगी जिसे सरकार तय करे।

नियम ७२. मेडिकल कमेटी का प्रमाण पत्र—प्रार्थित अवकाश या अवकाशवृद्धि स्वीकृत किए जाने के पहिले राज्य कर्मचारी को कमेटी से निम्न प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—

'हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम व्यवसायात्मक निर्णय के अनुसार मामले की व्यक्तिगत जांच करने के बाद हम श्री······के स्वास्थ्य को ऐसा समझते है कि उसको स्वस्थ होने के लिए माह की अवधि तक का अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकार किया जाना अत्यावश्यक है।

नियम ७३. संदिग्ध मामलों में व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना—प्रमाण पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के निर्णय से पूर्व, समिति, संदिग्ध मामले में १४ दिवस तक प्रार्थी को व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोक सकती है। उस स्थिति में समिति द्वारा निम्न सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए—

श्री ··· ने अवकाश स्वीकृत कराने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए हमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार का प्रमाण देने या अस्वीकृत करने से पूर्व हम ·· दिनों के लिए श्री ···· ··················को व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना जरूरी समझते हैं।

नियम ७४. मेडिकल कमेटी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना—

(१) यदि प्रार्थी की हालत के बारे में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा या जिला चिकित्सा अधिकारी के पद से ऊपर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि वह कमेटी के सम्मुख किसी भी समय उपस्थिति होने में असमर्थ है तो अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी नियम ७२ में निर्धारित किए गए प्रमाण पत्र के बदले में निम्न में से किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकता है।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४७) एफ डी.(ए) नियम/६१ दिनाङ्क २८-११-६१ द्वारा संशोधित किया गया।

※ [क] जिला चिकित्सा अधिकारी पद के या उनसे ऊपर के दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र, या

[ख] यदि अधिकारी दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे तो जिला चिकित्सा अधिकारी के पद या उससे ऊपर के पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा जिलाधीश या डिवीजन के कमिश्नर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया हुआ प्रमाण पत्र।

※ (२) फिर भी उपनियम (१) में कुछ दिए गए अनुसार अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी नियम ७१ व नियम ७२ में दिए गए तरीके को समाप्त कर सकता है:—

[१] जब अधिकृत मेडिकल एटेन्डेन्ट द्वारा सिफारिश किया गया अवकाश २ माह से ज्यादा का न हो, या

[२] जब प्रार्थी का अस्पताल के भीतर (इनडोर) मरीज के रूप में इलाज चल रहा हो तथा उसके इलाज के समय तक के अवकाश को सिफारिश कम से कम जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के समकक्ष अस्पताल में उस मामले के मेडिकल आफीसर इन्चार्ज द्वारा की गई हो।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसा चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में प्रार्थी को मेडिकल कमेटी के समक्ष उपस्थित किया जाना जरूरी नहीं है।

नियम ७५. चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार प्रदान नहीं करता है—नियम ७२ या नियम ७४ के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिए जाने से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी किसी अवकाश का अधिकार स्वयं प्राप्त नहीं करता है। प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले राज्य कर्मचारी को पेश किया जाना चाहिए तथा उस पर उस अधिकारी के आदेशों की इन्तजार की जानी चाहिए।

नियम ७६. अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध का तरीका—(क) उच्च सेवा में नियुक्त प्रत्येक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर आवेदन किए गए प्रत्येक अवकाश आवेदन पत्र के साथ इस नियम के नीचे निर्धारित प्रपत्र में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा जिसमें बीमारी की प्रकृति तथा उसकी अवधि को यथा सम्भव स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। या आवेदन पत्र के साथ अपनी किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की प्रार्थना संलग्न की जाएगी।

(ख) अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी, अपनी इच्छा पर जिला चिकित्सा

※ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४०) एफ.डी./ए/नियम/६१ दिनांक २८-११-६१ द्वारा शामिल किया गया।

अधिकारी से प्रार्थी के स्वास्थ्य की जांच कर दूसरी चिकित्सा सम्बन्धी राय मांग सकता है। यह निर्णय लेने पर दुबारा जांच का प्रबन्ध प्रथम बार की गई जांच के यथा सम्भव शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिए।

(ग) जिला चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य बीमारी के तथ्यों तथा उसके लिए सिफारिश की गई अवकाश की अवधि दोनों के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करना होगा इसके लिए या तो वह अवकाश पर से राज्य कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है या उसके द्वारा मनोनीत किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

अवकाश या अवकाश वृद्धि या अवकाश या रूपान्तरित अवकाश की सिफारिश हेतु

मैं .... मामले की सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत जांच करने के बाद एतद् प्रमाणित करता हूं कि श्री .... जिनके हस्ताक्षर ऊपर किए हुए हैं, ... से पीड़ित है तथा मैं सोचता हूं कि उनके स्वस्थ होने के लिए दिनांक .... से .... अवधि तक सेवा से उनका अनुपस्थित होना नि आवश्यक है।

दिनांक

सरकारी चिकित्सा अधिकारी या अन्य रजिस्टर्ड चिकि

टिप्पणी

इस नियम में निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी स्वत अवकाश स्वीकृत कराने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है।

राजस्थान सरकार का निर्णय

+ कुछ सन्देह उत्पन्न किए गए हैं कि क्या उच्च सेवा में नियुक्त अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के आवेदन पत्र के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७६ (क) के प्रयोजन के लिए उसमें प्रयुक्त 'रजिस्टर्ड चिकित्सक' शब्द में केवल रजिस्टर्ड ऐलोपेथिकल चिकित्सकों को ही माना जाएगा या उसमें आयुर्वेदिक व यूनानी पद्दति पर चिकित्सा करने वाले रजिस्टर्ड चिकित्सकों को भी माना जावेगा। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७६ (क) में प्रयुक्त 'रजिस्टर्ड चिकित्सक' शब्द का अर्थ इस रूप में लगाया जावे कि उसमें चिकित्सा आधार पर (नियम ७६ (क) व नियम ८३ के प्रयोजन के लिए) अवकाश के आवेदन पत्र के साथ आयुर्वेदिक या यूनानी रजिस्टर्ड चिकित्सकों के प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जा सकें, या

+ वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ १ (१२) एफ II/५३ दिनाङ्क ३०-१०-५३ द्वा शामिल किया गया।

होमियोपैथिक चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र किसी ऐसे कार्य के लिए स्वीकृत नही किए जावेंगे जिसके लिए नियमो के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र पहिले चाहा गया हो।

नियम ७७. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश—एक अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के अथवा अवकाश वृद्धि के प्रार्थना के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी, जैसा उचित समझे, किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को स्वीकार कर सकती है।

नियम ७८. सेवा पर उपस्थित न हो सकने योग्य राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र—किसी एक ऐसे मामले में जिसमें यह प्रतीत हो कि राज्य कर्मचारी के सेवा पर पुनः उपस्थित होने के समय का कोई आसार नहीं है, चिकित्सा अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत किए जाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। ऐसे मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र में केवल यही राय लिखी जानी चाहिए कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा करने में स्थायी रूप से अयोग्य है।

नियम ७९—मेडिकल कमेटी या चिकित्सा अधिकारी के किसी राज्य कर्मचारी को अवकाश की सिफारिश के प्रत्येक प्रमाण पत्र में इस बात का एक प्रावधान किया जायेगा कि इस प्रमाण पत्र में की गई सिफारिश किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसे अवकाश प्रदान कराने की साक्षी उपस्थित नहीं करेगी जो कि राज्य कर्मचारी को अपने सेवा शर्तों के अधीन या उस पर लागू नियमों के अधीन नहीं मिल सकती हो।

खण्ड २

अवकाश की स्वीकृति (Grant of Leave)

नियम ८०. अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकता (Priority of claims to leave)—ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अवकाश के सभी प्रार्थना पत्रों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, एक अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को, यह निर्णय करने में कि कौन से प्रार्थना पत्र का अवकाश पहिले स्वीकृत किया जाना चाहिए, निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए—

(क) वे राज्य कर्मचारी जो, हाल फिलहाल, अच्छी तरह अवकाश पर जा सकते हैं।

(ख) विभिन्न प्रार्थियों की बकाया अवकाश की अवधि।

(ग) पिछले अवकाश से वापिस आने के बाद प्रत्येक प्रार्थी द्वारा की गई सेवा की वधि व सेवा की किस्म।

(घ) कोई ऐसा तथ्य जिसमें राज्य कर्मचारी को पहिले अपने अन्तिम अवकाश से ापिस सेवा मे आवश्यकीय रूप में बुलाया गया हो।

(ङ) कोई ऐसा तथ्य जिसके अनुसार पहिले किसी राज्य कर्मचारी को सार्वजनिक ़त की दृष्टि से अवकाश की स्वीकृति नही दी हो।

⁂ **नियम ८१. राज्य सेवा में वापिस लौटने के अयोग्य राज्य कर्मचारी को अवकाश की स्वीकृति**—जब एक चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी हो कि ऐसा कोई उचित आसार नहीं है कि एक अमुक राज्य कर्मचारी कभी सेवा पर वापिस आ सकेगा तो ऐसे राज्य कर्मचारी का अवकाश आवश्यकीय रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यदि उसका अवकाश बकाया हो तो उसे सक्षम अधिकारी निम्न शर्तों पर स्वीकृत कर सकता है—

(क) यदि चिकित्सा अधिकारी निश्चयपूर्वक यह कहने में असमर्थ हो कि राज्य कर्मचारी पुनः कभी सेवा में आने के योग्य न हो सकेगा, तो कुल अवकाश अधिकतम १२ माह तक का स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार का अवकाश बिना चिकित्सा अधिकारी की राय के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(२) यदि एक राज्य कर्मचारी एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से व अस्थाई रूप से आगम सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे अवकाश या अवकाश वृद्धि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख के बाद, अवकाश की अवधि, जो उसके अवकाश खाते में जमा हो, व सेवा का समय ६ माह से ज्यादा का न हो।

÷ (२) व (३) हटा दिए गए।

नियम ८२. बर्खास्त किए जाने वाले राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकार न करना—एक ऐसे राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए जो दुर्व्यवहार या सामान्य अयोग्यता के आधार पर राजकीय सेवा से शीघ्र बर्खास्त किया जाने वाला हो या हटाया जाने वाला हो।

+ **नियम ८२ क. राजपत्रित अधिकारियों के लिए अवकाश**—केवल अति आवश्यक मामलों को छोड़कर, जिसमें कि अवकाश राज्य कर्मचारी की जिम्मेदारी पर जैसे अस्वीकार्य अवकाश का परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, स्वीकृत किया जाएगा, एक राजपत्रित अधिकारी को अवकाश जब तक महा लेखापाल से उसके बकाया अवकाश की सूचना न आ जाए, तब तक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अवकाश की सूचना अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महा लेखापाल से मंगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि वह विदेशी सेवा में नियुक्त न हो।

⁂ वित्त विभाग के आदेश सं. एफ डी ३६७२/एफ. ७ ए(१२) ६२ एफ डी (ए)द्वारा संशोधित

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए (१२) एफ.डी./ए/नियम/५८ दिनांक ३०-१०-५८ द्वारा हटाई गई।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ५ (१) एफ. आर (५६) दिनांक ११-१-५६ द्वारा शामिल किया गया।

टिप्पणी

एक राज्य कर्मचारी जो राजपत्रित पद पर कार्यवाहक रूप से काम कर रहा हो उसके अवकाश की प्राप्यता आडिट आफिसर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

नियम ८३. अवकाश से सेवा पर उपस्थित होते समय योग्यता का प्रमाण पत्र—एक राज्य कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो, उसे सेवा पर उस समय तक नहीं लिया जा सकता है जब तक कि वह निम्न रूप में एक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है:—

हम मेडिकल कमेटी के सदस्य / के सिविल सर्जन / के रजिस्टर्ड चिकित्सक एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमने /मैंने.......................... विभाग के श्री......................... की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है तथा यह पाया है कि वह अब पूर्ण स्वस्थ हो गया है तथा अब वह राजकीय सेवा में उपस्थित होने के योग्य है। हम/मैं यह निर्णय देने से पहिले भी प्रमाणित करते हैं/करता हूं कि हमने/मैंने मामले के उन मूल चिकित्सा प्रमाण पत्रों व विवरणों की (या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों की) जांच की है जिन पर कि उसने अवकाश लिया है या अवकाश में वृद्धि कराई है तथा इस निर्णय को देने में हमने/मैंने इनको ध्यान में रखा है।

मामले के मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र व विवरण जिस पर कि अवकाश मूल रूप में स्वीकृत किया गया था या अवकाश में वृद्धि की गई थी, उन्हे उक्त प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए मामले के मूल प्रमाण पत्र व विवरण दो प्रतियों में तैयार किए जाने चाहिए तथा एक कापी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा अपने पास रखनी चाहिए।

नियम ८४ राज पत्रित कर्मचारियों को मेडिकल कमेटी से कब योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—यदि अवकाश पर रहने वाला राज्य कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी है तो केवल निम्न लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, उसे मेडीकल कमेटी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—

(क) वे मामले जिनमें अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक की न हो।

(ख) ऐसे मामले जिनमें अवकाश तीन माह से अधिक का हो या जिनमें तीन माह के अवकाश के बाद तीन माह या इससे कम का और अवकाश बढाया गया हो तथा मूल प्रमाण पत्र या वृद्धि का प्रमाण पत्र स्वीकृत करने वाली मेडिकल कमेटी का यह कहना हो कि ऐसा प्रमाण पत्र देने के समय राज्य कर्मचारी को योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी अन्य मेडीकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने की जरूरत नही है।

अपवाद स्वरूप मामलों में प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि अवकाश पर रहने वाला राज्य कर्मचारी राज पत्रित अधिकारी नहीं है तो सक्षम

पर अवकाश के रूप में समझा जाएगा जब तक कि उसका अवकाश सरकार द्वारा नहीं बढाया जाता है । अवकाश समाप्ति के बाद सेवा से ऐच्छिक रूप से अनुपस्थिति (Wilful absence) इस नियम के प्रयोजन के लिए दुव्यर्वहार (Misbehaviour) के रूप में समझी जानी चाहिए ।

÷ राजस्थान सरकार का निर्णय

एक राज्य कर्मचारी के अवकाश के बिना या अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व, सेवा से अनुपस्थित रहने के समय को किस रूप में समझा जाय इस सम्बन्ध में एक सन्देह उठाया गया है।

स्थिति यह है कि सेवा से इच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना दुव्यर्वहार है तथा उसे इस ही रूप में समझा जाता है । अवकाश के बिना अनुपस्थिति उसकी पुरानी सेवाओं को समाप्त करते हुए उसकी सेवा के क्रम में व्यवधान (Interruption) डालती है जब तक कि उसके सन्तोषजनक कारण उपस्थित न किया जा सकें तथा अनुपस्थिति का समय स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा असाधारण अवकाश में नहीं बदल दिया जाता है ।

अध्याय ११

अवकाश (LEAVE)

खण्ड १—सामान्य

नियम ८७. लागू होने की योग्यता (Applicability)—राज्य कर्मचारियों को प्राप्य अवकाश की प्रकृति व उसकी अवधि के सम्बन्ध में इस अध्याय के नियम (पद्धति सम्बन्धी नियमों को छोड़कर) केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो स्थाई रूप में स्थाई पद पर काम करते हैं केवल उसी स्थिति में ये नियम अस्थाई राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जहां यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नियम उन पर लागू होंगे ।

× नियम ८७. (क)—अवकाश का लेखा (Leave Account)—प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा परिशिष्ट २ (क) में दिए गए फार्म संख्या १ में तैयार किया जावेगा ।

× नियम ८७. (ख) (१) राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश का लेखा-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश का लेखा राजस्थान के महालेखापाल द्वारा व उसके निर्देशन के अन्तर्गत तैयार किया जावेगा ।

÷ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ ३५ (२९) आर/५२ दिनांक ९-७-५२ द्वारा शामिल किया गया ।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १० (६) एफ II/५४ दिनांक १४-६-५४ द्वारा शामिल किये गये ।

(२) अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश लेना—अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश का लेखा उसी कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

एक अराजपत्रित कर्मचारी जो एक राजपत्रित पद पर कार्यवाहक रूप में काम कर रहा है, यदि वह अवकाश पर जाता है तो उसे सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए जैसे अधिसूचना जारी करने के लिए, अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश की वृद्धि की स्वीकृति आदि के लिए अवकाश काल में उसे राजपत्रित पद को धारण किया हुआ ही समझा जाना चाहिये तथा यह ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये कि वह अवकाश 'वार्षिक वृद्धि' में गिना जाना चाहिये अथवा नहीं, वह उस राजपत्रित पद पर कार्य करता रहता या नहीं, लेकिन वह अवकाश पर चला गया, एवं चाहे उसके अवकाश की समाप्ति पर वह अपने राजपत्रित पद पर लौटेगा या नहीं।

(२) यदि ऐसा राज्य कर्मचारी किसी अराजपत्रित केडर पर अपना लीयन रखता है जिसमें अवकाश रिजर्व (Leave Reserve) भी शामिल है, तो अवकाश लेने पर वह अवकाश उस केडर से लिया गया अवकाश गिना जायगा एवं इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की दृष्टि में ही राय ले लेनी चाहिए तथा उसे अवगत कराया जाना चाहिए।

(३) यह निर्णय उस राज्य कर्मचारी पर भी लागू होगा जो एक राजस्थान सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार में या इसके विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया हो तथा अपने मौलिक कार्यालय में अपना लीयन (सक्रिय या निलम्बित) रखता हो, यदि वह उधार लेने वाले कार्यालय (Borrowing office) में राजपत्रित पद पर कार्यवाहक रूप में काम करते हुए अवकाश पर जाता हो। भविष्य में ऐसे अधिकारियों के मामले में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए—

(क) उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा अवकाश एवं उसकी वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए एवं प्रकाशित की जानी चाहिए, एवं

(ख) अवकाश वेतन प्रारम्भ में उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा ही दिया जाना चाहिए एवं अवकाश वेतन का नियमित करने वाले उचित नियमों के अनुसार अन्तिम रूप में समाधान (Adjustment) किया जाना चाहिए।

नियम ८८. विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय—किसी भी किस्म का अवकाश किसी भी अन्य किस्म के अवकाश के साथ में या क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम ८९. पूर्ण वयस्कता वय की तिथि के बाद का अवकाश (Leave beyond date of Superannuation)—उस तारीख के बाद का कोई भी अवकाश स्वी–

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. १० (६) एफ. II/ ५४ दिनांक १४–६–५४ द्वारा शामिल किया गया।

खंड ५—मृत्यु-सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी एवं परिवार पेंशन आदि
(Death-Cum-Retirement Gratuity and family pension etc.)

+ **नियम २०० क-तरीका** (Precedure)—मृत्यु-सह-सेवा-निवृति-ग्रेच्युटी एवं परिवा[र] पेंशनों के लिए प्रार्थना पत्र, स्वीकृति एवं मुगतान का तरीका निम्न प्रकार से होगा—

मृत्यु-सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी

(ख) जब एक राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा निवृति पर ग्रेच्युटी दी जाती हो तो ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र इन नियमों के परिशिष्ट ७ के फार्म 'ज' में दिया जाना चाहिए।

फार्म के पृष्ठ तीन पर महालेखापाल द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के प्राप्त करने पर सक्षम अधिकारी, जो वही होगा जो कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम है, औपचारिक रूप से ग्रेच्युटी स्वीकार कर सकता है। इसके बाद मुगतान ट्रेजरी नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा जिनको कि नीचे दोहराया जा रहा है—

'ग्रेच्युटियों का भुगतान महालेखापाल से आज्ञा प्राप्त करने पर किया जावेगा जिसे कि स्वीकृति की सूचना स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा या अन्य आडिट अधिकारी द्वारा दी जावेगी। प्राप्त करने वाले को उस आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके द्वारा ग्रेच्युटी की स्वीकृति उसे दी गई है तथा वितरण अधिकारी (Disbursing officer) इस प्रकार से प्रस्तुत किए गये आदेश की प्रतिलिपि पर भुगतान कर दिये जाने के तथ्य को अंकित करेगा।

ग्रेच्युटियां वैध रूप से उनको पाने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को ही दी जानी चाहिए एवं उन्हीं की रसीद पर दी जानी चाहिये न कि कार्यालय के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष की उनकी रसीद पर दी जानी चाहिये जिनमें कि ग्रेच्युटी प्राप्त करने वाला पहले सेवा करता था।

÷ यदि राज्य कर्मचारी भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही मर जाता है तो राशि नियम २५७ (२) में वर्णन किए गये व्यक्तियों को दी जावेगी।

जब ग्रेच्युटी की रकम मनोनीत व्यक्ति अथवा नियम २५७ ( ) में वर्णित व्यक्तियों को दी जानी हो एवं यदि राज्य कर्मचारी ने निर्धारित प्रपत्र में मनोनयन किया है तथा मनोनयन मौजूद हो तो कार्यालय के अध्यक्ष/या विभागाध्यक्ष को राज्य कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त करने पर फार्म 'ज' के दूसरे पृष्ठ में उसकी सेवाओं का एक विवरण तैयार करना चाहिए। यदि कोई मनोनयन नहीं किया गया हो या मनोनयन मौजूद नहीं

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ३५ (ई) आर/५२ दिनांक २२-१-५२ द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं. एफ १(४४) [illegible] संशोधित किया गया।

(३१) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(३२) मृत्यु की तारीख या पेंशन का निर्धारण (आफीसर इन्चार्ज द्वारा प्रमाणीकरण किया जावेगा)

वृद्धावस्था पेन्शन फार्म ८

सब ट्रेजरी/ट्रेजरी.............................. वर्ष............ ....

क्र सं०	माह	पेंशनर का नाम	पेंशन की राशि	मनीआर्डर की रसीद संख्या	मनीआर्डर लौटाने के कारण
१	२	३	४	५	६

माह जिसमें बाद में भुगतान दिया गया	मनीआर्डर की रसीद संख्या	विशेष विवरण
७	८	९

वृद्धावस्था पेन्शन फार्म ९

वास्ते

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी ....

जिला..........................

श्री/श्रीमती........ ....पेन्शनर संख्या.... .. ..निवासी ग्राम/कस्बा, तहसील/जिला ....की मृत्यु .... को हो गई है।

स्थान — सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख — पद..........................

ग्रेच्युटी की रकम नियम २५७ (२) में वर्णित लोगों को दी जावेगी एवं ऐसे मामलों में अध्यक्षों/या विभागाध्यक्षों को राज्य कर्मचारी की सेवाओं का विवरण उसी प्रकार तैयार किया जावेगा जबकि नियम २५७ (२) में वर्णित व्यक्तियों से ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त हो। सेवाओं का विवरण एवं भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित राशि के बारे में सक्षम अधिकारी की प्राविधिक सिफारिशें (एवं उन व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम व पते जिनको यह दी जानी है तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में उनके मनोनयन पत्रों के साथ) महालेखापाल के पास सत्यापन के लिये भेज दी जावेंगी। सत्यापन के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद (एवं यदि मृत व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी है तो मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों की सूचना के बारे में महालेखापाल से निश्चय करने के बाद) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए औपचारिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। स्वीकृति में उन व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिन्हें ग्रेच्युटी देनी है, नाम, पते एवं उनका मृत राज्य कर्मचारी के साथ सम्बन्ध आदि का वर्णन किया जाना चाहिये एवं प्रत्येक को अलग अलग दी जाने वाली राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके बाद महालेखापाल धन राशि के वितरण की व्यवस्था उसी प्रकार करेगा जैसे कि सामान्य प्राविधिक निधि बकायों के भुगतान के लिए करता है।

(ग) जब ग्रेच्युटी का भुगतान नियम २५८ के अन्तर्गत किया जाना हो तो ऐसे मामले में राज्य कर्मचारी की सेवा सत्यापित की हुई मानी जावेगी एवं अन्य मामलों में उप-खण्ड (ख) में बतलाया गया तरीके का पालन किया जाना चाहिये।

परिवार पेंशन (Family Pension)

तरीके के अनुसार राज्य कर्मचारी की सेवाओं के सत्यापन करने के लिए प्रबन्ध करना चाहिए तथा परिवार पेंशन की राशि निश्चित की जानी चाहिए। महालेखापाल द्वारा आवश्यक जांच कर लेने पर एवं परिवार पेंशन की प्राप्यता के बारे में प्रमाण पत्र देने पर सक्षम अधिकारी, जो वही व्यक्ति होगा जो मृत राज्य कर्मचारी की पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम है, पेंशन के भुगतान की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर सकता है। स्वीकृति में जिस व्यक्ति को पेंशन दी जानी है, उसका नाम लिखा जाना चाहिए तथा उस अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए पेंशन दी जावेगी। स्वीकृति की प्राप्ति पर महालेखापाल निर्दिष्ट अवधि के लिए परिवार पेंशन पेमेन्ट आर्डर जारी करेगा एवं ऐसी घटना का वर्णन करेगा, जिसके होने पर, उसकी पेंशन रोक दी जानी चाहिए। परिवार पेंशन के प्राप्तकर्ताओं की पहिचान के मामलों में कोषाधिकारी राजस्थान ट्रेजरी नियमों में निर्धारित जांच करेगा एवं अन्य मामलों में जहां तक वे सेवा पेंशनों के भुगतान से सम्बन्ध है, वह राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। यदि वह पेंशनर, जिसे परिवार पेंशन स्वीकृत की जाती है, मर जाता है या जितने समय तक पेंशन अन्यथा प्रकार से स्वीकृत की गई है यदि उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही वह पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है तो उस बाकी बचे समय के लिए उससे नीचे दूसरे अधिकृत व्यक्ति के लिए पेंशन प्राप्त करने की दुबारा स्वीकृति दी जा सकती है तथा ऐसे मामलों में भी पूर्वोक्त तरीका अपनाया जाना चाहिए। यदि परिवार पेंशन एक नाबालिग बच्चे को दी जानी है तथा पेंशन स्वीकृत करने के समय वह एक नियमित नियुक्त संरक्षक रखता है तो पेंशन ऐसे संरक्षक के जरिए भुगतान से हेतु स्वीकृत की जा सकती है, एव ऐसे मामलों में उस व्यक्ति की, जिसको भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, एक विवरणात्मक सूची (दो प्रतियों में) फार्म 'च' में दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए। अन्यथा यह निम्न लिखित प्रस्तुत किए गए नियमानुसार भुगतान की जावेगी।

"जब एक पेंशन प्राप्तकर्ता नाबालिग हो या किसी कारणों के लिए स्वयं के कार्य करने में असमर्थ हो तथा जिसका कोई नियमित नियुक्त मैनेजर या संरक्षक न हो या जब कोई ऐसा मैनेजर या संरक्षक स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा मनोनीत नहीं किया गया हो तो जिलाधीश पेंशनर द्वारा या उसके पक्ष के आधार पर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने पर एवं ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह डालना चाहे, किसी भी उचित व्यक्ति को पेंशनर के पक्ष में उसकी बकाया पेंशन को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए मैनेजर या संरक्षक घोषित कर सकता है एवं ऐसे मैनेजर या संरक्षक को पेंशन का भुगतान उसी तरीके से किया जा सकता है जैसे कि मूल पेंशनर को किया जाता है। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक भुगतान के समय पर मूल पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवित होने के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त किए जाने चाहिए तथा वह भुगतान के समय के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होना चाहिए। किसी भी समय, ऐसा घोषणा पत्र जिलाधीश के निर्णय पर समाप्त किया जा सकता है या बदला जा सकता है।

पूर्वानुमित भुगतान (Anticipatory Payments)

÷ (झ) जब एक राज्य कर्मचारी को जिसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृति-ग्रेच्युटी दी जानी हो, उसकी ग्रेच्युटी की राशि उपरोक्त वर्णित तरीके के अनुसार निर्धारित व निश्चित किए जाने के पूर्व ही सेवा निवृत किए जाने की सम्भावना हो तो आडिट आफीसर उस ग्रेच्युटी की ३/४ भाग राशि तक के वितरण की स्वीकृति दे सकता है जिसके लिए कि, बिना किसी प्रकार की देर किए अत्यन्त सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद यह विश्वास करे कि, राज्य कर्मचारी उसकी लगातार अस्थाई सेवाओं के लिए पाने में अधिकृत होगा। राज्य कर्मचारी की मृत्यु की दशा में भी इस तरह का भुगतान उचित अनुपात में मनोनीत व्यक्तियों को स्वीकृत किया जा सकता है अथवा यदि मनोनयन नहीं किया गया है तो समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार जैसी भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य / सदस्यों को स्वीकृत की जा सकती है। सभी मामलों में मृत्यु सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी का पूर्वानुमित भुगतान उस समय किया जाना चाहिए जबकि प्राप्तकर्ता ने पहिले फार्म 'घ' में घोषणा दिया हो (राजस्थान सेवा नियम खण्ड २ का परिशिष्ट ७)

यह संशोधन इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।

+ (च) पूर्वानुमित परिवार पेंशन नियम २८६ में वर्णित तरीके के अनुसार अन्य पेंशन की तरह इस शर्त पर दी जा सकती है कि आडिट-आफिस इससे संतुष्ट है कि ऐसी पेंशन की स्वीकृति की तारीख तक सत्यापित करने पर, २५ साल से कम एवं ऐसी पेंशन की राशि उस राशि के ३/४ भाग से अधिक नहीं है जो कि स्वीकृति की तारीख तक सत्यापित की गई सेवा के आधार पर उसे स्वीकृत की जा सकती है।

अध्याय २६

पेंशनों का भुगतान (Payment of pensions)

नियम ३०१—साधारण मामलों में भुगतान की तारीख—विशेष आदेशों ... अध्याय २४ के अन्तर्गत असाधारण पेंशन के अतिरिक्त अन्य पेंशन का भुगतान उस तारीख से किया जाना है जिसको कि राज्य कर्मचारी स्थापन वर्ग में कार्य करना बन्द करता है या जिस तारीख को वह प्रार्थना पत्र देता है, इनमें से जो भी बाद

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ७ ए (४६) एफ डी /ए/आर/५६ दिनांक ...-६२ द्वारा परिवर्तित किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश सं० ४४६२/५७/ एफ १ (४०) एफ डी ए (नियम) ५५ दिनांक १८-७-५७ द्वारा शामिल किया गया।

में हो। इस दूसरे प्रकार के प्रावधान करने का उद्देश्य प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी को बचाना है। जब देर करने के कारणों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है तो पेंशन स्वीकृत करने वाला अधिकारी इस सम्बन्ध में नियम में रियायत भी कर सकता है।

नियम ३०२—विशेष मामलों में भुगतान की तारीख—पूर्वोक्त नियम साधारण पेंशन के मामलों पर लागू होता है न कि विशेष मामलों में। यदि, किसी विशेष परिस्थितियों में, राज्य कर्मचारी के सेवा से निवृत के होने पर्याप्त समय बाद उसे पेंशन स्वीकृत की जाती है तो उसे स्वीकृत करने वाले सरकार के आदेशों के बिना उसे पूर्व समय से (Retrospective effect) नहीं दिया जाना चाहिए। विशेष आदेशोंके अभाव में ऐसी पेंशन उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होती है।

नियम ३०३ असाधारण पेंशन के भुगतान की तारीख—यदि किसी मामले में असाधारण पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र देने में पर्याप्त रूप से विलम्ब किया गया हो तो वह मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट की तारीख से स्वीकृत किया जावेगा तथा ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए कोई प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा यदि वह घाव या चोट लगने मे ५ साल के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

※ **नियम ३०४** हटा दिया गया।

नियम ३०५ एक-मुश्त भुगतान करने योग्य ग्रेच्युटी (Gratuity payable in lump sum) महालेखापाल की आज्ञा प्राप्त होने पर ग्रेच्युटी एक मुश्त दी जाती है न कि किश्तों में।

नियम ३०६ पेंशन के भुगतान के लिए तरीका (Procedure for payment of pension):—ट्रेजरी नियमों (परिशिष्ट संख्या २५) में दिए गए नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान आगामी माह की हर प्रथम तारीख को या उसके बाद किया जावेगा।

टिप्पणियां

१—पेंशन पेमेन्ट आर्डर प्राप्त करने पर वितरण अधिकारी उसका आधा भाग पेंशनर को दे देगा तथा अन्य आधे भाग को इस तरीके से सावधानी पूर्वक अपने पास रखेगा कि पेंशनर उसे प्राप्त न कर सके।

(२) प्रत्येक भुगतान का इन्द्राज पेंशनर के आधे व वितरण अधिकारी के आधे पेमेन्ट आर्डर पर पीछे की तरफ इन्द्राज किया जावेगा।

(३) सरकार के विशेष आदेशों के बिना किसी भी रूप में एक साल से अधिक समय की बकायों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में प्रथम बार में नहीं किया जाना चाहिए।

※ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ ए(४१) एफ.डी.(ए)नियम/५९ दिनांक ३१-३-६१ द्वारा हटाया गया।

(४) पेंशन उस रोज की भी दी जावेगी जिस को कि वह मरता है।

नियम ३०७-पहिचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति(Personal ap-
... for identification):—नियम के रूप में एक पेंशनर को पेंशन पेमेन्ट
से तुलना करके पहिचान करने के बाद व्यक्तिगत रूप से पेंशन की रकम प्राप्त
चाहिए।

टिप्पणी

वितरण अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठित पेंशनर को निजि रूप में पहिचाना जा सकता है
... अधिक कार्यालय में उपस्थित होने को जरूरत नहीं होती है।

नियम ३०८— व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट (Exemption from personal
)—एक पेंशनर जो सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए
छूट दिया हो, एक औरत पेंशनर जो जनता में आने की अभ्यस्त न हो, या एक
... शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो वह
पेंशनर अपने जीवित होने के प्रमाण पत्र पर किसी उत्तरदायी सरकारी अधिकारी
या अन्य प्रसिद्ध तथा विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने पर प्राप्त कर सकता
कर सकती है।

टिप्पणी

इस नियम के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की
सरकार द्वारा एक ऐसे अधिकारी को दी जा सकती है जो कि एक जिले के जिलाधीश के पद
पर [illegible] नहीं हो।

×नियम ३०९ — जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
(Authorities for signing a life certificate) –किसी भी प्रकार का एक पेंशनर
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग
वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ के अन्त-
नियुक्त किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित या किसी पेंशन प्राप्त
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, जो कि सेवा-निवृति के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का
... करता था या किसी मुंसिफ द्वारा या किसी राज्य पत्रित अधिकारी द्वारा या कम
एक पुलिस स्टेशन के सब-इन्सपेक्टर इन्चार्ज के पद के पुलिस अधिकारी द्वारा या
... द्वारा या एक विभागीय उप-पोस्ट मास्टर या पोस्ट आफिस के एक इन्सपेक्टर
हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है वह व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त किया
है।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ डी नं० १० (७) एफ ११/५४-बी. दिनांक १९-४-५५
... ित किया गया।

टिप्पणी

+ किसी भी शर्तों के आधार पर जिन्हें वह लगाना उचित समझे, सरकार जिले के जिला-धीशों को इस नियम के अन्तर्गत एजेन्ट अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।

(ग) एक अधिकारी की पेन्शन, जो अपनी एक ऐसे एजेन्ट के द्वारा प्राप्त करता है जिसको कि अधिक भुगतान की रकम को लौटाने का बॉंड भरना पड़ता है, अन्त में प्राप्त किए गए जीवन प्रमाण पत्र की तारीख से एक साल से अधिक समय के लिए नहीं दी जानी चाहिये एवं महालेखा-पाल तथा वितरण अधिकारियों को ऐसे पेन्शनर की मृत्यु की प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने के लिए सचेत रहना चाहिये। एवं उसके प्राप्त होने पर अग्रिम भुगतान उसी समय एकदम बन्द कर देना चाहिये।

राजस्थान सरकार का निर्णय

÷ यदि पेन्शनर राजपत्रित कर्मचारी की हैसियत से सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाता है तो किसी एक ट्रेजरी से जहां से पेन्शन प्राप्त की जाती है किसी माह के वास्तविक भुगतान के तथ्य को उस ट्रेजरी के उस माह के लिए पेन्शन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उचित जीवन-प्रमाण पत्र के रूप में समझा जायेगा।

नियम ३१३. भारत में एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान का हस्तान्तरण (Transfer of Payment from one Treasury in India to another)— कार या महालेखापाल, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तथा पर्याप्त कारण स्पष्ट करने भारत में एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान को हस्तान्तरित करने की आज्ञा कता है। सरकार अपने इस सेवाधिकार को किसी एक प्रशासनात्मक अधिकारी को सकती है जो कि किसी जिलाधीश या अन्य जिला अधिकारी से नीचे के प[द] हो।

के रकमों का इन्द्राज बिना वाउचरों एवं विशेष विवरणों के ही रेमिटेन्स एकाउन्ट ने कर दिया जावेगा। इसलिए मामलों को, राजस्थान सरकार से आपसी समझौते में शामिल होने के लिए, अन्य सरकारों के पास भेजा गया था एवं इनके फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिमी बंगाल एवं मैसूर की सरकारें उक्त तरीके को पूर्व प्रभाव से अपनाने के लिए सहमत हो गई है।

इसलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बाहर राज्य पेंशनों के भुगतान के बारे में पूर्वोक्त प्रकरण में दिए गए तरीकों को अपनाने में अपनी स्वीकृति दे दी है।

नियम ३१४. (क) पूर्वोक्त नियम के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी द्वारा या अन्य प्रशासन अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि महालेखापाल को भेजनी चाहिए एवं उस जिले के जिलाधीश को, जहां से कि भुगतान का स्थानान्तरण किया जाता है, पेन्शन पेमेन्ट आर्डर को लौटाने के लिए निर्देश देना चाहिये।

(ख) महालेखापाल इसके बाद या तो नया पेमेन्ट आर्डर जारी करेगा या उस पेमेन्ट आर्डर को नये ट्रेजरी में भुगतान करने के लिये अंकित करेगा तथा उसे उस कोषाधिकारी के पास भेजेगा जो कि भविष्य में पेंशन का भुगतान करेगा या यदि ट्रेजरी अन्य प्रान्त में हो, तो उस प्रान्त के महालेखापाल को ऐसा करने के लिए लिखेगा।

नियम ३१५. एक जिला ट्रेजरी के अधीन एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान का स्थानान्तरण (Transfer of Payment from one Treasury to another under a District Treasury)—एक कोषाध्यक्ष अपने मुख्यालय पर यथोचित आज्ञा के अनुसार भुगतान करने योग्य पेन्शन का, अपनी जिला ट्रेजरी की अधीनस्थ बाहर की किसी भी ट्रेजरी को, भुगतान करने के लिये अधिकृत कर सकता है एवं ऐसी अधीनस्थ ट्रेजरी से जिला ट्रेजरी में या उसी जिले में एक अधीनस्थ ट्रेजरी से दूसरी अधीनस्थ ट्रेजरी में पेन्शन के भुगतान को स्थानान्तरित कर सकता है।

सेवा नहीं करने का प्रमाण पत्र (Certificate of Non-employment)

नियम ३१६. सेवा नहीं करने का प्रमाण पत्र—भारत में पेन्शन प्राप्त करने वाले पेन्शनर के लिए अपने बिल के साथ निम्नलिखित एक प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ता है—

"मैं घोषणा करता हूं कि मैंने किसी सरकार या स्थानीय निधि के अधीन उस समय में, जिसके लिए कि इस बिल में पेन्शन की बकाया राशि क्लेम की गई है, किसी भी रूप में सेवा का कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।"

(ख) यदि अध्याय २८ के अन्तर्गत एक पेंशनर को पुनर्नियुक्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने की आज्ञा दे दी जाती है तो इस प्रमाण पत्र को तथ्यों के अनुसार संशोधित कर देना चाहिए।

(ग) यदि एक पेंशनर एक एजेन्ट की मार्फत अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा हो, जिसने

इन नियमों के अध्याय २२ व २३ में किया गया है, कोई क्लेम नहीं होगा'

टिप्पणी

उन मामलों में जहां सम्बन्धित अधिकारी की मृत्यु के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाती है, वहां मृत पेंशनर के उत्तराधिकारियों के लिए भुगतान करने के पूर्व पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

अध्याय २७

पेंशन का रूपान्तरण (Commutation of Pension)

टिप्पणी

* उन पेंशनरों के रूपान्तरण के प्रार्थना पत्र, जो कि उन इकाई नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत हो गए थे जिनके अन्तर्गत यह रूपान्तरण स्वीकार्य था, उन रूपान्तरण सूचियों (Commutation tables) के अनुसार निपटाए जावेंगे जो कि राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत होने वाले राज्य कर्मचारियों पर लागू होती है। उन पेंशनरों के विषय में जो जयपुर सिविल सेवा नियमों एवं पूर्व राजस्थान सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवा से निवृत हुए हैं एवं जिन्होंने पहिले से ही अपनी पेंशन का कुछ भाग रूपान्तरित करा लिया है तो पहिले से रूपान्तरित की गई राशि को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत रूपान्तरित किए जाने के लिए प्राप्य राशि के निश्चित करने में शामिल किया जावेगा।

नियम ३२५. पेंशन के रूपान्तरण की आज्ञा—राज्य कर्मचारी की प्रार्थना पर स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इस शर्त के आधार पर कि पेंशन की अरूपान्तरित बकाया राशि (Uncommuted Residue) २४०) रु० प्रति वर्ष से कम नहीं होगी, एक हिस्से के एक मुश्त भुगतान के लिए रूपान्तरण स्वीकृत कर सकता है जो कि उसे नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली / या की गई किसी भी पेंशन के १/३ भाग से ज्यादा नहीं होगा। परन्तु शर्त यह है कि अरूपांतरित अवशिष्ट रकम को गिनने में इसमें प्रार्थी को भुगतान करने योग्य किसी अन्य स्थाई पेंशन या पेंशनों के अरूपान्तरित भाग को भी शामिल किया जावेगा।

राजस्थान सरकार का आदेश

अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि इन क्षेत्रों में सेवा करने वाले जो राज्य कर्मचारी १ नवम्बर १९५६ के पूर्व सेवा से निवृत्त हुए हैं, उन पेंशनरों से प्राप्त पेंशनों के रूपान्तरण के प्रार्थना पत्रों को कौनसी सरकार निपटाने के लिए सक्षम होगी। मामले की जांच बम्बई व मध्यप्रदेश की सरकारों की सलाह से की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि पेंशन का रूपान्तरण पुनर्गठित राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए जिसके कि क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह ट्रेजरी है जहां पर कि इनकी पेंशनों का भुगतान १-११-५६ के शीघ्र पूर्व किया जाता था। परन्तु राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की पांचवी अनुसूची के अनुसार लेखों में आवश्यक समाधान किया जाने की इसमें शर्त रहेगी। बम्बई व मध्यप्रदेश की सरकारें उक्त तरीके को अपनाने में सहमत हो गई है।

इसलिए राज्यपाल ने आदेश दिया है कि अवतरण १ में वर्णित क्षेत्रों से सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनरों से पेंशन के रूपान्तरण के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों को उपरोक्त निर्दिष्ट तरीके के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार का आदेश

÷ यह और आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णन किये गये मामलों में पेन्शन का रूपान्तरण मुख्य उत्तराधिकारी राज्य (Principal Successor state) में प्रभावशील नियमों व रूपान्तरण सूची (Commutation Table) के अनुसार स्वीकृत किया जावेगा।

नियम ३२६ (१) रूपान्तरण के लिए एक प्रार्थना पत्र के होने पर, स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी प्रार्थी के पास उसे रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि के लिए लेखाधिकारी के प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि भेजेगा यदि वह ऐसे चिकित्सा बोर्ड (अधिकारी) द्वारा, जिसे स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी निर्धारित करे, रूपान्तरण के योग्य पाया जावे एवं इसी के साथ अपने आदेश के जारी करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर उक्त बोर्ड (अधिकारी) के सामने उपस्थित होने के लिए निर्देश देगा या यदि उसने अपनी सेवा-निवृति की तारीख से पूर्व ही रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो तो वह अधिकारी उसे उस तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर उपस्थित होने के लिए निर्देश देगा लेकिन किसी भी हालत में सेवा-निवृति की वास्तविक तिथि से पूर्व उपस्थित होने के लिए निर्देश नहीं देगा। यह सूचना रूपान्तरण के लिए प्रशासनात्मक स्वीकृति प्रदान करेगी लेकिन यदि स्वीकृति के आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर चिकित्सा सम्बन्धी जांच नहीं की जाती है तो यह रूपान्तरण समयातीत (Lapse) किया हुआ समझा जावेगा। यदि प्रार्थी निर्धारित समय में उक्त चिकित्सा बोर्ड के सामने जांच के लिए उपस्थित नहीं होता है तो स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी अपने निर्णयानुसार पेंशन के रूपान्तरण के लिए नया प्रार्थना पत्र प्राप्त किए बिना ही तीन माह की अग्रिम अवधि और बढ़ाने के लिए प्रशासनात्मक स्वीकृति को

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ३४२५/ एफ (२१) एफ.डी /ए/नियम/५६ दिनांक २३-६-५९ द्वारा शामिल किया गया।

पुनः जारी कर सकता है। प्रार्थी चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षा होने के पहिले अपना प्रार्थना पत्र किसी समय एक लिखित नोटिस भेजकर वापिस ले सकता है लेकिन उसका यह विकल्प चिकित्सा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हो जाने पर समाप्त हो जावेगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि चिकित्सा बोर्ड (अधिकारी) सूचित करता है कि रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए उसकी अवस्था उसकी वास्तविक उम्र से अधिक समझी जावेगी तो प्रार्थी उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर लिखित नोटिस देकर अपने प्रार्थना पत्र को वापिस प्राप्त कर सकता है, जिसको कि वह रूपान्तरण पर परिवर्तित राशि की सूचना प्राप्त करता है या यदि यह राशि स्वीकृति के आदेश में पहिले से ही वर्णित हो, तो जिस रोज चिकित्सा बोर्ड (अधिकारी) के निर्णय की सूचना वह प्राप्त करता है उससे दो सप्ताह के भीतर लिखित नोटिस देकर अपने प्रार्थना पत्र को वापिस प्राप्त कर सकता है। यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्धारित दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना प्रार्थना पत्र लिखित में वापिस प्राप्त करेगा तो वह प्रदान की गई राशि को स्वीकृत कर चुका है, ऐसा माना जावेगा।

(२) खण्ड (३) में दिए गए प्रावधानों की शर्त पर एवं इस नियम के खंड (१) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वापिस लेने की शर्त पर, रूपान्तरण अन्तिम होगा अर्थात पेंशन का रूपान्तरित भाग प्राप्त किए जाने का हक समाप्त हो जावेगा तथा पेंशन के रूपान्तरित भाग प्राप्त करने का हक उसी रोज से चालू होगा जिसको कि चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर देगा। रूपान्तरित राशि का भुगतान यथासम्भव शीघ्र किया जावेगा किन्तु एक अस्वस्थ जीवन की दशा में उस समय तक कोई भुगतान नहीं किया जावेगा जब तक कि या तो रूपान्तरण की लिखित स्वीकृति प्राप्त नहीं करली जाती है या वह समय जिसमें कि रूपान्तरण के प्रार्थना पत्र को वापिस किया जा सकता है, समाप्त नहीं हो गया हो। वास्तविक भुगतान की तारीख चाहे कुछ भी हो, पर भुगतान की गई राशि व उसका पेंशन पर प्रभाव वही होगा जैसे कि मानों रूपान्तरित राशि उस तारीख को दी गई हो जिसको कि रूपान्तरण अन्तिम रूप से माना गया हो। यदि पेंशन का रूपान्तरित भाग उस तारीख के बाद प्राप्त किया गया है जिसको कि रूपान्तरण अन्तिम हो गया हो तो प्राप्त की गई राशि रूपान्तरण में भुगतान की जाने वाली राशि में से काटली जावेगी।

टिप्पणी

× एक प्रार्थी जिसने अपनी पेंशन की अधिकतम राशि को रूपान्तरित करने की अपनी इच्छा स्पष्टरूप से सूचित की है या जिसने अधिकतम प्राप्य सीमा के भीतर पूर्ण एवं अन्तिम पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत को रूपान्तरित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है एवं जिसे पूर्व अवसर पर स्वीकृत पूर्वानुमित या प्राविधिक पेंशन की आंशिक या कुछ प्रतिशत राशि को रूपान्तरित करने की

× वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ. ७ ए (११) एफ डी/ए/ नियम/५६ दिनांक ३-१०-६० द्वारा परिवर्तित की गई।

है ती गई है तो उसे अन्तिम पेंशन के भाग या प्रतिशत एवं पूर्वानुमित या प्राविधिक पेंशन राशि के रूपान्तरण के लिए फिर से चिकित्सा प्रमाण के लिए प्रार्थना पत्र देने या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। चूंकि ऐसे मामलों में रूपान्तरण दुगतान दो किश्तों में किया जाना है—पहला पूर्वानुमित या प्राविधिक (Provisional) दूसरा पेंशन के अन्तिम निर्धारण के बाद—इसलिए सिविल पेंशन को दुबारा करने के लिए फार्म 'क' के भाग २ में सूचना महालेखापाल से प्राप्त करनी होगी। राशि अर्थात् अधिकतम राशि जो प्राप्त की गई है और प्राविधिक रूपान्तरित मूल्य के लिए स्वीकृतिदायक अधिकारी की एक नई स्वीकृति आवश्यक होगी फिर भी नीचे की संख्या २ के अनुसार पुनः चिकित्सा सम्बन्धी जांच पर ध्यान दिया जावेगा।

(1) यदि प्रार्थी से अपनी डाक्टरी जांच के सम्बन्ध में मौखिक या लिखित में कोई प्रश्न तथा वह उत्तर में ऐसा बयान दे जो उसकी जानकारी में झूंठा है या किसी तथ्य को छिपाता है तो स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी वास्तविक भुगतान करने के स्वीकृति को किसी भी समय रद्द कर सकता है एवं इस प्रकार के तथ्य को छिपाकर दिया गया बयान को राजस्थान सेवा नियमों के नियम १९९ के प्रयोजन के लिए गम्भीर दुर्व्यवहार समझा जावेगा।

टिप्पणियां

(१) रूपान्तरण के लिए प्रार्थना करने वाला पेंशनर जो एक बार चिकित्सा अधिकारी की पर रूपान्तरण के लिए योग्य व्यक्ति न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है या की सिफारिश पर उसकी वास्तविक उम्र में कुछ वर्षों की वृद्धि किए जाने के कारण को स्वीकृत करने से मना कर दिया है, उसे फिर एक बार अपने खर्च पर सम्बन्धी जांच के लिए, मूल निर्णय का पुनः रिवीजन करने के दृष्टिकोण से स्वीकृति जाती है। परन्तु शर्त यह है कि—

(१) प्रथम एवं द्वितीय डाक्टरी जांच की तारीखों के बीच का समय एक साल से कम का हो, एवं

(२) दूसरी चिकित्सा सम्बन्धी जांच आवश्यकीय रूप से एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा की

+ (१) एक व्यक्ति जिसे २५ रु० तक अपनी पेंशन का एक भाग अस्थाई रूप से रूपान्तरित करने की स्वीकृति दे दी गई है, एवं जो यह पूर्वानुमान लगाता है कि पेंशन की अन्तिम राशि जो वह रूपान्तरित कराने के लिए अधिकृत होगा २५)रु. से अधिक हो सकेगी, एवं यदि उसकी २५) रु० से अधिक राशि को रूपान्तरित करने की हो तो वह इसका निर्देश अपने प्रार्थना पत्र में करेगा। स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी ऐसे मामलों में चिकित्सा जांच के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा कि मानो वह रूपान्तरण की राशि २५) रु० से अधिक होगी। यदि इस प्रकार सूचित नहीं किया गया हो – तो राज्य कर्मचारी को उसकी पेंशन की राशि के अन्तिम निर्णय होने पर, बिना किसी और चिकित्सा जांच कराये, मूलतः रूपान्तरित पेंशन को

वित्त विभाग के आदेश सं०एफ ७ ए (II) एफ डी ए/नियम/५९ दिनांक १०–३–६० द्वारा जोड़ी गई।

राशि एवं २५) रु० की राशि के अन्तर को रुपान्तरित करने की स्वीकृति दी जावेगी यदि रुपान्तरित मूलराशि उपरोक्त वर्णित अन्तर के साथ मिलाकर २५) रु० से अधिक नहीं हो। यदि वह २५) रु० से अधिक है तो किसी भी और राशि का रुपान्तरण, यदि प्राप्य हो, नये रुपान्तरण के रूप में समझा जावेगा तथा एक चिकित्सा बोर्ड की जांच की शर्त पर स्वीकृत किया जावेगा।

वह तारीख जिस चिकित्सा को बोर्ड चिकित्सा जांच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, रुपान्तरित की जाने वाली उस पेंशन के भाग की राशि के अन्तर के लिए प्रभावशील होने की तारीख समझी जावेगी जिसके लिये चिकित्सा जाच की गई है।

पेंशनर की जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी के पास नियमों के अन्तिम भाग (Concluding portion of Regulations) में वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ में उस चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजनी चाहिए जिसने कि उसकी पहिले जांच की थी।

(२) यदि एक पेंशनर, जिसकी अवस्था पेंशन के रुपान्तरण के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक उम्र से ज्यादा बतलाई गई है, नियम ३२६ (१) के प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर यह प्रार्थना करता है कि रुपान्तरण की जाने वाली राशि कम कर दी जावे तो इस प्रकार का निवेदन उसके प्रार्थना पत्र को अस्थाई रूप से वापिस करने के रूप में समझा जावेगा तथा उसे रुपान्तरण के लिए एक नये प्रार्थना पत्र के रूप में समझा जावेगा।

(३) नियम ३२६ (१) के प्रावधान के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों में चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा रिपोर्ट की प्रतिलिपि, या रुपान्तरण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि की आडिट आफीसर द्वारा सूचना (उस मामले में जहां पेंशनर की अवस्था रुपान्तरण के प्रयोजन के लिए ५ वर्ष से अधिक बढा दी गई हो) यदि डाक द्वारा भेजी जावे तो आवश्यकीय रूप से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए तथा उसके साथ महालेखापाल को प्राप्त होने वाली प्राप्ति रसीद संलग्न की जानी चाहिए।

नियम ३२७. रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि— (Lump sum payable on Commutation)—रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि परिशिष्ट ११ के अनुसार गिनी जावेगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए अस्वस्थ व्यक्तियों के जीवन के लिए ऐसी आयु मानी जावेगी जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा बतलाई जावे पर उसकी वास्तविक आयु से कम नहीं होगी। यदि प्रार्थी पर लागू होने वाली वर्तमान राशियों की सूची, रूपान्तरण की प्रशासनात्मक स्वीकृति की तारीख एवं अन्तिम रूप में होने वाले रूपान्तरण की तारीख के बीच में संशोधित हो गई हो तो भुगतान संशोधित सूची के अनुसार किया जावेगा परन्तु यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि यदि उसे संशोधित सूची के स्थान पर पूर्व की सूची ही अधिक लाभप्रद हो तो वह ऐसी संशोधित सूची की सूचना प्राप्त करने से १४ दिन की अवधि के भीतर लिखित में नोटिस देकर अपना प्रार्थना पत्र वापिस ले सकता है।

नियम ३२८. मृत पेंशनरों के उत्तराधिकारियों के लिए रूपान्तरित राशि का भुगतान— यदि पेंशनर की मृत्यु उस तारीख को या उसके बाद होती जिसको कि रूपान्तरण अन्तिम रूप में हो जाता है लेकिन वह रूपान्तरित राशि को प्राप्त

हो तो यह उसके उत्तराधिकारियों को दी जा सकेगी।

खंड २

नियम ३२९. पेंशन के रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र—पेंशन के रूपान्तरण एक प्रार्थना पत्र परिशिष्ट ८ में फार्म 'क' के भाग १ में किया जाना चाहिए जो दिया जाना चाहिए—

(१) यदि प्रार्थी अब भी सेवा में हो या सेवा निवृत हो गया हो परन्तु उसकी पेंशन स्वीकृत नहीं की गई हो, तो उसे अपना प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय के अध्यक्ष जिसमें वह नियुक्त है या नियुक्त था, या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा उसकी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के लिए।

(२) अन्यथा उस अधिकारी को महालेखापाल के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

नियम ३३०—प्रार्थना पत्र यदि नियम ३२९ में वर्णित अधिकारी को दिया गया हो तो इसे शीघ्र ही महालेखापाल के पास भेजा जाना चाहिए जो पेंशन के टाइटिल की रिपोर्ट करेगा।

नियम ३३१. महालेखापाल के कार्यालय का तरीका—महालेखापाल को किसी प्रकार की देर किए फार्म 'क' के भाग दो को पूर्ण करना चाहिए एवं इसे ३१३ (२) के अन्तिम भाग में वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट की प्रतिलिपियों के साथ, यदि कार्यालय के रिकार्ड में हो, रूपान्तरण की स्वीकृति देने वाले सक्षम अधिकारी को भेज देना चाहिये चाहे उस अधिकारी का नाम भाग १ में सही रूप में लिखा हो या नहीं।

जांच निर्देशन

देर से बचने के लिए तथा पेंशनर को नुकसान से बचाने के लिए महालेखापाल को, टाइटिल पर औपचारिक रिपोर्ट करने के पूर्व पेंशन के रूपान्तरण की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए यदि इस औपचारिक रिपोर्ट को प्रार्थी के जन्म दिवस की अगली तारीख के पूर्व पूर्ण रूप से पहिले ही व्यवस्था करने हेतु जारी किया जाना सम्भव नहीं हो। परन्तु शर्त यह है कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन का हिस्सा सम्भावित स्वीकृत की जाने वाली कुल पेंशन की राशि के १/३ भाग से स्पष्ट रूप से कम होना चाहिए एवं सम्भावित पेंशन की बकाया नियम ३०५ में निर्धारित सीमा से पर्याप्त रूप से ज्यादा होना चाहिए। यदि में पेंशन के औपचारिक रूप से स्वीकृत होने के पहिले रूपान्तरण अन्तिम हो जाता है राशि का भुगतान उस समय तक अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। लेकिन जब रूपान्तरण स्कीम की सूचना पेंशनर हो तो उसके साथ पेंशन की स्वीकृति में देरी होने के कारणों से नुकसान होने की सूचना उसे भिजवा दी जानी चाहिए।

टिप्पणी

जांच निर्देशन उस स्थिति के सम्बन्ध में है जो कि उस समय उत्पन्न होती है जब पेंशन स्वीकृत नही की जाती है अर्थात यह इस अभिप्राय को प्रकट करती है कि पेंशन न्तरण पर उस समय तक कोई भुगतान नही किया जावेगा जब तक कि पेंशन स्वयं स्वीकृ हो जाती है। पूर्वानुमित पेंशन के सम्बन्ध में, पूर्वानुमित पेंशनों के रूप में स्वीकृत पेंशन की स्वीकृति दी हुई समझी जानी चाहिए क्योंकि पूर्वानुमित पेंशनें हमेशा साधारण रूप में पेंशन की राशि से कम पर स्वीकृत की जाती है। इसलिए ऐसे मामलों में, जिनमें कि पू पेंशन का कुछ भाग रूपान्तरित हो जाता है तो जैसे ही रूपान्तरण अन्तिम हो जाता है, रू की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए एवं यह कि एक पूर्वानुमित पेंशन के भाग के न्तरण के टाइटिल की सूचना सम्बन्धित प्रशासनात्मक विभाग को भेजनी चाहिए जिसको वि विभाग की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। प्रशासनात्मक विभागों को पूर्वानुमित पेंशन के रूपान्तरण के टाइटिल की सूचना भेजते समय अन्तिम पेंशन की स्वीकृति में होने वा के कारणों का उल्लेख करना चाहिए जिससे कि वे यह निर्णय कर सके कि क्या उन्हें किसी मामले में रूपान्तरण स्वीकृत करना चाहिए या नहीं। अधिक भुगतान की गई एक पूर्वानुमित के भाग की रूपान्तरित राशि के पुर्नभुगतान को प्राप्त करने के लिए, आडिट अधिकारी को न्तरण के टाइटिल की रिपोर्ट करते समय सभी मामलों में उसके रूपान्तरण के लिए प्र पत्र के साथ निम्न लिखित फार्म में एक घोषणा पत्र सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त कर व्यवस्था करनी चाहिए।

घोषणा का प्रपत्र

चूंकि.................. (यहां रूपान्तरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम लि ने मेरी पेंशन की राशि सरकार द्वारा निश्चित करने हेतु आवश्यक जांच पूरी होने के नुमान में तथा रूपान्तरित की जाने वाले उस पेंशन के हिस्से के पूर्वानुमान में, प्राविधिक रूप में..........रु० की राशि अग्रिम रूप में देने में अपनी सहमति प्रकट है, मैं ऐतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि इस एडवांस की राशि स्वीकृत करने में मुझे तया ज्ञात है कि अब भुगतान की गई रूपान्तरित राशि आवश्यक औपचारिक जांच होने की शर्त के आधार पर है एवं वादा करता हूं कि मैं इस आधार पर परिवर्तन में ऐतराज नहीं करूंगा कि पूर्वानुमित पेंशन के हिस्से की रूपान्तरित राशि के रूप में भुगतान की जाने वाली प्राविधिक राशि उस से ज्यादा है जिसे कि बाद में पाने के अधिकृत होऊंगा। एवं भविष्य में जो राशि मुझे अधिकृत की जावेगी उससे यदि राशि पहिले मुझे अधिक भुगतान की गई होगी तो उसे मैं या तो नकद में या बाद में जाने वाले पेंशन भुगतानों में से काटने के लिए अपने आपको वचन बद्ध करता हूं।

नियम ३३२. रूपान्तरण के लिए प्रशासनात्मक स्वीकृति (Administrati Sanction for Commutation)—रूपान्तरण स्वीकार करने में सक्षम अधिकारी के लि उस पर फार्म 'क' के भाग २ में अपनी प्रशासनात्मक स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।

टिप्पणी

रूपान्तरण स्वीकृत करने में सक्षम अधिकारी किसी उत्तरदायी अधीनस्थ अधिकारी को अपने स्थान पर फार्म 'क' के भाग ३ में प्रशासनात्मक स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

नियम ३३३.—इसके बाद स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के लिए—

(१) फार्म 'क' के भाग २ में दिए गए लेखाधिकारी के प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि फार्म 'ख' पर तथा एक प्रतिलिपि फार्म 'ग' की जिसका कि भाग १ प्रार्थी द्वारा डाक्टरी जांच के पूर्व भरा जाना है तथा चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जाना है, को भेज दी जानी चाहिए, एवं

(२) पूर्ण भरे गये फार्म 'क' को मूल में फार्म 'ग' की एक प्रतिलिपि के साथ तथा उस के भाग ३ की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि राज्य के मुख्य प्रशासनात्मक चिकित्सा अधिकारी के पास भेजनी चाहिये एवं यदि प्रार्थी को अयोग्य पेंशन स्वीकृत कर दी गई है या उसने अपनी पेंशन का कोई भाग उसकी वास्तविक उम्र में वर्षों के बढ़ाने के आधार पर रूपान्तरित करा लिया है (या रूपान्तरण स्वीकार करने से मना कर दिया है) या उसे किसी प्रमाण पत्र के आधार पर रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया है तो पहिले की जांच की या उसके मामले के स्टेटमेन्टों की प्रतिलिपियां भी साथ में संलग्न की जानी चाहिये।

नियम ३३४. चिकित्सा परीक्षा (Medical Examination)—नियम ३३३ की टिप्पणी में वर्णित मुख्य प्रशासनात्मक चिकित्सा अधिकारी के लिये, जैसी भी स्थिति हो, नियम ३३५ में निर्धारित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की चिकित्सा जांच के लिए प्रार्थी के द्वारा फार्म 'क' के भाग १ में वर्णित स्टेशन से निकटतम स्थान पर प्रबन्ध करना चाहिये एवं निर्धारित समय में यथा सम्भव शीघ्रतः ही यह जांच की जानी चाहिये तथा प्रार्थी को इसके लिये सीधी सूचना दी जानी चाहिये। मुख्य प्रशासनात्मक चिकित्सा अधिकारी के लिये फार्म एवं अन्य प्रमाण चिकित्सा अधिकारी के पास भेज देने चाहिये।

नियम ३३५.—(१) प्रशासनात्मक तौर पर स्वीकृत रूपान्तरण जब अन्तिम रूप से हो जावे तो प्रार्थी की जांच इसके बाद निर्धारित तरीके के अनुसार उचित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये—

(२) निम्न मामलों में चिकित्सा अधिकारी इस प्रकार होंगे—

(क) यदि प्रार्थी इन नियमों के नियम ३२५ द्वारा शासित होता है जिसे कि अयोग्य पेंशन (Invalid Pension) स्वीकृत कर दी गई है या की जानी है, तो उसके लिए चिकित्सा अधिकारी एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसके समक्ष प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होना है।

(ख) अन्य प्रार्थी के मामले में जब तक कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल राशि पूर्व में रूपान्तरित की गई राशि या राशियों के यदि कोई हो, मिलाकर २४ रु० हो या

उससे कम हो तो उसके लिये चिकित्सा अधिकारी—

(१) या तो एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसके कि सम्मुख प्रार्थी को उपस्थित होना चाहिये यदि ऐसा बोर्ड स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थी के निवास स्थान के उचित निकटतम स्थान पर जांच करने के लिए नियुक्त किया गया हो,

(२) ऐसे बोर्ड के न होने पर एक पुनर्जांच बोर्ड (Reviewing Board) होगा जो या तो प्रशासन के मुख्यालय पर स्थायी चिकित्सा बोर्ड (Standing Medical Board) होगा या प्रशासन का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (Senior Medical Board) एवं सिविल सर्जन के पद के बराबर के स्तर का उसके द्वारा मनोनीत किया गया एक चिकित्सा अधिकारी होगा।

यह अधिकारी कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं जीवन की आशा पर सिविल सर्जन द्वारा या उस क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी, जिसमें कि वह रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय रह रहा था, द्वारा की गई रिपोर्ट का पुनरीक्षण करेगा एवं जांच अधिकारी से आवश्यक सूचना मंगवाकर अपना अन्तिम आदेश देगा।

(ग) यदि राज्य कर्मचारी खण्ड (ग) द्वारा शासित नहीं होता हो एवं जो एक ऐसी राशि के रूपान्तरण के लिए प्रार्थना करता है जो कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल राशि २५ रु० या इनसे कम है तो चिकित्सा अधिकारी कम से कम सिविल सर्जन के स्तर का चिकित्सा अधिकारी या उस क्षेत्र का जिला चिकित्सा अधिकारी होगा जिसमें कि प्रार्थी साधारण रूप से रहता है।

(३) चिकित्सा अधिकारी प्रार्थी से (फार्म 'ग' के भाग १ में जिस पर उसके सामने हस्ताक्षर किए जाने चाहिये) उसका स्टेटमेन्ट प्राप्त कर, उसकी पूर्ण सावधानी के साथ जांच कर भाग 'ग' के भाग २ में अपने निर्णय को लिखेगा एवं राज्य कर्मचारी ने जो भाग १ में निर्धारित अपनी चिकित्सा इतिहास एवं आदतों (Medical History and habits) के सम्बन्ध में निर्धारित प्रश्नों का उत्तर दिया है उसकी सत्यता के बारे में अपनी राय प्रकट करेगा। अन्त में वह फार्म 'ग' के भाग ३ में दिए हुए प्रमाण पत्र को भरेगा।

(४) एक प्रार्थी जिसको कि अयोग्य पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है या लगभग स्वीकृत की जाने वाली है, उसके सम्बन्ध में अयोग्यता के कारणों व चिकित्सा सम्बन्धी बयानों पर चिकित्सा अधिकारी (फार्म ग के भाग ३ में) प्रमाण पत्र या हस्ताक्षर करने से पूर्व विचार करेगा।

(५) यदि परीक्षा केवल एक ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है तो प्रार्थी स्वयं चिकित्सा अधिकारी की फीस देगा परन्तु यदि वह मूल रूप में भारत में किसी एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांचा गया हो, तो वह राज्यकीय कोष में (ट्रेजरी में) ४ रु० जमा कराएगा तथा उसकी रसीद व १२) रु० नकद फीस के मेडिकल बोर्ड को देगा जिसे कि बाद में बोर्ड के सदस्य आपस में बांट लेंगे।

(१) खण्ड (२) में वर्णित अन्तिम चिकित्सा अधिकारी बिना किसी प्रकार की देर 'क' व 'ग' में पूर्ण भर कर मूल में महालेखापाल के पास भेज देगा जिसने कि 'क' के भाग में प्रमाण पत्र दिया था। फार्म 'ग' की एक प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकृति करने वाले अधिकारी को एवं फार्म 'ग' के भाग ३ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को गा।

टिप्पणियां

एक पेंशनर जिसे डाक्टरी जाच के कारणों के कारण रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया है जिसने अपनी वास्तविक उम्र मे वर्षों की वृद्धि के फलस्वरूप रूपान्तरण को स्वीकार करने से कर दिया हो, वह अपने स्वयं के खर्चे पर दूसरी बार डाक्टरी जाच के लिए निवेदन कर सकता यदि उसकी प्रथम बार की गई जाच का समय १ साल से अधिक हो गया हो। इस प्रकार की जांच चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यकीय रूप से की जावेगी।

(२) यदि खण्ड (२) मे निर्धारित चिकित्सा अधिकारी की राय मे कुछ विशेष जाच आवश्यक वह स्वयं अकेला न कर सके तो वह प्रार्थी को अपने खर्चे पर करानी होगी। चाहे जाच परिणाम कुछ भी निकले पर सरकार इस व्यय को नही देगी।

नियम ३३६. रूपान्तरित राशि का भुगतान—महालेखापाल फार्म 'क' व 'ग' भरे हुए प्राप्त करने पर उचित रूपान्तरित राशि के भुगतान तथा उसके अनुसार पेंशन कमी के लिए शीघ्र प्रबन्ध करेगा।

टिप्पणी

यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र मे यह निर्धारित कर दिया गया हो कि प्रार्थी की वास्तविक उम्र मे साल और जोड़ दिए जाने चाहिए तो महालेखापाल रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि की सूचना प्रार्थी को शीघ्र देगा।

अध्याय २८

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति (Re-employment of Pensioners)

खण्ड १—सामान्य (General)

नियम ३३७. पुनर्नियुक्त पेंशनरों का वेतन—सिविल या मिलेट्री से सम्बन्धित भी राज्य कर्मचारी को पुनर्नियुक्त किये जाने तथा वेतन के साथ पेंशन पाने के दृष्टि-से सेवा निवृत नही किया जा सकता है चाहे वह सामान्य सेवा में हो या किसी स्थानीय निधि की सेवा में हो।

टिप्पणी

× हटा दी गई।

× राजस्थान सरकार का निर्णय

पुर्ननियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन उस पद के लिए निर्धारित वेतन के न्यूनतम श्रृंखला पर निश्चित किया जाना चाहिए जिस पर कि राज्य कर्मचारी पुर्ननियुक्त हो गया हो।

किसी मामले में जहां यह महसूस किया जावे कि पुर्ननियुक्ति अधिकारी के प्रारम्भिक वेतन निर्धारित वेतन श्रृंखला की न्यूनतम दर पर निश्चित करने से उसे अनुचित आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, तो उसका वेतन एक उच्चतर श्रृंखला पर उस सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक वृद्धि स्वीकृत कर निश्चित की जा सकती है जिसे कि राज्य कर्मचारी ने सेवा निवृति के पूर्व ऐसे पद पर की है जिसका कि स्तर उस पद से नीचे नहीं है, जिस पर वह नियुक्त हुआ है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अतिरिक्त राज्य कर्मचारी को उसे स्वीकृत कोई पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी को अलग से प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार के सेवा-निवृति लाभों को, जिनको पाने के लिए वह अधिकृत है, प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। ये अन्य लाभ जैसे एक अंशदायी प्राविधिक निधि में सरकार का अंशदान एवं विशेष अनुदान, ग्रेच्युटी, पेंशन की रूपान्तरित राशि आदि हो सकते हैं। परन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त 'क' के अनुसार प्रारम्भिक वेतन एवं पेंशन की कुल राशि एवं/या अन्य प्रकार के सेवा-निवृति लाभों की बराबर की पेंशन

(१) उस वेतन से ज्यादा नहीं होती हो जिसे उसने अपनी सेवा-निवृति (पूर्व-सेवा-निवृति-वेतन) के पूर्व प्राप्त किया हो, या

(२) ३०००) रु० से अधिक न हो, इनमें से जो कम हो वह ग्राह्य होगी।

टिप्पणी १—सभी मामलों में जिनमें इनमें से कोई सी भी सीमा अधिक हो, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ पूर्ण चुकाए जा सकते हैं तथा वेतन में से आवश्यक समाधान किया जा सकता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वेतन एवं पेंशन सम्बन्धी लाभ की कुल राशि निर्धारित सीमा के भीतर ही है।

उन मामलों में जहां वेतन न्यूनतम या उच्चतर स्टेज पर निश्चित करने के बाद उक्त समाधान के करने के कारण न्यूनतम से भी कम पर घटा दिया गया हो, प्राप्य वार्षिक वृद्धि के आधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धियां स्वीकृत की जा सकती है जैसे कि मानों, वेतन न्यूनतम या उच्चतर स्टेज पर, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित किया गया हो।

टिप्पणी संख्या २—सेवा-निवृति के पूर्व अन्तिम प्राप्त किये गये वेतन को मय विशेष वेतन के यदि कोई हो, मूल वेतन के रूप में समझा जावेगा, कार्य वाहक पद पर प्राप्त किये गए वेतन को शामिल किया जा सकता है यदि वह सेवा निवृति के कम से कम एक साल पूर्व तक लगातार प्राप्त किया जा रहा हो।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या डी १७६०/५९/एफ १ (एफ) (११)एफ. डी. ए/५७ दिनांक ३०-१०-५९ द्वारा हटाया गया एवं सं० ६५१०/५९/एफ १ (११) एफ/५९ दिनांक २०-११-५९ द्वारा शामिल निर्णय किया गया।

(२) ऐसे मामलों में जहाँ उस पद का न्यूनतम वेतन, जिस पर कि राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्त ... अन्तिम प्राप्त किए वेतन से ज्यादा हो तो राज्याधिकारी को उस पद का न्यूनतम वेतन प्राप्त ... सकती है जिसमें से कि पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के बराबर ... कम करदी जावेगी।

(३) यहाँ पर इस प्रतिबन्ध से कि पुनर्नियुक्ति पर वेतन, मय कुल पेंशन/अन्य सेवा-निवृत्ति- के बराबर पेंशन के, अन्तिम रूप में प्राप्त किए वेतन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी ... में विचलन किया जाना हो जो कि उपरोक्त उप-प्रकरण (ग) में वर्णित परिस्थितियों ... तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

टिप्पणी

... राज्याधिकारी राजस्थान जनसेवा आयोग के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता हो ... पेंशन को स्थगित (abeyance) कर दी जावेगी एवं अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई मृत्यु- ...निवृत्ति की राशि के बराबर की पेंशन उसके राजस्थान जन सेवा आयोग के सदस्य के रूप ... किए गए वेतन में से काट ली जावेगी।

... राज्याधिकारी नियम ८६ के अन्तर्गत अवकाश पर हो एवं उस समय में वह राजस्थान ... आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो जाता हो तो वह सदस्य बने रहने के साथ २ अपने ... उपभोग भी कर सकता है लेकिन अपने पद के अतिरिक्त उसे जो अवकाश वेतन मिलेगा ... वह वेतन अवकाश पर मिलने वाले वेतन की राशि तक ही सीमित रहेगा।

(५) जब उपरोक्त निर्दिष्ट तरीके के अनुसार पुनर्नियुक्त पेंशनर का प्रारम्भिक वेतन निश्चित ... किया जाता है तो उसे अपने नये पद पर साधारण रूप में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए ... दी जा सकती है। परन्तु शर्त यह है कि कुल पेंशन / अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ के बराबर ... ये सब मिलाकर किसी भी समय में ३००० रु० से अधिक नहीं होने चाहिए।

... सक्षम अधिकारियों को व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, वे उपरोक्त ... ('ख') व ('ग') प्रकरणों में वर्णित सिद्धान्त के अनुसार उनके अधीन पुनर्नियुक्ति सेवा- ... राज्याधिकारियों के वेतन निर्धारित करने के लिए सक्षम होंगे परन्तु शर्त यह है कि वह पद ... पर राज्याधिकारी पुनर्नियुक्त हुआ है, की वेतन श्रृंखला पहिले से ही स्वीकृत हो। वे मामले जहाँ ... वेतन श्रृंखलाएं स्वीकृत नहीं की गई हों, वित्त विभाग के पास भेजे जावेंगे।

... आदेश प्र. से आगे पुनर्नियुक्त होने के मामलों पर लागू होंगे एवं पहिले के मामलों पर ... विचार नहीं करना होगा। वे अधिकारी जो पहिले से ही पुनर्नियुक्त हो चुके हैं उन पर ये ... उनकी पुनर्नियुक्ति की अग्रिम अवधि के लिए लागू होंगे यदि पुनर्नियुक्ति का वर्तमान समय ... दिया गया हो।

राजस्थान सरकार के निर्णय

+ निर्णय संख्या २—इस सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न किए गए हैं कि क्या एक राज्य क...

- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (एफ) १६ एफ डी (ए) आर/५७ दिनांक शामिल किया गया।

को अपनी पुर्नानियुक्ति के समय मे राजस्थान सेवा नियमों के नियम ८६ के अन्तर्गत अस्वीकृत अवकाश (refused leave) के उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

ऐतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी पुर्नानियुक्ति की अवधि में किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप में 'अस्वीकृत अवकाश' के उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है चाहे पुर्नानियुक्ति की अवधि मे ही वह अवकाश क्यों न उपार्जित किया गया हो, यदि इस प्रकार का कदम उसके लिए हितकर हो। अवकाश वेतन वही होगा जो कि नियम ६५ के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या ५ के अवतरण (२) के अन्तर्गत प्राप्य होगा। लेकिन वह इस प्रकार से अस्वीकृत अवकाश के उपभोग के समय में अवकाश वेतन के साथ मे पुर्नानियुक्ति वेतन प्राप्त करने के लिए अधिकृत नही होगा।

फिर भी पुर्नानियुक्ति की अवधि मे ऐसे अवकाश की स्वीकृति, पुर्नानियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा पुर्नानियुक्ति की अवधि में किसी भी सीमा तक अस्वीकृत अवकाश को स्वीकृत करने की शर्त पर आधारित होगी।

ये आदेश दिनांक ३०-६-५६ से प्रभावशील होंगे।

+निर्णय संख्या ३—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक पुन-नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा निवृति के पहिले (अन्य सरकार या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्त होने पर)प्राप्त किये गये प्रतिनियुक्ति भत्ते को उसके द्वारा सेवा-निवृत्ति के पूर्व(सेवा निवृति केपूर्व प्राप्त कियागया वेतन)प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि प्रतिनियुक्ति भत्ते (या प्रतिनियुक्ति वेतन)को सेवा निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन के निर्धारण में शामिल नहीं किया जावेगा सिवाय उन व्यक्तियों के मामलो को छोड़कर जो अन्य राज्य सरकार से इस सरकार मे प्रतिनियुक्ति पर हों एव जो इस सरकार से प्रतिनियुक्ति भत्ता (या प्रतिनियुक्ति वेतन) प्राप्त कर रहे हैं एवं सेवा निवृति के बाद शीघ्र ही पुर्नानियुक्त कर लिए गए हैं। बाद के मामलो में प्रतिनियुक्ति भत्ते (Deputation allowance) की कुल राशि सेवा निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किए गए वेतन के रूप मे गिनी जावेगी।

उपरोक्त पद्धति के अलावा अन्यथा प्रकार से निपटाये गये मामलो पर पुन: विचार करने की आवश्यकता नही है।

÷ निर्णय संख्या ४—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि यदि एक सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी निम्न प्रकार के मामलों में अल्पकाल आधार(पार्ट टाइम बेसिस)पर पुर्नानियुक्त हो जाता है तो उसे क्या वेतन मलना चाहिए:—

(१) जहा पद के वेतन की दर निश्चित की हुई हो,

(२) जहां पद एक समय श्रृंखला (टाइम-स्केल) वाला हो।

प्रथम प्रकार के मामले में यह निर्णय किया गया है कि पार्ट-टाइम-बेसिस पर अपनी पुर्नानियु

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (एफ) (१६) एफ.डी ए/आर/५७ दिनांक २६—४— द्वारा शामिल किया गया।

÷ वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ १ (२२) एफ.डी.(ए)/नियम/६२ दिनाक १२—१२—१ द्वारा शामिल किया गया।

...ने पर ऐसे व्यक्ति का वेतन इस तरह सीमित होना चाहिए कि पुनर्नियुक्ति काल में वेतन एवं ...पेंशन सह-सेवा-निवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन मिलाकर या तो प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन ...उस पद के लिए स्वीकृत वेतन की निर्दिष्ट दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

दूसरे प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि एक व्यक्ति का उसकी ...पद पर वेतन राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या (१) के रूप में शामिल किए गए समय ...पर संशोधित किए गए अनुसार वित्त विभाग के आदेश दिनांक २०-१०-५६ के प्रावधानों के ...निश्चित किया जाना चाहिए।

नियम ३३८. पेंशनर को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के लिए पेंशन की राशि घोषणा करना (Pensioner to declare amount of pension to appointing ...ity)

—यदि कोई व्यक्ति जो पहिले भारत में किसी सरकार की सिविल या मिलेट्री ...में था जब राजकीय सेवा में या स्थानीय निधि की सेवा में पुनर्नियुक्ति प्राप्त करता ...उसे अपने पुनर्नियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारी के लिए, जो भी वह अपनी पूर्व ...के सम्बन्ध में उसे स्वीकृत की गई किसी ग्रेच्युटी, बोनस या पेंशन की राशि प्राप्त ...होगा, उसकी घोषणा करनी होगी। उसे पुनर्नियुक्त करने वाला अधिकारी पुन-...के आदेश में वर्णन करेगा कि क्या उसकी पेंशन या मासिक वेतन में से कोई ...ली जावेगी जो कि इस अध्याय के नियमों के अनुसार काटी जानी आवश्यक हो। ...र इस आदेश की एक प्रतिलिपि आडिट आफीसर के पास भेजेगा।

टिप्पणियां

१– इस नियम के सिद्धान्त, राजकीय सेवा से निवृत्त होने पर लगातार नियुक्ति के मामलों में ...होते हैं। घोषित की जाने वाली पेंशन की राशि वह है जो मूल रूप में स्वीकृत की गई हो ...र इसमें वह राशि भी शामिल होगी जो कि रूपान्तरित की जा सकती है।

२– पुनर्नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए एक क्षतिपूरक भत्ता, एक क्षतिपूरक या अयोग्य पेंशन ... or Invalid Pension) के जैसा होता है। इसलिए पेंशनरों के पुनर्नियुक्ति ...नियम उन व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होते हैं जो इस प्रकार का भत्ता प्राप्त करते हैं ...जो क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त करते हों, यदि वे अपनी पुनर्नियुक्ति में अपना भत्ता प्राप्त करने के ...उसी स्थिति में पुनर्नियुक्त होते हों जिसमें कि क्षतिपूरक या अयोग्य पेंशन प्राप्त करने वाला ...ति पुनर्नियुक्त होता है।

नियम ३३९.

—प्रत्येक राज्य कर्मचारी, जो कि पुनर्नियुक्त किया जाता है, का ...उसे पुनर्नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा एवं, जब कभी उसे इस प्रकार की नियुक्ति ...पता चले तो आडिट आफिस द्वारा इस अध्याय के प्रावधानों ...

...हिए। परन्तु यदि कोई अधिकारी इस प्रकार के कर्तव्य में ...

...किसी अर्थ में इस अध्याय में दिए गए नियमों के उलंघन ...

...।

नियम ३४०. पुनर्नियुक्ति के समय में असाधारण पेंशन स्वी (Extraordinary pension admissible during re-employment)—फिर भी इस के नियमों में कुछ दिए गए अनुसार एक जख्म (wound) या अन्य असाधारण पेंश सेवा नियमों के अध्याय २३ के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है या एक घाव या अयोग्यता पेंशन या मिलेट्री नियमों के अन्तर्गत पुरस्कृत पेंशन के अतिरिक्त अयो पेंशन एक सेवा निवृत सिविल या मिलेट्री राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी पुनर्नियु अवधि में या लगातार नियुक्ति में प्राप्त की जाती रहेगी एवं केवल वे अपने पुरस्का की शर्त पर ही सीमित होगी। ऐसी पेंशन या पेंशन की वृद्धि की रकम पुनर्नियुक्ति अवधि में वेतन निर्धारित करते समय नहीं गिनी जावेगी।

टिप्पणी

जहां मिलेट्री पेंशन मिलादी गई हो एवं सेवा तथा अयोग्यता की राशियों में स्पष्ट रूप अन्तर न किया जा सकता हो तो कुल पेंशन को इस प्रकार अलग किया जा सकता है। पेंशन सेवा भाग उपार्जित सेवा पेंशन द्वारा दिखलाया जावेगा या यदि कोई सेवा उपार्जित नहीं की गई तो की गई सेवा की वास्तविक अवधि के लिए प्राप्य न्यूनतम साधारण पेंशन के प्रसंग में गिनी आनुपातिक सेवा पेंशन द्वारा दिखलाई जावेगी। इस सेवा पेंशन की राशि को गिनने में ५० नये पै या इससे अधिक की राशि को पूर्ण रूप में शामिल किया जावेगा तथा ५० नये पैसे से कम राशि होने पर उसे छोड़ दिया जावेगा। जो शेष बचेगा वह पेंशन का अयोग्यता हिस्सा होगी।

खण्ड २ सिविल पेंशनर

क्षतिपूरक ग्रेच्युटी के बाद पुनर्नियुक्ति

(Re-employment after compensation gratuity)

नियम ३४१. पुनर्नियुक्ति पर ग्रेच्युटी वापिस लौटाना (Refund of gra tuity on re-employment)—एक राज्य कर्मचारी जिसने क्षतिपूरक ग्रेच्युटी प्राप्त की है, यदि वह योग्य सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है तो या तो वह अपनी ग्रेच्युटी रख सकता है, परन्तु इसके रखने पर उसकी पहिले की सेवायें भावी पेंशनों के लिए न गिनी जावेगी या वह ग्रेच्युटी की राशि लौटाकर अपनी पूर्व की सेवाओं को पेंशन लिए गिन सकता है।

टिप्पणी

एक राज्य कर्मचारी अग्रिम सेवा के लिए असमर्थ होने के कारण ग्रेच्युटी पर सेवा से डिस्चार्ज कर दिया जाता है एवं पुनर्नियुक्त हो जाता है तो उस दिन के बाद वह उसकी दूसरी सेवा के लिए कुछ भी पाने का हकदार नहीं है क्योंकि यह मामला नियम २३६ के अन्तर्गत आता है। यदि पूर्ण सेवा को एक लगातार सेवा के रूप में माना जाता है तो पहिले की ग्रेच्युटी संयुक्त सेवा के लिए प्राप्य ग्रेच्युटी की रकम से कम की जावेगी

नियम ३४२. ग्रेच्युटी लौटाने के लिए माहवारी क़िश्तें (Monthly instalments of refund of gratuity)—रकम लौटाने की इच्छा को पुनर्नियुक्ति के बाद शीघ्र ... कर देना चाहिए, लेकिन रकम का वापिसी भुगतान मासिक क़िश्तों में किया जा ... कि राज्य कर्मचारी के मासिक वेतन के १/३ भाग से कम नहीं होगी एवं सेवा ... के बाद से जितने माह तक ग्रेच्युटी दी गई है उतने माह का भाग देने पर ... की रकम आएगी उससे भी यह राशि कम न होगी। जब तक पूर्ण रकम का ... भुगतान नहीं किया जाता है उसकी पूर्व की सेवायें पुनः पेन्शन योग्य नहीं ... है।

टिप्पणी

इस नियम का औचित्य इस विचार पर निर्भर करता है कि जब तक ग्रेच्युटी का वापिसी ... निश्चित कर दिया जाता है तब तक राज्य कर्मचारी खतरों को टालता रहता है एवं राज्य ... इस प्रकार से अधिकारी की मृत्यु या बर्खास्तगी के कारण राज्य कोष में जमा न होने ... राशि की वसूली का खतरा बना रहता है। यदि यह ग्रेच्युटी की राशि मय चक्रवर्ती ब्याज ... interest) के बाद में चुका भी दी जावे तब भी इस प्रकार की हानियों की सम्भावनायें ... मिट सकती है।

नियम ३४३. क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति (Re-employment after compensation pension)—[क] एक राज्य कर्मचारी, जिसने क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त कर ... यदि पुनर्नियुक्त हो जाता है तो वह अपनी पेंशन को वेतन के साथ प्राप्त कर सकता ... परन्तु शर्त यह है कि यदि उसकी पुनर्नियुक्ति एक ऐसे पद पर होती है जिसका भुगतान ... निधि से किया जाता है तो उसकी पेंशन पूर्ण या आंशिक रूप में स्थगित कर दी ... यदि उसकी पेन्शन की राशि व पुनर्नियुक्ति के पद का प्रारम्भिक वेतन उसके ... किए जाने के समय के स्थाई वेतन से ज्यादा हो अर्थात् दूसरे शब्दों में एक ... कर्मचारी केवल उतनी ही पेंशन प्राप्त कर सकता है जिससे कि उसका प्रारम्भिक वेतन ... पेंशन की राशि दोनों मिलाकर उसके डिस्चार्ज किए जाने के समय के स्थाई वेतन ... हो जावे। जब उपरोक्त शर्त के आधार पर पेंशन की राशि एक बार निश्चित कर ... है तो अधिकारी अपनी नई शृंखला में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर ... या इस प्रकार की और आगे कोई कटौती कराए बिना किसी अन्य शृंखला या पद उन्नति के लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा। एवं इस प्रकार निश्चित की गई ... की राशि अवकाश काल में भिन्न नहीं होगी। फिर भी यदि स्थाई या अस्थाई पद ... पुनर्नियुक्त पेंशनर के मामले में जो एक साल से अधिक समय के लिए अस्थाई रूप ... नियुक्त नहीं किया गया हो, तो राज्य सरकार, या जहां १०) रु. माह से पेंशन अधिक ... वह अधिकारी जो उस कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण रखता है जिसमें पेंशनर नियुक्त ... किया जाता है, पेंशन को पूर्ण या आंशिक रूप में प्राप्त करते रहने की स्वीकृति दे सकता ... चाहे वेतन एवं पेंशन की कुल राशि उसे हटाए जाने के समय प्राप्त होने वाली स्थाई

वेतन से ही अधिक क्यों न हो।

टिप्पणियां

१– यह नियम उन सब स्थापन वर्ग की नियुक्तियों पर लागू होता है जिनकी तनख्वाह संचित निधि से दी जाती है चाहे वह उसके निश्चित वेतन द्वारा दी जाती हो या परिवर्तनशील माहवारी भत्तों से दी जाती हो। लेकिन यह नियम उन पेन्शनरों पर लागू नहीं होता है जो कुली के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा जिन्हें रोजाना मजदूरी दी जाती है।

(२) स्थानीय निधि के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति के मामले में क्षतिपूर्ति पेंशन से कोई कटौती नहीं की जावेगी।

(३) एक राज्य कर्मचारी जिसने क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त की है एवं जो बाद में सक्षम अधिकारी द्वारा उचित रूप से स्वीकृत एक स्थाई या अस्थाई पद पर पुनर्नियुक्त हो जाता है तो राज्य सरकार उसे अपने पद के वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त पूर्ण पेंशन को प्राप्त करने की भी स्वीकृति दे सकती है चाहे ऐसी पुनर्नियुक्ति का समय कितना ही क्यों न हो।

(४) इस नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार अपनी शक्ति उन पेन्शनरों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों को सौंप सकती है जिनकी पुनर्नियुक्ति करने के लिए उन्हें आदेश देने का अधिकार है।

(५) इस नियम के प्रतिबन्ध उन भूतपूर्व पुलिसमैनों पर लागू नहीं होते हैं जिनकी पेंशन १० रु प्रति माह से ज्यादा नही हो।

(ख) यदि उसकी पुनर्नियुक्ति योग्य सेवा में हुई हो तो वह या तो अपनी पेंशन को (उपरोक्त वर्णित प्रावधान की शर्त पर) प्राप्त कर सकता है जिसके कि पाने पर उसकी पूर्व सेवायें भावी पेन्शन के लिए नहीं गिनी जावेगी, या वह अपनी पेन्शन का कोई भाग लेना बन्द कर सकता है एवं अपनी पूर्व की सेवाओं को गिन सकता है। इसके पहिले बीच में जो पेन्शन प्राप्त करली जावे उसे लौटाने की जरूरत नहीं है।

टिप्पणियां

१– एक राज्य कर्मचारी खण्ड (ख) के अनुसार अपनी पूर्व सेवाओं को पेन्शन के लिए गिन सकता है यदि पुनर्नियुक्ति होने पर उसकी पूर्ण पेन्शन खण्ड (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थगित कर दी जाती है।

२– इस नियम में दिए गए प्रतिबन्ध उस राज्यकीय पेंशनर पर लागू होते हैं जो एक ऐसे अस्थाई स्थापन वर्ग में पुनर्नियुक्त होते हैं जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है चाहे वह निश्चित मासिक वेतन दर पर चुकाया जाता है या परिवर्तनशील मासिक भत्तों द्वारा चुकाया जाता है।

३– ये प्रतिबन्ध उस राज्यकीय पेन्शनर पर भी लागू होते हैं जो कि एक ऐसे पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है जिसका कन्टिन्जेन्ट ग्रान्ट से भुगतान किया जाता है।

४– पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में दो सीमित शर्तें ये हैं—

[क] पद का वेतन जिस पर राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्त किया जाता है, एवं

[ख] सेना नियुक्ति के समय राज्य कर्मचारी का स्थाई वेतन।

एक पुर्ननियुक्त राज्य कर्मचारी को, उसको सेना नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किए गए वेतन के बराबर (पेंशन सहित) वेतन नहीं दिया जाता हो तो इन नियमों के अनु... उसे स्वीकृत को जा सकती है जो कि प्रारम्भिक पेंशन सहित मौलिक वेतन के हो। वेतन के निर्धारण का मामला सक्षम अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगा।

नियम ३४४. तीन माह के भीतर विकल्प दिया जाना।(Option to be ...ised within three months)—यदि एक राज्य कर्मचारी अपनी पुनर्नियुक्ति के ... अवधि के भीतर नियम ३४३ द्वारा चाहे गए अनुसार पेन्शन को बन्द करने ... अपनी पूर्व सेवा को पेन्शन हेतु गिने जाने के लिए अपना विकल्प नहीं दे ... तो वह उसके बाद में इसके लिए अपना विकल्प राज्य सरकार की आज्ञा बिना ... दे सकता है।

अयोग्यता पेंशन के बाद में (After Invalid Pension)

नियम ३४५. अयोग्यता पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति—ऐसे राज्य कर्मचारी की ... पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसने कि अयोग्यता पेन्शन प्राप्त कर लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया हो या यदि एक राज्य कर्मचारी सेवा की किसी एक ... शाखा में कार्य करने में असमर्थ होने के कारण अयोग्य कर दिया जाता है तो उसे ... अन्य अतिरिक्त शाखा में पुनर्नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे एक ... में नियम में ग्रेच्युटी लौटाने, 'पेन्शन प्राप्त करने' एवं सेवा गिनने के सम्बन्ध में ... प्रकार से लागू हैं जैसे कि क्षतिपूर्ति पेन्शन के बाद पुनर्नियुक्ति के मामलों में हैं।

राजस्थान सरकार के निर्णय

❀ निर्णय सं० १. उन भूतपूर्व टी० बी० बीमारी से पीड़ित राज्य कर्मचारियों को राज्यकीय ... में पुनः नियुक्त करने का प्रश्न जो कि पहिले राज्यकीय सेवा में थे, बहुत समय पहिले विभाग ... विचाराधीन था एवं जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की ... में तय किया जा रहा था। अब यह निर्णय किया गया है कि—

(१) ऐसे भूतपूर्व टी० बी से बीमार व्यक्ति जो एक टी० बी० विशेषज्ञ या सरकार द्वारा ... सम्बन्ध में अधिकृत किए गए चिकित्सा अधिकारी द्वारा राज्यकीय सेवा के लिए चिकित्सा प्रमाण ... पर टी० बी० बीमारी से प्रभावरहित एवं सेवा के लिए योग्य घोषित कर दिया जाता है वह ... के द्वारा पूर्व में रिक्त किए गए पद पर कार्य करने के लिए योग्य समझा जायेगा, यदि वह स्थान ... हो अथवा स्वयं के विभाग मे उसके समान पदो पर कार्य करने योग्य समझा जावेगा। उनके ... मे आयु सीमा के सम्बन्ध की साधारण शर्तें लागू नहीं होगी।

(२) यदि ऐसे व्यक्ति अपने सम्बन्धित विभाग मे पदों के स्थान रिक्त न होने के कारण ... युक्त नहीं किए जा सकते हो तो उनके अन्य विभागों मे लगाए जाने के मामले पर विचार

❀ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ ७ (१६) एफ II/५५ दिनांक २-१२-५५ ... शामिल किया गया।

किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिए एवं उम्र में रियायत बरतने के प्रयोजन के लिए भी उन्हें का किए गए राज्य कर्मचारी (Retrenched Government Servent) के रूप में समझा जावेगा।

(३) ऐसे व्यक्तियों की उसी पद पर पुनर्नियुक्ति होने पर, जिससे वे सेवा से हटाए गये उनके द्वारा पूर्व में की गई वास्तविक सेवा के समय को पेंशन के प्रयोजन के लिए योग्य सेवा रूप में समझा जाना चाहिए। जिस रोज वे सेवा से हटाये गए थे एवं जिस रोज वे सेवा पुनर्नियुक्त हुए, इन दोनों के बीच के समय को सेवा का व्यवधान किसी भी प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जावेगा लेकिन सेवा अन्यथा प्रकार से निरन्तर सेवा मानी जावेगी। अन्य पदों प नियुक्त होने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता नियुक्ति विभाग की सलाह से निश्चित की जावेगी एवं उनका वेतन वित्त विभाग की सलाह से तय किया जावेगा।

(४) पुनर्नियुक्त होने पर ऐसे व्यक्तियों को पुनः चिकित्सा सम्बन्धी जांच कराने की जरूरत नहीं होगी यदि प्रथम नियुक्ति के समय उनकी डाक्टरी परीक्षा की जा चुकी हो। फिर भी उनका स्थाईकरण करने के पूर्व उन्हें सामान्य डाक्टरी परीक्षा के लिए जाना पड़ेगा यदि इसे अन्यथा रूप से आवश्यक समझा जाय।

(५) ऐसे मामलों में जिनमें कि ऐसे व्यक्ति उन सीधी नियुक्ति के पदों पर पुनः नियुक्त हुए हैं जिन पर कि नियुक्ति केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जा सकती है, तो इस सम्बन्ध में आयोग की साधारण रूप में सलाह ली जावेगी। इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों के सभी उपलब्ध रिकार्ड आयोग के पास भेजे जावेंगे। आयोग, यदि वे उचित समझें, ऐसे व्यक्तियों को साक्षात्कार भी कर सकते हैं एवं ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक नियुक्ति केवल उसी समय की जावेगी जबकि वे उन पदों पर चुने जाने के लिए आयोग द्वारा योग्य प्रमाणित कर दिये गये हों।

❀ निर्णय संख्या २—भूतपूर्व लेप्रोसी एवं प्ल्युरीसि (Leprosy and Pleurisy) बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो पहिले राज्यकीय सेवा में थे पर इस तरह की बीमारी होने पर सेवा से हटा दिए थे, उनको राज्यकीय सेवा में नियुक्त करने का प्रश्न कुछ समय तक सरकार के विचाराधीन रहा। अब यह निर्णय किया गया कि नि नीचे दी गई टि टी. बी. से पीड़ित व्यक्तियों को दी गई रियायतें इन व्य

पूर्ण वयस्कता या सेव

(After Superannuati

नियम ३४६. पूर्ण वयस्कता य

एक राज्य कर्मचारी जो पूर्ण वयस्कता या जनिक कारणों को छोड़कर सन्चित निधि से में पुनर्नियुक्त नहीं होगा या उस सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति या नियुक्ति की अवधि

(१) जब एक राज्य कर्मचारी पेन्शनर ने किया हो तो सरकार द्वारा यह अवधि बढ़ाई

+ वित्त विभाग के आदेश सं० डी ६६१ दिनाङ्क १५-२-६० द्वारा शामिल किया गया।

:) उन पेन्शनरों के सम्बन्ध में जो ऐसे अधिकारियों के अधीनस्थ स्थापन वर्ग में होते हैं जिन्हें कि सरकार इस नियम के अन्तर्गत अपनी शक्ति प्रदान करती है तो रधि उन सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

टिप्पणियां

ंख्या १—सरकार यह घोषणा कर सकती है कि इस नियम में दिए गए प्रतिबन्ध अपने क्षेत्र ी विशिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय निधि या स्थानीय निधियों पर लागू नहीं होंगे या यह कि ये इस न के साथ लागू होंगे जैसा सरकार निर्देश दे।

ंख्या २—जब एक विशेष या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में एक ऐसे राज्य कर्मचारी को युक्त किया जाना वाञ्छनीय समझा गया हो जिसे सरकार के अधीन एक पद पर आनुपातिक पर सेवा निवृत्त होने की स्वीकृति दे दी गई है तो पद के वेतन में से उसकी पेंशन की पूर्ण राशि र देनी चाहिए।

& संख्या ३ व ४—हटादी गई है।

× संख्या ५—मृत्यु—सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर की पेंशन को केवल फिक्सेशन ियन के लिए पुनर्नियुक्ति एवं निरन्तर सेवा के सभी मामलों में दिनांक १-६-५५ से विचारार्थ न किया जा सकता है। किसी भी दशा में ३१-८-५५ तक की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति टी के बराबर पेंशन के कारण कोई असुविधा नहीं दी जावेगी।

मृत्यु—सह—सेवा—निवृत्ति ग्रेच्युटी के समान पेंशन को गिने जाने के तरीके का एक उदाहरण दिया जाता है—

उदाहरण

एक व्यक्ति की सेवाओं का विवरण इस प्रकार है जिसको कि सेवा निवृति के समय ५ रु० मृत्यु-सह-सेवा-निवृति ग्रेच्युटी के रूप में मिलते हैं

जन्म तिथि.... ....१-१०-१८९८

सेवा-निवृति की तारीख १-१०-१९५३

आगामी जन्म दिवस पर आयु सेवा-निवृति के समय ५६ वर्ष की होगी।

. राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट ११ (सो. एम. नं. ४१) में कालम 'रूपान्तरित गये वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त रूपान्तरण' में ५६ वर्ष की आयु के विपरीत .५५ दिया हुआ है।

& वित्त विभाग के आदेश संख्या १७६०/५९ एफ १ (एफ) (१६) एफ.डी /ए/५७ ंक ३०-१०-५८ द्वारा हटाई गई।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १३ (३२) १६/पी.एल.ओ./एफ II/५४/ दिनांक -३-५६ द्वारा शामिल किया गया।

इस प्रकार पेंशन निम्न के बराबर होगी—

$$\frac{\text{ग्रेच्युटी की राशि}}{१२\times११.५५} = \frac{१७५५}{१२\times११.५५} = \text{रु० } १२/११$$

÷ संख्या ६—उपरोक्त निर्णय संख्या ५ उन व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति के मामलों में ल नहीं होगा जो कि अंशदायी प्राविधिक निधि द्वारा शासित होंगे एवं जहां पर अंशदायी प्रावि निधि (राजकीय अनुदान) का प्रश्न उठता है। ऐसे प्रश्नों का नियमन उपरोक्त टिप्पणी ३ द्वा किया जावेगा।

+ संख्या ७—सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि क्या राजस्थान से नियमों के अध्याय २८ में प्रयुक्त 'वेतन' शब्द को जो कि पुनर्नियुक्ति पर राज्य कर्मचारियों के वेतन नियमित करने के प्रावधानों से सम्बन्धित हैं, केवल स्थाई वेतन तक ही सीमित रखा जायेगा ए क्या सेवा निवृति के समय एक पुनर्नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गये कार्यवाहक ए विशेष वेतन को पुर्नानियुक्ति पर वेतन के निर्धारण में गिना जाना चाहिए। यह निर्णय किया गय है कि राजस्थान सरकार एवं अन्य राज्यों या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में उ राशि को, जिस तक पुर्ननियुक्ति पर वेतन निश्चित किया जा सके, पुर्ननियुक्ति के समय कार्यवाह वेतन को मिलाकर राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये वेतन के रूप में समझा जाना चाहिए फिर भी पुर्ननियुक्ति के पूर्व किसी पद पर विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन प्राप्त किया जा रह हो तो उसे शामिल नहीं किया जावेगा।

जिस पद पर पुनर्नियुक्ति की जाती है उसके साथ संलग्न कर्तव्यों के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर विशेष वेतन निर्धारित करना चाहिए। यदि जिस पद पर वह पुनर्नियुक्त हुआ है, उस पर विशे वेतन मिलता हो एवं एक अधिकारी साधारणतया उस पद पर नियुक्त होता हो जो कि उस विशे वेतन पाने के लिए अधिकृत होना हो तो पुनर्नियुक्त राज्याधिकारी को भी विशेष वेतन स्वीकृत किये जाने योग्य समझा जाना चाहिए अन्यथा नही। (शर्त यह होनी चाहिए कि पुनर्नियुक्ति पर कुल वेतन उसे पूर्व सेवा निवृत्ति के वेतन से ज्यादा नहीं होना चाहिए)

जो अधिकारी ठेकों पर नियुक्त होते हों उनके सम्बन्ध में शर्तें आपसी समझौते के आधार पर तय करनी चाहिए तथा इसके लिए नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार का निर्णय

× एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्ण वयस्कता प्राप्ति पर सेवा निवृत होने के बाद पुनर्नियुक्त होने पर स्वीकृत की जा सकती है या नियम ३४६ के

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या ६८२२/एफ–आर/५७ एफ १३ (३२) १६/पी.एल.ओ एफ/५४ दिनांक १३-११-५७ द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग के आदेश सं. ६५६७/एफ–आर/५७/एफ १ (एफ) (१६) एफ डी ए /५७ दिनांक १३-१-५८ द्वारा शामिल किया गया।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या डी २६८६/एफ ७ (ए) ३६ एफ डी ए/५८ दिनांक २८-११-५ द्वारा शामिल किया गया।

राजस्थान सरकार के निर्णय के साथ पठित राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३४७ के अन्त– . . वेतन को निश्चित किए जाने के बाद सेवा–निवृत्ति पर पुनर्नियुक्त होने पर वेतन वृद्धि . . की जानी चाहिए चाहे वह उसके उस स्थाई वेतन से ज्यादा होती हो जो उसने सेवा . . के समय प्राप्त किया था।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसा पेंशनर . उसी पद पर नियुक्त हो गया हो या एक ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिसकी वेतन शृंखला . हो जो उस पद की थी जिस पर से वह सेवा निवृत्त हुआ था या जो एक उच्चतर पद पर पुन– . . होता हो, तो समय शृंखला में उसे साधारण वेतन वृद्धि दी जा सकती है। परन्तु शर्त . है कि उसके वेतन व पेंशन या अंशदायी प्राविधिक निधि नियमों से नियन्त्रित कर्मचारियों . मामले में अंशदायी प्राविधिक निधि के बराबर पेंशन कुल मिलाकर उस पद के अधिकतम . से ज्यादा नहीं होवे जिस पर कि वह पुनः नियुक्त किया गया है।

नियम ३४७. पेंशन स्थगित करने की शक्ति (Power to keep pension in . . ance)—जिस पद पर पेंशनर नियुक्त होता है उस पद के लिए वेतन एवं भत्ता . . . करने में सक्षम अधिकारी ही निश्चित करेगा की क्या उसकी पेंशन को पूर्ण या . . . रूप में स्थगित रखा जावेगा। यदि पेंशन पूर्ण या आंशिक रूप में प्राप्त की जाती तो ऐसा अधिकारी उसे स्वीकृत किये जाने वाले वेतन के निर्धारण में उक्त तथ्य को . में रखेगा, परन्तु शर्त यह है कि (१) जहां सरकार ने अपनी शक्ति नियम ३४९ के . . (२) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को सौंप दी है तो विभागाध्यक्ष पद के पूर्ण वेतन साथ पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए आज्ञा नहीं देगा सिवाय इसके कि जब पुनर्नियुक्ति . . . अस्थाई अवधि के लिए हो। यह अस्थाई अवधि १ साल से अधिक नहीं हो या . उसकी पेंशन १०) रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं हो, एवं (२) जहां राज्य सरकार ने . . शक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंप दी हो तो ऐसा अधिकारी पद के पूर्ण . . के साथ में १०) रु. प्रतिमाह से अधिक की पेंशन पूर्ण पाने के लिए स्वीकृति नहीं . सकता है।

टिप्पणियां

१—जब निर्युक्त स्थानीय निधि से भुगतान की गई सेवा में हो पेंशन को पूर्ण या आंशिक . स्थगित रखने वाला अधिकारी या तो

(१) स्थानीय निधि को शासित करने वाला अधिकारी होगा जिसे इस सम्बन्ध में सामान्य . . आदेशों द्वारा सरकार से शक्ति प्रदत्त की हुई होगी, या

(२) किसी अन्य मामले में सरकार या ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार निर्धारित

(२) इस नियम में दिए गए प्रतिबन्ध उन भूतपूर्व पुलिस मैनों पर लागू नहीं होते हैं . . पेन्शन १०) प्रति माह से ज्यादा न हो।

(३) मन्त्री के रूप में नियुक्त एक पेन्शनर अपने मंत्री पद के वेतन के अतिरिक्त अपनी पेंशन के लिए अधिकृत है।

खण्ड ४— नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service)

नियम ३५२. नई सेवा के लिए पेंशनर अलग पेंशन प्राप्त नहीं करेग (Pensioners not entitled to a Separate Pension for New Service)—नियम ३५ व ३५१ में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त एक राज्य कर्मचारी जो पेन्शन के साथ सेव से हटाया गया हो एवं जो बाद में पुनर्नियुक्त हो गया हो तो वह अपनी नई सेवा को एक अलग पेन्शन के लिए नहीं गिन सकता है। पेंशन (यदि कोई हो) केवल पुरानी सेवा के साथ नई सेवा को मिलाकर ही दी जावेगी तथा सम्पूर्ण सेवा केवल एक पूर्ण सेवा के रूप गिनी जावेगी।

नियम ३५३. बाद की सेवाओं के लिए पेंशन या ग्रेच्युटी की सीमा (Limitations of pension or gratuity for subsequent service)—एक राज्य कर्मचारी जिसने क्षतिपूर्ति या अयोग्य पेन्शन प्राप्त की है यदि वह पेन्शन योग्य सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है तथा पेन्शन अलग से प्राप्त करता है (देखिए नियम ३४१) तो उसकी पेन्शन या ग्रेच्युटी, जो उसकी बाद की सेवा के लिए प्राप्य है, वह निम्न प्रतिबन्धों तक सीमित है अर्थात् पेन्शन की कुल राशि (Capital Value) उस अन्तर से ज्यादा नहीं होगी जो कि अधिकारी के अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त होने के समय दोनों सेवाओं के समय को मिलाकर प्राप्त होने वाली है एवं जो कि पूर्व सेवाओं के लिए पहिले से ही स्वीकृत पेन्शन की राशि के बीच में है।

टिप्पणी

पूर्व सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन की कुल राशि (केपिटल वेल्यू) राज्य कर्मचारी की अन्तिम सेवा निवृत्ति की तारीख से उसकी उम्र के आधार पर गिनी जानी चाहिए।

नियम ३५४.—(क) यदि पूर्व सेवा के लिए प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाया नहीं जाता है तो ग्रेच्युटी या पेंशन, (जैसी भी स्थिति हो) बाद की सेवाओं के लिए स्वीकृत की जा सकती है। परन्तु इसके साथ शर्त यह होगी कि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेन्शन की वर्तमान राशि एवं पूर्व ग्रेच्युटी की राशि उस ग्रेच्युटी की राशि या पेंशन की वर्तमान राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे प्राप्य होगी यदि उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी की रकम को लौटा दिया जाता।

(ख) यदि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेंशन का वर्तमान मूल्य व पूर्व ग्रेच्युटी की राशि उस ग्रेच्युटी की राशि या पेन्शन की वर्तमान राशि से ज्यादा हो जो कि पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाने पर उसे प्राप्य होती तो इस अधिक राशि को अस्वीकृत कर देना चाहिए।

नियम ३५५.—नियम ३५३ व ३५४ के प्रयोजन के लिए एक पेंशन की राशि या वर्तमान मूल्य, राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय २७ के प्रयोजन के लिए निर्धारित सूची (Table) के अनुसार निकाली जावेगी।

खण्ड ५—सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा
(Commercial Employment after Retirement)

नियम ३५६. राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक—(क) यदि एक ...जिस पर यह नियम लागू होता है, अपनी सेवा-निवृत्ति से दो साल की अवधि ... होने के पूर्व कोई व्यापारिक सेवा को स्वीकार करना चाहता है तो उसे इसे स्वीकृत के लिए पहिले राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक पेंशनर को ...न उस अवधि की नहीं दी जावेगी जिसके अन्दर वह बिना सरकार की स्वीकृति किए व्यापारिक सेवा में प्रविष्ट हुआ है या इससे अधिक समय के लिए भी यदि निश्चित करे, तो उसे कोई पेन्शन नहीं दी जावेगी।

परन्तु शर्त यह है कि जब एक राज्य कर्मचारी को अपनी निवृत्ति पूर्व अवकाश (...e preparatory to retirement) में किसी विशिष्ट प्रकार की व्यापारिक सेवा के लिये उचित अधिकारी द्वारा आज्ञा दे दी जाती है तो वह सेवा निवृत्ति के बाद ...या में बने रहने के लिये और स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझेगा।

(ख) यह नियम उस प्रत्येक पेंशन पर लागू होगा जो कि अपनी सेवा निवृत्ति के ...राजपत्रित अधिकारी था, परंतु १ अप्रेल, १९५१ के पूर्व ऐसे पेंशनर द्वारा स्वीकार की गई व्यापारिक सेवा के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होगा।

(ग) इस नियम में व्यापारिक नियुक्ति का तात्पर्य किसी भी रूप में होने वाली ...से है जिसमें किसी कम्पनी, फर्म के एजेन्ट या ट्रेडिंग, व्यापारिक, औद्योगिक, ...या व्यवसायात्मक व्यापार आदि में नियुक्ति भी शामिल है तथा जिसमें ऐसी ...यों की डाईरेक्टरसिप एवं ऐसे फर्मों में पार्टनरसिप भी शामिल है। लेकिन इसमें ...द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित निगमित निकाय (Corporate body) ...न सेवा शामिल नहीं है।

टिप्पणी

पेंशन वितरण करने वाले अधिकारियों को पेंशनरों से निम्नलिखित [illegible] में प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए।

प्रमाण पत्र

(१) मैं घोषणा करता हूं कि मैंने कोई व्यापारिक नियुक्ति नहीं की है।

या

मैं घोषणा करता हूं कि मैंने राजस्थान सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करके व्यापा-...युक्ति स्वीकार की है।

टिप्पणियां

(१) यह प्रमाण पत्र सेवा निवृति होने की तारीख से दो साल तक उस प्रत्येक पेंशनर द्वारा ...ना चाहिए जो कि अपनी सेवा निवृति के पूर्व राजस्थान सरकार का एक राजपत्रित राज्य ...ी था।

(२) यह प्रमाण पत्र १-४-५१ को या उसके बाद में सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचा-...रा व्यापारिक नियुक्तियों की स्वीकृति के लिए है।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियम, १९६४

(The Rajasthan Old Age Pension Rules)

(वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३४) एफ. डी. ए/नियम/६२ दिनांक १ १०-६४ द्वारा जारी किए गये)

राजस्थान के राज्य पाल ने वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं—

नियम १—(१) इन नियमों को राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियम, १९६४ कहा जा सकता है।

(२) ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होंगे।

नियम २—ये नियम तात्कालिक रूप से प्रभावशील होंगे।

नियम ३—६५ साल या इससे अधिक अवस्था के सभी निराश्रित व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य के वास्तविक निवासी (Bonafide Resident) हैं तथा जो नियम ७ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देने की तारीख को तीन से अधिक समय से राजस्थान में स्थायी रूप से रह रहे हैं, वे इन नियमों के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

नियम ४—एक व्यक्ति को निराश्रित समझा जावेगा यदि उसके पास कोई आमदनी नहीं हो या आमदनी का जरिया न हो एवं उसके कोई २० साल तक या इससे ऊपर के कोई निम्न श्रेणी के सम्बन्धी न हों।

(१) पुत्र, प्रपौत्र (Son, son's son) (२) पति/पत्नि

परन्तु शर्त यह है कि उसे पेंशन स्वीकृत की जा सकती है यदि उसके उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले सम्बन्धी कुछ भी नहीं कमा रहे हों, या जो

(क) स्वयं ६५ वर्ष या इससे अधिक उम्र के हों एवं जिनके पास न कोई आय हो न आय का साधन। इस प्रकार का तथ्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी के सन्तोष तक प्रमाणित किया जाना चाहिए, या

(ख) जो कमाने में पूर्णतया अयोग्य हों या जो प्रथा के अनुसार कुछ नहीं कमाते हों, या

(ग) जो ७ साल या इससे अधिक समय से लगातार उपेक्षित हों (Unheared) या जहां स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी ने आवश्यक जांच द्वारा व्यक्तिगत रूप से सन्तोष प्राप्त कर लिया हो कि उसके सम्बन्धी खो गये हैं—

टिप्पणी

(१) इस नियम में 'पुत्र' शब्द में "गोद लिया हुआ बच्चा शामिल नहीं है।"

(२) व्यवसायी, भिखारी एवं साधू लोगों को निराश्रित नहीं समझा जावेगा लेकिन जो व्यक्ति व्यवसाय से वास्तव में भिखारी नहीं हैं परन्तु जो आकस्मिक अवसरों पर व्यक्ति या व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें पेंशन स्वीकृत की जावेगी यदि वे अन्य प्रकार से योग्य हों तथा स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि वह एक निराश्रित (Distitute) व्यक्ति है।

नियम ५—प्रत्येक निराश्रित व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली पेंशन की राशि २०) रु० प्रति माह होगी लेकिन जहां एक परिवार में एक से अधिक निराश्रित व्यक्ति होंगे तो उन्हें संयुक्त रूप से भुगतान की जाने वाली पेंशन की राशि २५) रु० प्रति माह तक सीमित होगी।

टिप्पणी

इस नियम के प्रयोजन के लिए 'परिवार' का तात्पर्य निराश्रित पति या पत्नि, जैसी भी स्थिति हो, से है एवं पेंशन की स्वीकृति के समय जीवित पुत्र एवं प्रपौत्रों से है।

नियम ६—उस जिले का जिलाधीश, जिसमें कि निराश्रित व्यक्ति रहता है, पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम अधिकारी होगा।

नियम ७—इन नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र, फार्म वृद्धावस्था पेंशन १ में प्रार्थी द्वारा उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे यदि वह सम्बन्धित तहसील या जिले के मुख्यालय पर, जैसी भी स्थिति हो, रहता हो। प्रार्थना पत्र तहसील/ग्राम पंचायत/ट्रेजरी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि छपे हुए प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं हो तो एक सादा कागज पर छपे फार्म की नकल कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

नियम ८—वे व्यक्ति, जिनके प्रार्थना पत्र जिलाधिश द्वारा रद्द कर दिये जाते हैं तो वे राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग में उसके लिए अपील कर सकेंगे। ऐसी प्रार्थना जिलाधीश द्वारा दिए गये आदेशों के जारी होने की तारीख से २ माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरकार का निर्णय अन्तिम माना जावेगा। इस योजना का पूर्ण चार्ज समाज कल्याण विभाग पर रहेगा।

नियम ९—इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत किया जाना स्वेच्छा के ऊपर आधारित है तथा इन्हें बिना किसी कारण बतलाए अस्वीकृत किया जा सकता है या रोक जा सकता है तथा इनके लिए किसी अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है तथा इनके सम्बन्ध में सिविल कोर्ट में कोई दावा या अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

नियम १०—(१) उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ही पेंशन के भुगतान के लिए अधिकारी होंगे।

(२) पेंशन प्रार्थना पत्र की तारीख से एवं इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाने की तारीख से प्रभाव शील होगी।

(३) जिस माह की पेंशन देनी होगी वह उसके माह के समाप्त होने पर दी जावेगी। अगले माह का कोई भुगतान उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक कि वह पूर्व माह का पेंशन की रसीद व्यक्तिगत रूप से मनी आर्डर की रसीद द्वारा प्राप्त नहीं कर लेती है।

(४) इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन रूपान्तरण योग्य नहीं होती है।

(५) पेंशन की राशि प्राप्त कर्ता को केवल पोस्टमैन द्वारा (डाक अधिकारी के अनुबन्ध के अनुसार) एक शिक्षित व्यक्ति के सामने बांटी जावेगी जो उस पर उसे पहिचानने का प्रमाण पत्र देगा। पोस्टमैन के अलावा किसी अन्य के द्वारा यह पेंशन नहीं बांटी जावेगी। यदि एक पेंशनर अशिक्षित है तो मनी आर्डर की रसीद पर प्राप्तकर्ता के अंगूठे की निशानी किसी एक शिक्षित व्यक्ति के सामने ला जावेगी जिसके हस्ताक्षर रसीद पर लिए जावेंगे।

(६) यदि एक पेंशनर पागल या विवेकहीन है तो पेंशन सक्षम अदालत या स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्त उसके संरक्षक को दी जा सकती है। इस कार्य के लिए संरक्षण की नियुक्ति हेतु सादा कागज पर एक प्रार्थना पत्र पेंशनर द्वारा सम्बन्धित उप कोपाधिकारी की मार्फत जिलाधीश के पास प्रस्तुत किया जावेगा। पेंशन स्वीकृत करने से पहिले पागल (Insan) प्रार्थी के निर्वाह के सम्बन्ध में संरक्षक को एक प्रतिज्ञा पत्र भरना पड़ेगा।

(७) उप कोपाधिकारी/कोपाधिकारी एक पेंशन का भुगतान ऐसे पेंशनर को कर सकते हैं जो भुगतान व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहते हैं। पेंशनर की एक पास पोर्ट साइज की फोटो उप कोपाधिकारी या कोपाधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित की जाकर पेंशन की स्वीकृति के आदेश पर लगादी जावेगी ताकि जब भुगतान व्यक्तिगत तौर पर किया जावे तो उसे पहिचानने की सुविधा रहे।

नियम ११—पेंशनर की मृत्यु होने पर पेंशनर की मृत्यु की तिथि तक बकाया रकम (जो भुगतान नहीं की गई हो) समाप्त (Lapse) हो जाएगी।

नियम १२—लेखे सम्बन्धी नियम इन नियमों के परिशिष्ट में दिये हुए हैं—

परिशिष्ट

ये नियम राजस्थान वृद्धावस्था नियम, १९६४ के अन्तर्गत पेंशन के भुगतान में ... लेखा पद्धति आदि को नियमित करते हैं।

(१) उप कोपाधिकारी/कोपाधिकारी उन व्यक्तियों के लिए एक रजिस्टर (वृद्धावस्था पेंशन फार्म २ में) खोलेगा जिसमे पेंशन की स्वीकृति के प्रार्थना पत्रों को दर्ज किया ...। उसकी प्रार्थना प्राप्त होने पर रजिस्टर (वृद्धावस्था पेंशन २ फार्म में) में पूर्व का सत्यापन करेगा ताकि वह यह निश्चित कर सके कि क्या इस निराश्रित व्यक्ति ... मामले पर पहिले विचार किया जा चुका है यदि हां, तो वह देखेगा कि उसे किस ढंग ... निपटाया गया है। यदि मामला पहिले प्राप्त नहीं किया गया हो तो इसका इन्द्राज ... रजिस्टर में किया जावेगा।

(२)—(१) उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसकी अवस्था, राष्ट्रीयता, निवास स्थान एवं वित्तीय स्थिति (कोई आय या जीवन निर्वाह का साधन न होने की) जांच करेगा तथा प्रार्थी की इस सत्यता की भी जांच करेगा कि उसके कोई सम्बन्धी नहीं है जिनका उल्लेख राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियमों में किया गया है। प्रार्थी की अवस्था निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर क्रमवार जांची जाएगी।

(क) स्कूल प्रमाण पत्र

(ख) नगर पालिका परिषद्/पंचायतों द्वारा रखा गया जन्म तिथि का रजिस्टर।

(ग) अन्तिम विधान सभा निर्वाचन सूचि जिसमें प्रार्थी का नाम शामिल हो।

(घ) निराश्रित व्यक्ति द्वारा सब डिवीजनल आफीसर के समक्ष दो गवाहों के साथ उम्र के प्रमाण पत्र देने हेतु प्रार्थना पत्र देने पर उसके द्वारा आवश्यक जांच के बाद स्वीकृत किया गया प्रमाण पत्र।

(२) उन मामलों में जहां एक व्यक्ति राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियमों के नियम ४ के अनुसार अपने संबन्धियों का वर्णन करता हो तो उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सावधानी पूर्वक ऐसे संबंधियों की जांच उप अवतरण(१)में दिये गये अनुसार करेगा तथा उसकी सूचना रिपोर्ट में देगा। ऐसे मामलों में पेंशन केवल उसी तारीख तक स्वीकृत की जावेगी जिस तक कि उनमें से कोई भी सम्बन्धी व्यक्ति २० साल की अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता है या पर्याप्त रूप से कमाने नहीं लग जाता हैं,इनमें से जो कोई भी जल्दी हो उसतक पेंशन स्वीकृत की जावेगी।

(३) सत्यापन (Verification) के बाद उप कोषाधिकारी फार्म O.A.P. III में विवरणों को भरेगा तथा फार्म (१) व (३) को शीघ्र ही जिलाधीश को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जावेगा।

(४) [१] फार्म (१) व (३) के कागजात उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी से प्राप्त हो जाने पर जिलाधीश प्रत्येक मामले पर अपने आदेश देगा। जब वह किसी विशिष्ट मामले में और अग्रिम जानकारी प्राप्त करना चाहे तो और मंगा सकता है। पेन्शन की स्वीकृति के लिए आदेश फार्म संख्या ४ में उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित प्राप्तकर्ता व महालेखापाल राजस्थान को भेजे जावेंगे।

[२] पेंशनें दो प्रकार की होंगी (१) जीवन पेंशन (Life Pension) जो कि जीवन भर के लिए स्वीकृत की जाती हैं, एवं

(२) सीमित अवधि पेंशन (Limited Term Pensions) जो कि कुछ निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है अर्थात् जब एक अधिकारी का सम्बन्धी २० वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है या जब वह पर्याप्त रूप से कमाना शुरू कर देता हैं, इनमें से जो कोई भी जल्दी हो। स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा एक पेंशनर का जिलेवार लेखा नम्बर दिया जावेगा ताकि वह भावी प्रसंगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके।

[३] प्रत्येक पेंशनर को वितरित किए गए लेखा अंक पर 'P' व 'L' मार्ग प्रदर्शक

र लिखे जावेंगे जो कि क्रमश 'जीवन पेंशन' व 'सीमित अवधि पेंशन' को सूचित गी।

(४) जिलाधीश एवं उपकोपाधिकारी/कोपाधिकारी फार्म ५ में उन व्यक्तियों का एक स्टर तैयार करेंगे जिन्होंने इन नियमों के अधीन पेंशनें स्वीकृत कर दी हैं। इस स्टर में किए गए इन्द्राजों का प्रमाणीकरण एक उत्तरदायी अधिकारी द्वारा किया गा। वे पेंशनर जिनके मामले जिलाधीश द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं, उन्हें इसकी ना सम्बन्धित उपकोपाधिकारी/कोपाधिकारी द्वारा दे देनी चाहिए।

(५) उपकोपाधिकारी/कोपाधिकारी हर वर्ष छठे माह में अप्रेल व सितम्बर माह में नर के जीवित होने तथा उसकी पेंशन के चालू होने के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों के सत्या- करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रमाणित करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेंश- को देखेंगे तथा उसकी उसके फोटोग्राफ से तुलना करेंगे तथा पहिचान के चिन्हों को पेन्शन आदेश में लिखे होंगे, सत्यापित करेंगे। जहां तक सम्भव हो जिला मुख्यालय/ सील मुख्यालय पर न रहने वालों को उनकी सत्यापन रिपोर्ट देने के लिए कार्यालय में स्थित होने के लिए नहीं बुलाया जावे। उनकी सत्यापन की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष १५ मई ५ अक्टूबर तक स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के पास भेज दी जावेगी। सत्या- कि तथ्यों का इन्द्राज रजिस्टर संख्या ५ में किया जावेगा जोकि जिलाधीश के कार्यालय में जावेगा।

(६) यह पेंशनर का कर्तव्य होगा कि वह अपने पते के परिवर्तन की सूचना उपकोपा- री/कोपाधिकारी को देवे जो पेंशन का भुगतान करता है। जब पते में परिवर्तन की ॥ पेन्शन प्राप्तकर्ता द्वारा उपकोपाधिकारी/कोपाधिकारी को दे दी जावे तो इसके बाद लिखित तरीका अपनाया जावेगा—

[१] यदि नया पता उसी तहसील में हो तो उपकोपाधिकारी अपने रजिस्टरों में उसे करेगा तथा आवश्यक संशोधन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के पास श्यक सूचना भेजेगा। वह इस बात को भी प्रमाणित करने के लिए कदम उठाएगा कि पेंशन की स्वीकृति जारी रखने की स्थिति अब भी विद्यमान है।

[२] यदि नया पता उसी जिले की अन्य तहसील में हो तो उपकोपाधिकारी संख्या ५ के रजिस्टर में इस सम्बन्ध की सूचना का इन्द्राज लाल स्याही से करेगा एवं के परिवर्तन की सूचना स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी तथा उस क्षेत्र के कोपा- री के पास भेजेगा जो कि अपने क्षेत्र में पेंशनर के जीवन के बारे में निश्चय करके पेन्शन की स्वीकृति जारी रखने की शर्तों को निश्चय करके, इस प्रकार का परिवर्तन तथा उसकी सूचना स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी को देगा।

[३] यदि एक निराश्रित व्यक्ति जो अपनी पेन्शन जिला मुख्यालय पर स्थित एक से प्राप्त करता हो तथा वह अपना पता एक तहसील में पड़ने वाले क्षेत्र में परि- करता हो तो कोपाधिकारी उपरोक्त उप नियम (२) में वर्णित तरीके को अपनाएगा।

[४] फिर भी यदि नया पता राजस्थान के अन्य जिला कोष में बदला उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी अपने जिले के जिलाधीश को पेन्शनर का प्रार्थना अपने रजिस्टर में (फार्म ५) लाल स्याही से इन्द्राज कर, पता बदलने के लिए मूल स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के रिकार्डों में संशोधन करने की व्यवस्था करेगा तथा उसकी सूचना नये जिले के स्वीकृति प्र वाले अधिकारी को देगा जिसके कि क्षेत्र में पेन्शनर अपना नया पता देता है। कृति प्रदान करने वाला अधिकारी, उचित सत्यापन कर चुकने के बाद तथा रजिस्ट संख्या ५) में इन्द्राज करके एक नये पेन्शनर का अंक वितरित करेगा तथा पेन्श को उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी के पास भेजेगा जिसके कि अधिकार क्षेत्र में पे रहना शुरू कर दिया है। पेन्शनर के अंक का परिवर्तन नए स्वीकृति प्रदान व अधिकारी द्वारा महालेखापाल को सूचित कर दिया जावेगा।

(७) पेन्शन की राशि पेन्शनर के पास उसके द्वारा दिए गए पते पर पोस्टल म द्वारा भेजी जावेगी तथा इसमें से मनीआर्डर कमीशन की रकम नहीं काटी जावेगी

(८) उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी फार्म ६ में एक बिल तैयार करेगा तथा उ फार्म जी. ए. १८ में उस माह की एक स्लिप संलग्न करेगा जिसकी कि पेन्शन पे दी जानी है। बिल के भुगतान पर उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी हर माह की १० तारीख तक पेन्शन की राशि मनीआर्डर द्वारा लिए वह फार्म ७ में एक रजिस्टर खोलेगा जिसमें फार्म ५ में का वह इन्द्राज करेगा। पेन्शनों को गिनने में सुविधा हो जो फार्म ५ में एक रजिस्टर तैयार करेगा, अपने जिले के का उल्लेख करेगा जिन पर वह उचित मार्ग प्रदर्शक नम्बर पर जिले के नाम का संक्षिप्त नाम लिखेगा।

(९) प्रत्येक मनीआर्डर फार्म पर शीघ्र ही लाल स्टाम्प पेन्शन योजना' की मोहर लगाई जावेगी। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेन्शन योजना' मोहर लगाई जावेगी। यह होगी पर उस समय का उसमें वर्णन किया जारी किया जावेगा। प्रत्येक भुगतान का इन्द्राज भुगतान कालम में किया जावेगा। उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से आवश्यक जांच कर इन्द्राजों

(१०) 'राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन राशि को मिलाकर जो व्यय होगा व बेनिफिटस L-पेन्शन अण्डर सोसियल

(११) उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी उन रक्षा रखने के लिये उत्तरदायी होगा जो कि वितरि

/या ट्रेजरी में भेज दिये जाते हैं। उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी फार्म = में एक र तैयार करेगा तथा उसमें वितरण न किये जाने वाले मनीआर्डरों का लेखा करेगा। र में इन्द्राज करने के बाद यह निश्चय किया जावेगा कि जो पेन्शन की राशि न नहीं की गई है वह दूसरे माह की पेन्शन बिल के साथ कम रकम प्राप्त कर लौटा वे। जब एक वितरण नहीं की गई पेन्शन बाद में भेज दी जावे तो फार्म = में इन्द्राज जावेगा।

(१२) उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी के कार्यालय में सभी राशियों को भेजने के लिए कर्ताओं की रसीदों पर निगरानी रखी जावेगी तथा उनके प्राप्त होने पर उन्हें क्रमवार दिया जावेगा तथा "रद्द किया गया" मोहर लगादी जावेगी तथा उसका उल्लेख फार्म ■ जिस्टर में कर लिया जावेगा। यदि प्राप्तकर्ता का रसीद मनीआर्डर जारी करने की ख से १० दिन के बाद तक भी प्राप्त न होवे या रकम प्राप्त न करने की शिकायत प्राप्त ती है तो उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी शीघ्र ही डाक विभागीय अधिकारियों से यक पूछ ताछ करेगा तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उस मामले की छान-करायेगा। जहां भुगतान सम्बोधित किए गए व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा किया जावेगा तो उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जहां छल होने का भ्रम होवे, वहां यक जांच पड़ताल करवाएगा।

(१३) फार्म ६ में छपे कार्ड सभी पटवारियों को (गांवों के मामलों में) तथा नगर-का अधिकारियों को (नगरीय क्षेत्र की दशा में) दिए जावेंगे जो कि पेन्शनर की मृत्यु/ त्येक मामले की सूचना सम्बन्धित उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी को देंगे। पेन्शनर की की सूचना प्राप्त करने पर स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के टर में आवश्यक इन्द्राज करने के लिए प्रयत्न करेंगे तथा इसकी सूचना महालेखापाल/ स्थान को भी देंगे।

(१४) जिलाधीश द्वारा उपट्रेजरी/ट्रेजरी में तैयार किए गए रजिस्टरों का निरीक्षण हर छठे किया जावेगा तथा अपने आपको इससे सन्तुष्ट करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किए भी मामलों का इन्द्राज उपट्रेजरी/ट्रेजरी के रजिस्टरों मे कर लिया गया है तथा बिना प्रकार की देर किये उनका भुगतान नियमित रूप से कर दिया गया है। वह आपको इससे भी सन्तुष्ट करेगा कि पेन्शनर की मृत्यु या पते के परिवर्तन आदि की ।, जिनका कि आवश्यक संशोधन करना जरूरी हो, उपट्रेजरी/ट्रेजरी रजिस्टरों में । से कर लिए गए हैं।

(१५) जिलाधीश पेन्शन की स्वीकृतियों का एक सन्चित विवरण पत्र हर माह महालेखा-राजस्थान को भेजेगा। इन स्टेटमेन्टों में पेन्शनर का नाम तथा नम्बर एवं समय के लिए प्रत्येक पेन्शन देय है, वर्णन किया आवेगा।

(१६) [१] इन नियमों के प्रभाव मे आने की तारीख से इन नियमों के अधीन जिन को मदद दी जावेगी उन्हें देवास्थान निधि से और कोई पेन्शन या निर्वाह भत्ता नहीं जावेगा।

[४] फिर भी यदि नया
उपकोपाधिकारी/कोपाधिकारी अ
अपने रजिस्टर में (फार्म ५) ला
भूल स्वीकृति प्रदान करने वाला
संशोधन करने की व्यवस्था करे
वाले अधिकारी को देगा जिसके
कृति प्रदान करने वाला अधिक
संख्या ५) में इन्द्राज करके ए
को उपकोपाधिकारी/कोपाधिका
रहना शुरू कर दिया है। पे
अधिकारी द्वारा महालेखापाल

(७) पेन्शन की राशि पेन्
द्वारा भेजी जावेगी तथा इसमें

(८) उपकोपाधिकारी/को
फार्म जी. ए. १८ में उस माह
दी जानी है। बिल के भुगता
हर माह की १० तारीख तक
लिए वह फार्म ७ में एक र
का वह इन्द्राज करेगा। पेन्
जो फार्म ५ में एक रजिस्टर
का उल्लेख करेगा जिन पर
नम्बर पर जिले के नाम का

(९) प्रत्येक मनीआर्डर
पेन्शन योजना'की मोहर लग
वृद्धावस्था पेन्शन योजना
होगी पर उस समय
जारी किया जावेगा। प्रत्येक
कालम में किया जावेगा। उप
तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से

(१०) 'राजस्थान वृद्धावस्था
राशि को मिलाकर जो व्यय हो
बेनिफिटस L-पेन्शन अण्डर सो

(११) उपकोपाधिकारी/कोपा
रखा रखने के लिये उत्तरदायी है

वृद्धावस्था पेन्शन फार्म ७

वृद्धावस्था पेन्शन के भुगतान का रजिस्टर वर्ष..................के लिये

(१) क्रम सं०
(२) पेन्शनर का नम्बर
(३) पेन्शनर का नाम व पूरा पता
(४) पेन्शन की राशि
(५) ओर से (from)
(६) वास्ते (To)
(७) आफीसर इन्चार्ज के दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर
(८) मनीआर्डर रसीद की सं० व तारीख
(९) रसीद के अनुसार भुगतान की वास्तविक तिथि
(१०) मनीआर्डर रसीद की सं० व तारीख
(११) रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख

जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर

---

(१२) मनीआर्डर रसीद की सं० एवं तारीख
(१३) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(१४) मनीआर्डर रसीद की [illegible] तारीख
(१५) प्राप्ति रसीद के अनुसार भुगतान की वास्तविक तिथि
(१६) मनीआर्डर रसीद की सं० एवं तारीख
(१७) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(१८) मनीआर्डर रसीद की संख्या एवं तारीख
(१९) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(२०) मनीआर्डर रसीद की संख्या एवं तारीख
(२१) प्राप्ति रसीद के अनुसार भुगतान की वास्तविक तिथि

नवम्बर दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च

---

(२२) मनीआर्डर रसीद की संख्या व तारीख
(२३) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(२४) मनीआर्डर रसीद की संख्या एवं तारीख
(२५) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(२६) मनीआर्डर रसीद की संख्या एवं तारीख
(२७) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(२८) मनीआर्डर की रसीद संख्या एवं तारीख
(२९) प्राप्ति रसीद के अनुसार वास्तविक भुगतान की तारीख
(३०) मनीआर्डर की रसीद की संख्या एवं तारीख